

दालत-ए

के

महाना

एन.पी. कम





सुरुचिपूर्ण, उत्तम एव संग्रहणीय पुस्तको के प्र

दलित-संघर्ष के महानायक

एम. पी. कमल

राजा राममोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन,
कोलकाता बैचिंग स्कार के सौजन्य से ।

स्नेह साहित्य सदन

3072/9, प्रताप स्ट्रीट, गोला मार्किट,
दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

© सर्वाधिकार सुरक्षित

ISBN : 81-88382-16-7

प्रथम संस्करण : 2003

मूल्य : 195.00 (एक सौ पचियानवे रुपये)

आवरण सज्जा : विजय ग्राफिक्स

प्रकाशक

स्नेह साहित्य सदन

3072/9 प्रताप स्ट्रीट, गोला मार्किट,

दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

शब्द संयोजन

मानस टाइपसेटर, नयी दिल्ली-110002

मुद्रक

एच एस. ऑफसेट प्रेस, नई दिल्ली-2

DALIT SANGHARSH KE MAHANAYAK

by M P KAMAL

20

Rs 19

लेखकीय

हम भारतीयों की यह कमजोरी है कि हम आदर्शों के बिना नहीं जी पाते। आदर्श मिल जाएँ तो हम हिमालय की ऊँचाइयों लाघ जाते हैं और न मिले तो पतन के गहरे गर्त में जा गिरते हैं। शायद इसीलिए भारत की जमीन पर आदर्शों की सबसे अधिक उत्पत्ति हुई है। इतिहास पर नजर डालें तो बहुत कम दौर ऐसे मिलेंगे जब हमारे पास अनुकरणीय आदर्शों का अभाव रहा। यह दौर हमारे सामाजिक पतन के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

ऐसा ही एक दौर उपनिषद्काल के बाद भारत में आया। कर्म-आधारित सामाजिक संरचना को जन्म आधारित संरचना में बदल डाला। कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी पूर्ति के लिए समाज के साथ ऐसा घिनौना पड्यत्र रचा कि कुछ जातियों शेष जातियों की गुलाम बनकर रह गईं। शिक्षा और संसाधनहीन ये जातियाँ दरिद्रता और जडता का पर्याय बन गईं।

इनकी इस दशा के लिए कौन जिम्मेदार है ? किसने इनके साथ यह घिनौना खेल खेला है ? यह बात सोचना तो दूर, शेष समाज इन्हे अछूत और दलित कहकर इनसे घृणा करने लगा, इनका अपमान करने लगा। श्रेष्ठतम मानवीय संस्कृति को धारण करने वाले साधन-संपन्न समाज का विवेक न मालूम कहाँ खो गया ? उसने एक बार भी रुक कर यह नहीं सोचा कि ये दीन-हीन लोग घृणा के पात्र नहीं हो सकते, इन्हे तो करुणा और सहानुभूति के पात्र होना चाहिए।

शोषित और शोषक जब एक ही समाज में एक साथ मौजूद हो ओर शोषित को दलित, अछूत और नीच समझा जाए, उसका उपहास उड़ाया जाए, अपमान किया जाए और गलत कामों के लिए जिम्मेदार ठहराकर उसे ताड़ना दी जाए तो मानवता रोती है। जिस समाज में यह सब होता है, वह स्वस्थ समाज नहीं कहा जा सकता। वह एक बीमार समाज है। ऐसा बीमार समाज कमजोर और जर्जर होने लगता है और यदि उसे औषधि आदि देकर संभालने वाला न मिले तो एक दिन

उसकी मौत हो जाती है।

सौभाग्य से भारतीय समाज को देर से ही सही, पर औषधि देने वाले मिल गए। वीमार समाज के रोग को इन मानवीय चेतना सम्पन्न महामानवों ने जान लिया और उसके अनुरूप निदान के उपाय तलाशने लगे। इन महामानवों के हृदय शोषितों, दलितों और अछूतों के प्रति सहानुभूति से भर गए। यह भी समझ आ गया कि देश और समाज के पतन, आर्थिक विपन्नता और लम्बी राजनीतिक पराधीनता के पीछे यह मानवीय और सामाजिक अन्याय ही है।

अन्याय के विरुद्ध आवाजें उठीं। समाज में इन आवाजों को दबाने के प्रयास भी तेज हुए। संघर्ष छिड़ गया। समाज में आत्म-मथन और उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। इस दौर ने एक ओर शोषितों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया, अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत किया, दूसरी ओर शोषकों और षड्यंत्रकारियों को समाज के सामने नगा किया, उनमें अहसास जगाने का प्रयास किया। इससे परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई।

स्वाधीनता की लड़ाई से पहले, स्वाधीनता की लड़ाई के साथ-साथ तथा स्वाधीनता-संघर्ष के पश्चात् सामाजिक परिवर्तन की यह लड़ाई जारी रही। इसके फलस्वरूप शोषित और दलित समाज को बहुत लाभ हुआ।

स्वाधीनता के बाद बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर की देख-रेख में बने भारतीय संविधान ने इस शोषण को समाप्त करने के लिए ठोस आधार प्रदान किया।

आजादी के पचपन वर्ष बाद भी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सामाजिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी है। जिन महान हस्तियों के महाप्रयासों से भारतीय समाज का यह कलक मिटा और समाज में मानवीय संवेदना लौटी उनके बारे में जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। नई पीढ़ी अवश्य ही यह जानना चाहेगी कि वे कौन लोग थे जिनके हृदयों में सोई हुई मानवता जागी और भारी कष्ट उठाकर भी जो दीन-हीन समाज के दुख-दर्दों से कराहते लोगों की आँखों के आँसू पोंछने निकल पड़े।

हमने इस पुस्तक में दलित और शोषित समाज से जुड़े तथा उनकी पीड़ा से तडप उठने वाले केवल नौ महामानवों की संक्षिप्त जीवन-गाथाओं को समाहित करने का प्रयास किया है। इस आशा और विश्वास के साथ कि नई पीढ़ी के लिए ये अनुकरणीय आदर्श साबित होंगे और उसे सही दिशा देंगे।

—एम० पी० कमल

अनुक्रम

(जन्मानुसार)

सत रविदास (स 1471 से 1567)	9
ज्योतिबा फुले (20 फरवरी, 1827 से 1890)	23
पेरियार ई बी. रामास्वामी नायकर (17 सितम्बर, 1879 से 24 सितम्बर, 1973)	35
डॉ भीमराव अम्बेडकर (14 अप्रैल, 1891 से 6 दिसम्बर, 1956)	54
के कामराज (15 जुलाई, 1903 से 2 अक्टूबर, 1975)	78
बाबू जगजीवन राम (5 अप्रैल, 1908 से 6 जुलाई, 1986)	107
डॉ के.आर. नारायणन (27 अक्टूबर, 1920)	126
रामविलास पासवान (5 जुलाई, 1946)	142
मायावती (15 फरवरी, 1956)	158

1
1
1



सन्त रविदास

(स. 1471 से स. 1567)

सन्त रविदास का नाम उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर में चर्चित है। 'जब मन चगा तो कठौती में गंगा' रविदास की लोकप्रिय उक्ति है। गाँवों के बड़े-बूढ़े कुछ विशेष सदस्यों में इस उक्ति को कहते सुने जा सकते हैं।

इसके पीछे दत्तकथा यह है कि एक बार रविदास जी जूते बनाने में व्यस्त थे और उनके साथी गंगा स्नान के लिए जाने लगे। रविदास जी काम पूरा किए बिना जाने को तैयार न थे। उनके साथी उन्हें काम छोड़कर चल देने की बात कहने लगे तो रविदास जी बोले—“देखो भाई। मेरे लिए काम सबसे पहले है। मैं ठहरा मजदूर आदमी, मैं काम छोड़कर जाने वाला नहीं। तुम लोग जाओ और स्नान करो। मेरा मन काम में आनन्दमग्न है” और फिर चमड़ा धोने की कठौती (काठ का बना एक चौड़ा कम गहरा बर्तन) की ओर हाथ उठाकर बोले—‘मन चगा तो कठौती में गंगा।’

अपने काम को गंगा स्नान से भी अधिक पवित्र मानने वाला यह महामानव अछूत समझी जाने वाली चर्मकार (चमार) जाति में पैदा हुआ था। उत्तर भारत में इस जाति के लोगों से बड़ी जातियों के लोग बहुत परहेज करते थे। साथ उठना-बैठना, खाना-पीना तो दूर की बात थी, बात करने से भी लोग कतराते थे। परन्तु रविदास में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों का उदय हुआ कि लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए दौड़ पड़े। एक ओर नीची जाति में जन्म लेने से उनके प्रति लोगों में उमड़ती घृणा और उपेक्षा, दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा सागा की पुत्र-वधू भक्त शिरोमणि मीरा के गुरु बनने का गौरव, ऐसी थी सन्त रविदास की विलक्षणता।

जन्म व परिवार

सन्त रविदास के जन्म के बारे में एक मत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि

वे संवत् 1377 के आस-पास काशी में जन्मे थे। कुछ के अनुसार उनका जन्म संवत् 1471 में काशी नगरी के मीर गोवर्धनपुरा नामक मुहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राघव तथा माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी था। ऐसी मान्यता है कि जन्म के समय इनके चंहरे पर सूर्य का तेज था। इसीलिए इनका नाम रविदास रखा गया। पिता श्री राघव जूते बनाने का काम करते थे।

गोवर्धनपुरा की धूल में गिरते-उठते जब रविदास बड़े हुए और लोगो की जाने समझने लगे तो उनके सामने सबसे पहले जीवन का यह कड़वा सच आया कि वे अछूत हैं। वे केवल अपने परिवार और अपनी जाति के बच्चों के साथ ही खेल सकते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मणों की नगरी काशी में मनु स्मृति के नियमों पर क्रूरता और हृदयहीनता के विष का लेप करने वाले कट्टरपंथियों की कमी नहीं थी। जनेऊ और तिलक धारण करने वाले ये धर्म के ठेकेदार अछूत की छाया पड़ते ही जोर-जोर से 'शिव-शिव' का जाप करने लगते थे और अपने शरीर पर गंगा जल छिड़कने लगते थे। इन तथाकथित पवित्र आत्माओं को इतना भी ज्ञान नहीं था कि सबका शरीर एक ही तरह के हाड़-मांस का बना है और सबके भीतर एक ही जीवन तत्त्व सचरित है। फिर यह जाति-भेद क्यों ? सभी मनुष्य हैं। सभी को प्रकृति ने हृदय और मस्तिष्क के साथ पैदा किया है जो सृष्टि की मनुष्य को अमूल्य देन है।

रविदास के पिता जब जूते बना रहे होते थे, तब रविदास उनके पास बैठ जाते थे और गौर से देखते रहते थे। फिर वे उनसे तरह-तरह के प्रश्न भी पूछते थे ? पिता बहुत विनम्र थे। उनका विश्वास केवल काम में था। उनका मानना था कि करने को काम, भजने को हरिनाम हो तो फिर और क्या चाहिए ? रविदास की माँ कर्मा देवी धरेलू महिला थीं। घर के काम करना और पति के काम में सहयोग देना। रविदास सुन्दर और हँसमुख थे। उनके चेहरे पर एक मोहिनी थी। जब भी वे खेलने के लिए घर से बाहर निकलते, बच्चे उनकी ओर दौड़ते थे, परन्तु माँ को यह ध्यान रखना पड़ना था कि बच्चा बड़ी जाति के बच्चों में न चला जाए। वे जानती थी कि बड़ी जाति के लोग उनके बच्चे को अपने बच्चों के साथ खेलने से मना करेगे तो उसका दिल टूट जाएगा। इसीलिए वे बच्चों की उगली पकड़ कर उसे दूर तक घुमाकर लाती थी और फिर अपनी जाति के बच्चों में खेलने के लिए छोड़ देती थीं।

पिता राघव रविदास को तरह-तरह की बातें सुनाते थे। रात को माँ कहानियाँ सुनाती थीं।

शूद्र होने के कारण पढ़ने के लिए किसी आश्रम में नहीं जा सकते थे। उन दिनों केवल बड़ी जातियों के बच्चे ही आश्रम में गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, छोटी जाति के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था।

कितनी क्रूर थी यह व्यवस्था, आत्मकेन्द्रित, भय और असुरक्षा की भावना से

संचालित। जाति और वैभव के बल पर समाज के चन्द लोगो ने कैसा धिनीना ओर अमानवीय षड्यंत्र रचा था कि केवल उनके बच्चे विद्वान बने, धनवान और शौर्यवान बने, वे ही सम्मानित हों, वे ही पूजे जाएँ। शेष समाज उनकी जूतियो के नीचे कुचले जाने, चीखने-चिल्लाने और हाहाकार करने पर दिवश हो, उन्हीं के दरवाजे खटखटाएँ, उन्ही के सामने गिड़गिड़ाएँ, उन्ही की दया पर जिएँ और उन्ही के काम करते-करते मर जाएँ। पीढी-दर- पीढी यह षड्यंत्र चलता रहा और धीरे-धीरे समाज की रग-रग मे समा गया। षड्यंत्रकारी जातियो ने इसे अपना विशेषाधिकार मान लिया और शोषित जातियो ने अपना दुर्भाग्य। फिर लागू हुआ कर्मफल का सिद्धांत। संपन्न वर्ग के लोग गर्व के साथ कहते कि यह तो उनके पिछले जन्मों का फल है। जो वे सुख भोग रहे है। धर्म के ठेकेदार तथाकथित आध्यात्मिक प्रचारक बड़े-बड़े ऊँचे मंचो से प्रवचन करते हुए कहते, 'कर्म गत टारे नाय टरी।'

अर्थात् हर प्राणी को इस संसार मे कर्मों का फल भोगना ही पडता है। अब यदि ये शूद्र भोग रहे हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है। यह तो भगवान की मर्जी है। यदि इनके कर्म अच्छे होते तो ये नीची जाति मे जन्मते ही क्यों ? अर्थात् कर्मफल सिद्धांत और ईश्वर की इच्छा दोनों को एक साथ मिलाकर गड्डमगड्ड दर्शन से अपनी उच्चता और दीन-हीन श्रमिक वर्ग की निम्नता साबित करके अपने ही भाइयो का गला घोटले वाले इन क्रूर और कपटी सपन्नो ने विपन्नो पर कौन से जुल्म नही ढाए; नियति और नियन्ता दोनों को इन्होंने पता नहीं कैसे सदा अपने अनुकूल बनाए रखा।

ऐसे तर्करोधी वातावरण मे जब चारो ओर अंधकार ही अंधकार था। लाखो अनपढ बच्चे, लाखो अनपढ माताएँ, लाखो अनपढ पिता नीची नजरें करके जीने पर विवेश थे। होश संभालते ही शूद्र जातियो से जुड़े ये लोग जान गए थे कि जिन्दगी उनके लिए एक सजा है। अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान ने उन्हे इस मृत्युलोक में जन्म दिया है, जहाँ उनके एक-एक गुनाह की सजा देने के नाम पर उनकी खाल खींच लेने वाला सम्पन्न और उच्च वर्ग पहले से ही मौजूद है।

सत रविदास पले और बड़े हुए। विधिवत शिक्षा न मिल पाने से मानसिक विकास का कोई स्वीकृत सिलसिला नही बन पाया, परन्तु विशेष जिजीविषा के साथ जन्मे इस ऊर्जावान बालक की जानने की शक्ति इतनी तेज थी कि इसने बिना पाठशालाओं में अध्ययन किए और बिना ग्रंथ वांचे सुन-सुनकर वह सब ज्ञान एकत्रित कर लिया जो एक साधारण मनुष्य को विशेष दर्जा देने के लिए काफी होता है।

मनुष्य जन्म का क्या महत्त्व है ? क्यों जन्मता है मनुष्य इस दुनिया मे ? उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ? जीवन की सार्थकता किसमे है ? मनुष्य को जीवित

रहने के लिए क्या-क्या चाहिए ? मनुष्य की शक्तियाँ अपार हैं, कोई सच्चे मन से खोजे तो अपने अन्दर चाहे जितनी शक्तियाँ खोज सकता है। जीव, ब्रह्म और ब्रह्मांड सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के ही अनेक रूप हैं और अतत फिर एक हो जाते हैं। ऐसे में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म तथा अन्य विघटनकारी घटकों की गिनती है। ये तो मात्र शब्द हैं, जिन्हें निहित स्वार्थों वाले कुछ लोगों ने दूसरों पर अपना हुक्म चलाने के लिए इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं। यह जुल्म है, यह अन्याय है। मानवता की पीठ में छुरा घोसा गया है। धरती पर जीवन के सहज विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली गई है। यह घोर अपराध है। इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए।

ईश्वर में विश्वास, सत्य कहने की आदत

काशी की पावन धरती पर 'हर-हर गये' और 'भोलेशंकर भंडारी' जयघोष सुनकर आनंद विभोर होते-होते रविदास का वचन किशोरावस्था में बदल गया और किशोरावस्था युवावस्था में।

युवाकाल तक आते-आते रविदास ससार और अध्यात्म दोनों प्रकार के ज्ञान में पारंगत हो गए। कर्मकांड की नगरी वाराणसी में ज्ञान तो विखरा पड़ा है। जों इसके पारखी हैं, वे चाहे जितना समेटें और अपनी झोली में भर लें। रविदास जी ने यही किया। वे चुपके से किसी भी सत के प्रवचन में जा बैठते थे और ज्ञान की बातें सुनते रहते थे। मन तो उनका उनके वश में था ही, वस एकाग्रता का सहारा मिला और ज्ञान का सागर उनके विशाल मस्तिष्क में समाहित होने लगा।

ज्ञानी मनुष्य में यह लत होती है कि वह चुप नहीं रह पाता। अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को देने के लिए मचल उठता है और प्रवचन करने लगता है। रविदास ने भी यही किया। वे जूते बनाने की दुकान पर बैठे जूते बनाते रहते और ज्ञान का प्रवचन भी करते रहते। रविदास जी की भाषा इतनी सरल और बोधगम्य थी कि आम आदमी को सब कुछ समझ आने लगा। पंडित अपनी मोटी-मोटी पोथियों से जो बातें नहीं समझ पाते थे, वे बातें रविदास दोहा या छंद बोल कर चुटकियों में समझाने लगे। उनकी दुकान पर अब ग्राहक कम आते और सत्संग प्रेमी ज्यादा। रविदास को इसमें बड़ा सुख मिलता। वे तो कण-कण में भगवान का दर्शन करने वाले संत थे, फिर मनुष्यों में भगवान के दर्शन करना तो उनके लिए बहुत सरल था। उन्हें ऐसा लगने लगा मानों मानव रूप धारण कर स्वयं भगवान सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। वे और अधिक उत्साह और मनोयोग से सत्संग सुनाते। कविता की पंक्तियाँ उनके मुख से स्वतः ही फूट पड़ती थी।

एक दिन कुछ तिलकधारी पंडित वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जूते बनाने वाला चर्मकार लोगों को सत्संग सुना रहा है और वे भाव-विभोर होकर

पूरी तल्लीनता से सुन रहे है। रविदास जब मस्ती में कोई उक्ति सुनाते तो पूरी भक्त-मडली उसे बड़े मनोयोग से झूम-झूम कर गाने लगती।

पंडितों का माथा ठनक गया। यह शूद्र तो चमत्कारी है। रविदास शूद्र है। शूद्र को तो धर्म-ग्रंथ पढ़ने तक का अधिकार नहीं है। फिर यह ऐसी उक्तियाँ कहाँ से सीख आया। यदि यह अपनी भक्ति रचनावलियों रच रहा है, तब भी यह पाप है। एक शूद्र को ईश्वर के बारे में लिखने का कोई हक नहीं है। इसे यहाँ से उखाड़ना होगा अन्यथा यह तो शूद्रों को हमारे विरुद्ध भडका देगा और हम सब मारे जाएँगे।

विवाह करके दंडित किया

पंडितों का जत्था रविदास के घर जा पहुँचा। रविदास के पिता राघव बहुत सीधे आदमी थे। वे घबरा गए। दोनों हाथ जोड़कर बाहर निकल आए और बोले—“महाराज क्षमा करे ..दास से कोई भूल हुई हो तो बताएँ।”

“भूल नहीं राघव घोर अनर्थ हुआ है, घोर अनर्थ हो रहा है। तुम्हारा बेटा रविदास जूते बनाता जाता है और भगवान की कथाएँ सुनाता जाता है। जूते हाथ में लिए वह भगवान की आरती गाता है। ऐसा अनर्थ तो आज तक धरती पर किसी ने नहीं किया। धोखे से भी जूते से पैर छू जाए तो हाथों को अच्छी तरह धोकर पवित्र करते हैं, तब कही भगवान का नाम लेने के अधिकारी होते है और तुम यह कैसे भूल गए हो कि तुम शूद्र हो। शूद्रों को प्रवचन करने का अधिकार किसने दे दिया, उन्हें तो धर्म-ग्रंथ पढ़ने तक का अधिकार नहीं है। तुम अपने बेटे को तुरन्त रोको, नहीं तो हम उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे।”

राघव डर गया। वह तो पहले से ही डरा हुआ था। वह गिडगिडाते हुए बोला—“आप सब महाज्ञानी है, उस मूर्ख अज्ञानी की ओर से मैं आपके पैरो पडता हूँ, उसे क्षमा कर दो। मैं कल ही उसकी प्रवचनी बद करा दूंगा। वह भगवान का बहुत टीवाना बन गया है, पर अपनी जात नहीं देखता। नहीं जानता, हम नीच कुल में जन्मे हैं। भगवान की प्रवचनी तो ब्राह्मणों का अधिकार है। हमने आप भगवान का नाम लेने की छूट दे चुके है, हमारे लिए तो यही बहुत है।”

राघव की बात सुनकर पंडित-दल चला गया। राघव ने सीधे रविदास की दुकान की राह ली। राघव ने रविदास को लातों से घुसों से पीटा और उसे बताया, “शूद्रों को भगवान की भक्ति का उपदेश देने का हक नहीं है। यह हक तो केवल ब्राह्मणों को है। तूने ऐसा अनर्थ क्यों किया, क्यों किया, बता?”

रविदास पिटता रहा और मुस्कराता रहा। जब पिता उसे खूब पीट चुके तो बोला—“मुझे माफ करना बापू .मुझे मारते-मारते तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे मैं बड़ा अभाग्य हूँ .मेरे पिता ..।” रविदास के मुँह से ये शब्द सुनकर राघव पानी-पानी हो गया। उसका दिल भर आया। उसने अपने बेटे को दोनों बाँहों में भर लिया

और रो पड़ा—“बेटा मुझे माफ़ कर देना, मेरे लाल...तू मेरे कुल में क्यों जन्मा। तू तो सचमुच मन्त है। मैंने तुझे इतना मारा और तू मुस्करा रहा है, मेरी फिकर कर रहा है, मुझे लानत है ..मैंने अपने देवता समान बेटे को ।” राघव सिसकने लगा, फिर शांत होकर बोला।

“बेटा ! यह हिन्दू समाज तुझे ज्ञान की बातों का प्रचार नहीं करने देगा। इतनी मोटी लाठियों लिए घूम रहे थे पड़ित। मैं तुझे न रोकता तो वे तुझ पर लाठियों से प्रहार करते। मैं क्या कर लेता—बेटा समझ हम कमजोर है। हम असहाय है, हम अछूत जाति के है। हमारा छुआ तो लोग पानी भी नहीं पीते। हम गवार जानवरो की तरह है। ऊँची जात वालो के लिये काम करना, झिडकियाँ ओर अपमान सहना हमारी नियति है। बेटा तू मेरा एक कहना मान ले, बोल मानेगा न?”

बूढ़े पिता की कातर आँखों में ज्यों ही रविदास ने देखा, उसके मुँह से तुरन्त निकल गया—“आप आज्ञा करोगे तो मैं मानूँगा।”

“बेटा तू शादी करके घर बसा ले।” पिता एक ही साँस में कह गए।

पिता की ऊपर की साँस ऊपर और नीचे की साँस नीचे रह गई, फिर गर्दन झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले—“लगता है ईश्वर की यही इच्छा है, मुझे स्वीकार है।”

राघव के घर में शहनाइयों बज उठीं। सजातीय लड़की देखकर तुरन्त रविदास की शादी कर दी गई। रविदास की पत्नी सीधी-सादी अनपढ़ थी। दोनों पति-पत्नि प्यार से रहने लगे।

परन्तु विवाह के बाद रविदास की ईश्वर भक्ति में कोई कमी नहीं आयी। वे नित्य सबेरे उठकर काशी में स्नान करते और घाट पर बैठकर घंटो जाप करते। घर आते ही थोडा सा कुछ खाते और फिर दुकान पर जा बैठते।

रविदास के भक्ति रस भरे बोल लोगों के दिलों में उतर चुके थे। लोग आ-आकर उनसे निवेदन करने लगे और प्रवचन का दौर फिर शुरू हो गया।

ब्रह्मणों ने हंगामा मचा दिया। राघव का घर चारों ओर से घेर लिया और शर्त रखी कि या तो इसका प्रवचन बंद कराओ या घर से बाहर निकाल दो।

रविदास के पिता विवश थे। पुत्र प्रवचनों पर अडा था। उसके अन्दर से ज्ञान की बातें फूटती थी तो माँ सरस्वती जिह्वा पर आ बैठती थी और मुँह से कविता के बोल निकलने लगते थे। विवाह के बाद तो काव्य रचना का दौर और भी बढ़ गया। रविदास की भगवद्भक्ति में मस्ती और भी बढ़ गई।

पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दूसरा फैसला लिया। रविदास को पत्नी के साथ घर छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया।

पड़ितों के दबाव में दिए गए इस आदेश के पीछे पिता का दिल कितना रोया

होगा। सबसे अच्छे और पवित्र कर्मों की सजा अपने बेटों को देते क्या बीती होगी राघव के मन पर। जब इसी काम को करने से ब्राह्मण पुरस्कृत होते थे। उनकी प्रशंसा में छंद गाए जाते थे, उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाता था और रविदास ने जब यह कर्म किया तो सजा मिली घर निकाला। अपनी ममतामयी माँ और विशाल हृदय वाले सज्जन पिता को अपनी पत्नी की सेवा से वंचित करने के क्रूर कर्म का पाप।

परन्तु यह ब्राह्मण-व्यवस्था सम्पन्न समाज था। इतमें शूद्रों की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी।

रविदास अलग हो गए। धन तो उनके पास था नहीं। गरीब घर की कन्या से विवाह हुआ था। अपनी पत्नी को लेकर वे गंगा किनारे चले गए और वहीं एक छोटी-सी कुटिया डालकर गुजारा करने लगे।

गुरु रामानंद से भेंट

उन दिनों काशी में स्वामी रामानंद एक उदार सन्यासी थे। वे जाति से ब्राह्मण अवश्य थे, परन्तु उनमें ब्राह्मणों वाली कट्टरता नहीं थी। वे केवल भाव देखते थे। जाति और धर्म नहीं। हिन्दू धर्म की छुआछूत और ऊँच-नीच के भेद-भावों से वे बहुत दुखी थे, परन्तु समाज इन मामलों में इतना पक्का हो चुका था कि बदलने का नाम ही नहीं लेता था।

नित्य प्रातः वे गंगा-स्नान करने के लिये आते थे और हरि नाम जपते हुए स्नान करके वापस चले जाते थे। एक दिन जब वे स्नान करने के बाद गंगा के घाट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, रविदास दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और बिलखने लगे। स्वामी रामानंद ने उन्हें उठाया और स्वभाव के अनुसार गले से लगाने लगे।

रविदास बोले—“महाराज मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम रविदास है। मुझे छूने से आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा। आप अभी-अभी स्नान करके निकले हैं। स्वामी रामानंद वहीं के वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, आँखों में चमक और होठों पर मुस्कान।

“मैं तुम्हें अपना शिष्यत्व प्रदान करता हूँ रविदास।” स्वामी रामानंद बोले। ब्राह्मणों ने तुम पर जो जुल्म किया है, मुझे पता लग चुका है। आओ, अब गले लग जाओ। इन्सान के छूने से इन्सान अपवित्र नहीं हुआ करता।”

भाव विभोर हो रविदास गुरु रामानंद से लिपट गए। रामानंद ने उन्हें बहुत स्नेह दिया और बोले—“अब जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान के नाम का प्रचार करो। क्रोध मत करना, बदले भी भावना से झगडना मत। सहनशक्ति और विवेक का परिचय देते हुए लोगों में जागृति पैदा करो।

सबके दिलों में राम-नाम की ज्योति जगाओ। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।”

रविदास गद्गद् हो गए। उन्होंने गुरु को साष्टांग दंडवत् किया और फिर उनके चरणों की रज लेकर अपने माथे पर चन्दन की तरह लगा ली।

स्वामी रामानंद जी अपने आश्रम की ओर चले गए और रविदास अपनी कृटिया की ओर।

स्त्रियों को ज्ञान व भक्ति का अधिकार

रविदास जी बड़े उदारमना व्यक्ति थे। जब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था, तब तक वे अपना पूरा जीवन ज्ञान-भक्ति और जाति-धर्म मुक्त समाज निर्माण के लिए लगाना चाहते थे, परन्तु शादी करने के बाद उनके मिशन में एक लक्ष्य और शामिल हो गया। वह था—स्त्रियों को ज्ञान और भक्ति का अधिकार दिलाना। नारी को वे उसी तरह दुखी और प्रताडित मानते थे जैसे सवर्णों के समाज में शूद्र रह रहे थे। सवर्ण पुरुषों को ही सारे अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों बाहर न निकले, दूसरों से मिले-जुले नहीं, इसलिए उन्होंने उन पर बंदिशें लगा रखी थीं। सवर्ण अपनी स्त्रियों को अपनी इज्जत मानते थे। इसीलिए वे उन्हें अधिक अधिकार देने को तैयार न थे।

रविदास ने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की। उन्होंने अपनी पत्नी को ज्ञान और भक्ति के कामों में खुलकर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी की पत्नी ने अन्य महिलाओं को इस पवित्र अधिकार को आगे बढ़कर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। रविदास ने नारियों से कहा—“आप यह न भूले कि सटियों से पुरुष समाज ने आपके अनेक अधिकारों से आपको वंचित रखा है। शिक्षा और भक्ति का अधिकार भी आपसे इसीलिए छीन लिया जाता है कि वे आप पर विश्वास नहीं करते। मैं कहता हूँ यह अन्याय है। नारी पुरुष की सहचरी है। उस पर पूरा विश्वास किया जाना चाहिए और उसे सभी अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा और भक्ति के बिना तो जीवन ही बेकार है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और विवेक देती है, भक्ति उसका परलोक सुधारती है। जिस प्रकार इहलोक और परलोक सुधारने का हक पुरुष को है, उसी प्रकार वह स्त्री को भी होना चाहिए।”

रविदास अपनी धुन के पक्के थे। वे खाली उपदेश देकर ही नहीं रह गए। वे बहुत आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी सख्या में स्त्रियों को ज्ञान और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

मीराबाई को शिष्यता

नारी उत्थान की और नारी मुक्ति की भावना उस समय कोई सामाजिक आंदोलन नहीं बन पाई थी। यह वह समय था जब भारत में यमन आ चुके थे और

देश के अनेक भागो पर शासन कर रहे थे। देश के राजपूत राजा तथा अन्य शासक इनसे लोहा लेते-लेते बहुत नुकसान उठा चुके थे। सुन्दर स्त्रियों पर नजर पडते ही यमन उन्हें उठा ले जाया करते थे। इस डर से हिन्दुओ ने कम आयु मे ही लडकियो की शादियाँ करनी शुरू कर दी थी और शिक्षा के लिए वाहर जाने का हक भी उनसे छिन लिया। ज्ञान व भक्ति के मामले मे एक वाधा हिन्दू समाज की पारम्परिक मानसिकता थी और दूसरी स्त्रियो की अस्मिता भग हाने का भय। सवर्ण जातियो के पुरुषो ने ऐसे मे अपने घर की स्त्रियो पर कडे प्रतिबध लगा दिए थे। शूद्र जातियो की स्त्रियो पर ये प्रतिबन्ध नही थे। उन्हे वाहर निकलकर काम करना पडता था। घर मे छिपकर बैठे रहने से उनका गुजारा नही हो सकता था।

रविदास ईश्वर मे पूरा विश्वास रखते थे। इस जन्म में मेहनत और ईमानदारी का जीवन बिता कर परलोक सुधारने के लिए ज्ञान व भक्ति का सहारा लेना उनके जीवन का सिद्धांत था।

राणासागा के बेटे भोजराज की नवविवाहिता पत्नी मीरा बहुत सुन्दर थी, परन्तु वह वचपन से ही आध्यात्मिक रग में रगी थी। उमके पास कृष्ण की सुन्दर मूर्ति थी। होश सभालते ही उसे उस मूर्ति से प्यार हो गया। वह कहा करती थी कि उसके आराध्य भगवान कृष्ण उस मूर्ति मे सदा विराजमान है। वे सदा उसके साथ रहते है। वे उसके साथ खाते है, खेलते हैं और साथ ही विश्राम करते है। उन्होने कृष्ण में अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहा—

“मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई।।”

अतः मीरा ने कृष्ण से विवाह कर लिया। परन्तु मीरा के माता-पिता ने उसे भक्ति का प्रलाप समझ कर उसे गंभीरता से नही लिया और भोजराज से उसकी शादी कर दी।

ससुराल आने के बाद मीरा पर राजपूती और राजसी अनुशासन का कोई प्रभाव नहीं पडा। वह उसी तरह नाचती-गाती और भक्ति मे भाव-विभोर होकर झूमती थी।

जब मीरा को पता लगा कि संत रविदास मेवाड़ आ रहे हैं तो वह उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। वह उमगकर रविदास की ओर दौड़ी और उनके चरणो में गिर गई। रविदास ने मीरा की आध्यात्मिक भावना का सम्मान किया। उन्होंने मीरा को अपना शिष्यत्व प्रदान किया और चले गए। जाते-जाते उन्होने कहा था—“अत्यधिक भावावेश नहीं, भक्ति मर्यादा का उल्लघन नही सिखाती।” घर की मर्यादाओ का पालन करते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। मीरा पर सन्त रविदास के इन शब्दो का भारी प्रभाव पडा। उसकी जीवन धारा ही बदल गई।

मीराबाई ने कहा—

“गुरु मित्या रैदास जी म्हाणै दीनी ज्ञान की गुटकी ।
मेरो मन लाग्यौ गुरु सौ, अब न रहूँगी अटकी ।।”

जाति-पाति और मूर्ति पूजा का विरोध

अपने गुरु के सुझाव और पिता के आदेश से रविदास ने काशी के पंडितों के साथ टकराव का इरादा तो छोड़ दिया था परन्तु अपने मिशन से उन्होंने तनिक भी समझौता नहीं किया। मनुष्य को मनुष्य के हाथी अत्याचार से बचाने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने तथा जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि की निरर्थकता साबित करने के लिए रविदास सकल्पबद्ध थे। वे केवल आध्यात्मिक पुरुष ही नहीं थे, वे सच्चे मनुष्य और समाज सुधारक थे। समाज की सकीर्णताओं और बुराइयों के खिलाफ अपनी शैली में लड़ाई छेड़ना उनका उद्देश्य था। जीवन भर वे अपने मिशन में लगे रहे। रविदास की मान्यता जब बहुत बढ़ गई तो पंडित शांत हो गए। उन्होंने रविदास के प्रवचनों का विरोध करना बंद कर दिया। अब वे खुलकर बोलने लगे। अपने प्रवचनों में वे छोटी जाति के लोगों से कहते थे कौन कहता है, तुम नीच हो? तुममें भी वही आत्मा है जो ऊँची जाति वालों में है। तुम्हारा शरीर भी उसी हाड-माँस का बना है जिससे उनके शरीर बने हैं। फिर कैसी नीच जाति और कैसी ऊँच जाति। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। सब ईश्वर की सत्ता हैं, फिर यह भेदभाव क्यों ?

“जाति-पाति पूछे नहीं कोई
हरि को भजै सो हरि को होई ।”
जाति-पाति के फेर में उलझ रहे सब लोग
मानुषता को खात है रैदास जात का रोग ।”

जातिप्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि यह एक अभिशाप है जो मनुष्य जाति को तबाह कर देगा।

जात-जात में जाति है
ज्यों केले में पात
रैदास न मानुस जुड़ि सकें
जब लैं जाति अरु पाति
महानता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है

रविदास जी का मूल दर्शन यह था कि मनुष्य की योग्यता और उसके गुणों का मूल्यांकन उसकी जाति से नहीं, कर्म से किया जाना चाहिए। जन्म के आधार पर

जाति की घोषणा करने वालों को वे समाज का दुश्मन मानते थे। ऐसे लोग छोटी जाति में पैदा हुए अनेक प्रतिभावान लोगों को नष्ट करने और ऊँची जाति में पैदा हुए अनेक ओछे विचारों वाले व नीच प्रवृत्ति वाले लोगों को समाज के गले भड़ने के अपराधी हैं।

उनका विश्वास था कि नीची जाति में पैदा हुआ मनुष्य यदि ऊँचे कर्म करे तो निश्चय ही वह ऊँचा उठ जाता है और ऊँची जाति में पैदा हुआ यदि कुकर्म करे तो महानीच हो जाता है।

रैदास सुकरमन करन से
नीच ऊँच हो जाए।

करई कुकरम जे ऊँच भी
ते महानीच कहलाय

अपनी जाति-कुल और कर्म के बारे में कहते-कहते वे यकायक भावुक हो उठे और बोले—

जाति भी ओछी करम भी ओछा
ओछा कसब हमारा
नीच से प्रभु ने ऊँच किया है।
कहै रैदास चमारा।

अर्थात् लोग भले ही यह कहें कि रविदास नीची जाति का है और उसके कर्म भी निम्न कोटि हैं, परन्तु भगवान जानता है कि रविदास क्या है ? वह जाति और धर्म पर नहीं जाता, आदमी के मन की पवित्रता और सच्चे इरादों को भाँप लेता है और उसे नीचे से उठाकर ऊपर चढा देता है।

अपने आप पर गर्व करते हुए वे कह उठे—

ऊँचा कुल नीचा मता
यह कर्मों की मार
नीचा कुल ऊँचा मता
धन्य रैदास चमार।

पराधीनता की बेडियाँ तोड़ो

यद्यपि रविदास जी बाबा साहब अम्बेडकर या दक्षिण भारत के संत पेरियार रामान्वामी नायकर की तरह आक्रामक नहीं थे, परन्तु फिर भी पराधीनता जैसी अमानवीय स्थिति के खिलाफ वे खुलकर बोले। पराधीनता में व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। मनुष्य दबकर जीता है। उसकी सारी शक्तियों का हनन होता रहता है।

और जीने के नाम पर तिल-तिलकर भरता रहता है। इसलिए रविदास ने पीड़ित और शोषितों को संत की भाषा में ललकार कर कहा—पराधीनता पाप है। पराधीनता की बेड़ियों तोड़ डालो। तुम्हें भगवान ने उसी तरह आज्ञाद पैदा किया है जैसे कि बड़ी जाति वालों को किया है। यह उनकी चालाकी और मक्कारों है कि उन्होंने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तुम्हें अपने वंगुल में फँसा लिया और तुम पर पराधीनता थोप दी।

पराधीनता पाप है
जान लेऊ रे मीत
पराधीन रैदास सो
कौन करै है प्रीत।

हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल

रविदास का मन मानवतावादी था। वे किसी प्रकार के भेद-भाव को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि हर सकीर्णता मनुष्य के सहज विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। धर्म को भी वे मानवता की राह में उतना ही बड़ा रोंडा मानते थे, जितना जाति, वर्ग और वर्ण आदि को। इसीलिए उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे पर बल दिया। उस समय तक मुस्लिम आबादी भारत का हिस्सा बन चुकी थी। मुसलमानों और हिन्दुओं को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता था। दोनों एक ही समाज के हिस्से थे। दोनों की सस्कृतियाँ आपस में हिल-मिल गई थी। इसीलिए रविदास ने धार्मिक भेद-भाव से ऊपर उठकर मानवीय धरातल पर जीने की बात कही थी।

मुसलमान सौँ दोस्ती
हिन्दुजन सौँ कर प्रीत
रैदास ज्योति सब राम की
सभी हमारे मीत
कृष्ण-करीम-राम हरि राघव
जब लखि एक न देखा
वेद कितेब-कुरान-पुरानन
सहज एक नहि देखा।
रैदास हमारा राम जी
सोई है रहमान
काशी काबा जाति नहि
दोनों एक समान।



परम तत्व के ज्ञान बिना मुक्ति नहीं

सन्त रविदास सम्पूर्ण अध्यात्मवादी थे। उनके लिए जीवन का उद्देश्य परिश्रम की कमाई करना और तत्व ज्ञान प्राप्त करना था। तत्व ज्ञान से उनका तात्पर्य उसी ज्ञान से है जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया था। आत्मा का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। इस भौतिक ससार का सार परम सन्त अथवा ईश्वर है। आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जो जीवनी शक्ति के रूप में हर प्राणी के शरीर में मौजूद रहती है। इस आत्मा को समझना, इसमें स्थित होना ही ईश्वर में स्थित होना है। यदि तुम जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हो तो अपने आत्म-तत्व में स्थित हो जाओ। तुम्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें बार-बार जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ससार में अपने पिछले जन्म के कर्मों के बंधन काटने के लिए जन्म लेता है, परन्तु ससार में आते ही ऐसे झंझटों में पड़ जाता है कि बंधन काटने की बजाय अपने आप को और नए-नए बंधनों में फँसा लेता है।

तत्व ज्ञानी बंधन में नहीं बंधता, वह जीवन मुक्त हो जाता है।

चमत्कारी शक्तियों के धनी

रविदास जी तत्व ज्ञानी थे। उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त थीं। इन्हीं सिद्धियों की शक्ति से उन्होंने जीवन में अनेक बार चमत्कार दिखाए।

एक बार कुछ पंडित इकट्ठे हो गए और रविदास जी से बहस करने लगे। बोले—“यदि तुम शालिग्राम को गंगा के तल पर तैरा दो तब हम तुम्हें मान लेगे कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो।”

रविदास जी को जब कोई चुनौती देता था तो वे अपना बचाव नहीं किया करते थे, न ही वुरा मानते थे। वे मुस्कराते रहते थे।

ब्राह्मणों की इस चुनौती को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। एक ब्राह्मण के हाथ से उन्होंने शालिग्राम पत्थर ले लिया और उसे गंगा के तल पर रख कर हल्का सा धक्का दे दिया। शालिग्राम पानी पर तैरता हुआ आगे निकल गया।

पंडितों ने जब यह दृश्य देखा तो एक स्वर से नारे लगाने लगे—“संत रविदास जी की जय।” “सन्त जी ब्रह्मज्ञानी हैं।”

एक बार माडव की महारानी सन्त रविदास से मिलने आई। वे सन्त जी का बहुत आदर करती थीं। परन्तु यकायक उनके मन में रविदास जी की परीक्षा लेने की बात आ गई। रविदास जी उस समय जूता बना रहे थे। सामने कठौती में पानी रखा था।

महारानी बोली, “सन्त जी हमारी बड़ी इच्छा हो रही है कि हम आपके हाथ से दिए गए कगन पहनते। क्या आप हमारी यह छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे ?”

सन्त जी ने जूते पर से हाथ हटाए और कठौती के पास आ बैठे। ध्यान-मुद्रा में बैठने के बाद बोले, “अब बोलो महारानी क्या इच्छा है?”

“एक जोड़ी कगन सन्तजी।”

“बस इतनी सी बात।” सन्त जी के मुँह से निकला। ‘अभी लीजिए। गंगा महारानी। हमारी महारानी की इच्छा पूरी करो’, कहते हुए उन्होंने अपने दोनो हाथ कठौती के पानी में डाल दिए और कुछ टटोलने लगे। अगले ही क्षण उन्होंने हाथ बाहर खींच लिए। दोनो हाथों में एक-एक सोने का कगन था।

महारानी ने जब सन्त जी के हाथों से वे कगन लिए तो वे हैरान थीं। कगन भारी थे और बहुत सुन्दर थे। महारानी ने सन्त जी के पैर पकड़ने चाहे तो उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और बोले—“आप माँ है महारानी..माँ से पैरो का स्पर्श कराना पाप होता है।”

ऐसे अनेक चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में दिखाए। कभी-कभी वे पडितो का गर्व चूर करने के लिए उनकी पगल में अचानक प्रकट हो जाते थे। पडित जब उन्हें देखते तो हैरान रह जाते थे। पडित समझ गए कि रविदास साधारण व्यक्ति नहीं है। शूद्र के घर में जन्मा जरूर है, पर है सन्त।

सन्त रविदास सही अर्थों में महामानव थे। वे जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि सभी सकीर्णताओं से ऊपर थे। वे एक सच्चे इन्सान थे।

उन्होंने अनेक अवसरों पर चमत्कार दिखाए। गंगा की धारा को विपरीत दिशा में बहाना, गंगा के साक्षात् दर्शन कराना, सीना फाड़ कर जनेऊ दिखाना, बड़े-बड़े पडितों को शास्त्रार्थ में हराकर उनका गर्व चूर करना आदि अनेक घटनाएँ हैं, जो उनके अदर अलौकिक शक्तियों का होना प्रमाणित करती हैं।

सन्त रविदास की महिमा अनेक ग्रंथों में गाई गई है। भक्तमाल में उन्हें भक्त शिरोमणि कहा गया है। भक्त पच्चीसी तथा गुरुग्रंथ साहिब में उनकी वाणियों का गुणगान किया गया है।

उन्होंने आजीवन ब्राह्मणवादी आडम्बरों और पाखंडों का विरोध किया। अपनी सरल व मीठी वाणी में उन्होंने मानवता और भाईचारे का संदेश दिया। वे एक ऐसे महामानव थे जिनके विचारों के केन्द्र में मनुष्य था—सच्चा, सरल और मानवीय गुणों से भरपूर एक ऐसा मनुष्य जिसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, जिसकी पहचान केवल मानवता है।

समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते हुए, जातिवाद के जहर को जन-जन से निचोड़कर बाहर करने के प्रयास करते हुए, भगवान की भक्ति और उनका गुणगान करते हुए इस महासन्त ने संवत् 1567 की चैत्र वदी चौदस को चित्तौड़ में परम पद प्राप्त किया।

ज्योतिबा फूले

(20 फरवरी, 1827 से 1890)

जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और कट्टर जातिवाद ने भारतीय हिन्दू समाज का इतना नुकसान कर दिया है कि इसकी पूरी तरह भरपाई करने में सैकड़ों वर्ष लगेंगे। इस व्यवस्था के कारण पूरे 1800 वर्षों तक शूद्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, देश में जनसंख्या वृद्धि की गति बड़ी, सामाजिक बुराइयों पनपीं और समाज बँट जाने के कारण देश एक शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र खड़ा करने में असमर्थ रहा। नतीजतन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, तबाह किया और फिर गुलाम बना लिया।

19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की गुलामी के दौरान देश के शूद्रों को शिक्षा का अधिकार मिला। भारतीय समाज की कमजोरियों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था और भारत के बहुसंख्यक दलित समाज को शिक्षा से जोड़ने का श्रेय भी उन्हीं को है।

महात्मा ज्योतिबा फूले भारतीय शूद्र समाज में (माली जाति में) जन्मे एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने जन्म आधारित जातिवाद का जमकर मुकाबला किया और उसकी जड़ों को बुरी तरह हिला कर रख दिया।

20 फरवरी, 1827 को महाराष्ट्र प्रांत में जन्मे ज्योतिबा बचपन से कुशाग्र बुद्धि थे। इनकी माता का नाम चिमणा बाई और पिता का नाम गोविन्द राव फूले था। ज्योतिबा अपने नाम के अनुकूल बहुत सुन्दर मन, सुन्दर बुद्धि और सुन्दर तन वाले थे। जो भी उन्हें देख लेता प्यार करना चाहता था।

मिशन स्कूल में दाखिला

1841 में आयु के 13 वर्ष पूरे करने के बाद उन्हें स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्योतिबा के पिता श्री गोविन्द राव फूले समाज के डर से उन्हें स्कूल

नहीं भेज पाए थे। माता चिमणा बाई को भी यह चिन्ता रहती थी कि सवर्ण जाति के लोग उनके बच्चे के स्कूल जाने से चिढ़ जाएँगे और तरह-तरह की मुसीबतें खड़ी होंगी। परन्तु गफफार बेग मुंशी और अंग्रेज लैजिट ने गोविन्दराव पर दबाव डाला कि वे ज्योतिबा को स्कूल भेजे। गोविन्दराव तैयार हो गए और उन्होंने अंग्रेज लैजिट की मदद से ज्योतिबा का दाखिला मिशन स्कूल में करा दिया।

ज्योतिबा पढ़ने में बहुत होशियार थे। वे सवर्ण बच्चों से भी आगे निकल गए। कक्षा में वे प्रायः प्रथम आते थे। कुछ दिन तक उनकी पढ़ाई ठीक-ठाक चलती रही और फिर बीच में व्यवधान आ गया। पंडितों को जब यह पता लगा कि गोविन्दराव माली का बेटा ज्योतिबा पढ़ाई-लिखाई में सबसे आगे है तो उनको बहुत बुरा लगा। सोचने लगे यदि यह लड़का पढ़ गया तो हमारे बच्चों के मुकाबले इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। फिर यह हमारे बच्चों की डज्जत नहीं करेगा। ब्राह्मणों तथा अन्य सवर्ण जाति के लड़कों की तुलना में शूद्र का लड़का आगे निकल जाएगा तो दूसरों के भी कान खड़े हो जाएंगे। वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। ब्राह्मणों ने इसके लिए अंग्रेजों को भी कोसा। अंग्रेज बाहर के लोग हैं, वे क्या जानें। भारतीय समाज की अदरूनी संरचना कैसी है? मनु महाराज की बनाई वर्ण व्यवस्था को ये अंग्रेज तोड़ेंगे तो हिन्दू धर्म नष्ट हो जाएगा, समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। अंग्रेज आज हिन्दुस्तान में हैं, कल चले जाएँगे, परन्तु इस समाज का क्या होगा? चिन्ता से परेशान ब्राह्मण ज्योतिबा के पिता गोविन्दराव के पास पहुँचे और बोले—“अरे गोविन्दराव! तुम ज्योतिबा को क्यों पढ़ा रहे हो? क्या उसे पंडित बनाने का इरादा है?”

गोविन्दराव ने गिड़गिड़ाकर पंडितों के सामने हाथ जोड़े और माफी माँगी।

अगले ही दिन ज्योतिबा का स्कूल जाना बन्द हो गया। माता और पिता दोनों को अपने वेदों के जीवन की चिन्ता थी। वे डरते थे, कहीं सवर्ण जाति के लोग उसे कोई नुकसान न पहुँचा दें। उनके मन पर डर इतना हावी हुआ कि उन्होंने ज्योतिबा का स्कूल जाना बन्द करा दिया।

ज्योतिबा को बहुत बुरा लगा। परन्तु किशोर ज्योतिबा कर क्या सकता था। माता-पिता का विरोध करके वह स्कूल नहीं जा सकता था, अतः वह चुपचाप घर बैठ गया। परन्तु शिक्षा में उसकी रुचि बहुत गहरी थी। वह बिना पढ़े नहीं रह सकता था।

अब वह दिन भर खेतों पर काम करता रहता और रात को चिराग की रोशनी में पढ़ने बैठ जाता था। कभी-कभी तो वह रात भर पढ़ता रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। पिता उसे समझाते, “बेटा तू इतना क्यों पढ़ता है, क्या तू नहीं जानता कि हम शूद्र हैं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर पढ़ने-लिखने

का फायदा क्या ? तेरी काम करने की आदत और छूट जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यह मत भूल बेटा कि तुझे काम तो खेतों में ही करना है।” पिता की बात सुनकर ज्योतिबा बोला—“आप बहुत भोले हैं बापू। आप नहीं जानते कि पढ़ने-लिखने का कितना महत्त्व होता है। शूद्र नहीं पढ़ते, इसीलिए तो पिछड़ गए हैं। न उनके पास पैसा है, न इज्जत, इसीलिए ऊँची जाति के लोग उन पर आत्तानी से कब्जा जमा लेते हैं। आप मुझे नहीं पढ़ने देंगे तो मैं भी अनपढ़-गवार रह जाऊँगा। जीवन भर किसी की गुलामी करके पेट भरता रहूँगा। यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे पढ़ने दें। विश्वास करें, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा।”

पिता ने कहा—“बेटा चाहते तो हम भी यही है कि हमारा बेटा खूब पढ़े-लिखे, परन्तु डर है कि वे लोग कहीं कोई नुकसान न पहुँचा दें। एक डर यह भी है कि पढ़-लिखकर तुम्हारी रुचि अपने काम में नहीं रहेगी।”

ज्योतिबा ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया कि ऊपर उठने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। डरते रहने से काम चलने वाला नहीं। डर तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इतना नुकसान कोई नहीं कर सकता, जितना अकेला डर कर देता है।

पिता की समझ में ज्योतिबा की बात आ गई। उसी दिन उनकी मुलाकात गणपकार बेग मुशी और लैजिट से हो गई। जब उन्हें यह पता लगा कि ज्योतिबा की पढ़ाई रोक दी गई है तो उन्होंने गोविन्द राव को समझाया। अगले ही दिन गोविन्द राव ने ज्योतिबा को स्कूल जाने की अनुमति दे दी। ज्योतिबा बहुत खुश हुआ। वह ओर मन लगाकर पढ़ने लगा। अब वह कक्षा में और भी आगे निकल गया।

शिवाजी और वाशिंगटन की जीवनी से प्रेरणा

ज्योतिबा का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह स्कूल में सब लड़कों से बड़े प्यार से बोलता था। अनेक लड़के स्कूल में उससे दोस्ती करना चाहते थे, परन्तु शूद्र होने के कारण बहुत से लड़के पीछे हट जाते थे।

एक दिन ज्योतिबा ने शिवाजी और वाशिंगटन की जीवनी पढ़ी। शिवाजी मराठा वीर थे, जिन्होंने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर उन्होंने मराठा राज्य की नींव डाली थी। वाशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए वाशिंगटन ने सराहनीय प्रयास किए थे।

इन दोनों जीवनीयों ने ज्योतिबा का मनोबल बहुत ऊँचा कर दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भारतीय समाज से बुराइयों दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन

लगा देगा और देश का आजाद कराने के लिए सघर्ष करेगा।

शिक्षा ने ज्योतिषा के अन्दर बहुत बड़ा साहस भर दिया था। अब वह साधारण युवक नहीं था। कुछ खास कर डालने की तरफ उसके मन में सदा उठती रहती थीं।

उसे सदा ऐसा लगता था कि जिस समाज में वह रह रहा है, वह एक बीमार समाज है। एक तरह के मनुष्यों से मनुष्य घृणा करे और दूसरी तरह के मनुष्यों की भगवान की तरह पूजा करे, यह कैसी सोच है ? ब्राह्मणों की कुटिलता और हृदयहीनता से ज्योतिषा बहुत दुखी था। जिस जाति पर हिन्दू धर्म को दिशा देने का दायित्व था, उसी ने हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी आवादी को पूजा तक से वंचित कर रखा था। यह कैसी धर्मपरायणता थी। जो कौम अपने आपको धर्म मर्मज्ञ और ज्ञानी कहती है उसके विचारों में ऐसी सकीर्णता क्यों ?

वाजीराव पेशवा का मत था कि शूद्र पढ़ेंगे तो काम कौन करेगा ? पढ़-लिखकर वे अपने अधिकार मोंगेंगे, सवर्णों की बराबरी करेंगे तो बाल काटने, लकड़ी काटने, सफाई करने, जूते बनाने के काम क्या सवर्ण करेंगे ? ज्योतिषा ने जब यह बात लोगों से सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। अपने आपको बहादुर कहने वाली जाति की सोच इतनी अमानवीय हो सकती है, इसका उसे अनुमान न था।

ज्योतिषा की आदत इतनी अच्छी थी कि अनेक सवर्ण लड़के उनके मित्र बन गए थे। एक मित्र तो पाठशाला में उनके साथ पढ़ता था और प्रायः साथ ही रहता था। उसे शूद्रों के साथ सवर्णों की क्रूरता पसंद नहीं थी। इस पर ब्राह्मणों ने विरोध प्रकट किया। ज्योतिषा ने इसकी परवाह नहीं की। सवर्ण मित्र ने भी ब्राह्मणों की धमकी को अनसुना कर दिया। उनकी मित्रता बनी रही।

सवर्ण मित्र की शादी में जाने पर हंगामा

ज्योतिषा के एक मित्र थे सदाशिव बल्लाल गोवड़ि। वे सवर्ण थे। उनकी शादी की तैयारियों होने लगी तो उन्होंने बारात में चलने के लिए ज्योतिषा को निमंत्रण दिया। ज्योतिषा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े बनवाए।

शादी के दिन नए कपड़े पहन कर ज्योतिषा विवाह-स्थल पर जा पहुँचे। वे अपनी उम्र के लड़के के साथ धुल-मिलकर बातें कर रहे थे कि एक ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया। वह आगे बढ़ा और सबके सामने ज्योतिषा की बाँह पकड़कर बोला—“चल निकल यहाँ से। ब्राह्मणों के बीच में तू कैसे आया ? क्या तुझे मालूम नहीं कि शूद्रों को ब्राह्मण की शादी में शामिल होने का अधिकार नहीं है ?”

सबने चौककर ज्योतिषा की ओर देखा। अपमान और क्रोध से ज्योतिषा का

चेहरा लाल हो गया। परन्तु इतने सवर्णों के बीच वह अकेला शूद्र क्या करता। बिल्लाल के परिवार वालों ने भी उस ब्राह्मण को नहीं रोका।

ज्योतिबा ने ब्राह्मण की बॉह झटकी और वहाँ से चले गए। उस दिन वे एकात में पड़े-पड़े बहुत देर तक रोते रहे। अपमान का वह धूट जो उन्होंने इतने लोगों के सामने पिया था, पच नहीं पा रहा था। बार-बार मन करता कि उस ब्राह्मण से बदला ले। वह कौन होता है सबके सामने इस तरह अपमान करने वाला। विवाह में बिना बुलाए तो नहीं गए थे। बिल्लाल ने निमंत्रण दिया था तो गए थे, इसमें उनका क्या दोष था ? वह ब्राह्मण चुपके से कान में भी कह सकता था—ज्योतिबा तू शूद्र है, तू अपने घर चला जा। लेकिन उसने जानबूझ कर मेरा अपमान किया। इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूँगा। पूरी ब्राह्मण कौम से मैं इस अपमान का बदला लूँगा। कौन होते हैं यह ब्राह्मण दूसरो को नीचा और अपने आप को ऊँचा कहने वाले। काम करने वाले नीच और उनका शोषण करने वाले, उनकी कमाई पर पलने वाले उच्च और आदरणीय ? यह सब सहन नहीं किया जाएगा। इस अमानवीय परम्परा को बदलना होगा। समाज को चेतना होगा। जो नीचे दबे पड़े हैं, सिसक रहे हैं, पछता रहे हैं उन्हें उठाना होगा। ईश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है। इस दुनिया में जो साधन है, वे सबके लिए है। इन ब्राह्मणों ने चालाकी से सारे संसाधनों पर अधिकार कर लिया है और ये बात-बात पर हमारा अपमान करते हैं। यह अपमान हम नहीं सहेंगे। ईट का जबाब पत्थर से देंगे।

ज्योतिबा के दिमाग में तूफान उठ खड़ा हुआ था। पास ही एक डडा पड़ा था। वह उन्होंने उठा लिया और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसे हवा में घुमाने लगे मानो वे अपमान करने वाले का सिर फोड़ रहे हैं।

क्रोध शांत होने पर उन्होंने डडा हाथ में लिए हुए प्रतिज्ञा की—“मैं ज्योतिबा प्रतिज्ञा करता हूँ। मनुवादी ब्राह्मणों को मैं चैन से नहीं सोने दूँगा। मैं दलित-शोषित समाज को सवर्णों की गुलामी से मुक्ति दिलाऊँगा। दलितों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। वे पढ़ेंगे और एकजुट होकर सवर्णों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। दलित मुक्ति के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा दूँगा।”

प्रतिज्ञा करने के बाद वे बाहर निकले और दलित एकता के कामों में जुट गए। उन्होंने अपने अपमान की कहानी अनेक युवकों को बताई और कहा—“अब तुम्ही बताओ, यह अपमान हम कब तक सहते रहेंगे। क्या हम मनुष्य नहीं हैं ? क्या हम कमाकर नहीं खाते ? क्या हम चरित्रहीन और अपराधी हैं ? क्या हम चोर-उचक्के और लंपट हैं ? फिर बिना बात हमारा अपमान क्यों ?”

जन्म आधारित जातिवाद का विरोध

ज्योतिबा ने खादी के कपडे बनवाए और सिर पर पगड़ी बाधनी शुरू कर दी। जन्म आधारित जातिवाद का विरोध करते हुए उन्होंने कहा—“कितना अनर्थ है। ब्राह्मणों ने हम पर व्यवस्था धोपी है कि ऊँचे कुल में जन्मने वाला ऊँचा और नीचे कुल में जन्मने वाला नीचा। जब कि कोई कुल ऊँचा या नीचा नहीं होता। कोई सवर्ण और शूद्र नहीं होता। ये नाम मनुवादी ब्राह्मणों ने दिए हैं। ब्राह्मण चाहते हैं कि मेहनत करने वाली कौम को सदा गुलाम बनाए रखें और उसका मनोबल नीचा रखें। इसीलिए वे शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं देते। वे जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य को आजाद रहना सिखाती है। शिक्षा मनुष्य की आँखें खोल देती है। उसका मनोबल बढ़ जाता है और फिर उसे पशु की तरह बाध कर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए वे दलीलें देने हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए पढ़ना-लिखना वर्जित है। नहीं चाहिए हमें ऐसी आचारसंहिता और नियमावली जो मनुष्य को पशु बनाकर रख देती है। हम मनुस्मृति और मनुवादियों का खुला विरोध करते हैं। हम मेहनत करते हैं। हम ईमानदार हैं। हमारा धर्म हमारी मुट्ठी में है, ब्राह्मणों का धर्म हमें नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओगे। आधे पेट खाकर रह लो, फटा-पुराना पहन कर गुजारा कर लो परन्तु बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बच्चे नहीं पढ़ें तो अगली पीढ़ी भी सवर्णों की गुलामी करेगी। यदि ये लोग हमारे बच्चों को अपनी पाठशालाओं में नहीं जाने देंगे तो हम अपने लिए अलग से पाठशालाएँ खोलेंगे। हमें से जो लोग पढ़-लिख गए हैं, वे और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और बच्चों को शिक्षा देंगे। ‘शूद्र’ शब्द आवरण अब हटा दो। अपने आपको जाति के बंधन से मुक्त करो। जाति या तो रहेगी ही नहीं और यदि रही तो वह कर्म पर आधारित होगी जन्म पर नहीं।” ज्योतिबा के शब्दों का दलित समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों का मनोबल उठा, उनका स्वाभिमान जागा और वे इकट्ठे होने लगे, चर्चाएँ करने लगे, अपनी अगली पीढ़ी को सवर्णों की दासता से मुक्त करने के सपने देखने लगे।

नारी-उद्धार का संकल्प

ब्राह्मणों ने जिस प्रकार दलितों से शिक्षा का अधिकार छीना था, उसी प्रकार स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। भारत के पिछले इतिहास को उठाकर देखें तो पता लगता है कि पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में उनका बराबर योगदान रहता था, परन्तु बाद में मनुस्मृति की आड़ लेकर ब्राह्मणों ने स्त्रियों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया। ब्राह्मणों और सवर्णों का यह तर्क था कि स्त्री पढ़-लिख

जाती है तो उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है। इससे पारिवारिक सन्तुलन बिगड़ता है। अतः बेहतर यह है कि स्त्री को पढ़ने ही न दिया जाए। मुस्लिम समाज के सपर्क में आने पर सवर्णों के नियम स्त्रियों के प्रति और कठोर हो गये। मुस्लिम समाज की पर्दा-प्रथा हिन्दू समाज में घर कर गई। हिन्दू समाज में स्त्री व्यक्ति न रहकर वस्तु बन गई। मेहनतकश समाज में तो स्त्रियाँ काम करती थी, अतः उन्हें बाहर निकलना होता था, परन्तु सवर्ण जातियों में तो स्त्रियाँ घर की दीवारों में कैद हो गईं। उन्हें केवल बच्चे पालने और घर के काम देखने का अधिकार था। बाहर के सस्यार से उन्हें अलग कर दिया गया। शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना जरूरी था इसीलिए उनकी शिक्षा का अधिकार छीन लिए गया।

ज्योतिबा फूले को यह बात बहुत बुरी लगी। स्त्री को कठोर नियमों में बांधकर बलपूर्वक कैद रखने और उसका हर तरह से शोषण करने की मानसिकता पर उन्होंने करारी चोट की।

स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाएँ, यह बात उन्होंने अपने घर से ही शुरू की। ज्योतिबा का विवाह हुए कई वर्ष हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सबसे पहले तो उन्होंने सावित्री को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सावित्री से कहा—“मैं तुम्हें इसलिए शिक्षा दे रहा हूँ ताकि तुम अन्य स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़-लिख जाओ। फिर हम एक स्कूल खोलेगे और तुम उसमें पढ़ाओगी।”

सावित्री ने पति को पूरा सहयोग दिया। कुछ ही वर्षों में सावित्री पढ़ लिख कर इस योग्य हो गई कि दूसरों को पढ़ा सके।

ज्योतिबा समाज को जगाने में लगे थे। स्त्री-शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे कि एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा—“बेटा ज्योतिबा, तुम्हारी शादी को कितने वर्ष हो गए, अभी तक बहू ने सतान को जन्म नहीं दिया। अब तुम अधिक इन्तजार मत करो। वश चलाने लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए संतान का होना जरूरी है। अतः अब मेरी मानों तुम दूसरी शादी कर लो। कई लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार हैं।”

ज्योतिबा ने पिता से कहा—“मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ परन्तु मेरी एक शर्त है। मुझे आप दूसरा विवाह करने की अनुमति दे रहे हैं तो सावित्री को भी दूसरे विवाह की अनुमति दें। जब पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती ? हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच यह जो भेद-भाव बरता जा रहा है, यह विनाश की जड़ है। ईश्वर ने स्त्री-पुरुष सबको समान बनाया है। जब ईश्वर के नियम सबके लिए समान हैं तो मनुष्य-समाज के नियम अलग-अलग क्यों ?”

1 का तर्क सुनकर पिता चुप हो गए। फिर कभी उन्होंने दूसरी शादी उठाई। पति के मुँह से ऐसी बात सुनकर सावित्री गर्व से फूल गई। जाना था कि उसके पति के विचार महान हैं परन्तु वे स्त्री के प्रति भी हैं, यह बात जानकर उसे बहुत अच्छा लगा। उन दिनों यह बात स्त्री के सतान न होने पर पुरुष दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र ने पुरुषों को यह विशेषाधिकार दिया हुआ था।

1 पुरुष की दासता से मुक्त कराने के लिए पूना के 'बुधवार पेठ' वस्ती में ज्योतिबा फूले ने बालिका विद्यालय की स्थापना की। दलित समाज की बालिकाएँ इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने लगीं। 1 विद्यालय में पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली।

को विद्यालय में पढ़ाते देखकर सवर्ण बौखला गए। उन्होंने सावित्री रना शुरू कर दिया। जब वह विद्यालय के लिए तैयार होकर निकलती पर छीटाकशी करते, भट्टी-भट्टी गालियाँ देते। सावित्री कोई जवाब । वह जानती थी कि सवर्णों का विरोध स्वाभाविक है। यह तो एक यो को उनके अधिकार दिलाने के लिए यह सब तो सहन करना ही ार लेने और अधिकार दिलवाने के लिए उन लोगों का विरोध तो ा है जिन्होंने अधिकार अपनी मुट्ठी में दबा रखे हैं।

3 लिए लड़ने की सजा घर-निकाला

1 भारी दबदबा था। समस्या इतनी आसान नहीं थी जितनी सावित्री । कोई उपाय न देख सवर्ण एकत्रित हुए और मशविरा करके उन्होंने और उनकी पत्नी को सजा दिलाने का षड्यंत्र रच डाला। वे ता के पास गए और बोले--"तुम्हारा वेटा धर्म विरोधी काम कर रहा नी तो बिल्कुल निर्लज्ज हो गई है। वह खुलेआम घूमती रहती है। ' में जाकर पढ़ाती है।"

सवर्णों की बात सुनी। वे कुछ कहने जा रहे थे कि माली समाज के ' बुरा-भला कहा और माली जाति से अलग करने की धमकी दे दी। ष्कृत और तिरस्कृत होना उन दिनों बहुत बड़ी सजा थी। अपने ानित और उपेक्षित होकर जीना मुश्किल हो जाता था।

1 गए और उन्होंने ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्री को घर से पिता के हाथों पुत्र और पुत्र-वधू को सजा मिल गई और सवर्णों की न्हे विश्वास था कि घर से अलग रहकर ज्योतिबा की मुश्किलें बढ़ । यह दलित-उत्थान अभियान छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चैन से

रहना शुरू कर देगा।

परन्तु ज्योतिबा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने मित्र सदाशिव गोविन्दे से मदद माँगी। गांविन्दे ने जूनागढ में रहने के लिए मकान दिलवा दिया। पति-पत्नी दोनों इस मकान में रहने लगे। सावित्री ने विद्यालय में शिक्षा का काम जारी रखा। थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ी, परन्तु उसे पति-पत्नी ने मिलकर बॉट लिया, फिर सब कुछ आसान लगने लगा।

नारी जाति का समाज में उन दिनों पग-पग पर अपमान किया जाता था। उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाती थी। विधवा होने पर उसे पति के शव के साथ सती कर दिया जाता था या उसका मुडन कर उस पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए जाते थे। उसे किसी भी हालत में दुवारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। वेचारी स्त्री इतने हाटसे से गुजरने के बाद इस बात के लिए विवश कर दी जाती थी कि वह हर क्षण प्रताडना, अपमान और उपेक्षा सहे तथा शोषण की शिकार बने। निर्दोष होते हुए भी समाज उसी को दोषी मानता था और सताता रहता था।

ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों की खुलेआम निन्दा की। ब्राह्मणों के बनाए स्त्री विरोधी नियमों का खंडन किया और नारी-मुक्ति की लड़ाई लड़ी।

विधवा ब्राह्मणी का उद्धार

नारी को उसके अधिकार दिलाने की लिए जब ज्योतिबा संघर्ष कर रहे थे तो उनके सामने एक विधवा ब्राह्मणी का मामला आ गया। काशीबाई नामक ब्राह्मण-कन्या कम आयु में विधवा हो कर यातना का जीवन जी रही थी कि उसके जीवन में एक ओर तूफान आ गया। किसी पुरुष ने मौका देखकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिए और वह गर्भवती हो गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अवैध सतान को जन्म देने वाली उस विधवा ब्राह्मणी पर कहर टूट पड़ा। वे उसे और उसके बच्चे को सताने लगे।

ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणी से निवदेन किया कि वह अपने पुत्र को उन्हे गोद दे दे। उन्होने समझाया कि जाति और वर्ण का मोह छोड़ो और जीवन की सच्चाई का बहादुरी से मुकाबला करो। ब्राह्मणी की समझ में यह बात आ गई। पुत्र के प्राणों की रक्षा करना और उसे सामाजिक स्वीकृति दिलाने को वह छटपटा रही थी। ज्योतिबा फूले ने बच्चे को अपनी पत्नी सावित्री की गोद में डाल दिया और उसका नाम रखा—यशवन्त फूले, फिर उन्होने उस ब्राह्मणी का पुनर्विवाह कराया।

ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सम्मानित

मात्र 25 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले अपने सामाजिक कार्यों के कारण इतने चर्चित हो चुके थे कि ब्रिटिश हुकूमत की भी नजरों में आ गए।

16 नवम्बर, 1852 को सरकार ने उन्हें दलितों और शोषितों के उद्धार तथा नारी जाति के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया।

सरकार से सम्मानित होने के बाद ज्योतिबा फूले का स्तुति बढ़ गया। अब वे खुलकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रचार करने लगे। उनके सिर पर सरकार का हाथ आ जाने से सवर्ण उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। ज्योतिबा ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने दलित युवकों की टोलियाँ बनाईं और उन्हें पिछड़े समाज में चेतना जगाने की जिम्मेदारी सौंपी। सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त ज्योतिबा पिछड़ों की दृष्टि में और ऊँचे उठ गए थे। अब वे उनके मनीषा थे।

पिछड़े समाज में एकता बढ़ने लगी। लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि जागी। स्त्रियों में नई चेतना आने लगी। वे पढाई के अधिकार की माँग करने लगीं। यह ज्योतिबा की बड़ी सफलता थी।

‘गुलाम गीरी’ सत्यशोधक समाज और ‘सत्य धर्म’

1965 में ज्योतिबा फूले ने ‘गुलाम गीरी’ नामक पुस्तक की रचना की। यह शूद्रों के लिए एक नया इतिहास था। इसमें मनुवादी व्यवस्था को मानवता विरोधी बताया गया था और उसका खंडन किया गया था। यह पुस्तक पिछड़ों को उनके महत्त्व के बारे में जानकारी देने में बहुत सफल हुई। इस पुस्तक ने उनकी आँखें खोल दीं। उनकी समझ में आ गया कि मनुवादी व्यवस्था की आड़ में ब्राह्मणों ने उनका कितना शोषण किया है। उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं, उन्हें ससाधनों से वंचित कर सवर्णों की गुलामी के लिए विवश कर दिया है।

24 सितम्बर, 1863 को ज्योतिबा फूले ने दलितों को दिशा देने के लिए ‘सत्यशोधक समाज’ नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य उन कारणों तथा तथ्यों का पता लगाना था, जिनके आधार पर हिन्दू समाज के बहुत बड़े भाग को शूद्र घोषित किया गया।

इन तथ्यों के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम रखा—‘सत्यशोधक समाज।’ इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही शूद्र कहलाने वाले पिछड़े समाज के हौसले बुलन्द हो गए और ब्राह्मण समाज में मायूसी छा गई।

ब्राह्मण सक्रिय हुए। उन्होंने सवर्णों की बैठकें की और ज्योतिबा फूले से निवटने के लिए रणनीति तय की। सबसे पहले उन्होंने इस पुस्तक पर मुकदमा कर दिया। उनका तर्क था कि यह पुस्तक हिन्दू धर्म की व्यवस्था के खिलाफ खुला

विद्रोह है। अतः इसे जब्त किया जाना चाहिए और इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मुकदमा लम्बा चला। पेशी पर पेशी हुई। तर्क दिए गए। उदाहरण पेश किए गए, परन्तु सवर्ण न जीत सके। ज्योतिबा फूले ने, 1890 में यह मुकदमा जीत लिया।

‘महामानव’ की उपाधि

ज्योतिबा फूले की आयु अब काफी हो चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित-उद्धार के लिए संघर्ष में लगा दिया था। अपने संघर्ष के जब वे 40 वर्ष पूरे कर चुके, तब समाज ने उन्हें सम्मानित करने के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया।

11 मई, 1888 को माडली के फोलीवाडा हाल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महाराजा बडौदा श्यामजी राव गायकवाड को विशंप रूप से आमंत्रित किया गया था। परन्तु वे किसी कारणवश उपस्थित न हो सके। वक्ताओं ने ज्योतिबा फूले को ‘महात्मा ज्योतिबा फूले’ कहकर सम्बोधित किया। उनके कार्य की सबने प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित कर गर्व का अनुभव किया।

महाराजा गायकवाड की ओर से भेजा गया प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया गया। इस प्रतिवेदन में महात्मा ज्योतिबा फूले के सामाजिक कार्यों, विशेषकर दलितोत्थान तथा नारी शिक्षा के कामों की भारी प्रशंसा की गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि महाराजा ने उन्हें ‘महामानव ज्योतिबा फूले’ की उपाधि प्रदान कर उन्हें विशेष सम्मान दिया था। प्रतिवेदन में कहा गया था—“महामानव ज्योतिबा फूले’ भारत के वाशिगटन है, जिन्होंने शूद्र एवं अतिशूद्रों की खोज कर उनकी दासता का रहस्य ज्ञात कर जीवनपर्यन्त उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनके चालीस वर्ष के जीवन के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता, उन्होंने नारी समाज के उत्थान के लिए जो कुछ भी कार्य किया वह अत्यन्त सराहनीय है।”

‘सत्यमेव जयते’ में विश्वास रखने वाला महापुरुष

महात्मा ज्योतिबा फूले की यह आदत थी कि वे कोई भी लेखन कार्य आरम्भ करते समय ‘सत्यमेव जयते’ अवश्य लिखा करते थे। इन दो शब्दों में उन्हें पूरा विश्वास था। इन्हीं शब्दों से उन्होंने सदा ऊर्जा प्राप्त की और शक्तिशाली सवर्ण समाज के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती।

अपने 42 वर्ष लम्बे संघर्ष के दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले ने शूद्रों के लिए तालाब बनवाए, उनकी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए, गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाए, सती-प्रथा का खुला विरोध कर उसके विरुद्ध जनमत तैयार किया। विधवाओं के पुनर्विवाह करवाए और नारी शिक्षा के लिए समाज में जागरूकता पैदा

की। वे एक ऐसे महामानव थे जो एक क्षण को भी रुके नहीं। आगे और आगे चलते रहे। हर पल हर क्षण, हर दिन वे अपने मिशन के लिए संघर्ष करते रहे।

मानवता विरोधी व्यवस्था का खुला विरोध करते हुए, स्त्रियो, शोषितो और दलितो के अधिकारो के लिए लडते हुए 63 वर्ष की आयु मे 1890 ई० मे वे मृत्यु को प्राप्त हुए।

आज वे हमारे बीच नहीं है, परन्तु नारी उत्थान और दलित-उद्धार के लिए जीवन भर संघर्ष करने के बाद उन्होंने जो जमीन तैयार की थी, 21वीं शताब्दी मे आते-आते उस पर दलित-विकास का विराट और भव्य महल बनकर तैयार हो गया है।

पेरियर ई. बी. रामास्वामी नायकर

(17 सितम्बर, 1879 से 24 सितम्बर, 1973)

पेरियर ई. बी. रामास्वामी नायकर दलित आंदोलन के प्रतिष्ठता एव प्रभावशाली द्रविण थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। जब उनकी सभझ में आ गया कि देश की आधी से अधिक हिन्दू आबादी को जानवरो से बदतर हालत में रखने के लिए यह व्यवस्था जिम्मेदार है तो वे पूरी ताकत से उसके खिलाफ जुट गए। पूरे दक्षिण भारत के दलित समाज को एकजुट कर उन्होंने ब्राह्मणवाद पर गिन-गिनकर प्रहार किए। इससे पिछड़ी जातियों का मनोबल बढ़ा और वे अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी हुई।

रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितम्बर, 1879 को तमिलनाडु के इरोडे नगर में हुआ। इनके पिता का नाम वेकटा नायकर तथा माता का नाम चिन्ताथाई अम्माल था। श्री वेकटा नायकर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारी थे। माता चिन्ताथाई अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान की पूजा आराधना में ही उनका अधिक समय बीतता था।

आठ वर्ष की आयु में रामास्वामी को स्कूल में दाखिल कराया गया। स्कूल की शिक्षा वर्ण-व्यवस्था को पुष्ट करने वाली थी। रामास्वामी के मन में वर्ण-व्यवस्था के लिए कोई स्थान न था। उन्हें यह शिक्षा-पद्धति अच्छी नहीं लगी। वे दो वर्ष तक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते रहे और वर्ण-व्यवस्था के प्रति मन में घृणा संचित करते रहे। जब उन्हें वित्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने पढाई छोड़ दी।

पिछड़ी जातियों के लोगों को शूद्र कहकर शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उन्हें अछूत माना जाता था। सवर्ण जातियों के बच्चे अछूतों के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। अछूतों की बस्तियाँ अलग होती थीं। उनके लिए पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी। सवर्ण अपने कुओं से उन्हें पानी नहीं भरने देते थे। कहीं-कहीं तो अछूत गंदे तालाबों का पानी पीने

पर विवश थे ।

रामास्वामी नायकर को यह सब बातें बहुत बुरी लगी । 10 वर्ष की आयु में रामास्वामी सवर्णों की छोटी जातियों के प्रति घृणा को समझ गए थे । उन्होंने ब्राह्मणों के बनाए हर नियम का उल्लंघन शुरू कर दिया । वे ब्राह्मणों से उलझ पड़ते । उन्हें खरी-खोटी सुनाते और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते । पिता के पास ब्राह्मण उनकी शिकायतें लेकर आने लगे । पिता ने रामास्वामी को बहुत समझाया परन्तु वे नहीं माने । पिता ने उन्हें बदलाव के लिए ननिहाल भेज दिया । नाना के घर पहुँचने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया । वे उसी तरह ब्राह्मणों से घृणा करते रहे और दलितों का पक्ष लेते हुए सवर्णों से झगड़े मोल लेते रहे ।

पिता ने उन्हें ननिहाल से वापस अपने पास बुला लिया और स्कूल में दाखिला करा दिया । पढ़ना उन्हें बुरा नहीं लगता था, परन्तु जो कुछ पढ़ाया जाता था उसमें जातीय घृणा दूर करने के उपाय शामिल नहीं थे, इसीलिए रामास्वामी फिर उखड़ गए । उनके मन में तो एक ही लगन थी—समाज में फैली जातीय घृणा को कैसे समाप्त किया जाए । वे चाहते थे कि शिक्षक स्कूलों में जातीय घृणा कम करने के बारे में पढाएँ । वे स्वयं छुआछूत न माने और दलित बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार न करे । वे दलितों को गले लगाएँ और सवर्णों को इस बात के लिए तैयार करे कि वे दलितों से प्यार करे और ऊँच-नीच का भेद-भाव भूल जाएँ ।

ग्यारह वर्ष की आयु में क्रांतिकारी

रामास्वामी नायकर ने ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही दलितों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध क्रांति का संकल्प कर लिया था । वे अपने माता-पिता से कहा करते थे—मानव-मानव के बीच जाति के आधार पर भेद-भाव क्यों है ? कोई इतना गरीब है कि उसे खाने को रोटी नहीं मिल पाती और तन ढँकने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते । किसी के पास इतनी संपत्ति है कि वह संभाल नहीं पाता, किसी के पास रहने को घर नहीं और अन्न पैदा करने को खेत नहीं । जिनके पास ज्यादा धन-संपत्ति है वे गरीबों पर जुल्म क्यों करते हैं ? उन्हें तो उन पर दया करनी चाहिए । वे तो पहले से ही कष्टों में जी रहे हैं, ऊपर से धनी लोगों की मार सहने और उनके लिए बेगार करने पर विवश है । बड़ी जाति और छोटी जाति का यह भेद-भाव क्यों ? बड़ी जाति वाले संपन्न हैं, छोटी जाति वाले गरीब हैं । फिर भी अपने आपको ऊँची जाति का कहने वाले लोग छोटी जाति वालों से घृणा क्यों करते हैं, उनका अपमान क्यों करते हैं ? उनके साथ से भी बचते हैं, उनका हाथ का छुआ हुआ नहीं खा सकते, यह सब क्या है ? किसने बनाई है यह मानवता विरोधी रीतियाँ ?

कौन इतना क्रूर है कि इसानियत को मरते, पल-पल दम तोड़ते देखकर खुश है ? क्या यह ईश्वर ने बनाया है ? क्या ईश्वर इतना कठोर हो सकता है ? यदि ईश्वर इतना कठोर है तो मैं उसे नहीं मानता ।

ग्यारह वर्ष की उम्र में पेरियर को जाँ उत्तर अपने माता-पिता से मिलते थे, उनसे वे कभी सतुष्ट नहीं हुए । अंततः वे विद्रोही हो गए । उन्होंने फैसला किया कि वे समाज में यह अन्याय नहीं होने देगे । पढाई-लिखाई से उनका मन उचट गया । सवर्णों और ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो गई ।

उन्होंने सवर्ण जाति के लोगों को ललकारकर कहा—“अत्याचार की भी कोई सीमा होती है । ईश्वर को मानते हो न तुम फिर तुम्हारे मन में दया क्यों नहीं आती ? क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें गरीबों और दलितों पर अत्याचार करने के लिए उकसाता है ? क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तुम इन गरीबों को दुखी करो और चेन से रहो ? अपने आपको सवर्ण कहने वालों होश में आओ, जिस धर्म और ईश्वर की आड़ में तुम यह जुल्म कर रहे हो, उससे थोड़ा-सा ताँ डरो । यदि तुम्हारे मन में इतना बड़ा अपराध करने पर भी डर नहीं उपजता तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारा ईश्वर एक ढोंग है और तुम सब ढोंगी हो ।”

उनकी तीखी चोट से कई बार सवर्ण चिढ़ जाते थे और उन्हें चोट पहुँचाने के लिए षड्यंत्र रचते थे । परन्तु पेरियर इतने बहादुर थे कि वे किसी से डरते नहीं थे । दलितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे ।

विवाह तथा पत्नी में वैचारिक परिवर्तन

रामास्वामी के पिता उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत परेशान थे । उन्होंने रामास्वामी को ऊँच-नीच समझाकर रास्ते पर लाने और आराम का जीवन जीने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परन्तु उनमें कोई बदलाव नहीं आया । पिता ने उन्हें अपने साथ व्यापार में लगाया तो वे मान गए, परन्तु पिता का सहयोग करने के साथ-साथ उन्होंने पौराणिक कथाओं, देवी-देवता सबधी कपोल-कल्पित कहानियों का अध्ययन जारी रखा । कुछ ही वर्षों में वे यह जान गए कि हिन्दू धर्म-ग्रंथ पाखंडों से भरे हैं । ब्राह्मणों ने अपनी कमाई करने के लिए देवी-देवताओं के बारे में ऐसी-ऐसी कहानियाँ रच ली हैं कि उन्हें पढ़कर कोई भी बहकावे में आ जाएगा और उनके समक्ष नाक रगड़ने लगेगा । वे बड़े-बड़े पंडितों को वहस के लिए ललकारते और अपने अकाट्य तर्कों से उन्हें हरा देते ।

19 वर्ष की अवस्था में पिता ने उन्हें समझा-बुझाकर विवाह के लिए राजी कर लिया । कई वर्षों से उनके पिता उन पर विवाह के लिए जोर डाल रहे थे, परन्तु वे

तैयार नहीं हुए थे . अब वे इस शर्त पर राजी हो गए कि लडकी उनके विचारों के अनुकूल होनी चाहिए ।

उनकी पत्नी का नाम था नागम्मई । नागम्मई जब विवाह करके घर में आई तो रामास्वामी के क्रांतिकारी विचारों से हैरान रह गई । वह तो रूढ़िवादी परिवार में पली थी । छुआछूत और जातीय घृणा वाले परिवेश से आने वाली नागम्मई को शुरू में तो बड़ी परेशानी हुई परन्तु शीघ्र ही वह संभल गई । रामास्वामी के माता-पिता ने नागम्मई को यह दायित्व सौंपा कि वह अपने पति के विचारों में परिवर्तन लाए, परन्तु रामास्वामी के तर्कों के सामने वह तनिक भी नहीं ठहर पाई । रामास्वामी ने तर्कों में पत्नी को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया । उन्होंने साफ कह दिया कि वे रूढ़िवादी मनुवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी हैं । यदि नागम्मई ने अपने विचारों को नहीं बदला तो वे उन्हें अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाएंगे । नागम्मई ने अपने आपको शीघ्र ही पति के विचारों में ढाल लिया और उनके सामाजिक कार्यों में उनकी सहयोगिनी बन गई ।

घर छोड़ कर चले गए

पत्नी के विचारों में परिवर्तन आ रहा था । रामास्वामी स्त्रियों को पुरुषों की गुलामी से मुक्त करने के अभियान में जुटे थे कि एक दिन एक घटना हो गई । नागम्मई ने सोने की हंसली पहन रखी थी । रामास्वामी बोले—“मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम स्त्रियों को पुरुषों की गुलामी क्यों पसंद है । तुम गहने पहन कर तज-धज कर घर में बैठना पसंद करती हो । शायद तुम नहीं जानती कि ये गहने तुम्हारी गुलामी के प्रतीक हैं । पुरुष ने अनेक प्रकार के गहने पहना कर स्त्री को अपना गुलाम बना रखा है । और स्त्री को यह गुलामी पसंद है । हिन्दू स्त्रियों में गहनो प्रति प्रेम उनके जीवन और विचारों की आजादी कम करता है । तुम यह हंसली उतार दो, यह तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है ।” नागम्मई ने हँसकर कहा, “लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें अपना देवता मानूँ । मैं गहने इसलिए पहनती हूँ कि तुम्हें अच्छी लगूँ ।”

“तुम मुझे बिना गहनों के अधिक अच्छी लगती हो । मेरा कहना मानो तुम यह हंसली उतार दो । इसे पहने देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारे गले में गुलामी का फंदा डाल रखा है ।”

“तुम्हारे कहने से मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, परन्तु हंसली सुहाग का चिह्न मानी जाती है । जो भी मुझे बिना हंसली के देखेगा, बुरा मानेगा ।”

पत्नी की यह बात सुनकर रामास्वामी चुप रह गए । पत्नी ने उनके चेहरे पर देखा और समझ गई कि पति की आज्ञा का पालन करना ही होगा । उन्होंने हंसली

उतार दी

थोड़ी देर बार ज्यों ही नागम्मई साल के सामने पहुँची। उन्होंने पूछा, “बहू ! तुम्हारा गला खाली क्यों है ? हँसली कहाँ गई ?” नागम्मई ने सिर झुका लिया और बोली, “उन्हे यह सब पसंद नहीं। कहते हैं गहने स्त्री की गुलामी के चिह्न हैं..।” कहते-कहते नागम्मई रो पड़ी।

सदियों से चली आ रही मान्यताएँ और परम्पराएँ मन में गहरी जगह बना लेती हैं। उन्हें एक झटके में तोड़ डालना असम्भव है। नागम्मई ने हँसली उतार तो दी परन्तु उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया है। अपने सुहाग चिह्न को उतारकर अपने सुहाग के साथ मानों उन्होंने विश्वासघात किया है। इसीलिए उनकी आँखों में आँसू भर आए और वे अपनी भावनाओं का उवाल न रोक सकी।

हँसली उतारने और नागम्मई के इस तरह रो पड़ने से घर में तूफान आ गया। माता और पिता दोनों रामास्वामी पर बिगड़ गए। पिता ने कहा, “अछूतों के उद्धार के लिए जो कुछ तुम कर रहे हो, हमने तुम्हें कभी नहीं टोका। लगता है तुम्हें खुली छूट देकर हमसे गलती हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ? हमसे विना पूछे तुमने बहू के गने से हँसली उतारवा दी। जानते हो इनका मतलब क्या होता है ? निकल जाओ यहाँ से, जो करना है बाहर जाकर करो। घर में वह सब नहीं चलेगा।”

पिता को अधिक नाराज देख रामास्वामी चुप रह गए। वे चुपचाप घर से बाहर निकल गए। पिता का क्रोध शांत नहीं हुआ। पड़ोस की स्त्रियों के कान में पड़ते ही बात मुहल्ले भर में फैल गई और इसकी बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई।

क्लेश से बचने और तूफान को शांत करने की दृष्टि से रामास्वामी ने उस समय घर से चले जाने का निश्चय किया। वे कलकत्ता चले गये। कुछ दिन कलकत्ता रहकर वे उत्तर भारत में बनारस जा पहुँचे। उनके मन में एक उत्सुकता जागी कि सन्यासियों के बीच में रहें और जानें कि उनका दर्शन क्या है। वे सन्यासियों के बीच रहने लगे, उन्हीं की तरह ध्यान लगाते, तपस्या करते तथा आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करते। उन्हींने उपवास किए तथा अलौकिक शक्ति के दर्शन करने की लालसा से वह सब किया जो महात्माओं ने बताया। परन्तु उन्हें कोई अलौकिक अनुभूति नहीं हुई। उनके मन पर अध्यात्म का रंग चढ़ा ही नहीं। हाँ वे एक निश्चय पर अवश्य पहुँच गए कि यह अध्यात्म, यह ईश्वर-चिन्तन सब एक दिखावा है।

ईश्वर और अध्यात्म के प्रति अपनी धारणा पुष्ट करके वे बनारस से घर लौट आए और फिर अपने समाज सुधार के काम में जुट गए। अब वे यह निश्चय कर चुके थे कि जो कुछ करना है मनुष्यों को ही करना है। जो दबे-पिचे और पिछड़े

है उन्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है। ईश्वर दया करके उनके कष्टों का निवारण नहीं करेगा। यदि ईश्वर दयालु होता तो निश्चय ही उसे अब तक दलितों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर उन पर दया आ गई होती और उसने इनका उद्धार अवश्य किया होता। ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर की पूजा केवल ब्राह्मण ही करते हैं, शूद्र ईश्वर का नाम नहीं लेते। सब पूछो तो ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रों की श्रद्धा बड़ी है। शूद्र मेहनत करके खाते हैं, अधपेट रहते हैं। उनका जीवन तो एक तपस्या है। उन पर समाधनों के नाम पर कुछ है ही नहीं। उनसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है। शूद्रों में वे सब गुण मौजूद हैं, जिनके आधार पर दया करने की बातें हिन्दू धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, परन्तु फिर भी ईश्वर उन पर दया नहीं करता।

सवर्णों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन

बनारस से लौटने के बाद रामास्वामी ने सवर्णों के विरुद्ध खुला आंदोलन छेड़ दिया। दलित समाज को दक्षिण भारत में वे एकताबद्ध कर चुके थे। पिछड़ी जातियों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, वह ब्राह्मणों के पड्यंत्र का फल है। ब्राह्मण नहीं चाहते कि शूद्र पढ़-लिख कर बराबर में खड़े हों। यदि वे बराबर में खड़े हो गए तो अपना अधिकार भंगने। शूद्रों को उनके अधिकार न देने और उन्हें यथास्थिति में बनाए रखने का फैसला पूरे सवर्ण समाज का था। देश के तीन चौथाई से ज्यादा संसाधनों पर सवर्णों का अधिकार था और आधी से अधिक आबादी के हिस्से में एक चौथाई संसाधन भी नहीं थे। ऊपर से उन पर बेगार, अपमान, कर्ज और ब्याज की मार। सवर्ण और अधिक धनी होते जा रहे थे, दलित और अधिक निर्धन तथा साधन हीन होते जा रहे थे। शिक्षा न मिल पाने के कारण उनकी अगली पीढ़ियों के लिए भी अलग से एक नर्क तैयार हो रहा था। इतना बड़ा अन्याय रामास्वामी को वर्दाश्वत नहीं हुआ। उनकी पारदर्शी दृष्टि ने सब कुछ साफ-साफ देख लिया था। अब बारी थी इस अन्याय के खिलाफ कदम उठाने की।

वह कदम रामास्वामी ने उठा लिया। सवर्णों के अत्याचारों का खुलासा करते हुए उन्होंने दलित समाज को बताया कि अपने अधिकारों को पाने के लिए वह एकजुट होकर खड़ा हो जाए और उनके बताए रास्ते पर उनके पीछे चल पड़े, सफलता अवश्य मिलेगी।

रामास्वामी गाँव-गाँव घूमकर दलितों को इकट्ठा करते। उन्हें बताते कि किस प्रकार उनके साथ ब्राह्मणों ने पड्यंत्र किया है। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, मन्दिरों में पूजा का अधिकार नहीं, कुएँ और बावडियों से पानी भरने का अधिकार नहीं। उनका साया छू जाने से भी सवर्ण अपने आपको अपवित्र मानते हैं। यह सब

सवर्णों की एक चाल है वे देश की आधी से अधिक जनसंख्या को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए बात-बात पर उनका मनोबल गिराते रहते हैं। सारी रस्में और परंपराएँ पिछड़ी का मनोबल गिराने और सवर्णों का मनोबल ऊँचा करने में सहायक हैं। हमें ये परंपराएँ तोड़नी होंगी। हिन्दू धर्म ग्रंथों की आड लेकर ब्राह्मणों ने अपनी कमाई के धंधे खड़े कर लिए हैं। वे दिन भर खाली रहते हैं और फिर भी भरपेट खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और रात को बैन की नींद सोते हैं।

दिन निकलते ही वे बड़े गर्व के साथ चौड़ी छाती किए घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें मालूम है कि जो भी रास्ते में मिलेगा, उन्हें प्रणाम अवश्य करेगा। दिन भर उन्हें प्रणाम करने वाले मिलेंगे, सवर्ण भी और शूद्र भी। पूरे दिन पंडित जी का मनोबल बढ़ेगा। दलितों को उनके खोल में बन्द रखने के लिए उनके इरादे और हाथ और मजबूत हो जाएँगे।

ये इरादे और हाथ तब तक मजबूत वने रहेंगे जब तक दलित इस व्यवस्था के खिलाफ खुलकर मैदान में नहीं आ जाते। रामास्वामी की सीधी बात दलितों के गले उतर रही थी। उस समय देश में अंग्रेजी शासन था। कांग्रेस का गठन हो चुका था। गोपालकृष्ण गोखले, बालगंगाधर तिलक जैसे जुझारू नेता भारतीय समाज की खुशहाली के लिए और अंग्रेजी शासन के विरोध के लिए कांग्रेस के मंच से आगे बढ़कर अपनी आज्ञा उठा रहे थे। पूरे देश में जागृति की लहर थी। क्रांतिकारियों के जत्थे भी देश में सक्रिय थे। वे भी सामाजिक न्याय और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए वदूकों के बल पर लड़ाई लड़ रहे थे।

ऐसे समय में पेरियर रामास्वामी नायकर ने दलितों के उद्धार के लिए सवर्णों के खिलाफ दक्षिण में खुला आंदोलन छेड़ा।

रामास्वामी ने बड़े धैर्य और विवेक से काम लिया। उन्होंने सवर्णों के अत्याचारों के विरोध में आंदोलन छेड़ने के साथ-साथ पिता के साथ व्यापार में सहयोग करना भी शुरू कर दिया था। पिता ने जब यह देखा कि विचारों से उग्र होते हुए भी पुत्र व्यापार में उनका सहयोगी है और घर-परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है तो पिता नर्म पड़ गए। उन्होंने रामास्वामी की वैचारिक क्रांति में कोई दखल नहीं दिया। रामास्वामी एक साथ दोनों काम सफलतापूर्वक करते रहे।

पैतृक संपत्ति में हिस्सा

1911 में रामास्वामी के पिता का स्वर्गवास हो गया। रामास्वामी के बड़े भाई कृष्णास्वामी ने पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा कर लिया। बंटवारे में उन्हें बहुत बड़ी संपत्ति मिली। पिता ने व्यापार में बहुत धन कमाया था। आधा

हिस्ता रामास्वामी को मिला। एक हजार ताड़ी के पेड़, अनेक मूल्यवान प्रोनोट व दस्तावेज, उनके ट्रस्टों का स्वामित्व तथा नकदी।

रामास्वामी का जीवन तो बहुत सादा था। उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए अधिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं थी। पत्नी नागम्मई पति के विल्कुल अनुकूल थीं। वे भी सादा जीवन पसंद करती थीं। गरीबों और दलितों को शोषण से उबारने को काम में वे पूरी तरह पति के साथ थीं। अतः रामास्वामी ने अपने संसाधनों को भी समाज सेवा में लगा दिया।

उनके त्यागमय जीवन और सेवा के लिए समर्पण का समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे। दलितों और पिछड़ों की भलाई के लिए जितने भी संगठन क्षेत्र में मौजूद थे, उन्होंने सब की आर्थिक सहायता की, सबको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया।

शहर भर में उनके प्रति इतना स्वीकार भाव जागा कि वे इरोड नगर कं चेररमेन चुन लिए गए। बाद में उन्हें ऑनररी मजिस्ट्रेट का पद भार भी सौंपा गया। रामास्वामी बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में उन्हें तनिक भी परेशानी नहीं होती थी। सामाजिक स्वीकृति और जिम्मेदारियों ने उनका कद और बढ़ा दिया था, उनकी बात में अब बहुत वजन आ गया था। बहुत जल्दी वे क्षेत्र के आदर्श पुरुष माने जाने लगे।

राजाजी से भेंट और कांग्रेस की सहायता

जिस समय रामास्वामी इरोड के नगरपालिका अध्यक्ष थे, उसी समय राजगोपालाचारी सलेम शहर के नगरपालिका अध्यक्ष थे। उन्हें जनता इतना प्यार और आदर करती थी कि राजाजी कहकर बुलाती थीं। राजा जी रामास्वामी की कीर्ति सुनकर उनसे मिलने गए। उन्होंने रामास्वामी के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का निर्मंत्रण दिया। राजाजी ने कहा—“आपने दलितों के उद्धार के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आपके प्रयास सराहनीय हैं। पिछड़ी जातियों पर जो अन्याचार हुए हैं, उनकी जितनी भी निन्दा की जाए, वह कम है। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था ने हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुँचाया है। परन्तु हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम एक गुलाम देश हैं। हम पर बाहर के लोगों का शासन है। जब तक देश आजाद नहीं हो जाता तब तक हम दबे-पिबे और शोषित लोगों के लिए कोई स्थाई व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। अंग्रेज हमारी हर कमजोरी का फायदा उठाते रहे हैं। पिछड़ों और सबर्णों की लड़ाई का भी फायदा उठाने में वे नहीं चूकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि पिछड़ों के हितों की लड़ाई रोक देनी चाहिए, परन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि आप

हमारे साथ आ जाए कांग्रेस में शामिल हो जाए तो आपको अपनी लड़ाई के लिए एक बड़ा मंच मिल जाएगा और हम सबका सहयोग भी। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा। वे दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए हैं और अछूतों को 'हरिजन' नाम देकर उनके हितों के लिए सामाजिक आंदोलन में लगे हैं। उनकी लड़ाई एक साथ दो मोर्चों पर है—सामाजिक और राजनीतिक। मैं चाहता हूँ आप भी राजनीतिक मंच पर आ जाएँ और एक साथ दोनों मोर्चों पर काम करें। देश की आजादी के बाद अपना संविधान बनेगा तो अछूत और दलित कही जाने वाली जातियों को कानूनी विशेषाधिकार देकर उन्हें स्थायी रूप से ऊपर उठाने का रास्ता निकल आएगा।”

रामस्वामी राजाजी की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली।

मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष

कांग्रेस की सदस्यता लेने के साथ ही रामस्वामी दक्षिण भारत में तेजी से चर्चा में आ गए। कांग्रेस के मंच से उन्होंने पिछड़ों पर सवर्णों के अत्याचार की बात उठाई। राजनीतिक मंच पर पहुँचने से जनता में उनका विश्वास और बढ़ गया। दलित और पिछड़ी जातियों के लोग बड़ी संख्या में उनके पीछे खड़े हो गए। उन्हें इतना भारी जन-समर्थन मिला कि 1920 में वे मद्रास राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए।

उन्होंने पूरे मद्रास प्रांत में घूम-घूम कर सभाएँ की और राजनीतिक तथा सामाजिक महत्त्व के भाषण दिए। उनकी सभाओं में पिछड़ों की संख्या अधिक रहती थी। उदार सवर्ण उनके साथ थे। कट्टर सवर्ण उनसे चिढ़ते थे और उनका विरोध करते थे। परन्तु कांग्रेस में आ जाने के बाद उनका उतना खुला विरोध नहीं होता था, जितना उससे पहले होता था। रामस्वामी ने इस मंच का फायदा उठाया तथा सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक मंच से और अधिक बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उनकी सभाओं में हजारों लोग इकट्ठे होते थे। पिछड़ी जातियों के दुखों को जब वे लोगों के सामने रखते थे तो सवर्ण जाति के लोगों के दिल भी पिघल जाते थे।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में गाँधी जी के साथ

1920 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ किया। रामस्वामी ने मद्रास प्रांत में इस आंदोलन का भारी प्रचार किया। उनके भाषणों को सुनकर पुलिस चौकन्नी हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।

कई महीने जेल में रहने के बाद जब वे छूटकर आए तो पूरे दक्षिण भारत में उनका भारी स्वागत हुआ। अब वे दक्षिण भारत के नेता बन चुके थे।

आंदोलन अब भी जारी था। गांधी जी की नीतियों पर चलते हुए। उन्होंने सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया और अपने 50 हजार रुपये की क्रॉमट के प्रोनोट जला दिए। वे प्रोनोट सरकारी अदालतों के जरिए ही भुनाए जा सकते थे। इस समय उन प्रोनोटों की कीमत करोड़ों में होती। देश के लिए इतना बड़ा त्याग करने वाले पेरियर रामास्वामी को देश कैसे भुला सकता है।

ताड़ी के पेड़ कटवा दिए

कांग्रेस ने नशा विरोधी आंदोलन शुरू किया तो रामास्वामी ने उसमें आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। रामास्वामी तो बहुत पहले से ही इस आंदोलन को चलाते आ रहे थे। वे इस बात से बड़े दुखी थे कि पिछड़ी जातियों के लोग ताड़ी पीकर नशा करते हैं और फिर अपनी पत्नियों पर जुल्म ढहाते हैं। ताड़ी के नशे के कारण कितने ही दलित परिवार तबाह हो चुके थे। रामास्वामी ने अपने हिस्से में आए ताड़ी के सारे पेड़ों को कटवा दिया। उनका तर्क था—“अपने आपको पिछड़ा और उपेक्षित कहने वाले वे लोग ताड़ी के नशे में अपने आपको बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। ताड़ी के पेड़ इस नशे की जड़ हैं, अतः बेरा फर्ज है कि मैं कम से कम अपने हिस्से के ताड़ी के पेड़ों को तो कटवा ही दूँ ताकि ताड़ी के नशे का स्रोत कुछ तो कम हो जाए।”

रामास्वामी के इस कदम का पिछड़े समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अनेक लोगों ने उनके इस त्याग से प्रभावित होकर ताड़ी न पीने की कमस खाई और अनेक परिवार तबाह होने से बच गए।

आरक्षण की माँग न मानने पर कांग्रेस छोड़ दी

रामास्वामी नायकर की यह आदत थी कि वे सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते थे और आगे बढ़ाया हुआ कदम वापस नहीं लेते थे।

वे पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए इतने उत्साहले थे कि देश की आजादी तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 'तिरुनेलवेली' में एक विशाल सम्मेलन बुलाया और उसमें पिछड़ों के लिए सबसे पहले आरक्षण की माँग उठाई। आरक्षण के लिए पूरी रूप-रेखा तैयार उनके मस्तिष्क में थी। रामास्वामी के इस प्रस्ताव को पिछड़े समाज में भारी समर्थन मिला। उनकी ताकत और बढ़ गई। पिछड़ी जातियों के लोग अब खुलकर उनके साथ आ गए।

कई वर्षों तक कांग्रेस तथा सामाजिक मंचों पर उन्होंने इस माँग को उठाया तो

दोनो वातो उनके सामने आने लगी जहा पिछड़े समाज के लोग हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत करते, वहीं सवर्ण इसका विरोध करने लगे। रामास्वामी को यह बात समझते देर नहीं, लगी कि कांग्रेस पिछड़ों की समस्याओं को पहला स्थान देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में सवर्ण जातियों का बड़ा जमघट था और वे लोग किसी भी कीमत पर आरक्षण जैसी माँग स्वीकार नहीं कर सकते थे। परन्तु अभी तक सवर्णों की पोल नहीं खुली थी। नेतृत्व के स्तर पर कोई भी इसका विरोध करने के लिए खुलकर सामने नहीं आया था। अकेले एस श्रीनिवास आयकर ने इस माँग का विरोध किया था।

1925 में 'तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी' का कांजीपुरम में अधिवेशन हुआ। रामास्वामी नायकर पूरी तैयारी के साथ पहुँचे और उन्होंने आरक्षण का प्रस्ताव अधिवेशन में रख दिया। सवर्ण इस माँग को सुनते ही भडक गए। श्रोताओं में सवर्णों की भीड़ उत्तेजित हो उठी। जिस समय रामास्वामी माइक के सामने खड़े होकर इस प्रस्ताव पर बोल रहे थे, भीड़ ने ईट और पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। उन्हें भारी चोटें आईं। इतनी चोटें खाने के बावजूद वे मंच से नहीं हटे। परन्तु जब कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को मजूर नहीं किया तो वे धैर्य खो बैठे। उन्होंने तुरन्त कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

'द्रविण आंदोलन' का गठन

कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने दक्षिण को अपने आंदोलन से जोड़ने के लिए एक संगठन बनाया। उसका नाम रखा 'द्रविण आंदोलन'। इस संगठन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खुलकर विरोध करना, पिछड़ी जातियों को एकजुट करना तथा उन्हें सवर्णों की गुलामी से मुक्ति दिलवाना था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कटाक्ष करते-करते कई बार वे ईश्वर और उसको मानने वालों की कटु आलोचना कर जाते थे। वे कहते—“जिन्होंने भगवान को बनाया है, वे धूर्त हैं। भगवान का प्रचार करने वाले नीच और दुष्ट हैं तथा उसकी पूजा करने वाले अनपढ़ और गँवार हैं।”

पेरियार रामास्वामी के धुआँधार प्रचार का दक्षिण भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। पिछड़ी जातियाँ तो उनके साथ आंदोलन में खड़ी थी, सवर्ण जातियों के लोगों में भी बदलाव आया। अनेक ब्राह्मण भी अपने आपको शार्मिदा महसूस करने लगे थे। रामास्वामी जनमत को सवर्णों के विरुद्ध तथा पिछड़ों के पक्ष में झुका देने का प्रण ले चुके थे। वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे और रात-दिन मिशन में जुटे रहे।

जाति व वर्गहीन समाज की स्थापना करना उनका अंतिम उद्देश्य था। यद्यपि उन परिस्थितियों में यह संभव नहीं था, परन्तु रामास्वामी हर मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए 'जस्टिस पार्टी' बनाई।

इस सगठन के मंच से उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में यह आवाज बुलंद की कि "समाज का जातियो व वर्गों में विघटन इस देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसी विघटन के कारण देश में बाहर के हमलावर घुसने और कब्जा करने में सफल हुए। अतः देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। यह विघटन आगे भी बहुत विनाश करने वाला साबित होगा। इस देश में रहने वाले सब लोग आपस में भाईचारा कायम करें। हिन्दू समाज ऊँच-नीच और जाति वर्ग आदि के भेद-भाव खत्म करें। सब एक-दूसरे का आदर करें और मिलकर काम करें तो देश जल्दी आजाद हो सकता है और देश का विकास हो सकता है।"

वाइकोम प्रकरण

जब रामास्वामी अछूतों के उद्धार और जाति व वर्गहीन समाज के निर्माण में जुटे थे, उसी समय कोचीन के राजा ने वाइकोम में एक विशाल मंदिर बनवाया और उसे ब्राह्मणों को सौंप दिया। ब्राह्मणों ने मंदिर के आस-पास के क्षेत्र में अछूतों के रास्ते ही बन्द कर दिए। अछूत अपनी गद्दी वस्तियों में कैद होकर रह गए।

मंदिर के प्रांगण में राजा की अदालत थी। राजा का जन्मदिन मन्दिर में मानने का फैसला लिया गया। राजा के जन्मदिन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। अछूतों को मंदिर की वजह से जो परेशानी हुई थी, उसे राजा के सामने रखने का अच्छा मौका था। इजवा जाति की ओर से राजा से गुहार करने के लिए माधवन को वकील बनाकर अदालत परिसर में राजा के सामने पेश किया गया। ब्राह्मणों ने वकील के अछूतों के पक्ष में तर्क सुने तो वे चौंखला गए। उन्होंने राजा के सामने ही माधवन का भारी अपमान किया। उस समय केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री के पी केशव मेनन तथा उपाध्यक्ष जार्ज जोसेफ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ब्राह्मणों को अपमान करने से रोका और माधवन का पक्ष लिया। राजा के हस्तक्षेप से यह व्यवस्था दी गई कि मंदिर में मुख्य समारोह में पूजा के समय एक अछूत को अवश्य शामिल किया जाएगा। सभी अछूतों के लिए मंदिर के द्वार खोलने पर सहमति न हो सकी।

कांग्रेसी नेता चाहते थे कि मन्दिर के आस-पास अछूतों के रास्ते खोले जाएँ तथा उन्हें मन्दिर में आकर पूजा करने की छूट दी जाए। राजा इतना कष्ट था कि वह कांग्रेस की इस माँग का बुरा मान गया और उसने 18 कांग्रेसी नेताओं को जेल में डलवा दिया।

रामास्वामी को जब राजा के इस कदम की सूचना मिली तो वे तुरन्त मैदान में आ गए। उन्होंने मन्दिर में हरिजन प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व सभाल लिया। उन्होंने पूरे कोचीन राज्य का दौरा कर राजा के खिलाफ जनमत तैयार किया तो

राजा क्रोध में आ गया और उसने रामास्वामी को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया ।

रामास्वामी के गिरफ्तार होते ही उनकी पत्नी नागम्मई मैदान में उतर आई । आदोलन की वागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली । रामा-स्वामी की बहन कन्नमल तथा एस रामनाथन ने नागम्मई का साथ दिया । नागम्मई ने प्रात की महिलाओं को एकजुट कर आदोलन को भड़का दिया । महिलाओं ने ऐसा विरोध किया कि राजा को झुकना पडा । राजा ने अछूतों पर लगे सारे प्रतिबन्ध हटा लिए और गिरफ्तार आदोलनकारियों को रिहा कर दिया ।

यूरोप यात्रा

बहुत दिनों से रामास्वामी अखबारों में अमेरिका के स्वाधीनता सग्राम, फ्रांस व रूस की क्रांति तथा जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के समाचार पढ़ रहे थे । इन समाचारों को पढ़कर उन्हें लगा कि भारत के बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही है । पूँजीपतियों और सामंतों के शोषण के विरुद्ध विश्व में आवाज उठी है । रूस में तो 1917 में सर्वहारा क्रांति हुई थी और उसके बाद सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो गया था । रामास्वामी को आशा बंधी कि भारत में भी इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा । वे जानना चाहते थे कि इतने बड़े परिवर्तन इन देशों में कैसे हुए हैं और वहाँ नई व्यवस्था का स्वरूप क्या है ? अतः 1931 में वे एक वर्षीय यूरोप यात्रा पर चले गए । वे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में गए और वहाँ की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया । इन देशों के स्कूलों, कारखानों तथा अस्पतालों से रामास्वामी बहुत प्रभावित हुए । यूरोपीय समाज की वैज्ञानिक दृष्टि ने उन्हें बहुत प्रभावित किया । यूरोप के लोग भारत के लोगों की तरह अधविश्वासी और पाखंडी नहीं थे । वहाँ खुला समाज था । जो कुछ था, सामने और सर्वस्वीकृत था । आदर्शों की आड़ में जो पाखंड वे भारतीय समाज में वर्षों से देखते आ रहे थे, वह उन्हें यूरोपीय देशों में देखने को नहीं मिला ।

इन देशों की यात्रा के बाद रामास्वामी रूस गए । रूस की क्रांति से वे बहुत प्रभावित थे । उन्होंने रूस के कल-कारखाने देखे, मजदूर सगठन देखा, काम करने के ढंग और सरकार चलाने के तौर-तरीके देखे । मजदूरों की खुशहाली, आत्मविश्वास और जिदादिली देखकर उन्हें लगा कि ससार में मेहनत करने वालों के लिए यदि स्वर्ग कहीं है तो वह रूस में है । रूस में राजनीतिक शिक्षा परिवर्तन के साथ-साथ जो सामाजिक क्रांति हुई थी, उससे रामास्वामी का मनोबल बहुत बढ़ गया । पूँजीपतियों और सामंतों के चंगुल में पिसती जनता ने सत्ता पलटने के बाद किस प्रकार इन तत्वों को धूल में मिलाया था, इसे देखकर वे दग रह गए । रूस से

राष्ट्रवाद अधविश्वास और शोषण विष्कुल समाप्त हो चुका था श्रम क प्रति सम्मान और श्रमिक को मिलने वाल पुरस्कार से रामास्वामी का मन गदगद हो गया था रूस के समाज स जब उ हाने भारत की तुलना का तो उनका सिर शम से झुक गया वे इस निष्कप प पहुचे कि अपने आप को आदर्शवादी, अहिंसावादी आर मानवतावादी कहने वाला भारत वास्तव मे दुनिया का सबसे अधिक दकिचानूसी और पिछड़े समाज वाला देश है ।

भारतीय सामंती मूल्यों पर प्रहार

1932 में रामास्वामी नायकर भारत वापस लौटे । दुनिया के अनेक देशों म पूँजीवादी व सामंतवादी व्यवस्थाओं का विनाश देखने के बाद अब उन्हें विश्वास हो गया था कि भारत मे भी ये मूल्य ढाए जा सकते हैं । सच तो यह हे कि भारत मे पनपी सामंती व्यवस्था ने चन्ड तोगो और कुछ जातियों को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वे अपनी सत्ता पर इतराने लगे थे और उन्होंने अपने लिए गुलामों और अधीनस्थों की एक बड़ी फौज का बनाए रखने की दृष्टि से दलित जातियों पर शिकजा कसा था । स्वर्ण जातियों के लोग अपनी अगली पीडिया के लिए भी सुरक्षा और प्रभुता का तंत्र बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए वे पिछड़ी जातियों के प्रति इतने क्रूर हो गए । दूसरों से गुलामी करवाने और बेगार तंत्र का सुख उनके कुछ इस तरह मुँह लग गया कि उनके दुख-दवों के प्रति उनकी सचेदना ही मर गई ।

रामास्वामी अब पूरी तरफ समझ चुके थे कि सामंती ढांचा ही इस अमानवीय क्रूरता के लिए जिम्मेवार है । इसे तोड़े बिना पिछड़ों और दलितों का उद्धार नहीं होगा । मनुष्य को ऊपर उठाने वाली तीन ताकतें होती हैं—अर्थशाक्ति, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा व सस्कारों से मिलने वाली मानसिक शक्ति । इन तीनों ही शक्तियों पर सवर्णों का कब्जा था । मनुवादी सामाजिक व्यवस्था ने जन्म के आधार पर वर्णों में समाज को बँटकर शूद्रों को शक्तिहीन और असहाय बनाकर शोष तीनों वर्णों के रहम पर जीने के लिए छोड दिया था । हिन्दू धर्म-ग्रंथो खासकर 'मनुस्मृति' के अनुसार शूद्रों का काम सवर्णों की सेवा करना था । सेवा के बदले जो भी उन्हें मिल जाए, उस पर गुजारा करना उनकी नियति थी ।

पीड़ी-दर-पीड़ी जब यह तंत्र चलता रहा तो शूद्रों ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था और वे भूल गए थे कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उन्हें भी मनुष्यों की तरह जीने का हक है । प्रतिष्ठा, प्रभुता, स्वाधीनता और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना सवर्णों के लिए हुआ करता है । यदि सवर्णों से उनकी प्रभुता, स्वाधीनता और प्रतिष्ठा छीन ली जाए तो उनमें और शूद्र कहलाने वाली जातियों में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा ।

कालांतर में शूद्र कहलाने वाले वर्ण से जो जातियाँ विकसित हुई, वे सवर्णों के लिए अछूत बन गईं। अब आवश्यकता इस बात की थी कि इन जातियों में स्वाभिमान की इच्छा और आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इन्हें एकजुट कर एक शक्तिशाली समाज में बदला जाए तथा राजनीतिक व सामाजिक सगठनों के मंचों से उनके अधिकारों की माँग उठाने के साथ-साथ सामंती ढाँचे को तोड़ने की माँग भी उठाई जाए।

सामंती ढाँचा धर्म के आडम्बर पर टिका था। इसीलिए हिन्दू धर्म के इन पाखण्डों को निशाना बनाया जाना आवश्यक था। धर्म की आड़ लेकर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बन बैठे थे और पूरे देश के तमाम मंदिरों, पूजा-स्थलों और तीर्थों पर केवल उन्हीं का कब्जा था।

1932 से 1934 तक उन्होंने द्रविड आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत आर्थिक मुद्दे, रेलवे, जहाजरानी तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग उठाई। पिछड़ी जाति के गरीबों की ऋण-माफी, राष्ट्र और राष्ट्रीय रियासतों के एकीकरण, बेकारी की समस्या के समाधान के लिए राजकीय सहायता की माँग उठाई। वे समाचार पत्रों में लेखन में जुट गए। छुआछूत, दहेज-प्रथा, सती-प्रथा, विधवा-विवाह और अछूतों द्वारा के साथ-साथ उन्होंने धर्म निर्मित परंपराओं, धार्मिक आडंबरों, ब्राह्मणों की धार्मिक तानाशाही के मुद्दे पर भी जम कर लिखा। परन्तु उन दिनों प्रेस पर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा था, अतः वे मुद्दे या तो टवाए गए या उन्हें विकृत रूप देकर छपा गया। पेरियर रामास्वामी को प्रेस ने राष्ट्रद्रोही, धर्म विरोधी, नास्तिक कहकर बदनाम किया। यह साबित करने की कोशिश की कि यह आदमी अछूतों-दलितों का मसीहा बनने की धुन में होश खो बैठा है, इसका दिमागी सतुलन खराब हो गया है।

पेरियर रामास्वामी ने ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हुए कहा—“ब्राह्मणों ने अछूत समाज में जन्मे महान पुरुषों को कभी अंगीकार नहीं किया, वे उनकी छाया में भी कोंसो दूर रहे। भगवान तथा देवाधि मंदिरों में कुत्ता, बिल्ली या व्यभिचारी सवर्ण तो प्रवेश पा सकता है, परन्तु शूद्र घोषित किए गए मनुष्य का प्रवेश सदा वर्जित माना जाता है। सवर्ण मानसिकता ने दलितों को ऐसे धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उनके सामने सामाजिक संघर्ष और राष्ट्रीय युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है।” उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा दलित समाज पर थोपे गए दिव्य अवतारवाद, स्वर्ग-नर्क, भाग्य-भगवान, पुनर्जन्म आदि मिथ्याचारों का खंडन किया।

ब्राह्मणों से वे इतने घिब गए थे कि उन्होंने तमिलनाडु राज्य में गैर-ब्राह्मण प्रशासन की स्थापना के लिए खुली लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामंती तंत्र की जड़े तब तक नहीं काटी जा सकतीं, जब तक धर्म पर से ब्राह्मणों की ठेकेदारी हटा नहीं दी जाती।

सादवाद अंधविश्वास और शोषण बिल्कुल समाप्त हो चुका था श्रम क प्रति सम्मान और श्रमिक को मिलने वाले पुरस्कार से रामास्वामी का मन गदगद हो गया था रूस के समाज स जब उठाने भारत की तुलना की तो उनका सिर शम स झुक गया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपने आप को आदर्शवादी, अन्तिमावादी और मानवतावादी कहने वाला भारत वास्तव में दुनिया का सबसे अधिक उकियानूसी और पिछड़े समाज वाला देश है।

भारतीय सामंती मूल्यों पर प्रहार

1932 में रामास्वामी नाथकर भारत वापस लौटे। दुनिया के अनेक देशों में पूँजीवादी व सामंतवादी व्यवस्थाओं का विनाश देखने के बाद अब उन्हें विश्वास हो गया था कि भारत में भी ये मूल्य ढाए जा सकते हैं। सच तो यह है कि भारत में पंचमी सामंती व्यवस्था ने चन्द लोगों और कुछ जातियों को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वे अपनी सत्ता पर इतराने लगे थे और उन्होंने अपने लिए गुलामों और अर्धानस्थों की एक बड़ी फौज को बनाए रखने की दृष्टि से दलित जातियों पर शिकजा कसा था। स्वर्ण जातियों के लोग अपनी अगली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षा और प्रभुता का तंत्र बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए वे पिछड़ी जातियों के प्रति इतने क्रूर हो गए। दूसरी से गुलामी करवाने और बेगार लेने का सुख उनके कुछ इस तरह मुँह लग गया कि उनके दुख-दर्दों के प्रति उनकी संवेदना ही मर गई।

रामास्वामी अब पूरी तरफ समझ चुके थे कि सामंती ढाचा ही इस अमानवीय क्रूरता के लिए जिम्मेदार है। इसे तोड़े बिना पिछड़ों और दलितों का उद्धार नहीं होगा। मनुष्य को ऊपर उठाने वाली तीन ताकतें होती हैं—अर्थशाक्ति, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा व संस्कारों से मिलने वाली मानसिक शक्ति। इन तीनों ही शक्तियों पर स्वर्णों का कब्जा था। मनुवादी सामाजिक व्यवस्था ने जन्म के आधार पर वर्णों में समाज को बाँटकर शूद्रों को शक्तिहीन और असहाय बनाकर शेष तीनों वर्णों के रहम पर जीने के लिए छोड़ दिया था। हिन्दू धर्म-ग्रन्थों खामकर 'मनुस्मृति' के अनुसार शूद्रों का काम स्वर्णों की सेवा करना था। सेवा के बदले जो भी उन्हें मिल जाए, उस पर गुजारा करना उनकी नियति थी।

पीढ़ी-दर-पीढ़ी जब यह तंत्र चलता रहा तो शूद्रों ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था और वे भूल गए थे कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उन्हें भी मनुष्यों की तरह जीने का हक है। प्रतिष्ठा, प्रभुता, स्वाधीनता और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना स्वर्णों के लिए हुआ करता है। यदि स्वर्णों से उनकी प्रभुता, स्वाधीनता और प्रतिष्ठा छीन ली जाए तो उनमें और शूद्र कहलाने वाली जातियों में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा।

कालांतर में शूद्र कहलाने वाले वर्ण से जो जातियाँ विकसित हुई, वे सवर्णों के लिए अछूत बन गईं। अब आवश्यकता इस बात की थी कि इन जातियों में स्वाभिमान की इच्छा और आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इन्हें एकजुट कर एक शक्तिशाली समाज में बदला जाए तथा राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के मंचों से उनके अधिकारों की माँग उठाने के साथ-साथ सामती ढाँचे को तोड़ने की माँग भी उठाई जाए।

सामती ढाँचा धर्म के आडम्बर पर टिका था। इसीलिए हिन्दू धर्म के इन पाखण्डों को निशाना बनाया जाना आवश्यक था। धर्म की आड़ लेकर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बन बैठे थे और पूरे देश के तमाम मंदिरों, पूजा-स्थलों और तीर्थों पर केवल उन्हीं का कब्जा था।

1932 से 1934 तक उन्होंने द्रविड आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत आर्थिक मुद्दे, रेलवे, जहाजरानी तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग उठाई। पिछड़ी जाति के गरीबों की ऋण-माफी, राष्ट्र और राष्ट्रीय गियासतों के एकीकरण, बेकारी की समस्या के समाधान के लिए राजकीय सहायता की माँग उठाई। वे समाचार पत्रों में लेखन में जुट गए। छुआछूत, दहेज-प्रथा, मती-प्रथा, विधवा-विवाह और अछूतों द्वारा के साथ-साथ उन्होंने धर्म निर्मित परंपराओं, धार्मिक आडंबरों, ब्राह्मणों की धार्मिक तानाशाही के मुद्दे पर भी जम कर लिखा। परन्तु उन दिनों प्रैस पर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा था, अतः वे मुद्दे या तो दबाए गए या उन्हें विकृत रूप देकर छपा गया। पेरियर रामास्वामी को प्रैस ने राष्ट्रद्रोही, धर्म विरोधी, नास्तिक कहकर बदनाम किया। यह साबित करने की कांशिश की कि यह आदमी अछूतों-दलितों का मसीहा बनने की धुन में होश खो बैठा है, इसका दिमागी सतुलन खराब हो गया है।

पेरियर रामास्वामी ने ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हुए कहा—“ब्राह्मणों ने अछूत समाज में जन्मे महान पुरुषों को कभी अंगीकार नहीं किया, वे उनकी छाया से भी कोसों दूर रहे। भगवान तथा देवाधि मंदिरों में कुत्ता, बिल्ली या व्यभिचारी सवर्ण तो प्रवेश पा सकता है, परन्तु शूद्र घोषित किए गए मनुष्य का प्रवेश सदा वर्जित माना जाता है। सवर्ण मानसिकता ने दलितों को ऐसे धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उनके सामने सामाजिक संघर्ष और राष्ट्रीय युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है।” उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा दलित समाज पर थोपे गए दिव्य अवतारवाद, स्वर्ग-नर्क, भाग्य-भगवान, पुनर्जन्म आदि मिथ्याचारों का खंडन किया।

ब्राह्मणों से वे इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने तमिलनाडु राज्य में गैर-ब्राह्मण प्रशासन की स्थापना के लिए खुली लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामती तंत्र की जड़ें तब तक नहीं काटी जा सकतीं, जब तक धर्म पर से ब्राह्मणों की ठेकेदारी हटा नहीं दी जाती।

मन्दिरों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार और नारी-दासता के विरुद्ध संघर्ष

वे यह मानकर चलते थे कि जन्म के आधार पर ब्राह्मणों को मंदिरों का स्वामित्व सौंप देना सगसर गलत है। हर जाति में विद्वान और योग्य व्यक्ति होते हैं। कर्म के आधार पर ब्राह्मणत्व तय किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों से मंदिरों का स्वामित्व छीन लिया जाए और क्षेत्र में किसी भी जाति के योग्य और उदार व्यक्ति को मंदिर का स्वामित्व सौंपा जाए। ऐसा करने से मंदिरों में हर जाति का समान रूप से प्रवेश संभव हो सकेगा। दलितों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा और संसाधनों व सुविधाओं में उनकी भागीदारी होगी तो वे किसी भी तरह ब्राह्मणों से कम सावित नहीं होंगे। बल्कि मानवता और उदारता में वे ब्राह्मणों से बहुत आगे जाएंगे।

नारी को गुलाम बनाए रखने और उसे शिक्षा से वंचित रखने को उन्होंने सवर्णों का सामती षड्यंत्र बताया। नारी को व्यक्ति के स्थान पर मात्र भोग की वस्तु या परिचारिका समझना नारी का घोर अपमान है। जो नारी हमारी माँ है, हमारी अगली पीढ़ियों की वाहक है यदि वह गुलाम मानसिकता वाली, अनपढ़ और दबी-पिची बनी रहेगी तो अपनी सत्ता को ऊपर उठाने में वह क्या योगदान दे पाएगी। नारी का पीड़ित रहना मानवता का घोर अपमान है। एक ओर हिन्दू समाज देवियों की पूजा करता है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता” का मंत्र पढ़ता है और दूसरी ओर नारियों पर घोर अत्याचार करते उनके व्यक्तित्व का हनन करने संकोच नहीं करता, यह कहों का न्याय है।

रामास्वामी नायकर का दर्शन

पेरियर रामास्वामी नायकर सामती व्यवस्था के घोर विरोधी थे, वे मनुस्मृति के सिद्धांतों और ब्राह्मणों द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए बनाए गए धार्मिक नियमों व मर्यादाओं के खिलाफ थे। उन्होंने आर-पार देख लिया था कि हिन्दू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था पिछड़ों और दलितों के अधिकार छीनकर उन्हें हमेशा सवर्णों का गुलाम बनाए रखने का एक हथियार है। इसलिए उन्होंने पिछड़ी जातियों को ब्राह्मण-धर्म से सावधान करने, धर्म के नाम पर ठगी से बचने और सत्य व न्याय पर आधारित समाज-व्यवस्था को समझने के लिए अपना दर्शन प्रचारित किया।

ईश्वर की सत्ता एक छलावा है

पेरियर रामास्वामी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। उनका कहना था कि ईश्वर की सत्ता स्वीकारना और उसकी आड़ में सुविधावादी जीवन जीना बहुत सरल है। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। जबकि ईश्वर को नकारने

के लिए मजबूत तर्क-बुद्धि और विवेक का होना अनिवार्य है। ईश्वर और देवी-देवताओं का सत्कार ब्राह्मणों ने अपने निजी लाभ के लिए रचा है। यदि वे ऐसा न करते तो उन्हें कौन पृच्छता ? ईश्वर को नकारते हुए उन्होंने कहा—“जब मनुष्य द्वाग मनुष्य का घोर अपमान होता है, शोषण होता है, उसका जीवन नर्क बनाया जाता है, तब ब्राह्मणों का वह दयानु ईश्वर कहों चला जाता है। दलितों और पीड़ितों पर अत्याचार करने वाले हाथों को तोड़ने के लिए वह क्यों नहीं आता।

जब-जब होय धर्म की हानी,
बाढ़े असुर अधम अभिमानी
तब-तब प्रभु धर मनुज शरीरा
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।

तुलसीदास जी की रामायण की यह चौपाई दलितों पर लागू क्यों नहीं होती। 1800 वर्षों तक दलितों को शिक्षा और ससाधनों से अलग रखा गया। पीढ़ी-दर-पीढ़ी उन्हें सवर्णों की गुलामी करने पर मजबूर किया गया, तब ईश्वर को पता ही नहीं चला। क्या सवर्णों के ये कृत्य असुर अधम और अभिमानियों के कृत्य नहीं हैं ? क्या इनके हाथ रोकने के लिए ईश्वर को अवतार नहीं लेना चाहिए था ?

सच तो यह है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई सत्ता है ही नहीं। यह अवतारवाद और देवी-देवतावाद सब ब्राह्मणों की मनगढत कहानियाँ हैं। उनका विचार है कि ईश्वर के नाम पर हिन्दू अनेक प्रकार के गलत काम करते हैं। ईश्वर जी मूर्तियों तक चुराने में नहीं हिचकते, फिर कैसे मान लिया जाए कि ईश्वर है ? ईश्वर की सत्ता की आड में ब्राह्मणों ने अपनी धाक जमा ली। सवर्ण धनी होते चले गए। यदि ईश्वर की कल्पना नहीं की गई होती तो भारत में गरीब-अमीर, ऊँच-नीच, जाति-पाति और सामाजिक असमानता नहीं टिक पाती। कर्म-फल सिद्धांत का यहाना लेकर सपन्न लोग गरीबों का उपहास उड़ाते हैं। कहते हैं कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए ये लोग गरीब और दलित हैं। जो बुरे कर्म करता है वह नीच घर में जन्म लेता है और जो अच्छे कर्म करता है वह सज्जन या सामंत के घर में जन्मता है। यह सब मनगढत कहानियाँ हैं। न कोई पुनर्जन्म होता है, न कोई कर्म-फल सिद्धांत। यदि कर्म-फल सिद्धांत होता तो सबसे ऊँच डड उन ब्राह्मणों को मिलता जो श्रद्धा और भक्ति से भरे दलितों को भगवान के मंदिर में घुसने तक नहीं देते। मन्दिरों के सारे चढ़ावे का भगवान की सत्ता की आड में ब्राह्मण चट कर जाते हैं।

आत्मा या जीवात्मा

रामास्वामी नायकर आत्मा या जीवात्मा का अस्तित्व भी नहीं मानते। वे कहते

है मनुष्य की शरीर-रचना में आत्मा का कोई स्थान नहीं है। जब मनुष्य के शरीर में प्रत्येक अंग का कार्य निश्चित है तो आत्मा का और कौन सा काम रह जाता है। आत्मा मिथ्या कल्पना है और वह कल्पना धर्म के पाखंड तंत्र की रक्षा करती है, इसीलिए ब्राह्मण उसके प्रचार में लगे रहते हैं। आत्मा हिन्दू धर्म की आधार शिला है। आत्मा को निकाल दीजिए, हिन्दू धर्म मिट जाएगा।

वे शरीर को प्रकृति से उत्पन्न होने वाला और जीवन को प्रकृति में उत्पन्न मानते हैं। आत्मा की सत्ता को वे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि मनुष्य का शरीर भी ठीक उन्ही प्रकार जन्म लेता है जैसे अन्य जानवरों, पक्षियों तथा पेड़-पौधों का जन्म होता है। जन्म के बाद शरीर का विकास होता है और एक अवधि के बाद शरीर कमजोर होने लगता है। शरीर की कोशिकाएँ शिराएँ और धमनियाँ काम करना बंद कर देती हैं और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद कोई आत्मा शरीर से बाहर निकल कर परलोक नहीं जाती। परलोक जैसी कोई सत्ता है ही नहीं। ब्राह्मणों ने तो पता नहीं कितने लोकों की कल्पना की है और कितने ही देवताओं को उनसे जोड़ दिया है। यह सब कल्पित जाल है। हिन्दू धर्म के पतन का एकमात्र कारण भी यही है।

यदि सचमुच आत्मा होती है और आत्मा ईश्वर का अंश है तो वह दलितों और शूद्रों में भी होती है। फिर वह आत्मा ब्राह्मण की आत्मा से भिन्न तो नहीं हो सकती। ईश्वर का अंश तो सदा पवित्र और महान होना चाहिए। यदि ब्राह्मण के अंदर ईश्वर का अंश कहलाए जाने वाली आत्मा का निवास है तो वह दलितों के अन्दर मौजूद आत्मा को सताने के लिए तरह-तरह के हथकण्डे क्यों अपनाता है ? फिर कोई अछूत और नीचा क्यों ? जब सबके अन्दर एक ही आत्मा या एक ही तरह की आत्मा का निवास है तब तो सबका महत्त्व बराबर हुआ, फिर हम इतने क्रुद्ध क्यों हो जाते हैं कि किसी को भूख और ठंड से मरने देते हैं और स्वयं दौलत इकट्ठी करने और प्रतिष्ठा के अम्बार लगाने में लगे रहते हैं।

“यदि आत्मा होती तो वह अन्याय नहीं होने देती। ईश्वर का अंश न अन्याय सह सकता है, न अन्याय कर सकता है। परन्तु जब हम साफ देख रहे हैं कि सर्वण दलितों पर रात-दिन जुल्म ढहाते नहीं थकते तो कैसे मान लें कि सर्वणों में ईश्वर का अंश आत्मा है और दलितों में ऐसी कोई आत्मा है?”

धर्म

धर्म को ईश्वर तक पहुँचने का साधन माना गया है। परन्तु रामास्वामी ऐसा नहीं मानते। उनका विचार है कि धर्म की खोज सुविधा के लिए की गई है। धर्म इसलिए बनाया गया कि कबीलाई से सस्कृति-काल में लोग एक दूसरे से बंधे रह

सके और समाज सगठित व शक्तिशाली बन जाए।

परन्तु ब्राह्मणों ने और सपन्नों ने सदा उसका दुरुपयोग किया है। धर्म से जुड़ी तरह-तरह की कहानियाँ ब्राह्मणों ने गढ़ लीं और उन्हें दूसरों के गले मढ़ दिया। धर्म के दो ही रूप देखने को मिलते हैं—एक सांप्रदायिकता और दूसरा आडंबर। सांप्रदायिकता ने मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना दिया है। सांप्रदायिकता के कारण अलग-अलग राष्ट्र बने हैं। राष्ट्रों का विघटन हुआ है। समाज बटे है। समाज टूटे है। मनुष्य ने मनुष्य का खून बहाया है और अब भी बहा रहा है। धर्म का रूप अत्यधिक भयावह तथा पूरी तरह अमानवीय है। वैज्ञानिक दृष्टि वाला और मानवीय गुणों से युक्त कोई भी मनुष्य धर्म के इस रूप को स्वीकार नहीं करेगा।

दूसरा रूप है आडंबर। पूजा-स्थलों और तीर्थ स्थानों की परम्पराएँ और मनुष्य को भगवान तक पहुँचाने की सीढ़ी। गमास्वामी कहते हैं, जब भगवान है ही नहीं तो यह सीढ़ी कहाँ है और किसको किस तक पहुँचाने का काम कर रही है। उनका स्पष्ट विचार है कि धर्म एक आडम्बर है, एक दिखावा है, एक छलावा है, एक धोखा है।

रामास्वामी नायकर की दृष्टि इतनी आर-पार थी कि उन्हें कोई सिद्धांत, कोई विचार बहका नहीं सकता। उनका दर्शन बहुत स्पष्ट था। उनका यही मानना था कि मनुष्य प्रकृति से उपजता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है। ईश्वर, आत्मा, धर्म, पुनर्जन्म आदि सब ढकोसले ब्राह्मणों ने पैदा किये हैं। अनेक प्रकार के देवी-देवता और अवतारों की कल्पना ब्राह्मणों ने की है। धर्म ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों ने की ताकि बिना कुछ किए कीर्ति और प्रतिष्ठा कमाई जा सके। धन और सुविधाओं के साधन जुटाए जा सकें।

वे केवल मानव धर्म को मानते थे। उनके लिए मनुष्य ही सब कुछ था। मनुष्य का मनुष्य के हाथों अपमान और तिरस्कार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दलितों और पिछड़ों के अधिकार सबणों द्वारा जबरन छीने गए हैं। अब यदि वे अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म, ईश्वर, पूजा-स्थल और तीर्थों के छलावों में न आएँ। ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था को पैदा किया और सुरक्षित रखा है, जिसमें दलितों के अधिकार छीने जा सकें। अब समय आ गया है कि वे सत्य को पहचान लें और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सगठित होकर इस सामंतवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ें और इसे ढहा दें।

सत्य को सूर्य के प्रकाश की तरह उजागर करने वाले दलितों और रित्रियों के अधिकारों के संघर्ष में अपना पूरा जीवन दाव पर लगा देने वाले महर्षि पेरियर रामास्वामी नायकर का 24 दिसम्बर, 1973 को शरीर पूरा हुआ।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर

(14 अप्रैल, 1891 से 6 दिसम्बर, 1956)

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय दलित आन्दोलन एवं सामाजिक न्याय अभियान के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो दूर में ही चमकता है।

अछूत समाज में जन्म लेकर, ब्राह्मण संचालित हिन्दू समाज के उच्च वर्गों की वर्जनाएँ, उपेक्षाएँ और अपमान से उपर्जा यातनाएँ सहते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दलित व पिछड़े समाज को अपने साथ लेकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी।

अपने जीवन काल में ही उन्होंने पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने में अपनी योग्यता के बल पर भारत का संविधान लिखा और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। दलित व पिछड़े समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उसे विशेष सुविधाएँ दिलाई तथा राजनैतिक शक्ति का हथियार धरकर उसे इतना मजबूत बना दिया कि वह अपना संविधान का खोया मनोबल फिर से प्राप्त कर राष्ट्र की मुख्य धारा में सीना तान कर खड़े हो गया है।

अपमान से अपमान तक

भीमराव का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के रत्नागिरी जिले में मऊ नामक गाँव में हुआ था। मऊ इन्दौर नगर के निकट है। इनके पिता का नाम राम जी राव तथा माता का नाम भीमाबाई था। पिता सेना में सूबेदार थे। अम्बेडकर अपने माता-पिता की चौदहवीं सन्तान थे। उनसे पहले जन्म भाई बहनो में से केवल दो भाई और दो बहनें ही जीवित थीं। अन्य की मृत्यु हो चुकी थी। उनके एक भाई का नाम आनंदराव था। दूसरे का बसंतराव। एक बहन का नाम मजुला था और दूसरी का तुलसी।

पिता कहने को तो सूबेदार थे परन्तु वेतन केवल 50 रु मासिक मिलता था।



उन दिनों सेना में नौकरों की अवधि 15 वर्ष हुआ करती थी।

15 वर्ष तक सेना को अपनी सेवाएँ देने के बाद रामजी राव सेवा मुक्त हो गए। अब उनके सामने रोजगार की समस्या थी।

वे मरु से सतारा आ गए। सतारा में बहुत दिनों तक रोजगार की तलाश में भटकते रहे, अतः 40 रु. मासिक पर उन्हें एक कंपनी में चौकीदारों का काम मिल गया।

इसके साथ मत खेलना, यह अछूत है

सतारा में अम्बडकर परिवार ने किसी तरह जीवन-यापन का सहारा तो ढूँढ लिया परन्तु बच्चों के लिए समाज में घुलने-मिलने की समस्या खड़ी हो गई। भीमराव के भाई-बहन तो अब तक यह जान चुके थे कि वे अछूत हैं और उन्हें समाज के लोग इज्जत नहीं देते। लोग उनसे बचते हैं, उनकी छुई हुई चीज नहीं खा सकते; ब्राह्मण तो इतना परहेज करते हैं कि यदि उनका साया भी छू जाए तो शिव-शिव करते हुए फिर से स्नान करने के लिए भाग खड़े होते हैं। परन्तु भीमराव अभी छोटे थे। जब उन्होंने यह सब देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। बचपन से ही भीमराव में चीजों को गहराई से देखने और जानने की इच्छा तेज थी। वे जब घर से बाहर निकलते तो सब ओर देखते और दौड़कर सब बच्चों के साथ घुल मिल जाना चाहते थे।

परन्तु वे इस सच्चाई से अनजान थे कि जिस परिवार और जाति में उन्होंने जन्म लिया है, वह भारतीय समाज में अछूत है। और उन्हें सब बच्चों के साथ मिल-मिलकर खेलने और उन्हें दोस्त बनाने का अधिकार नहीं है।

वे नहीं जानते थे कि ऊँची जाति और नीची जाति क्या होती है। निम्न वर्ण और उच्च वर्ण क्या होता है।

जब वे बाहर होते और कोई बच्चा उन्हें दिखाई दे जाता तो उमकी ओर दौड़ पड़ते। वे उसके साथ खेलना चाहते थे। परन्तु ज्यों ही वे बच्चे के पास पहुँचते और बच्चा हसकर उनकी ओर आने को होता, तभी दों हाथ पीठों से उस बच्चे को उठाने लेंते थे और भीमराव के कान में आवाज पड़ती, “चल-चल. यह अछूत है, इसके साथ मत खेलना।”

भीमराव ठगे से देखते रह जाते। उनको लगना जैसे किसी ने मुँह में जाते-जाते उनके हाथ से निवाला छीन लिया है।

कहीं बच्चों का झुंड खेल रहा होता और भीमराव दौड़कर खेल में शामिल होना चाहते तो कोई बड़ा बच्चा झट से आगे आता और कहता, “नहीं तू हमारे साथ नहीं खेल सकता. तू अछूत है. जा यहाँ में भाग . . .”

भीमराव रोते हुए घर लौट आते। माँ पूछती, “क्या हुआ भीम . तू रो क्यों रहा है ?” तो वे माँ से सिसकते हुए कहते, “माँ, मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता . सब बच्चे मुझे भगा देते हैं . कहते हैं . तू अछूत है।”

“हाँ बेटा।” माँ भीमराव को चिपटाते हुए कहती। “वे ठीक कहते हैं। हम अछूत हैं। वे बड़ी जाति के बच्चे हैं . तू उनके साथ खेलने की जिद क्यों करता है क्यों जाना है तू वहाँ बेटा तू अपनी बहनो और अपने भाइयों के साथ खेल लिया कर .।”

सिसकते-सिसकते भीमराव चुप हो जाते और प्रायः माँ की गोद में सो जाते।

स्कूल में दाखिला जूतों की जगह बैठते थे

जब छ वर्ष के हुए तो माँ भीमाबाई, रामजी राव के पीछे पड़ गई, “भीम अब बड़ा हो गया है। उसका दाखिला क्यों नहीं करवाते ?”

राम जी राव कुछ न कुछ बहाना बना कर टाल देते। कभी कहते, “बात की है,” कभी कहते, “हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर।”

आज जब भीमाबाई ने उन्हें टोका तो वे बिफर गए, “कहाँ कराऊँ इसका दाखिला. कैसे कराऊँ. तुझे क्या पता मैं कहाँ-कहाँ नहीं गया हूँ। पूरे आठ दिन की छुट्टी ले चुका हूँ अब तक इस लड़के को दाखिल कराने के चक्कर में, परन्तु कोई राजी नहीं होता. अछूत जो हैं. .। हो, स्कूल में ऊँची जाति के बच्चे पढ़ते हैं . कहते हैं हमारा बच्चा उनके साथ नहीं बैठ सकता. मैं पूछता हूँ जब साथ ही नहीं बैठ सकता तो पढ़ेगा कैसे ?”

भीमाबाई शांत रही। आगे बढ़कर उन्होंने पीछे से पति के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और बोली, “आपका दुख मैं समझती हूँ.. पता नहीं क्यों इतना कह गई .. नूबेदार की पत्नी होने का गुरुर आ जाता है तो भूल जाती हूँ कि हम अछूत हैं. .।”

अपने आँसू पाने के बाद राम जी राव ने पत्नी की ओर मुँह फेरा ओर उसके आँसुओं को अपनी दोनों हथेलियों में समेटते हुए बोले, “बड़ी मुश्किल से एक हैड मास्टर ने हाँ की है, पर उसकी एक शर्त है।”

“शर्त. . .” कहते हुए भीमाबाई ने पति की आँखों में देखना चाहा।

रामजी राव ने आँखें झुकाते हुए कहा, “कहता है, आपके लड़के को दाखिल तो कर लूंगा। परन्तु उसे बड़ी जाति के बच्चों के साथ नहीं बिठा सकता। उसे अपनी टाट-पट्टी साथ लानी पड़ेगी और कक्षा की दहलीज में जहाँ बच्चे अपने जूते उतारते हैं, वहाँ बैठकर पढ़ना पड़ेगा।”

“नहीं .।” भीमाबाई ने अपना माथा पीटा, “भगवान इतना अन्यायी नहीं हो

सकना

उसी समय भीमराव बाहर निकल आए। वे माता-पिता के बीच हुई बात सुन चुके थे। उनकी आँखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी, वे बोले, “माँ... मेरा दाखिला करवा दो.. मैं जूतो की जगह बैठकर पठ लूँगा।” फूल से कोमल बच्चे के मुँह से जब ये शब्द निकले तो पिता रामजी राव उनमें छिपी विवशता पर रंग पड़े और अपने आँसुओं को छिपाने के लिए वहाँ से हट गए।

माँ भीमाबाई ने बेटे की आँखों के भाव पढ़े और उसे चिपटा कर सामने दीवार पर देखने लगीं, “हाँ, बेटा.. कल से तू स्कूल जाएगा। जूतो की जगह ही सही.. तू पढ़ेगा..।” जब वे ये शब्द धीमी आवाज में कह रही थी, तो उनकी आँखों से आँसुओं का रेला बड़ी तेज गति से बह रहा था। उन्होंने दोनों हाथों से दबाकर भीमराव को चिपटा रखा था। वे नहीं चाहती थीं कि नन्हा भीम उनके आँसू देखे।

अगले दिन भीमराव का दाखिला हो गया। अपने घर से पुरानी टाट-पट्टी लेकर वे अपने पिता के साथ स्कूल गए और जूतों को एक ओर हटाकर टाट-पट्टी बिछाकर दहलीज में बैठ गए।

भीमराव ने देखा कि जब वे जूतों को हटाकर अपने बैठने के लिए जगह बना रहे थे, तो कुर्सी पर बैठे आचार्य और सामने बेंचों पर बैठे छात्र उन्हें ऐसे देख रहे थे मानों सोच रहे हों, इसके छूने में कहीं हमारे जूते तो जपवित्र नहीं हो गए ?

भीमराव की पढाई शुरू हो गई। रोजाना अपनी टाट-पट्टी साथ लाना, बिछाकर जूतों की जगह बैठना, आधी छुट्टी में सबसे अलग बैठकर दूसरी ओर मुँह करके अपना खाना छत्म करना और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि स्कूल का कोई विद्यार्थी या किसी की कोई चीज भूल से भी छू न जाए।

माँ बीमार पड़ीं, इलाज करने कोई वैद्य नहीं आया

भीमराव पढ़ने में बहुत तेज थे। घर से स्कूल दूर था। वे सवेरे घर से निकलते और शाम को लौटते थे। खूब मन लगाकर पढ़ते थे।

पहली कक्षा से वे पाँचवीं में आ गए। पूरे स्कूल में उन्होंने नाम कमा लिया। पिता जब उनके स्कूल जाते तो हैडमास्टर भीमराव की बहुत तारीफ़ करता। पिता को बहुत अच्छा लगता। घर लौट कर वे भीम की माँ को बताते तो भीमाबाई की आँखों में खुशी के आँसू आ जाते। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वे कहतीं, “किसी ने सच ही कहा है दाता। तेरे घर देर तो है, पर अधेर नहीं है।”

भीमराव के भविष्य के बारे में सुनकर स्वप्न देखते-देखते भीमाबाई एक दिन बीमार पड़ गईं। जब वे बीमार हुईं तो रामजी राव चिंतित हो उठे। उनके बल पर तो पूरी गृहस्थी चल रही थी।

उन्होंने बड़ी देखभाल की, बहुत दौड़-भाग की। परन्तु सब बेकार गई। उन्हें ऐसे वैद्य की जरूरत थी जो उनके रोग को समझ सकें और उन्हें अच्छी दवा देकर रोग के चगुल से निकाल सकें। परन्तु उनके घर आने का कोई वैद्य तैयार नहीं हुआ। सभी अच्छे वैद्य ऊँची जाति के थे। एक महार के घर भला कैसे आ सकते थे। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो जाता।

वैद्य अपना धर्म बचाते रहे और सही दवा के अभाव में भीमाबाई का जीवन चला गया। वे मृत्यु की गोद में हमेशा-हमेशा के लिए सी गईं।

माँ की मृत्यु पर भीमराव बहुत रोए। भीमराव भूख के बहुत कच्चे थे। माँ इस बात का बहुत ख्याल रखा करती थीं कि उनका बेटा भूखा न रहे।

वही माँ जब अपने बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर चली गई तो भीमराव ने कई दिन तक रोटी को हाथ नहीं लगाया।

पिता ने बहुत समझाया। पिता बोले, “बेटा तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारी माँ के सपनों का क्या होगा ? तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ की आँखों में तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के कितने सपने थे। बेटा, उठी...खाना खाओ और पढ़ाई में लग जाओ। वे सपने तुम्हें पूरे करने हैं।” भीमराव ने पिता के चेहरे पर देखा और रो पड़े। पिता ने पुत्र को गले से लगा लिया। अगले दिन से भीमराव नियमित स्कूल जाने लगे। माँ की आँखों के सपने अब उनके दिल में थे।

भूखे रहकर पढ़ाई की

माँ के लाडले भीमराव अब विना खाना साथ लिए स्कूल आने लगे। 11-12 साल के बच्चे ने निश्चय किया कि खाना मिले न मिले, पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

हैडमास्टर ब्राह्मण थे। अछूतों के प्रति सामाजिक व्यवहार के सामने वे विवश थे, परन्तु भीम को भूखा देखा तो उन्हें दया आ गई। उसके लिए दोपहर की रोटी का इतजाम उन्होंने स्वयं किया।

जब सब बच्चे दोपहर का भोजन करने बैठते तो वह एक दोने में सब्जी रखकर भीमराव के सामने रख देते और दूरे से ही रोटियाँ उसके हाथों में कैंक देते थे। भीमराव अपनी भूख मिटा लेते थे।

दूसरे लड़के जब हैडमास्टर को ऐसा करते देखते तो काना-फूसी करते। वे कहते, “लगता है हैडमास्टर का दिमाग चल गया है। ब्राह्मण होते हुए भी यह महार जाति के अछूत लड़के के लिए रोटी बनाकर खिलाते हैं।”

भीमराव लड़कों के मुँह से जब ऐसी बातें सुनते, अपने प्रति उनके चेहरों पर ओर आँखों में घृणा देखते तो सहम जाते। कभी-कभी उन्हें बहुत गुस्ता आता।

परन्तु वे मव सह जात।

एक बार उनकी माँ ने उनके कान में कहा था, “एक बात याद रखना बेटा, हम लोग महार जाति के हैं, अछूत है। तुम्हें समाज में बहुत अपमान सहना पड़ेगा, बड़ी घृणा झेलनी पड़ेगी। इस सब की परवाह न करना। किसी से उलझना नहीं, तुम्हें पढ़ना है। बिना पढ़े कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तब समाज की इस गंदी रीति को बदल डालना। यही मेरी इच्छा है।”

माँ तो नहीं रही, पर उनके ये शब्द भीमराव के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। जब-जब उन्हें कोई घृणा की नजर से देखता, जब-जब कोई उनका अपमान करता, माँ मारों उनके कानों में कह देती, “भडकना नहीं, सहते जाना है। रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है।” भीमराव वैसा ही करते, अपमान और घृणा सहते-सहते उन्हें चुप रहने की आदत पड़ गई। अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वे प्रायः चुप रहते और अपने काम में लगे रहते।

परात गिरवी रखकर हाई स्कूल में दाखिला दिलाया

कक्षा पाँच पास करने के बाद भीमराव को दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था। भीमराव के पिता पत्नी के देहान्त के बाद बहुत परेशान रहने लगे थे। नौकरी करना और घर में बच्चों की देखभाल करना, वे बहुत दुखी थे। घर में बहुत गरीबी आ गई।

भीमराव के दाखिले के लिए वे एल फिस्टन हाई स्कूल में जान कर आए। भीमराव के अक बहुत अच्छे थे। दाखिला मिल गया, परन्तु पैसा ? वह कहाँ से आए ? और कोई चारा न देखकर रामजी राव ने अपनी पीतल की भारी परात निकाली और उसे लेकर सठ सूरजमल के पास जा पहुँचे।

सूरजमल सूदखोर और लालची था। वह जेधर या कीमती चीजें गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा देता था और उससे लिखा लेता था कि समय पर नहीं छुड़ा पाया तो चीज उसकी हो जाएगी।

उसने रामजी राव की भारी परात रख ली और उनसे लिखा लिया कि यदि निश्चित तिथि तक पैसा ब्याज सहित वापस नहीं किया तो परात उसकी हो जाएगी।

पुत्र को पढ़ाने की धुन में रामजी राव ने परात की परवाह न की। उस सूदखोर का ब्याज इतना अधिक था कि भीमराव के पिता की हुई तिथि तक पैसा न जुटा सके और उनकी गाड़ी कमाई से खरीदी गई परात उस सूदखोर की हो गई।

इस देश में मजदूरी का फायदा उठाने वाले, इंसानियत का चोगा पहन कर इमानियत का खून करने वालों की कमी नहीं रही है। ऐसे लोगों ने अपने छोटे से

स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े-बड़े नुकसान किए हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि कोई कानून इस क्रूर हृदय और कुटिल बुद्धि हैवानों की गर्दने नहीं नाप सका।

कानून बजाकर आछूतों का उद्धार करूँगा

परान गिरवी रखने के बाद जब रामजी राय प्राइमरी स्कूल के हैडमास्टर क पास पहुँचे। भीमराव को मदद करने के लिए उन्होंने हैडमास्टर को बार-बार धन्यवाद दिया और सर्टीफिकेट माँगा।

हैडमास्टर भीमराव से बहुत खुश थे। उसने प्रथम श्रेणी पाई थी और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे।

हैडमास्टर ने सर्टीफिकेट तैयार कर दिया और उसमें उनका पूरा नाम लिखा— भीमराव अम्बेडकर।

पिता रामजी राय ने इसे ब्राह्मण का आशीर्वाद मानकर खुशी जाहिर की। उस दिन उन्हें क्या पता था कि यह 'अम्बेडकर' शब्द एक दिन भारतीय इतिहास की शानदार धरोहर बनेगा और पूरे देश की पिछड़ी जातियों के लोग इससे प्रेरणा, आश्रय और सामाजिक न्याय प्राप्त करते हुए उन अधिकारों को प्राप्त करने में सफल होंगे जिनका सङ्कल्प लेकर भीमराव ने अपमान पर अपमान सहते हुए अपनी पढाई जारी रखी थी और जिन अधिकारों के सपने मरते समय उनकी माँ की आँखों में थे।

हैडमास्टर को उस समय भीमराव की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। वे जानते थे कि समाज को बदलना इतना आसान नहीं। फिर भी उन्होंने कहा, "ईश्वर तुम्हारी मदद करे।"

सर्टीफिकेट लेने के बाद जब भीमराव चलने लगे तो श्रद्धा और भावुकता से भरकर वे गुरु जी के चरण छूने के लिए झुके परन्तु तभी उन्हें याद आ गया कि चरण तो वह छू नहीं सकता। छूने से गुरुजी अपवित्र हो जाएंगे। अतः चरणों की ओर बढ़ते उनके हाथ ठिठक गए और भीमराव ने कहा,

"क्षमा करना गुरुजी। मैं आपके चरण नहीं छू सकता, अछूत जो हूँ।"

"भैया आशीर्वाद सदा, तुम्हारे साथ है।" भावुक स्वर में गुरुजी बोले, "लेकिन बेटे बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में घूम रही है। अब पूछ डी लेता हूँ। तुमने पाँच साल तक दूसरो छात्रों के जूतों की जगह बैठकर पढाई की, भूखे रहकर, बार-बार अपमान सहकर भी जरा विचलित नहीं हुए। ऐसा क्या है इस पढाई में जो तुम इतना सब सह रहे हो ? आगे पढोगे तो और भी अपमान झेलना पड़ेगा। फिर तुम महार जाति के हो, तुम्हें ऊँची नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। तुम यह सब क्यों कर रहे हो ?"

भीमराव के कदम रुक गए। वे मुड़े और सम्मान पूर्वक ब्राह्मण के सामने खड़े होकर बोले, “गुरुजी. मैं सब कुछ सहूँगा, मुझे पढ-लिखकर एक दिन एक नया कानून बनाना है। एक ऐसा कानून जो अछूतों को समाज में ऊँचा स्थान दिलाएगा। देख लेना, सरकार इस कानून को मानेगी।

1904 में एल फिस्टन हाई स्कूल में भीमराव का नाम लिख गया। अब वे भीमराव अम्बेडकर कहलाने लगे थे। लड़के उन्हें केवल ‘भीम’ कहा करते थे।

एक दिन कक्षा में एक अजीब घटना घटी। अध्यापक भूगोल पढा रहे थे। यकायक वे भीमराव से बोले, “भीम, तुम उठो और चॉक से ब्लैक बोर्ड पर भारत का मानचित्र बनाओ।”

भीमराव उठे। चाक लेकर जैसे ही वे ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, लड़के आपस में खुसर-फुसर करने लगे।

तभी एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, “ठहरो भीम।”

लड़के की आवाज पर भीमराव ठिठक गए अध्यापक ने डांट कर लड़के से कहा, “क्या बात है ?”

“सर ब्लैक बोर्ड के पीछे हम लोग अपना खाना रखते हैं। भीम महार है, इसने हमारा खाना छु लिया तो वह अपवित्र हो जाएगा और हमें फैंकना पड़ेगा।”

“ओह”, अध्यापक के मुँह से केवल एक शब्द निकला।

तभी सब लड़के उठे और उन्होंने अपने-अपने खाने के डिब्बे वहाँ से उठा लिए।

इसके बाद भीमराव आगे बढ़े और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर भारत का मानचित्र बनाया।

कक्षा समाप्त होने के बाद सब लोग बाहर निकल गए। यह खाना खाने का समय था। सब लड़के एक झुंड में बैठकर खाना खाने लगे।

भीमराव अम्बेडकर आपना खाना लेकर एक ओर चला गए। खाना खाते समय वह सोच रहे थे, एक अपमान और सही। अब तो इस सब की आदत डालनी होगी।

1906 में उनके पिता ने भीखू वालंगकर की बेटी रमाबाई के साथ भीमराव की शादी कर दी।

1907 में उन्होंने 750 में 382 अंक लेकर हाई स्कूल परीक्षा पास की।

बड़ौदा नरेश की कृपा

हाई स्कूल पास करने के बाद भीमराव के सामने आगे पढ़ने की समस्या आ खड़ी हुई। पिता पहले से ही बहुत दुखी थे, वे बूढ़े हो चले थे। घर में गरीबी थी।

हाई स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए जो परात उन्होंने गिरवी रखी थी, उस ही नहीं छुड़ा पाए थे। उधार तक कोई नहीं देता था। अब पैसा कहाँ से आएगा।

हाई स्कूल में पढते समय भीमराव की एक ईसाई लडके से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसका नाम था—कैलुस्कर। भीमराव ने अपनी समस्या कैलुस्कर के सामने रख दी। कैलुस्कर ने उसे महाराजा बड़ौदा से मिलने की सलाह दी।

अगले ही दिन भीमराव बड़ौदा नरेश की कोठी पर जा पहुँचे। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बिना झिझक के बड़ौदा नरेश को सुना दी।

राजा साहब जानते थे कि एक महार जाति के लडके के लिए उच्च शिक्षा लेना बहुत कठिन है। पैसे की कमी और अपमान दोनों ही आढे आते हैं।

परन्तु भीमराव का भोलापन, ईमानदारी और राजा पर विश्वास काम कर गया। उन्हें लगा कि यह जानते हुए भी कि मैं उच्च जाति का हूँ, यह अछूत लडका मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आया है, तो मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए।

उन्होंने एल फिस्टन में भीमराव का दाखिला करा दिया और खजाने से 25 रु महीना छात्रवृत्ति दिलवा दी।

भीमराव ने लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों उसके पिता राम जी राव भी मुंबई आ गए। उनकी सतारा की नौकरी छूट गई थी। अतः वे परिवार को लेकर बेटे के साथ ही रहने लगे।

नवम्बर 1912 में भीमराव की पत्नी रमाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया यशवन्त। जनवरी 1913 में भीमराव ने बी. ए. पास कर लिया। जब उन्होंने देखा कि पिता गरीबी की मार नहीं झेल पा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ौदा के महाराजा से कहकर सेना में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया।

बी. ए. पास कर चुके थे। महाराज की सिफारिश थी, अतः भीमराव को लेफ्टीनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई।

पिता से मिलने के लिए नौकरी छोड़ दी

रमाबाई अपने पुत्र यशवन्त की देख-भाल तथा घर परिवार का दायित्व निभा रही थीं। और भीमराव लेफ्टीनेंट के रूप में बड़ौदा की रियासत को अपनी सेवाए दे रहे थे। एक दिन उन्हें घर से तार मिला। लिखा था, पिता बहुत बीमार है, छुट्टी लेकर आ जाओ।

पिता की बीमारी से भीमराव विचलित हो गए।

वे बड़े अफसर के पास पहुँचे और तार दिखा कर छुट्टी के लिए प्रार्थना की, परन्तु अफसर ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया।

भीमराव अपनी माता को तो खो चुके थे। अब पिता ही उनके लिए सब कुछ थे। वे उन्हें खोना नहीं चाहते थे। उन्हें संदेह था कि यदि अच्छा इलाज नहीं मिला तो पिता की भी उसी तरह मृत्यु हो जाएगी, जिस तरह माँ की हो गई थी। अतः उन्होंने अफसर से बार-बार प्रार्थना की। परन्तु अफसर अड गया और बोला, “छुट्टी किसी हालत में नहीं मिल सकती।”

“तो फिर मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए।” भीमराव ने कहा।

अफसर बोला, “हाँ, यह हो सकता है। आप नौकरी छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइए।”

भीमराव ने एक क्षण नहीं गँवाया। तुरन्त इस्तीफा दिया और पिता की सेवा के लिए उनके पास चले गए।

पिता को जब यह पता चला कि उनका बेटा नौकरी छोड़ आया है तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ।

भीमराव ने उनका बहुत इलाज कराया परन्तु वे ठीक न हो सके। फरवरी 1913 में एक दिन वे अपने पुत्र भीमराव अम्बेडकर को समाज से जूझने के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए।

उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका रवानगी

अपने मित्र कैलुस्कर की सलाह पर एक बार फिर भीमराव बड़ौदा नरेश महाराज गायकवाड़ की कोठी पर जा पहुँचे। उस समय महाराज भारत के अनेक होनहार युवकों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने की योजना में लगे थे।

भीमराव ने महाराज को पूरी कहानी सुनाई और अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की। महाराज इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि भीमराव ने पिता की सेवा करने के लिए लैफ्टीनेट की नौकरी को लात मार दी थी। वे स्वाभिमान युवकों को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने भीमराव को अनुमति दे दी। उन्हें एक शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े जिसमें लिखा था कि शिक्षा पूरी करने के बाद वे 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करेंगे।

4 जून 1913 को अपनी पत्नी रमाबाई और छ माह के बेटे यशवन्त से विदा लेकर जहाज द्वारा मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए।

जुलाई 1913 को उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयार्क में राजनीति संकाय में दाखिला ले लिया।

अमेरिका का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो खुला स्वागत उन्हें मिला, इससे वे हैरान रह गए। भारत की जमीन पर उन्हें कदम-कदम पर अपमान सहना पड़ता था। परन्तु अमेरिका जातिवाद के विषय से मुक्त था। यहाँ व्यक्ति को

महत्त्व दिया जाता था

दिन भर लड़के-लड़कियां उनसे खुलकर मिलते थे और खूब बातें करने थे। अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय छात्र नवल भटेना से हुई। उस समय भीमराव होस्टल में अलग कमरा लेकर रह रहे थे। नवल भटेना को भीमराव से दोस्ती हो गई। उन्होंने भीमराव को अपने ही कक्ष में बुला लिया। फिर वे दोनों एक ही कक्ष में साथ-साथ रहने लगे। साथ-साथ रहते, खाते खेलते, बातें करते और जमकर पढ़ाई करते। भीमराव को इतने सुख का अनुभव होने लगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। होस्टल और पढ़ाई का पूरा खर्चा बड़ौदा नरेश दे रहे थे।

भीमराव सबके साथ घुल मिलकर रहते हुए भी सबसे अलग थे। वे सादा जीवन पसंद करते थे। सादा खाना खाते थे और खूब जमकर पढ़ते थे। दूसरे लड़के की तरह फिल्म देखने अथवा गप्पें लड़ाने में उन्हें तनिक भी रुचि नहीं थी।

अपनी माँ का स्वप्न, अपने पिता की प्रेरणा, अपनी जाति के उद्धार की चिन्ता, तदा उन्हें लक्ष्य से बांधे रहती थी। भटकने और गुम हो जाने के लिए उनके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं थी। कौम और देश के नाम समर्पित पूरा जीवन।

दो वर्ष की अवधि में उन्होंने इतनी पुस्तकें खरीद कर इकट्ठी कर लीं कि उनका अपना छोटा पुस्तकालय ही बन गया। रात-दिन पढ़ते रहने थे। बहुत कुछ जानना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे।

5 जून 1915 को भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम. ए. की परीक्षा पास की।

इसके बाद वे पी. एच. डी. के लिए अध्ययन और लेखन में जुट गए। उन्होंने "द नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया—ए हिस्टोरिकल एण्ड एनेलिटिकल स्टडी" नामक विषय पर थीसिस लिखी और उसे पी. एच. डी. के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को दे दिया।

पी. एच. डी. का काम समाप्त होते ही जून 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए।

1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पी.एच. डी. की उपाधि प्रदान की।

जून 1917 में जब वे लंदन में अर्थशास्त्र में एम. एस. सी. की डिग्री के लिए अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें सूचना मिली कि महाराज गायकवाड ने उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी है और अब उन्हें अपनी लिखित शर्त के अनुसार भारत लौट आना चाहिए और 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी चाहिए।

अम्बेडकर के सामने भारत लौटने के सिवाय कोई चारा न था। उन्होंने लंदन में अपनी उच्चस्तरीय पढ़ाई बंद कर दी और भारत लौट आए।

ऊँचा पद तो मिला परन्तु अपमान ने पीछा नहीं छोड़ा

बड़े उदास मन से अम्बेडकर भारत लौटे। उनके आगमन से महाराज गायकवाड़ को बड़ी प्रसन्नता थी। वे उन्हें कोई बड़ा पद देना चाहते थे। अपने ही संसार में मस्त रहने वाले महाराज यह नहीं जान पाए कि अम्बेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में रोककर आना पड़ा है। महाराज के सलाहकारों ने उन्हें यही सूचना दी थी कि अम्बेडकर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है अब उनकी छात्रवृत्ति बढ़ा कर दी जाए और रियासत की सेवा के लिए वापस बुला लिया जाए।

महाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि अम्बेडकर को बड़े सम्मानपूर्वक एक जुलूस के साथ रियासत में लाया जाए।

परन्तु अधिकारियों को यह बात अच्छा न लगी। ऊँची जाति के गर्व में चूर वे एक महार जाति के व्यक्ति का फूल मालाओं से स्वागत करना कैसे कर सकते थे। उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया कि महाराज की इस आज्ञा को न माना जाए।

भीमराव अम्बेडकर दूसरी मिट्टी के बने थे। उन्हें अपने कर्तव्य-पालन और जातीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने के सिवाय कुछ और सूझता ही नहीं था। मान-अपमान की दुनिया से तो वे बहुत ऊपर उठ चुके थे।

बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने अपना सामान उठाया और पैदल ही सीधे राजभवन जा पहुँचे।

महाराज गायकवाड़ के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। इस बात का दुख तो जरूर था। परन्तु महाराज ने उच्च जाति के अधिकारियों के विरोध के बावजूद उनकी इतनी सहायता की थी, इसके लिए उनका रोम-रोम महाराज का आभारी था।

महाराज के सामने पहुँचते ही उन्होंने झुक कर उन्हें प्रणाम किया। महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अमेरिका तथा ब्रिटेन के बारे में बहुत सी बातें कहीं। भीमराव ने उन्हें बताया कि अमेरिका के लोग भारतीयों का आदर करते हैं। परन्तु ब्रिटेन के लोग बराबरी का दर्जा नहीं देते। वे भारतीयों को अपना गुलाम मानते हैं।

महाराज को अम्बेडकर से पश्चिमी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने की मिला। अम्बेडकर को महाराज का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। महाराज ने सैन्य सचिव के पद पर भीमराव की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। दो हजार रु. महीने वेतन और सभी सुविधाएँ।

परन्तु उनकी रियासत में ऊँच-नीच और जातिवाद का जो जहर पहले से ही मौजूद था, उसके आगे वे भी विचर गये। बड़ी जाति के अधिकारियों व कर्मचारियों को भीमराव के अंदर छिपा महान इंसान उतना नजर नहीं आता था जितना यह सत्य नजर आता था कि वे महार जाति के हैं और उनके छूने से वे अपवित्र हो

जाएंगे

सैन्य सचिव के कार्यालय का चपरासी तक उन्हें छोटी जाति के कारण अपन से नीचा समझता था। वे सैन्य सचिव की कुर्सी पर बैठकर जब कोई फाइल मगवाते तो चपरासी दूर से ही उनकी मेज पर फैंक कर चला जाता था। जब वह फाइल रखने के लिए वापस लेने आता तब भीमराव से उसी तरह दूर से ही फाइल लेता था।

चपरासी के जाने के बाद वे अपना सिर दोनों हाथों में धाम लेते और दूर अमेरिका में उनका मन जा पहुँचता। वे सोचते अमेरिका ने कितनी तरक्की की है। वहाँ के लोग जाति-पाति के भेद-भाव से बहुत ऊपर केवल काम करते हैं और खुब तरक्की करते हैं। जाति के कारण आदमी के हाथों आदमी का अपमान कितनी बड़ी घुराई है। इतना महान अतीत, इतनी सुन्दर सस्कृति और यह जातीय घृणा। हमारे देश के लोगों को आखिर हो क्या गया है ? एक ओर तो हम मानवता की बातें करते हैं, मानव मूल्यों की बातें करते हैं, सारी दुनिया को एक महान जीवन शैली देने की बातें करते हैं, दूसरी ओर अपने ही भाइयों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार करते हैं कि उनसे दू जाएँ तो अपने आपको अपवित्र मानने लगते हैं। कितना बड़ा डोंग, कितना बड़ा छलावा। अब समझ में आता है, हमने तरक्की क्यों नहीं की। अब समय में आता है, हम गुलाम क्यों हैं ? यह जातीय घृणा लोगों के दिलों से नहीं निकाली गई तो यह देश नष्ट हो जाएगा। जो कौमें अपने ही एक भाग को पराया समझने लग जाती है, वे बच नहीं पातीं।

एक दिन उन्होंने चपरासी से पानी लाने को कहा। परन्तु चपरासी ने पानी देने में साफ इनकार कर दिया। बड़ी जाति का चपरासी छोटी जाति के सैन्य सचिव जैसे ऊँचे अधिकारी को भला पानी कैसे पिला सकता था। उसका सारा जातीय दर्ष टुकड़े-टुकड़े हो जाता, वह धर्म-भ्रष्ट हो जाता।

भीमराव जानते थे कि चपरासी ऊँची जाति में जन्मा है। इसलिए वह उच्च शिक्षा प्राप्त और उच्च पद प्राप्त अम्बेडकर की तुलना में बहुत बड़ा है, उसे किसी भी तर्क से झुकाया नहीं जा सकता।

उन्होंने अधिक तर्क नहीं किया। कार्यालय में पानी के घड़े थे, परन्तु क्योंकि वे अछूत थे, अतः घड़े से स्वयं पानी लेने का उन्हें अधिकार न था। अतः कोई चारा न देख वे कुर्सी से उठे और बाहर चले गए।

उनके बाहर जाते ही कार्यालय के सब कर्मचारी इकट्ठे हो गए। वे चपरासी को शाबाशी देने लगे। इनने बड़े अधिकारी का आदेश न मानकर उसने अपना जातीय स्वाभिमान बचा लिया था। सभी बड़ी जाति वालों के लिए यह गौरव की बात थी।

फिर सब राजा साहब की आलोचना करने लगे। विद्वान हैं तो क्या हुआ, है

तो महार जाति का उसका छुआ कोड खा नहीं सकता उसकी सेवा करे तो धर्म जाता है यह ता सरासर गलत है . नीची जाति के आदमी को ऊँचे पद पर नहीं होना चाहिए।

अम्बेडकार कहीं से पानी पीकर अपने कार्यालय में लौटे तो कर्मचारी भागे। परन्तु उनके चेहरों पर लिखे संदेश का अम्बेडकार ने पढ़ लिया और फैसला कर लिया कि इस प्रकार रियासत की सेवा न हो सकेगी।

अपमान के इस घूंट को वे पी गए। परन्तु एक और समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई। वे अपने परिवार को वडौदा लाना चाहते थे। परन्तु अछूत होने के कारण कोई उन्हें मकान किराए पर देने को तैयार न था। जब उन्हें कहीं जगह न मिली तो उन्होंने एक पारसी सराय में कमरा किराए पर ले लिया।

अभी कुछ ही दिन हुए थे इस कमरे में आए कि लोगों को उनकी जाति का पता लग गया। बस सारे मुहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें पीटने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि में यह सबसे बड़ा अपराध था कि एक अछूत उनकी सराय में उनके बीच आकर रहने लगे और उनका धर्म ध्रष्ट कर दे।

बहुत कहा सुनी हुई। भीमराव ने हाथ जोड़कर सब लोगों से माफी मांगी और वचन दिया कि वे तुरन्त कमरा खाली कर देंगे और इस सराय में कभी दिखाई नहीं देंगे।

परन्तु जो अपमान हुआ था, उससे वे अन्दर तक दहल गए। उन्होंने राजा साहब को एक पत्र लिखा। राजा साहब ने उनकी व्यथा को समझा और दीवान से कहा कि अम्बेडकार के रहने का इंतजाम करें। दीवान ने अकेले में अम्बेडकार को समझाया, “बाबू, तुम अमरीका में और लंदन में पढ़े हो यह तो ठीक है, पर इस समाज को मैं क्या करूँ > तुम से राजा साहब को बहुत हमदर्दी है, मुझे भी कम नहीं है, पर क्या करूँ, ये लोग सुधरने वाले नहीं। बाबू यह मामूली बात नहीं है, छुआछूत का मामला है। मैंने तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम किया तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हम हर चीज से निबट सकते हैं, पर छुआछूत से नहीं।”

दीवान की बात सुनकर अम्बेडकार सन्न रह गए; फिर बोले—“तो फिर मैं क्या करूँ। मैं तो प्रतिज्ञा-पत्र से बंधा हूँ, नहीं तो इस्तीफा देकर चला जाता।”

दीवान धीरे से बोला, “प्रतिज्ञा-पत्र की बात भूल जाओ बाबू, मैं महाराज को सब समझा दूँगा।”

भीमराव समझ गए, दीवान को इस्तीफे से ऐतराज नहीं है, बल्कि वह तो यही चाहता है कि किसी तरह पीछा छूटे।

उन्होंने तुरन्त त्याग-पत्र लिखा और दीवान को पकड़ा दिया।

महाराज से मिले बिना ही वे सीधे रेलवे स्टेशन चले गए और वहाँ से रेलगाड़ी

पकड़ कर बम्बई जा पहुँचे

प्रोफेसर अम्बेडकर : घड़ा छूने पर हगामा

बम्बई आते ही वे अपने ईसाई मित्र कैलुस्कर से मिले। उसने सीडेनहॉम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकोनॉमिक्स, मुंबई में अर्जी देने को कहा। कॉलेज में राजनैतिक अर्थशास्त्र (Political Economy) के प्रोफेसर की जगह खाली थी। अम्बेडकर को कॉलेज में नौकरी मिल गई। नवम्बर 1918 में उन्होंने इस कॉलेज में राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया।

उनके पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि देखते ही देखते वे छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। ज्यों ही उनके साथियों को पता लगा कि वे लंदन और अमेरिका में पढ़ कर आए हैं तो उनका आदर और बढ़ गया। छात्रों के बीच उनकी बड़ी तारीफें होने लगीं। परन्तु लोकप्रियता के साथ-साथ अछूत जाति में पैदा होने का अभिशाप भी बराबर उनका पीछा कर रहा था।

कॉलेज में पानी पीने के लिए मिट्टी के बड़े-बड़े घड़े रखे गए थे। सब लोग अपने हाथ से घड़ों से गिलासों में पानी लेकर पिया करते थे। एक दिन अम्बेडकर जब कक्षा से पढ़ाकर निकले तो प्यास से उनका गला सूख रहा था। वे एक क्षण को यह भूल गए कि घड़े से पानी लेने का हक दूसरों की तरह उन्हें प्राप्त नहीं है। वे झट घड़े के पास पहुँचे और एक गिलास में पानी डालकर पीने लगे।

उसी समय वहाँ से एक गुजराती प्रोफेसर गुजरे। उनकी निगाह अम्बेडकर पर पड़ गई। उन्हें ध्यान आया अम्बेडकर तो अछूत हैं, इन्होंने घड़े से पानी ले लिया, इन्होंने घड़ा छू लिया। यह तो अनर्थ हो गया। अछूत चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, पर घड़ा तो नहीं छू सकता।

वे डॉ० अम्बेडकर की ओर झपटे और गुस्से से बोले, “यह आपने क्या किया? क्या आप भूल गए कि आप अछूत हैं? आपने घड़ा अपवित्र कर दिया, अब इसका पानी कोई नहीं पी सकता।”

डॉ० अम्बेडकर के हाथ से गिलास गिर गया। वे थोड़ा सा पानी पी पाए थे, बाकी नीचे बिखर गया। हैरान थे—इतने बड़े कॉलेज के इतने विद्वान प्रोफेसर और इतने छोटे ख्यालात !

तभी शोर सुन कर अनेक अध्यापक उस ओर दौड़ पड़े। प्रिंसिपल महोदय भी आ गए। अनेक छात्र भी पीछे आ खड़े हुए। मजमा लग गया।

डॉ० अम्बेडकर ठगे से उन तमाम चेहरों को देख रहे थे जो उन्हें इस महापाप के लिए घूर रहे थे।

यशायक अम्बेडकर बोले, “प्रिंसिपल महोदय ! आप ही इन लोगों को

समझाए मेरा ख्याल है ये सब बहुत पढ़े लिखे और विद्वान प्रोफेसर है मेरे छूने से घड़ा अपवित्र नहीं हुआ है। यह विल्कुल वैसा ही स्वच्छ और पवित्र है जैसा मेरे छूने से पहले था, विश्वास रखिए मेरे हाथ विल्कुल साफ है।”

“इतने भोले मत बनो प्रोफेसर अम्बेडकर” प्रिसिपल ने उन्हें झिडका। “माना आप विलायत में पढ़े हैं, परन्तु आपके बाप-दादा तो इस देश की अछूत जाति के ही थे। क्या आप नहीं जानते ?” डॉ० अम्बेडकर की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उन्होंने कुछ कहने के लिए ज्यो ही मुँह खोलना चाहा, प्रिसिपल ने चपरासी को आदेश दिया “यह घड़ा उठाओ और इसे फोड़ दो।”

चपरासी ने तुरन्त आज्ञा का पालन किया।

अगले ही क्षण वह घड़ा उठाकर जमीन पर पटक दिया गया और उसके पानी की छीटें अम्बेडकर के कपड़ों पर आ गईं।

अम्बेडकर बहुत देर तक उस टूटे हुए घड़े को खड़े-खड़े देखते रहे। दुख और उदासी की अनेक रेखाएँ उनके चेहरे पर खिंचीं और फिर विलीन हो गईं।

फिर वे मुस्कराए। मानो कह रहे हों, “यह सब कोई नई बात नहीं है अम्बेडकर, यह तो वह अपमान-गाथा है जो हर अछूत के जीवन का अभिन्न अंग है। पढ़-लिख जाने मात्र से समाज तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने वाला नहीं। इसके लिए लम्बी लड़ाई लड़नी होगी। लम्बी और लगातार लड़ाई, बिना धैर्य खोए, बिना क्रोध किए इस त्रासदी का मुकाबला करो और चाहे कुछ भी करना पड़े, अछूतों के जीवन से इस महाकलक को धो डालो। मत भूलो कि तुम्हारी माँ को छोटी सी बीमारी के कारण इसलिए मरना पड़ा कि कोई अच्छा वैद्य अछूत के घर में आने को तैयार नहीं हुआ। पिता जब बीमार हुए तो ऊँची जाति के अफसर ने इसीलिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया कि तुम अछूत हो, और नौकरी से इस्तीफा देकर ही तुमने पिता का इलाज कराने का अधिकार प्राप्त किया। पग-पग पर संघर्ष करना है। बहुत कुछ खोना पड़ेगा, अपने आपको तिल-तिल कर मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मंजिल हाथ आएगी।”

उनका सीधा हाथ पैर पर पहुँच गया था। अन्दर के स्वाभिमान ने कहा था, इस्तीफा दो और चलो यहाँ से। परन्तु डॉ० अम्बेडकर ने पैर पर से अपना हाथ हटा लिया। संकल्प के साथ हुकार भरी, “नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं मुकाबला करूँगा। देखूँगा—यह समाज मुझे कितना सताता है।”

इस घटना के बाद कॉलेज में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो। डॉ० अम्बेडकर के साथ धुल-मिलकर बातें करने वाले छात्र अपने आप में सिमटे हुए से कटे-कटे रहने लगे। अध्यापक भी डॉ० अम्बेडकर से बात नहीं करते थे। वे सब खाली समय में अलग समूह में बैठकर ठहाके लगाते

और अम्बेडकर अकेले बैठ कर कुछ पढ़ते रहते, कुछ सोचते रहते।

कुछ दिन बाद थोड़ा बदलाव आया। आपसी बातचीत का सिलसिला बढ़ा, छात्र भी करीब आने लगे। अम्बेडकर ने फैसला कर लिया था कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे।

इस प्रकार उन्होंने डेढ़ वर्ष इस कॉलेज में गुजारे। इस बीच 31 जनवरी 1920 को उन्होंने 'मूकनायक' नामक एक मराठी अखबार का प्रकाशन शुरू किया। इसका उद्देश्य पिछड़ों की लड़ाई लड़ना था। इसमें अम्बेडकर ऐसे लेख लिखा करते थे जिनमें जातिवाद और छुआछूत की कठोर आलोचना की जाती थी।

मार्च 1920 को कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और नवल भटेना तथा महाराज गायकवाड़ के सहयोग से अपने शोध पर अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए।

सितम्बर 1920 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में दाखिला ले लिया और अध्ययन कार्य में जुट गए। वे 18 घंटे अध्ययन और लेखन के काम में लगे रहते थे।

डॉ० अम्बेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से एम. एस्. सी (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त की) और रुपये की समझौता पर थीसिस लिखी। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की।

वे तीन वर्ष तक लंदन में रहे। इस पूरी अवधि में उन्हें महाराजा गायकवाड़ ने आर्थिक मदद दी। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे यशवन्त की बहुत याद आती थी। अपने प्रिय मित्र कैलुस्कर तथा नवल भटेना की भी उन्हें बहुत याद आती थी। वे इन सब लोगों को पत्र लिखकर अपनी सफलता के समाचार देते रहते थे।

फिर अप्रैल 1923 को महाराज गायकवाड़ और अपने मित्र नवल भटेना को उन्होंने लिखा कि अब उनका अध्ययन का काम पूरा हो चुका है। अब वे भारत वापस आना चाहते हैं। भारत में रहकर वे वकालत करेंगे और अछूतों तथा दलितों के हितों के लिए संघर्ष करेंगे।

उनके पत्र से उनके मित्रों तथा परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई।

अप्रैल के महीने में जब अम्बेडकर जहाज से भारत पहुँचे तो मुंबई के बन्दरगाह पर पहुँचकर उनके मित्रों ने उनका भव्य स्वागत किया।

वकालत शुरू : पहले मुकदमे में ही अछूतों को न्याय दिलाया

भारत पहुँचने के बाद अम्बेडकर ने एक वर्ष तक सारी स्थिति को ठीक से समझा, वकालत के लिए अनुमति प्राप्त की तथा दलित उद्धार के लिए रचनात्मक आंदोलन की रूप रेखा तैयार की।

जून 1924 में उन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया।

अब तक भीमराव अम्बेडकर अछूतों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले नेता के रूप में थोड़े-थोड़े चर्चित होने लगे थे।

उनके पास पहला मुकदमा तीन अछूत लेकर आये। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी थी जिसमें अछूत प्रथा के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराया गया था। पुस्तक प्रकाशित होते ही ब्राह्मण भड़क उठे। उन्होंने इन तीनों पर मानहानि का दावा ठोक दिया।

सेशन जज की अदालत में जब इस मुकदमे पर अम्बेडकर ने बचाव पक्ष के वकील के रूप में बहस की तो उसे मुनने के लिए अदालत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

सामाजिक न्याय दिलाने के लिए समर्पित डॉ० अम्बेडकर रात-रात भर कानून की किताबें पढ़ते और जब बोलते तो विपक्षी वकीलों की बोलती बंद हो जाती। जज इनके तर्कों से हैरान रह जाता।

उन्होंने साबित कर दिया कि किताब में दलितों के साथ ब्राह्मणों के अत्याचारों की जो दर्द भरी कहानी लिखी गई है वह समाज का जीता जागता सच है। इसे पुस्तक के रूप में देश व समाज के सामने लाकर तीनों अछूत लेखकों ने कोई अपराध नहीं किया है। अपराधी तो वे ब्राह्मण हैं जिन्होंने छुआछूत और जातिवाद का विष फैला कर समाज को गुमराह किया है।

तीनों अछूत मुकदमा जीत गए। इस मुकदमे ने अम्बेडकर को दलितों के मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। दलित समाज ने उन्हें हाथों-हाथ उठा लिया।

विशाल महार सम्मेलन

अब डॉ० अम्बेडकर ने फैसला कर लिया कि वे सामाजिक न्याय के लिए खुला संघर्ष करेंगे। वैचारिक आंदोलन की भूमिका वे बहुत पहले बना चुके थे। मुकदमा जीतने के बाद पिछड़ों की भीड़ अपने चारों ओर उमड़ते देख डॉ० अम्बेडकर समझ गए कि जिस मौके का उन्हें इनजार था, वह यही है।

19-20 मार्च 1926 को उन्होंने बम्बई के निकट जिला कुलावा में एक विशाल महार सम्मेलन का आयोजन किया।

उनके इशारे पर महार तथा अन्य पिछड़ी जातियों के सैकड़ों युवक व्यवस्था में जुट गए। पूरे महाराष्ट्र व गुजरात क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए, प्रचार किया गया।

सम्मेलन में एक लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए। “डॉ० अम्बेडकर जिंदाबाद” के नारों से विशाल पंडाल गूज रहा था। देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन केवल दलितों के चंदे से हुआ था।

अम्बेडकर जब मंच पर आए तो तालियों की गडगडाहट और नारों से पडाल गूज उठा। अम्बेडकर ने कहा, “अब समय आ गया है। कि जिन्हें समाज अछूत कहता है, जिनका बात-बात पर अपमान करता है, वे सब एक हो जाएं। तुम किसी से डरते क्यों हो, क्यों दबते हो ? तुम तो देश और समाज के आधार हो, तुम्हारी मेहनत से उगाए गए अन्न से सबका पेट भरता है।

मैं कहता हूँ दबना छोड़ो। अपने स्वाभिमान को इकट्ठा करो और उठकर खड़े हो जाओ, एक जुट हो जाओ। तुम सबसे बड़ी ताकत हो। परन्तु हाँ, एक बात याद रखो—कोई भी गलत काम न करो। मेहनत की खाओ। मुर्दा पशुओं का मास खाना बंद कर दो। काम कोई बुरा नहीं होता, परन्तु बुरी आदतों को अपने अन्दर नहीं आने देना चाहिए। दृढ़ इरादा कर लो, हमें अपने आप को बदलना है। और अपने प्रति समाज का रवैया बदलना है। जो बात मुँह से निकालो वह ठोस होनी चाहिए। उसमें वजन होना चाहिए। जब अपनी बात कहो तो आवाज में दम होना चाहिए। दबी जुबान में बोलना त्यागो। तुम्हारे साथ यदि गलत होता है, अन्याय होता है तो ऊँची आवाज में उसका विरोध करो।”

अम्बेडकर के विचार युवा वर्ग में गहराई से उतर गए। बूढ़े और कमजोर लोग तो थोड़ा डरे। उन्हें लगा कि यह अम्बेडकर हमें मरवाएगा। बड़ी जाति वालों से टकराएंगे, तो वे हमें और हमारे बच्चों को चैन से जीने नहीं देंगे। परन्तु युवा वर्ग में उत्साह की लहर दौड़ गई। युवाओं ने घोषणा की, “आज से अम्बेडकर का वाक्य हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। हम अम्बेडकर के पीछे एक जुट होकर खड़े होंगे। और सामाजिक न्याय लेकर रहेंगे।”

इसी सम्मेलन में डॉ० अम्बेडकर ने सरकार से माँग की कि वह अछूतों और पिछड़ों को सेना में भर्ती करे। उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि वे अछूतों को इतना समझे और छुआछूत बंद करें।

अगले दिन जनसमूह के साथ डॉ० अम्बेडकर चौदार तालाब पहुँचे। उस तालाब के पानी को छूने का अछूतों को अधिकार न था। अम्बेडकर ने नारा लगाया, “तालाब पर हमारा भी उतना ही हक है जितना दूसरों का” और उन्होंने दोनों हाथों की अजलि बनाकर तालाब से पानी लेकर पी लिया। उन्होंने कहा, “अधिकार भीख में नहीं मिल सकते, उन्हें जागे बढ़कर हासिल किया जाता है।”

महारों का मनोबल बढ़ गया। तालाब से पानी पीने के बाद जुलूस की शक्ति से अम्बेडकर आगे बढ़े और वीरेश्वर मन्दिर में प्रवेश किया। उनके साथ सैकड़ों दलितों ने मन्दिर में प्रवेश किया और पूजा की।

इस सबसे ऊँची जाति के लोग चिढ़ गए। उन्हें लगा कि अछूत सीमा पार कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए।

ज्यो ही जुलूम पंडाल मे पहुँचा भालों और लाठियो से उन्होंने दलितो पर हमला कर दिया। ब्राह्मणो के इशारे पर किए गए इस हमले मे बहुत लोग घायल हुए। वे निहत्थे थे। कुछ लोग बुरी तरह सहम गए।

परन्तु अम्बेडकर और उनके उत्साही साथी अड गए। अम्बेडकर ने घोषणा की, “कल हम चौदार तालाब पर कब्जा करेंगे, देखे पानी पीने के अधिकार से हमे कौन रोकता है ?”

अगले दिन ऊँची जाति के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। पुलिस का भी सहारा लिया, परन्तु दलितो मे इतना जोश था कि किसी के रोके न रुके। आगे बढ़ते ही गए और उन्होंने तालाब पर कब्जा कर लिया।

जॉन साइमन से मुलाकात

उन्हीं दिनों साइमन कमीशन हिन्दुस्तान आया हुआ था। अम्बेडकर ने एक स्मरण पत्र तैयार किया और अपने साथ दलितों का एक जत्था लेकर कमीशन के नेता जॉन साइमन से मिले। उन्होंने दलितो की दर्द भरी कहानी जॉन साइमन को सुनाई तो वे हैरान रह गए।

जॉन साइमन ने अम्बेडकर से वादा किया कि वे दलितों को पूरा न्याय दिलाएंगे। छुआछूत खत्म की जाएगी, अछूतो व दलितों के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल मे शामिल किया जाएगा।

गोलमेज सभा, लंदन में जॉर्ज पंचम से भेंट

अम्बेडकर ने अपने निजी प्रयासो से दोनों गोल मेज सम्मेलनों मे भाग लिया। पहले सम्मेलन में उन्होंने दलितो की ओर ब्रिटेन के सम्राट का ध्यान खींचा और दूसरे सम्मेलन में उन्होंने दलितो की ओर से माग-पत्र पेश किया।

माग-पत्र मे उन्होंने दलितो के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा जनसंख्या के अनुसार प्रातो की विधान सभाओं तथा केन्द्र सरकार में प्रतिनिधित्व की माग की थी।

गांधी जी से समझौता

इन मागो से गांधी जी घबरा गए। इन मांगों का अर्थ था दलितों के लिए देश का बँटवारा।

महात्मा गांधी इसके विरोध मे आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरे देश मे तहलका मच गया। कांग्रेसी नेता जवाहर लाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी आदि सबने अम्बेडकर को मनाने की बहुत कोशिश की। वे चाहते थे कि अम्बेडकर गांधी जी से मिले और उनका अनशन तुड़वाएँ। गांधी जी के साथ समझौता करे।

परन्तु अम्बेडकर इसके लिए तैयार न थे। वे जानते थे कि गांधी जी की बात उन्हें माननी पड़ जाएगी और फिर दलितों को उनके अधिकार अलग से नहीं मिल पाएंगे।

जब गांधी जी की हालत बहुत खराब हो गई तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी अम्बेडकर के पास गईं। उन्होंने अम्बेडकर को समझाया कि वे गांधी जी से मिलकर बात करें और उनकी जान बचाएं।

अब अम्बेडकर समझ गए कि गांधी जी से मिलना ही पड़ेगा। उनके दिल में गांधी जी के प्रति बहुत प्यार था। परन्तु दलितों को न्याय दिलाने के लिए वे कृत संकल्प थे।

उन्होंने 10 सूत्री मांग-पत्र तैयार किया और गांधी जी के सामने रख दिया। इस मांग-पत्र में वे सभी शर्तें शामिल की गई थीं जिन्हें मान लेने से दलित समाज देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकता था और उसकी अगली पीढ़ियों सिर उठाकर चल सकती थीं।

गांधी जी ने ये मांगें मान लीं और दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया। अम्बेडकर दलितों के उद्धार में जुटे थे और देश में स्वाधीनता का आंदोलन जोरों पर था। अम्बेडकर को बहुत काम करना पड़ता था। वे घर-परिवार के लिए तनिक भी समय नहीं निकाल पाते थे।

मई 1935 को उनकी पत्नी रमावाई की मृत्यु हो गई। वे बीमार थीं। समाज के काम में जुटे होने के कारण वे पत्नी के इलाज के लिए अधिक दौड़-भाग नहीं कर सके।

पत्नी की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वे अपने आपको उनकी मौत के लिए जिम्मेदार मान कर बहुत दुखी रहने लगे।

भारत की आजादी और संविधान

पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक डॉ० अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया। परन्तु पूरा दलित समाज उनके पीछे था और स्वाधीनता का आंदोलन जोरों पर था। उनके कंधों पर दो-दो जिम्मेदारियाँ थीं, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जैसे महान नेता का साथ देना तथा दलितों व पिछड़ों को उनके अभिशाप से मुक्त कराना, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना।

1935 से 1947 तक का 12 वर्ष का समय अम्बेडकर के लिए विविध संघर्षों और चुनौतियों से भरा था।

इस बीच कभी वे दलितों के सगठनों का नेतृत्व करते, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए भाषण देते। लेख-लिखते, किताब लिखते। कभी देश-विदेश

में आयोजित सभाओं में अपने विचार रखते। गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की योजना पर काम करते और उन्हें बार-बार याद दिलाते कि दलितों के साथ न्याय अवश्य होना चाहिए।

इधर उच्च समाज की, ब्राह्मण धर्म की चोटें उन्हें लगातार सहन करनी पड़ रही थीं। रात-दिन व्यस्त रहना का स्वाम्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा था।

फिर भी वे थके नहीं। उन्होंने दलितों को संगठित करने के लिए बड़े काम किए। उनके पीछे लाखों शक्तिशाली लोगों की टोली बन गई। एक के बाद एक काम होते गए। समस्या आती गई, समाधान होते रहे।

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। इसके साथ ही देश दो भागों में बँट गया—हिन्दुस्तान और पाकिस्तान।

देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। लाखों की संख्या में हिन्दू और मुसलमानों की जानें गईं। करोड़ों बेघरवार हुए।

भारत में संविधान निर्माण के लिए सभा का गठन हुआ। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया।

बहुत मेहनत से रात-दिन लगकर उन्होंने संविधान समिति के सहयोग से भारत के लिए श्रेष्ठ संविधान का निर्माण कर लिया।

26 जनवरी 1950 को उन्होंने यह संविधान भारत सरकार को सौंप दिया। इसी दिन संविधान लागू हुआ।

शारदा कबीर से मुलाकात : दूसरा विवाह

दलितों के लिए न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते-करते तथा भारत के संविधान निर्माण में रात-दिन जुटे रहने के कारण अम्बेडकर थक गए और बुरी तरह बीमार पड़ गए। उन्हें मधुमेह के रोग ने जकड़ लिया।

पुत्र यशवन्त राव ने उन्हें इलाज के लिए बम्बई के मायतकर अस्पताल में दाखिल करा दिया।

वहाँ उनकी मुलाकात लेडी डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। शारदा जी अम्बेडकर के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने उन से शादी का प्रस्ताव रख दिया। शारदा जी जाति से ब्राह्मण थीं। अम्बेडकर शारदा जी की सेवा से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने हाँ कर दी और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद शारदा जी सविता अम्बेडकर बन गईं।

हिन्दू कोड बिल : मंत्रिमण्डल से इस्तीफा

सविता जी की सेवा और स्नेह-वर्षा से डॉ० अम्बेडकर शीघ्र ही ठीक हो गए। वे उस समय नेहरू जी की सरकार में कानून मंत्री थे।

स्वस्थ होते ही वे 'हिन्दू कोड बिल' नामक प्रस्ताव पर काम करने में जुट गए। प्रस्ताव तैयार होते ही उन्होंने उस संसद में पेश कर दिया।

इस बिल की बड़ी आलोचना हुई। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल आदि सभी वरिष्ठ नेता इस बिल का विरोध करने लगे। नेहरू जी इसके समर्थन में थे, परन्तु अकेले वे कुछ न कर सके।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने यहाँ तक धमकी दे दी कि "यदि नेहरू सरकार ने यह बिल पास किया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा।"

डॉ० अम्बेडकर ने इसे अपना सरासर अपमान माना। बड़ी सोच समझ कर एक दिन वे उठे और उन्होंने प्रधान मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

बौद्ध धर्म की दीक्षा ली

अब अम्बेडकर का मन राजनीति से भर चुका था। वे इतने उखड़ गए कि सविता जी का स्नेह भी उन्हें न बांध सका।

सविधान के अनुसार दलित व पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिल गया था। संसद तथा विधान सभाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व मिल गया था। निशुल्क शिक्षा और नियुक्तियों में आरक्षण की बात मान ली गई थी। फिर भी व्यवहार में पिछड़ों का अपमान करने की परंपरा जारी थी। ब्राह्मण आधारित हिन्दू धर्म के ठेकेदार व्यवहार में पिछड़ों को बराबर का दर्जा देने को तैयार न थे।

अम्बेडकर ने एक दिन एक विशाल बौद्ध सम्मेलन बुलाया और उसमें उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की विधिवत दीक्षा ले ली। उनके साथ हजारों दलितों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पूरे देश में दलितों पर उसका भारी प्रभाव पड़ा। बड़ी संध्या में युवकों ने हिन्दू धर्म छोड़ दिया और वे बौद्ध बन गए।

दीक्षा के समय उन्होंने ब्रह्मा, बिष्णु और महेश को ईश्वर न मानने की घोषणा की। राम, कृष्ण आदि अवतारों को ईश्वर न मानने का संकल्प लिया। ब्रह्मणों से कोई रस्म न करवाने और देवी-देवताओं को न मानने की प्रतिज्ञा की।

संसार से वैराग्य : महानिर्वाण की कामना

बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वे बहुत गंभीर रहने लगे। हिन्दू धर्म की विसंगतियों और आडंबरों से उनका जी ऊब गया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हिन्दू धर्म में पैदा हुए यह उनके हाथ में नहीं था, परन्तु अब वे हिन्दू धर्म में मरेगे नहीं। यह उनके हाथ में है और वे ऐसा करके दिखाएंगे। अपनी धारणा के आधार पर उन्होंने हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध बन गए।

अब वे बम्बई स्थिति अपने घर में ही रहने थे। उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर

तथा पुत्र यशवन्त उनका बहुत ख्याल रखते थे ।

परन्तु उनका रोग बढ़ता ही गया। अस्पताल जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। वे कहा करते थे, “अब एक बहुत अच्छी डॉक्टर मेरी जीवन साथी बनकर मेरी सेवा कर रही है तो मैं अस्पताल में पड़कर क्या करूँगा ?”

अब वे विस्तर के बटी हो गए। शरीर कमजोर होता गया और स्वभाव में चिडचिडाहट घर करती गई।

एक दिन उनका मन बम्बई से उछट गया। पत्नी सविता अम्बेडकर तथा पुत्र यशवन्त राव के साथ वे अपने दिल्ली निवास 26, अली पुर रोड आ गए।

सविता जी रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती थीं। बड़े-बड़े नेता, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए आते-जाते रहते थे।

6 दिसम्बर 1956 को प्रातःकाल महामानव अम्बेडकर ने अचानक अपना शरीर त्याग दिया। दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले, भारतीय समाज से अछूत प्रथा को समाप्त कराने वाले महाविद्वान अम्बेडकर की शव यात्रा में इतने लोग शामिल हुए, लगता था जैसे पूरी दिल्ली ही उमड़ आई हो।

के. कामराज

(15 जुलाई, 1903 से 2 अक्टूबर, 1975)

तमिलनाडु में नारियल के व्यापारी कुमारस्वामी और उनकी पत्नी शिवकामी सतान न होने से बहुत दुखी थे। कुमारस्वामी की माता पार्वती अम्मात् अपनी बहू शिवकामी को लेकर देवी कामाक्षी के मन्दिर जाकर पूजा करवाती थी और देवी से अपनी बहू के पुत्रवती होने का वरदान माँगती थी।

कई वर्ष बीत जाने पर भी उनके कोई सतान नहीं हुई। कुमारस्वामी भी नियमित अपनी पत्नी के साथ कामाक्षी देवी की आराधना में जुट गए। कामाक्षी देवी उनकी इष्ट देवी थीं। उन्होंने घर पर ही देवों की प्रतिमा स्थापित कर ली और सुबह-शाम विधिपूर्वक देवी का ध्यान करके उनसे पुत्र-प्राप्ति का वर माँगने लगे।

अनेक वर्ष बाद देवी प्रसन्न हुई और शिवकामी माँ बन गईं। 15 जुलाई, 1903 को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया कामाक्षी। शिवकामी प्यार से अपने बेटे को 'राजा' कहा करती थीं। कुछ दिनों में 'कामाक्षी' नाम बदल कर 'कामराज' हो गया।

कामराज जब दो वर्ष के हुए तो उनकी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नागम्मात्।

कामराज बचपन में बहुत शर्मिले थे। वे बहुत संकीची और मृदुभाषी थे। जब वे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकलते थे तो प्रायः देखते रहते थे। दूसरे बच्चों के साथ धमा-धौंकड़ी और शरारतों में शामिल नहीं होते थे। छोटे से बच्चे को इतना गंभीर देखकर सबको बड़ा अजीब लगा करता था। बचपन की गंभीरता आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई।

पाँच वर्ष की आयु में कामराज स्कूल गए। उनके अध्यापक का नाम वेलायुद्म था। वे बड़े कठोर थे। बच्चों की जमकर पिटाई करना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। उनके पास एक बेत रखा रहता था। छोटी सी गलती पर ही

वे बेत उठा लेते और पिटाई कर डालते थे। कामराज को अनेक बार उस शिक्षक ने बेत पे पीटा। अब कामराज का मन स्कूल जाने को नहीं होता था। रोज-रोज की पिटाई से वे दुखी हो गए थे। एक दिन उन्होंने रो-रोकर अपनी कहानी अपने माता-पिता को सुनाई। बच्चे की दर्दभरी कहानी सुनकर माँ शिवकामी रोने लगी। पिता कुमारस्वामी भडक उठे। कोमल बच्चे के शरीर पर पड़े बेतो के निशान देखकर वे सिहर उठे थे।

वे तुरन्त स्कूल गए और कामराज का नाम कटवा दिया। इसके बाद उन्होंने कामराज को 'नयनार विद्यालय' नामक प्राथमिक पाठशाला में भेज दिया। वहाँ कामराज ने तमिल भाषा के पढ़ने-लिखने का अभ्यास किया।

इसके बाद कामराज को पी डी अरीसी नामक स्कूल में दाखिल कराया गया। यहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। शिक्षा के बदले हर घर से प्रतिदिन एक मुट्टी अनाज स्कूल को दान किया जाता था।

पिता की मृत्यु का आघात

कामराज के पिता कुमारस्वामी व्यापार के काम में व्यस्त थे। वे अपने बेटे और बेटी को बहुत प्यार करते थे। उनका स्वप्न था कि उनके दोनों बच्चों को किसी तरह की कोई कमी न रहे। कामराज को वे पढ़ा-लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। बेटी का विवाह बहुत धूम-धाम से किसी अच्छे घराने में करने के ख्वाब देखा करते थे। कुमारस्वामी नये व्यापार को जमाने में लगे थे कि उनके पिता का देहान्त हो गया। पिता की मौत का सदमा उनके दिल पर ऐसा बैठा कि कुछ माह बाद ही उन्हें छाती में बेचैनी हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया।

पिता की मृत्यु के समय कामराज दसवीं कक्षा में पढ़ते थे। पिता की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया। बुरी तरह विलखते हुए कामराज अपनी रोती हुई माँ से लिपट गए। माँ अपने पति को खो कर तो दुखी थी ही, इस बात से वह और भी अधिक संतप्त थी कि उसके बच्चे अनाथ हो गए।

तब कामराज की दादी ने बड़ी मुश्किल से सांत्वना देकर उन्हें शांत किया। पिता की मृत्यु से घर में जो वातावरण बना, उससे पहले तो कामराज को बहुत पीडा हुई। वे बार-बार रो पड़ते थे। सभाले नहीं संभल पा रहे थे, परन्तु धीरे-धीरे अधीरता का स्थान गभीरता ने ले लिया। शायद ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें अहसास दिलाया कि अब जीवन इतना असान नहीं है। अब जो चुनौतियाँ वक्त लेकर आया है, उनसे निबटने के लिए धैर्य धारण करना होगा। संघर्ष और मेहनत ही एक मात्र रास्ता है। इस अहसास से कामराज गभीर हो गए।

पिता की चिता के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा की—'मैं आपकी इच्छाओं को

अवश्य पूरा करुगा। मैं जानता हूँ आप मुझे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखा करते थे। मैं वड़ा आदमी बन पाऊँगा या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर हॉ इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मैं मेहनत और लगन से अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करूँगा।”

कामराज ने यह प्रतिज्ञा अपने पिता से की थी, अतः लोगो को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। परन्तु पिता की मृत्यु के बाद जिस लगन और निष्ठा से कामराज ने काम सभाला उससे सब जल्दी ही समझ गए कि पिता की मृत्यु के बाद कामराज में भारी बदलाव आ गया है। पिता की मृत्यु ने जहाँ कामराज को गंभीर बना दिया, वहीं पढ़ाई के प्रति उनके उत्साह में कमी आ गई। कामराज के मन में एक ही बात घूमती रहती थी, वे अपनी माँ और दादी की आँखों के आँसू कैसे पोंछें, अपनी छोटी बहन के मन से पिता के चले जाने का दुख कैसे निकालें। घर में जो मायूसी छा गई है उससे परिवार के सदस्यों को कैसे उबारे।

वे स्कूल जाते तो खोए-खोए रहते। साथी पूछते—“कामराज तुम उदास क्यों रहते हो ? क्या तुम्हें पिता के न रहने का दुख बहुत सता रहा है या कोई और बात है ?”

कामराज केवल मुस्करा देते थे। अपने गंभीर और चुप रहने का राज वे किसी को बताते नहीं थे। अध्यापक कुछ दिन तो उन्हें सहयोग देते रहे। वे जानते थे कि कामराज के पिता की मृत्यु हो गई है, अतः उनका गुमसुम रहना स्वाभाविक है। परन्तु जब अधिक समय बीत गया तो वे समझ गए कि कामराज का अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कामराज जैसे लड़के को तो और अधिक मेहनत से पढ़ना चाहिए। जिस बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी आ जाती है वह अपना बचपन छोड़कर जल्दी बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह पढ़-लिख कर पिता के दायित्व को अपने कंधों पर लेने के लिए अपने आपको तैयार करने लगता है।

उन्होंने कामराज के घर खबर भेजी। कामराज से जब माँ ने पूछा—“बेटा तुम मन लगाकर क्यों नहीं पढ़ते हो ? तुम्हारे अध्यापक तुम्हारी शिकायत करते हैं”, तो कामराज ने कहा—“माँ, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। मैं बहुत चाहता हूँ कि पढ़ाई कर लूँ। पहले की तरह कक्षा में दूसरों से आगे निकल जाऊँ परन्तु मैं वैसा कर नहीं पाता। मेरा मन बुझ गया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ ?”

पुत्र की बात सुनकर माँ को लगा कि कामराज अब पढ़ना नहीं चाहता। उन्होंने उसे अपने मामा के साथ व्यापार में हाथ बँटाने की सलाह दी। इस काम के लिये कामराज तैयार हो गए।

उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ने और मामा के साथ व्यापार का काम देखने का

मना बना लिया। कामराज के मामा की विरदुपट्टी में कपड़े की दुकान थी उनका नाम करुपैया नाडार था। वे अपने और अपनी बहन के परिवार में अब एकमात्र पुरुष रह गए थे, जिनके भरोसे दोनों परिवारों का गुजारा होना था और सामाजिक सुरक्षण मिलना था।

कामराज मामा के साथ व्यापार में हाथ बँटाने लगे। वे नियमित दुकान पर बैठते और ग्राहकों के साथ प्यार से व्यवहार करते। भानज को इस प्रकार व्यापार में रुचि लेते देख मामा को बहुत अच्छा लगा। उनके मन में आशा की एक किरण जागी। बहन और उसके बच्चों के भविष्य के प्रति वे थोड़े आश्वस्त लगने लगे।

सबसे बाद में प्रसाद लिया

कामराज बहुत सतोषी और धैर्यवान थे। वे इस बात में विश्वास रखते थे कि पहले दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इसके बाद वे अपना हिस्सा ले। उपनिषद्कालीन मानवीय संस्कृति के संस्कार उनके मन में सहज रूप से मौजूद थे।

विनायक चतुर्दशी के अवसर पर उनके विद्यालय में पूजा-समारोह हुआ। पूजा के बाद प्रसाद वितरण की परंपरा है। हर घर से दो पैसे का चंदा इकट्ठा करके समारोह का आयोजन किया गया था। पूजा के बाद तले हुए चावल को प्रसाद रूप में बाँटा गया। प्रसाद वितरण शुरू होते ही भोज उमड़ पड़ी। कामराज शांति से एक और खड़े रहे। जब सब लोग प्रसाद लेकर चले गए तब वे आगे आए। तब तक प्रसाद खत्म हो चुका था। उन्हें बहुत थोड़े से चावल मिल पाए।

प्रसाद लेकर जब वे घर पहुँचे तो उनकी दादी ने पूछा—“बेटा तुम इतना कम प्रसाद लेकर क्यों आए हो ? सब बच्चे तो दोने भर-भर कर लाए हैं, तुम्हारा दोना खाली क्यों है ?”

कामराज शांति से बोले—“मैं सबसे बाद में प्रसाद लाया हूँ। दूसरे लोग पहले ले आए, इसलिए उनके दोने भरे हुए हैं, मेरी बारी आई तो प्रसाद खत्म हो चुका था।”

“अच्छा तो यह बात है।” दादी जी मुस्काराईं।

“तू बिल्कुल अपने पिता पर गया है। यह भी ऐसे ही किया करता था। पहले दूसरे को ले लेने दो। हमें क्या जल्दी है, बच जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो बिना लिए ही चले आएंगे।”

कामराज समझ गए, दादी जी नाराज हो गई हैं। दादी जी के नाराज होने का ढंग भी निराला था। वे जब नाराज होतीं तो बड़े प्यार से उलाहने दिया करती थीं, कोई तीसरा सुनता तो यही समझता कि वे गुणों का बखान कर रही हैं, परन्तु कामराज दादी जी की आदत को जानते थे। इसलिए जब वे उलाहने देतीं तो चुप

हो जाया करते थे

कामराज के व्यवहार की यह शालीनता समय के साथ विकसित होती गई। जब वे बड़े हुए और राजनीति के माध्यम से देश को नेतृत्व देने के लिए खड़े हुए तो वे अलग ही दिखाई पड़ा करते थे। उनके मानवीय गुण उनकी अलग पहचान कराते थे। सन्तो जैसा स्वभाव, उच्च कोटि की मानवता, दया, करुणा, ममता, सहानुभूति और सहयोग की भावना से भरा उनका व्यक्तित्व उन्हें दिव्य पुरुष की श्रेणी में खड़ा करता था। वे एक ऐसे राष्ट्र-नायक के रूप में देश के सामने आए कि उन पर हर मामले में विश्वास किया जा सकता था, उन्हें कोई भी दायित्व दिया जा सकता था।

राजनीति में प्रवेश

अपने छात्र जीवन में ही कामराज के संवेदनशील मन में देश-भक्ति के अकुरु उग आए थे। देश पर, अंग्रेजी राज्य की काली छाया को तो उन्होंने होश संभालते ही पहचान लिया था। चारों ओर राष्ट्रीय गतिविधियों ने उन्हें प्रेरित किया और उनके मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो गया।

वे महात्मा गांधी के वारे में सुनकर उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। 1921 में कामराज केवल 18 वर्ष के थे। सिर से पिता का साया उठ जाने के कारण मन दुखी रहा करता था और जीवन निस्तार लगने लगा था। पढ़ाई छूट गई थी और वे मामा के साथ काम में हाथ बटाने लगे थे।

पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। यदि पिता की मृत्यु न हुई होती तो शायद उनका मन न उखड़ता। पिता की मृत्यु ने उन्हें कम आयु में ही सोचने पर विवश कर दिया। मन संतापों से भर गया। इसीलिए पढ़ाई जारी नहीं रख पाए।

स्वदेशी आंदोलन उन दिनों जोरो पर था। उत्तर भारत, पंजाब, बंगाल तथा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना जोरों पर थी। छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिए थे। अनेक नवयुवक बंदूकों के सहारे 'खून का बदला खून' के नारे के साथ आतताई अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाने का फैसला लेकर क्रांतिकारी दलों में शामिल हो गए थे।

ऐसे में कामराज का संवेदनशील मन इन गतिविधियों की अनदेखी कैसे कर देता। उनके मन में देशभक्ति की उमंग जाग उठी। उन्होंने कांग्रेस की बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे मामा के साथ व्यापार में हाथ बटाएंगे और साथ ही देश के लिए काम करना शुरू कर देंगे।

1919 में हुई जलियाँवाला बाग की घटना उनके जहन में बैठी हुई थी। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा कर दी थी। अंग्रेजों को भारत पर शासन करने का हक नहीं है, यह बात उनके मन में पक्की हो गई थी।

वे कांग्रेस के स्वयंसेवक बन गए और कांग्रेसी नेताओं के विचार सुनने के लिए कार्यक्रमों में जाने लगे।

कामराज की माँ और मामा जानते थे कि लड़का बहुत समझदार है और धुन का पक्का है। अंग्रेजों के प्रति उसके मन में घृणा का अकुर उत्पन्न हो गया है तो कोई कारण नहीं कि वह अब इसे सहन कर पाएगा। उन्होंने कामराज को रोकने का प्रयास किया। वे जानते थे कि अंग्रेजों से वैर मोल लेना मुसीबत को आमंत्रित करना है। दक्षिण में सत्यमूर्ति नामक कांग्रेसी नेता बहुत लोकप्रिय थे। कामराज सत्यमूर्ति के संपर्क में आए। सत्यमूर्ति के विचार क्रांतिकारी थे। वे देश की युवाशक्ति को जगाकर उसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में लगे थे। कामराज को उन्होंने देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ जाए तो एक दिन पूरे दक्षिण भारत को अपने साथ खड़ा कर सकता है।

कामराज पर सत्यमूर्ति के जादुई व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कांग्रेस को अधिक समय देने लगे। दुकान पर बैठने का जो सिलसिला उन्होंने बनाया था, वह कई बार टूट गया। मामा का माथा ठनका, उन्होंने अपनी बहन शिवकामी को बताया कि कामराज अब व्यापार में कम और कांग्रेस में अधिक रुचि ले रहा है। देश में गांधी जी के पीछे चलने की हवा बह रही है। युवा लड़के स्कूल-कॉलेज छोड़कर गांधी जी के इशारे पर असहयोग आंदोलन में उतरने लगे हैं। कामराज को यदि इसी समय नहीं रोका गया तो यह लड़का बहक जाएगा और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उतर कर आगे निकल जाएगा। इसे पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल दिया जाएगा।

कामराज की माँ यह बात सुनकर काँप उठी। विधवा माँ अपने इकलौते बेटे को इस तरह अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। माँ के मन में यह भी भय था कि अंग्रेजों के हाथ पड़ गया तो वे इसे मार डालेंगे। अतः उन्होंने अपने भाई से ही कोई कदम उठाने को कहा।

भाई ने कदम उठा लिया। कामराज के बड़े मामा त्रिवेद्रम में लकड़ी का व्यापार करते थे। छोटे मामा ने उन्हें त्रिवेद्रम भेज दिया। बड़े मामा ने उन्हें लकड़ी के व्यापार से जोड़ने की पूरी कोशिश की। कामराज ने शुरू में तो उनके साथ काम में विशेष रुचि ली, परन्तु धीरे-धीरे उनके सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बढ़ने लगे। बाहर का ससार वहाँ भी राष्ट्रीय चेतना से सराबोर था। युवाओं में गांधी जी के विचारों के प्रति आदर था और अंग्रेजी राज के प्रति आक्रोश था।

सामाजिक आंदोलन में विजयी

राजनीतिक आंदोलन के साथ-साथ त्रिवेद्रम में सामाजिक चेतना भी उभार पर

थी। त्रिवेन्द्रम के पास वैक्रोम मे उस समय इझवा तथा थीवा जातियों के समर्थन मे आंदोलन उठ खड़ा हुआ। द्रावणकोर के महाराजा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और उसके चारो ओर दूर-दूर तक इन जातियों के लोगों के रास्ते बंद करा दिए। इनका कुसूर यह था कि ये नीची जाति के गरीब और भूमिहीन लोग थे। जो ऊँची जातियों का मैला ढोकर तथा सफाई का काम कर अपना गुजारा करते थे। महाराजा द्रावणकोर को ब्राह्मणो ने सलाह दी कि इन गंदे लोगों की परछाईं पड़ी तो मन्दिर ही अपवित्र हो जाएगा। अतः उन्होने ब्राह्मणों की सलाह मानते हुए इन जातियों के रास्ते बंद करा दिए।

महान्मा गांधी हरिजन उद्धार मे लगे थे। हरिजनों तथा मैला ढोने वाली जातियों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय हो उठी थी। स्थानीय कांग्रेस नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। महाराजा द्रावणकोर के इस अमानवीय फैसले के विरुद्ध जोरदार आंदोलन शुरू हो गया।

कामराज की आयु उस समय 20 वर्ष से कम थी। जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो उनके खून में उबाल आ गया। सदा शांत रहने वाले कामराज भड़क उठे। वे आगे बढ़कर सत्याग्रह आंदोलन मे शामिल हो गए।

महाराज ने आंदोलन का दमन करने के लिए सत्याग्रहियों को पकड़-पकड़ कर जेल में डलवा दिया। कामराज की आयु को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, परन्तु पुलिस के हाथो उन्हें कष्ट सहने पड़े, पर कामराज अटल थे। उन्होंने सत्याग्रह जारी रखा।

एक दिन महाराजा को अपनी भूल का अहसास हो गया। उन्होने सत्याग्रहियों को जेल से मुक्त कर दिया तथा थीवा व इझवा जाति के लोगों के रास्ते खोल दिए। सत्याग्रह समाप्त हो गया। यह कामराज की पहली महत्वपूर्ण जीत थी। इसने कामराज का मनोबल बढ़ा दिया। अब कामराज ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपने कर्तव्य-पथ से कभी हटेंगे नहीं।

देश कुर्बानी चाहता है। देश का समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि वह अपनी शक्ति को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके एक-दूसरे को नीचा दिखकर खुश है। हर आदमी ईर्ष्या, ऊँच-नीच, छुआछूत आदि भावनाओं का गुलाम है। जिस देश के लोग ऐसे कूपमंडूक हे, वह देश कैसे आजाद होगा ? देश की आजादी के लिए लड़ने के साथ-साथ सामाजिक छान्चे को न्याय की जमीन पर खड़ा करने के लिए भारी संघर्ष करना होगा। गरीबी और छोटी जातियों जहाँ धृणा की दृष्टि से देखी जाती हों, मेहनत-मजदूरी को जहाँ हेय समझा जाता हो, मनुष्यों के साथ जहाँ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता हो, वह देश तरक्की कैसे कर सकता है ?

कामराज न देश के लिए अपना पूरा जीवन देने का फैसला कर लिया। विधवा मा के प्रति उनका दायित्व था। पिता को दिए गए वचन को पूरा करने का अहसास था, अतः उन्होंने घर तो नहीं छोड़ा, परन्तु परिवार को सहयोग देते हुए देश की सेवा में लग जाने का उन्होंने सकल्प ले लिया।

सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष

आजादी के लिए लड़ाई जारी थी। महात्मा गांधी का आंदोलन जोरो पर था। देश के लाखों युवक गांधी जी के पद-चिह्नो पर चलकर देश की आजादी के लिए देश के विभिन्न भागों में संघर्ष कर रहे थे। कामराज इम लड़ाई से अब सीधे जुड़ गए। परन्तु उसी समय एक अन्य समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पूरे देश में जातीय घृणा और छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। देश के अनेक आध्यात्मिक गुरु, समाजसेवी और राजनीतिक नेता समाज के इस कोढ़ के विरुद्ध एकजुट थे। कामराज पूरी ताकत से इस अभियान में जुटे। जहाँ-जहाँ दलितों और अछूतों पर सवर्ण जातियों के अत्याचारों की उन्हें खबर मिलती, वे वहीं जा धमकते और अपने अकाट्य नकों से सवर्ण जाति के लोगों को यह बात समझाने का प्रयास करते कि इस देश में कोई भी अछूत और नीच नहीं है। सभी इस धरती की सतान हैं। सब भाई-भाई हैं। आपस के भेद-भावों ने इस देश में विदेशियों और विधर्मियों को आमंत्रित किया। देश बटा, टूटा और गुलाम हुआ। एक हजार वर्ष का इतिहास चीख-चीखकर कह रहा है कि हिन्दू समाज में पनपती ऊँच-नीच की भावना ने देशवासियों को आपस में लड़ाकर नष्ट किया है, बाहर के लोगों को इस देश पर कब्जा जमाने का मौका दिया है। यह अमानवीय सोच खत्म होनी चाहिए। यह घृणा समाप्त होनी चाहिए।

कामराज के विचारों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। अनेक लोग उनसे प्रभावित होकर अपने व्यवहार में बदलाव की शपथ लेते थे और देश व्यापी सामाजिक आंदोलन में उनके हाथ मजबूत करने के लिए आगे आते थे।

इसके साथ ही मद्यनिषेध, खादी के प्रचार, साम्प्रदायिक एकता अभियान आदि मुद्दों को उन्होंने अपने कार्यक्रमों में शामिल किया।

नमक सत्याग्रह में जेल गए

1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। पिछले 10 वर्षों से असहयोग आंदोलन जारी था। कुछ कारणों से वह बीच-बीच में स्थगित अवश्य हुआ था, परन्तु देश में राजनीतिक चेतना लगातार फैलती जा रही थी। अंग्रेज सरकार को एक और झटका देने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने हुकूमत के

बनाए कानूनों का विरोध करने का फैसला कर दिया।

साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च कर लोगों में चेतना जगाने तथा दांडी पहुँचकर अपने हाथ से नमक बनाने का काम कर नमक कानून तोड़ने का उन्होंने फैसला ले लिया। कामराज इस बात से बहुत दुखी थे कि पिछड़ी जातियों के लोग एक ओर तो शोषण के शिकार हैं, गरीबी से अभिशप्त हैं और दूसरी ओर नशीले पदार्थों का सेवन करके वे अपने स्वास्थ्य को और परिवार की आर्थिक दशा को चौपट किए जा रहे हैं। वह कौम भला कैसे तरक्की कर सकती है जो हीनता की भावना का शिकार होकर आत्मघाती प्रवृत्तियों की ओर लुढ़कती जा रही हो।

इस सत्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जातीय घृणा के विरुद्ध अभियान छेड़ने के साथ-साथ नशाबंदी को अपना प्रमुख निशाना बनाया। कांग्रेस के नशाबंदी आंदोलन में कामराज अपनी आयु से बड़े नेताओं से भी आगे नजर आते थे। नशा विरोधी अभियान, जातिवाद व सुआखूत के विरुद्ध लड़ाई के प्रति अंग्रेजों के दिलों में भी सद्मानुभूति थी। कामराज इस क्षेत्र में बहुत आगे थे। इससे ब्रिटिश हुकूमत उन पर अधिक हाथ नहीं डालती थी, परन्तु क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कट्टर विरोधी थे, अतः सरकार की हिट लिस्ट में उनका नाम था।

नमक सत्याग्रह में यद्यपि वे गांधी जी के साथ नहीं थे, परन्तु गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने तमिलनाडु में राजा जी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए तिरुचि से तंजावूर तक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। राजा जी और कामराज गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें दो वर्ष की सजा हुई।

जेल में पहुँचने के बाद कामराज के तेवरों में कोई फर्क नहीं आया। वे ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों का सदा विरोध करते रहे।

कामराज की गिरफ्तारी से दादी को आघात

कामराज की दादी श्रीमती पार्वती अम्माल को जब यह पता लगा कि उनका पौत्र नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार हो गया है, तो वे घबरा गईं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वे बिस्तर पर ऐसी पड़ीं कि फिर उठ न सकीं। उन्होंने दौरायस्वामी नाडार को यह काम सौंपा कि किसी प्रकार ब्रिटिश हुकूमत से मिलकर कामराज को जेल से छुड़ाएँ।

दौरायस्वामी जानते थे कि जेल से मुक्ति संभव नहीं है। कामराज राजनीतिक अपराधी हैं। सरकारी कानून के उल्लंघन का उन पर आरोप है। ऐसे में सरकार तब तक उन्हें रिहा नहीं कर सकती, जब तक सजा की अवधि पूरी नहीं हो जाती। कुछ दिन के लिए पैरोल पर अवश्य छोड़ा जा सकता है, वह भी इस शर्त पर, कामराज लिखकर दे दें कि भविष्य में वे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। दौरायस्वामी

कामराज को अच्छी तरह जानते थे उन्हें बृहद्विश्वात्त था कि किसी भी हालत में वे ऐसा कुछ लिखकर देने वाले नहीं।

यही हुआ। दोरायस्वामी ने मद्रास सरकार से राजाज्ञा प्राप्त कर ली। सरकार 15 दिन के लिए उन्हें पैरोल पर रिहा करने को तैयार थी। जब कामराज को यह पता लगा कि उन्हें पैरोल पर रिहा कराने के लिए परिवारजनों ने प्रयास किया है तो वे धर्मसंघट में पड़ गए—एक तरफ बीमार दादी के जीवन की अंतिम घड़ियाँ और दूसरी ओर राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता।

कामराज ने फैसला ले लिया। वे दादी के प्रति अपनी कमजोरी को जीत लेगे और राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी निभाएँगे। उन्होंने पैरोल पर जाने से इन्कार कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद गांधी-इरविन समझौता हो गया और सभी कैदी रिहा कर दिए गए। कामराज भी रिहा हो गए।

रिहा होने के बाद वे सीधे अपनी दादी के पास पहुँचे। परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोते को देखने की इच्छा आँखों में लिए दादी उस समय जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने कामराज को सही सलामत देखा तो उनकी आँखों में एक चमक उभर आई। पोते का हाथ अपने बूढ़े और कमजोर हाथों में लिए वे बहुत देर तक सहलाती रहीं। उस समय उनकी आँखों से आँसू ढुलक रहे थे।

दादी की ऐसी दशा देखकर कामराज भावुक हो आए। उनकी आँखें ठलक आईं। कामराज बोले—“मुझे क्षमा करना दादी जी। यह मत समझना कि आपका पोता कठोर हो गया है। उसके मन में आपके प्रति प्यार कम हो गया है, इसीलिए पैरोल पर मिलने नहीं आया। आपका पोता अब देश की खातिर अपने आपको दाव पर लगा बैठा है। इस बात पर गर्व करना। मुझे इससे बहुत बल मिलेगा।”

दादी का हाथ आशीर्वाद के लिए उठा। जो चमक उनके चेहरे पर दिखाई दी थी, उसे देखकर लगा कि सचमुच वे अपने पोते पर गर्व का अहसास कर रही थीं।

परन्तु दादी अधिक जीवित नहीं रह सकती थीं। वृद्धावस्था और पोते को जेल के आघात ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। पोते से मुलाकात के बाद भी उनमें पहले वाली शक्ति नहीं लौट सकी और उन्होंने शरीर छोड़ दिया।

पूरा विरुधुनगर कामराज की दादी के अंतिम संस्कार के समय उमड़ पड़ा था। सबके जुबान पर एक ही बात थी। दादी के लाइले कामराज ने देश की खातिर अपनी दादी के जीवन तक की परवाह नहीं की। पैरोल पर आने से इन्कार करके उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिखा दिया कि भारतीय युवा वर्ग अब देश की आजादी के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने का फैसला कर चुका है। कोई भी कमजोरी उसे झुका नहीं सकती।

मैं नेता नहीं, देश का नागरिक हूँ

कामराज जेल से छूटे और अपने क्षेत्र के लोगों से मिले तो लोगों ने उन्हें हाथों-हाथ उठा लिया। लोग उनके विचार जानना चाहते थे। कामराज को भाषण देने की बजाय काम करने में अधिक रुचि थी। वे भाषणबाजी से प्रायः बचा करते थे। परन्तु इस बार लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनके सम्मान में एक सभा आयोजित की गई। मंच से अनेक लोगों ने उनके काम करने के ढंग और जेल-जीवन में उनके शालीन व्यवहार की प्रशंसा की। अंततः उन्हें बोलना ही पड़ा। उन्होंने कहा—

“मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं नेता समझा जाऊँ और जेल से लौटने पर मेरा अभिनन्दन किया जाए। मुझे दिलचस्पी केवल एक बात में है—हम जब-जब इकट्ठे हों तो अपने दिलों में आँके ओर पता लगाएँ हमारे दिलों में अपने उन भाइयों के प्रति कोई घृणा या उपेक्षा का भाव तो नहीं है जो किसी कारण से गरीबी के चंगुल में पड़ गए हैं और जिनकी जाति समाज में छोटी समझी जाती है, जो अछूत और दलित कहे जाते हैं। मेरा मन रो पड़ता है, जब मैं यह देखता हूँ कि कुछ लोग अपने आपको बड़ी जाति का कहकर घमंड से इतरा कर चलते हैं और दूसरे को छोटी जाति का मानकर उसका अपमान करते हैं। हिन्दू धर्म का, भारतीय समाज का इससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं हो सकता कि हम जाति-भेद के कारण एक साथ खड़े न हो सकें और आपस में टकराएँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके बीच, आपके साथ मिलकर देश के लिए काम करूँ, तो आप यह भेद-भाव बंद कर दें। देश की खातिर मैं पूरा जीवन जेलों में बिताने को तैयार हूँ, बड़ी से बड़ी यातना भी झेलने को तैयार हूँ यदि मुझे यह विश्वास हो जाए कि मेरे देश के लोगों ने जातीय घृणा समाप्त कर दी है।”

जैसे ही कामराज का भाषण पूरा हुआ, उनके जय-जयकार से पंडाल गूँज उठा। राजनीतिक मंच पर काम करते हुए भी समाज की चिन्ता कामराज को शोष नेताओं से अलग खड़ा करती थी।

उनका विश्वास था कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी जातीय घृणा है। यह छोटी सी कमी भारतीय समाज को घुन की तरह अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। यदि हम इस कमजोरी पर काबू न पा सके तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा।

गिरफ्तार होते-होते बचे

1931 में महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया। भारत की ओर से अनेक नेता इसमें भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। महात्मा गांधी भी लंदन गए। उस समय भारत का वायसराय लार्ड ट्रिलिंगटन था। वह एक क्रूर शासक था। भारतीय जनता और नेताओं के प्रति उसके दिल में कोई

जगह नहीं थी उसने भारतीय नेताओं खासकर गांधी जी के बारे में जो रिपोर्ट लंदन में पेश की थी, उसके कारण और गांधी जी के अडियल रुख के कारण ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच कोई समझौता न हो सका। गांधी जी को सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से हुआ कि जिन मुद्दों पर सरकार पहले सहमति व्यक्त कर चुकी थी, वे भी टुकरा दिए गए। सरकार अपनी बात से मुकर गई, इसीलिए गांधी जी ने इकतरफा शर्तों पर कोई भी समझौता मानने से इन्कार कर दिया।

जैसे ही महात्मा गांधी भारत लौटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ लगभग सभी प्रमुख नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया।

गांधी जी का निर्देश था कि गिरफ्तारी से यथासंभव बचने का प्रयत्न किया जाए। राष्ट्रीय नेताओं को तो गिरफ्तारी देनी ही थी, परन्तु क्षेत्रीय नेताओं को पुलिस की आंख में धूल झाँकते हुए सक्रिय रहना जरूरी था।

परन्तु वायसराय बहुत कठोर व्यक्ति था। उसने दमन चक्र तेज कर दिया और वह गांधी जी के साथ-साथ उनके सभी अनुयाइयों को जेल में डालकर यह साबित करने का मौका तलाशने लगा कि भारत में वही होता है जो ब्रिटिश हुकूमत चाहती है। वायसराय की खिलाफत का नतीजा है जेल।

कामराज ने यथासंभव ऐसे कामों से बचने की कोशिश की जिससे बहाना तलाश कर सरकार उन्हें गिरफ्तार करे। वे बहुत सावधानी से बोल रहे थे, बहुत सावधानी से बर्ताव कर रहे थे।

परन्तु एक दिन पुलिस दल उन्हें गिरफ्तार करने आ पहुँचा। पूछने पर पुलिस ने बताया, “आप बाहर रहे तो कानून और व्यवस्था खराब करेगे, इसीलिए आपको गिरफ्तार करना जरूरी है।”

रिवाल्वर और बम

सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कामराज को जेल में डाला हुआ था, उसी समय उनके खिलाफ एक और मामला उठा दिया गया। अरुणाचलम नामक एक युवा कार्यकर्ता को पुलिस ने रिवाल्वर सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि अरुणाचलम को रिवाल्वर खरीदने के लिए धन कामराज ने दिया था।

परन्तु इस मामले में पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा सकी। क्रांतिकारी युवक अरुणाचलम की स्वीकृति के बिना पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती थी, उसने अपना मुँह नहीं खोला और पुलिस मनमानी नहीं कर पाई।

परन्तु पुलिस चुप रहने को तैयार नहीं थी। कामराज को किसी न किसी मुकदमे में फँसाकर वह जेल में सड़ा देने पर आमादा थी। पुलिस को एक बहाना

हाथ आ गया। विरुध नगर के डाकघर और श्री विल्लिपुट्टर थाने में कुछ देसी बम बरामद हुए। पुलिस ने कामराज और उनके कांग्रेसी साथियों को बम रखने के लिए जिम्मेदार ठहराकर उन पर मुकदमा चला दिया।

कामराज के प्रिय मित्र मद्रास के प्रसिद्ध बैरिस्टर जार्ज जोसेफ ने कामराज का मुकदमा लड़ा और उन पर लगाए गए आरोपों को बेतुनियाद साबित किया। इस प्रकार कामराज पुलिस की सजिश का शिकार होते-होते बच गए।

सत्ता की लड़ाई से कामराज दुखी

गांधी-इरविन समझौते के बाद गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस 'रिफॉर्म्स एक्ट' के अंतर्गत चुनावों में शामिल हों, जिससे भारत में प्रशासनिक सुधारों का रास्ता खुल सके और भारत के राजनीतिक दलों को सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जा सके। गांधी जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ सहमति-असहमति के बीच आखिरकार कांग्रेस ने इस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी।

1936 में सत्यमूर्ति तमिलानाडु कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। कामराज और सत्यमूर्ति के बीच शिष्य और गुरु का रिश्ता कायम हो चुका था। कामराज सत्यमूर्ति का बहुत आदर करते थे। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा था, अतः वे उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।

चुनाव के बाद सत्यमूर्ति केंद्रीय विधान सभा के लिए प्रत्याशी बनाए गए। कांग्रेस के संगठन का भार कामराज के कंधों पर आ गया। कामराज तमिलानाडु कांग्रेस कमेटी के मंत्री चुन लिए गए।

सत्यमूर्ति को विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना था। चुनाव के लिए तैयारियाँ चल रही थीं कि एक और स्थिति सामने आ गई। आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता टी. प्रकाश सत्यमूर्ति को केंद्रीय विधान सभा में जाने देना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने सत्यमूर्ति के विरोध में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इस स्थिति को टालने के लिए श्री राजगोपालाचारी को सत्यमूर्ति के स्थान पर प्रत्याशी बनाया गया। श्री राजगोपालाचारी की खिलाफत के लिए टी. प्रकाशम मैदान में नहीं आए। एक युवा वकील को प्रत्याशी बनाया गया जो राजाजी से चुनाव हार गया।

प्रांतीय कांग्रेस में सत्तुलन बनाए रखने की दृष्टि से कामराज ने यह सुझाव मान तो लिया था, परन्तु वे समझ गए थे कि सत्ता के लिए गुटबंदी की जो राजनीति शुरू हो गई है, उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे।

कामराज युवा नेता थे, परन्तु राजनीति और समाज पर उनकी पकड़ मजबूत थी। राजनीतिक दांव-पेचों को वे अच्छी तरह समझते थे। राजाजी ने जब अपना

मन्त्रिमंडल बनाया तो उसमें सत्यमूर्ति का कहीं नाम नहीं था। कामराज को इससे बहुत दुख हुआ। राजाजी जैसे देशभक्त नेता से सत्यमूर्ति के प्रति सौतेले व्यवहार की उम्मीद नहीं थी।

तमिलनाडु में सत्यमूर्ति को राजनीति से अलग करने की चाले चली जाने लगी। उनके लिए मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति पद के पद का प्रस्ताव आया। कामराज ने उन्हें रोक दिया। कामराज बोले—“आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आजादी की लड़ाई लड़ते-लड़ते हम स्वार्थी की लड़ाई में लिप्त हो जाएंगे।”

“कुलपति का यह प्रस्ताव आपको मद्रास की राजनीति से अलग करने की एक साजिश है, आप इसे अस्वीकार कर दीजिए।”

सत्यमूर्ति ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कामराज की सलाह मानकर सत्यमूर्ति राजनीति की मुख्यधारा से हटाए जाने की साजिश का शिकार होते-होते बच गए।

कामराज-सत्यमूर्ति संयुक्त अभियान

अब कामराज ने सत्यमूर्ति को सलाह दी कि वे राजनीतिक क्षुद्रता और सामाजिक विषमता के विरुद्ध अभियान छेड़े। देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बड़े-बड़े लोग भी छोटी-छोटी चीजों में उलझ कर देश को कमजोर करने में लग जाते हैं। सत्ता के लिए लालच रखना तो सदा ही एक अपराध है। आज जबकि देश गुलाम है, ऐसे में यह लालच एक इतनी बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा उठाकर शत्रु हम पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है।

सत्यमूर्ति और कामराज ठोस कामों में जुट गए। गुरु और शिष्य ने मूल्यों की राजनीति और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी।

उनके प्रयासों से तमिलनाडु में कांग्रेस संगठन की जड़ें बहुत गहरी हो गईं। कामराज ने सत्यमूर्ति को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सत्यमूर्ति कामराज के अन्दर छिपे कुशल संगठनकर्ता के गुणों को पहचानते थे। उन्होंने कामराज को खुली छूट दे दी। कामराज ने युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने तथा कांग्रेस का सामाजिक बुराईयों के खिलाफ एकजुट करने में बेजोड़ सफलता प्राप्त की।

सत्यमूर्ति का विश्वास था कि संसदीय मार्ग से धीरे-धीरे हम आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। कामराज सत्यमूर्ति के इस विचार से सहमत नहीं थे। परन्तु वे जानते थे कि कांग्रेस के अधिकतर नेता इसी विचार में विश्वास रखते हैं, अतः उन्होंने इस विचार का विरोध नहीं किया, क्योंकि उन परिस्थितियों में वैचारिक विरोध ब्रिटिश हुकूमत को आजादी टालने का एक और बहाना दे सकता था।

अध्यक्ष पद से इन्कार

1940 में विरुध नगर पालिका की परिषद में कांग्रेस का बहुमत था। कामराज उस समय जेल में थे। परिषद के सदस्यों ने उनकी अनुपस्थिति में ही परिषद के अध्यक्ष पद के लए उनके नाम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास हो गया और कामराज परिषद के अध्यक्ष चुन लिए गए।

परन्तु जब वे जेल से रिहा हुए और उनसे परिषद की अध्यक्षता करने को कहा गया तो उन्होंने पद ग्रहण करने से इन्कार करते हुए कहा—“आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ—मैं पद ग्रहण नहीं करूँगा। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूँ कि पद प्राप्त करूँ और सम्मान और प्रशंसा हासिल कर खुशियाँ मनाऊँ। मेरा जीवन तो एक ऐसी यात्रा है, जिसमें कोई विराम नहीं है। मेरी सूची में दो प्रमुख काम हैं, जिनके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने जीवन-काल में ही इन दोनों कामों को पूरा होते देखूँ। पहला काम है देश की आजादी के लिए संघर्ष करना, जेल जाना, सजाएँ भुगतना और जो भी बन पड़े कीमत चुकाना। दूसरा काम है दलितों और पिछड़ों के कष्टों को समाप्त करना। हो सकता है दूसरा काम आजादी लिए बिना पूरा न हो सके परन्तु यह सच है कि आजादी के बाद यह अवश्य पूरा होगा। आजादी के बाद हम एक ऐसा संविधान बनाएँगे कि आने वाली सरकारें जातीय घृणा मिटाने में अपनी पूरी शक्ति लगाएँ और यह अभिशाप हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए कहता हूँ, मैं पद ग्रहण नहीं करूँगा, मेरा जीवन तैयारियों के लिए है, तैयारियों का सुख भोगने के लिए नहीं।”

विरुध नगर के लोग कामराज के विचार सुनकर दंग रह गए। जो कामराज से मन ही मन ईर्ष्या कर रहे थे, वे शर्म से गढ़ गए।

गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह

1941 में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह रोक दिया। 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। महात्मा गांधी इस युद्ध से भारत को अलग रखना चाहते थे। गांधी जी अहिंसावादी थे। भारत विश्व युद्ध में कहीं भी शामिल नहीं था। भारत से किसी को शत्रुता नहीं थी और न ही किसी देश की भारत से, फिर भारत युद्ध में क्यों उतरे ?

परन्तु अंग्रेजों का तर्क था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है, अतः उसका फर्ज है कि ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में उतरे। अंग्रेजों ने भारत में सैनिकों की भर्ती खोल दी। भारतीय सैनिकों को सरकारी आदेश से युद्ध में भेजा

जाने लगा

ब्रिटिश सरकार की इस नीति का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी जी के निकटतम सहयोगी इस सत्याग्रह में स्वच्छा से गांधी जी के साथ आ गए। श्री राजगोपालाचारी तथा सत्यमूर्ति आदि नेता गांधी जी के इस सत्याग्रह में शामिल हो गए। उन्होंने आपसों मतभेद भुला दिए। कामराज भी गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग लेना चाहते थे, परन्तु कांग्रेस की जो नीति बनी उसके अनुसार कामराज को तमिलनाडु में कांग्रेस का काम-काज देखने की जिम्मेवारी सौंपी गई। कामराज तटस्थ रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तमिलनाडु में आंदोलन के संचालन की अनुमति प्राप्त कर ली और पूरे तमिलनाडु में सत्याग्रह को तेज करने के लिए जुट गए। गांधी जी, राजगोपालाचारी तथा सत्यमूर्ति गिरफ्तार कर लिए गए। जिन-जिन नेताओं ने निजी सत्याग्रह में गांधी जी का समर्थन किया वे सभी गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए।

ऐसी स्थिति में कामराज ने बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया। वे गुप्त बैठकें करके लोगों से यह अपील करते थे कि वे युद्ध कौष में कोई योगदान न दे। युवकों से उनका आग्रह था कि किसी भी हालत में युद्ध के लिए खोती गई सैनिक भर्ती में शामिल न हों।

कामराज को अपने कार्य में बड़ी सफलता मिली। देश के अन्य प्रांतों के नेताओं से भी कामराज ने संबंध बनाए हुए थे। देश को युद्ध से दूर रखने संबंधी रणनीति के निर्माण में तथा उसे लागू करने के लिए वे आपस में सहयोग किया करते थे।

ब्रिटिश सरकार भारत को लालच दे रही थी कि युद्ध में जीतने के बाद वह भारत को आजाद कर देगी। आपनि काल में भारतीय युवक ब्रिटेन की मदद करें। भारतीय नेता जनता को ब्रिटेन की सहायता के लिए उकसाएँ तो भारत के सहयोग से ब्रिटेन को युद्ध जीतने में आसानी होगी।

परन्तु अंग्रेजों की नीयत में छिपी कुटिलता अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। अतः उन्हें भारत से उतना सहयोग नहीं मिल पाया, जितनी कि उन्हें उम्मीद थी।

भारत छोड़ो आंदोलन : अपना काम पूरा करने के बाद गिरफ्तारी दी

8 अगस्त, 1942 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा देश के नेता श्री मोहनदास करमचन्द गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास करवाकर आंदोलन की घोषणा कर दी।

सरकार को पहले से ही इस बैठक में कांग्रेस की ओर से किसी बड़ी घोषणा

की उम्मीद थी, अतः उसने चप्पे-चप्पे पर पुलिस का बंदोबस्त कर दिया था।

ज्यों ही महात्मा गांधी ने 'क्रों या मरो' के नारे के साथ जोश में उद्घोष किया "अंग्रेजों भारत छोड़ो," उपस्थित जन-समुदाय में यह नारा गूज उठा। पूरे देश में इसकी अनुगूज हुई और बच्चा-बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हरकत में आ गया।

सम्मेलन में उपस्थित नेताओं का मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। अंतिम लड़ाई की घोषणा के बाद गिरफ्तारी न होने का तो प्रश्न ही नहीं था। इतना ही नहीं, सभी प्रमुख नेताओं ने फैसला कर लिया था कि अब चाहे उनकी जान चली जाग, परन्तु वे देश की आजादी के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए वे अपना सर्वस्व लुटा देने को तैयार होकर आए थे, परन्तु फिर भी सबके सामने अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस सदेश को पहुँचाना तथा जनता को पूरी तरह जाग्रत कर उसे इस आंदोलन से सीधे जोड़ने का लक्ष्य था, जिसे पूरा करना सख्त पुलिस बंदोबस्त के बीच कठिन था।

कामराज का लक्ष्य था आंदोलन का सदेश जन-जन तक पहुँचाते हुए अपने क्षेत्र विरुद्ध नगर पहुँचना और फिर काम पूरा हो जाने के बाद गिरफ्तारी देना।

बम्बई से मद्रास तक हर रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस तैनात थी। पुलिस के पास कामराज तथा अन्य सभी नेताओं के वारंट पहले से ही मौजूद थे। हथिये चढ़ने ही गिरफ्तारी तय थी।

पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश होने हुए मद्रास पहुँचने की योजना बनाई, परन्तु जब उन्हें पता लगा कि आदकोणम प्लेटफार्म पर बम्बई से तोड़ने वाले कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने के लिए पहले से ही पुलिस मौजूद है तो उन्होंने अपनी योजना बदल दी।

पुलिस को नजर से बचकर वे बेष बदलकर स्टेशन से निकल आए और बस से रानीपेट पहुँचे। रानीपेट में वे कांग्रेसी कार्यकर्ता कल्याण रामा अय्यर के घर जाकर छिप गए। श्री अय्यर ने कामराज को बड़ी सावधानी से अपने घर से निकाला और चावल के व्यापारी मोहम्मद सुलेमान के पास सुरक्षित पहुँचा दिया। मोहम्मद सुलेमान देशभक्त था। स्वाधीनता सेनानियों का सहयोग करना वह अपना फर्ज समझता था। उसके बगीचे में एक छोटी सी कोठी थी। सुलेमान ने कामराज को इस कोठी में छिपा दिया।

एक रात को अचानक एक सब इंस्पेक्टर कामराज का पीछा करता हुआ उस बगीचे में आ पहुँचा। कामराज ने पुलिस वाले को देख लिया और वे एक कमरे में छिप गए।

कल्याणरामा अय्यर का पता लग गया कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर कामराज

की टोह लेने के लिए बगीचे में घुस आया है तो वे भागते हुए वहां पहुंचे। उतान सब इस्पेक्टर से बगीचे में आने का कारण पूछा। पुलिस वाले ने बताया कि वह सुपरिटेण्डेंट के ठहरने के लिए सुलेमान की कोठी देखने आया है तो अच्यर घबरा गए, परन्तु तभी सुलेमान ने समझदारी से काम लेते हुए सब इस्पेक्टर को बताया कि उनकी कोठी बहुत छोटी है। यदि इससे काम चल जाए तो उसे कोई ऐतराज नहीं है।

सौभाग्य से सब इस्पेक्टर को वह कोठी बहुत छोटी लगी और वह वहाँ से चला गया। कामराज का सुराग सब इस्पेक्टर को नहीं मिल पाया।

वहाँ से रात में ही कल्याणरामा अच्यर और कामराज एक टैक्सी द्वारा वाडियाम बाड़ी चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तजावूर के लिए गाड़ी पकड़ी।

बिल्डुपुरम रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहाँ पुलिस का भारी पहरा था। वड़ी मुश्किल से वे दोनों पुलिस की निगाहों से बचे, और अगले दिन तजारे तंजावूर पहुँच गए। तजावूर में वे एक कांग्रेसी नेता नारायणस्वामी के घर जा पहुँचे। तजावूर में उन्होंने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें दल का संदेश दिया। फिर रेल द्वारा वे त्रिची जा पहुँचे।

त्रिची रेलवे स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, उनकी निगाह पुलिस के दस्ते पर पड़ी। प्लेटफार्म पर भारी सख्या में पुलिस तैनात थी। कामराज समझ गए कि अब गिरफ्तारी निश्चित है, परन्तु अभी पार्टी का काम शेष था। वे चाहते थे कि किसी प्रकार यह काम भी पूरा हो जाए। उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने रँवारों का वेष बनाया और प्लेटफार्म पर न उतर कर ट्रेन के दूसरी ओर उतर गए। सिर पर तौलिया लपेटे घुटनों से ऊपर तक धोती बांधे ठेठ देहातियों के वेष में वे एक हॉटल में ठहरे और फिर वहाँ से एम. एम. रंगस्वामी नामक कांग्रेसी के घर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कांग्रेसियों को पार्टी का संदेश दिया और फिर कार से मुदुरै चले गए।

मुदुरै में उन्होंने कांग्रेस जनों से मिलकर अगली रणनीति का खुलासा किया। यहाँ से कल्याणरामा अच्यर रानीपेट लौट गए और कामराज कुमारस्वामी राजा के साथ अगले मिशन को पूरा करने के लिए चले गए।

ज्यो ही कल्याणरामा अच्यर रानीपेट पहुँचे, पुलिस ने उन्हें भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया।

कुमारस्वामी राजा के साथ अपना काम निबटाने के बाद कामराज ने चैन की साँस ली। अब वे अपना हर काम पूरा कर चुके थे।

वहाँ से वे निर्भय होकर विरुध नगर लौटे। वहाँ पहुँचते ही उन्हें पता लगा कि पुलिस दल वारंट के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्हें तनिक भी हैरानी नहीं

हुई। वे स्वयं ही पुलिस अफसर के पास जा पहुँचे और बोले—“लीजिए, अब आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है।”

पुलिस अफसर मुस्कराया और उसने उन्हें ढ़धकड़ी पहना दी।

समर्पित होते हुए भी सत्ता से बाहर

कामराज अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में लगा चुके थे। उनकी माँ शिवकामी विधवा हो चुकी थीं और वहन की शादी हो जाने के बाद वह भी अपने घर चली गई थी। माँ को पूरी तरह अपने भाई के सहारे रहना पड़ा था। घर के हालात इतने कष्टकर थे, फिर भी कामराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने छोटे उद्देश्य की अनदेखी कर दी थी।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें तीन वर्ष की सजा हुई थी। तीन वर्ष तक वे जेल में रहे। जेल में वे भारत के भावी स्वरूप पर विचार करते रहे। यह बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि ब्रिटेन भारत को लम्बे समय तक गुलाम बनाए नहीं रह सकता। विश्व युद्ध चरम पर था। जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस को रौद डाला था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की हवा निकल चुकी थी। अब दूसरे देशों पर अपनी पकड़ बनाए रखना उसके बूते से बाहर होने लगा था। भारत के गर्मदलीय नेता सुभाषचंद्र बोस जर्मनी पहुँच चुके थे। जर्मनी, इटली और जापान ब्रिटेन के शत्रु देश थे। इन देशों की मदद से सुभाष भारत पर आक्रमण कर उसे अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की योजना पर काम कर रहे थे।

‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के साथ ही भारत ने स्वाधीनता का विगुल बजा दिया था। यद्यपि हुकूमत ने सब नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया था परन्तु जनता अब सरकार से जूझने का मन बना चुकी थी।

ऐसे समय में मुस्लिम लीग अपनी अलग खिचड़ी पका रही थी। वह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को भड़का कर देश के बंटवारे का माहौल बना चुकी थी। जब सब कांग्रेसी नेता जेलों में बंद थे, मुस्लिम लीग को ब्रिटिश हुकूमत के करीब आने और सौदेबाजी करने का अच्छा अवसर मिल गया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया।

कामराज इस बात से बहुत चिन्तित थे। महात्मा गांधी तो यह घोषणा कर चुके थे कि बंटवारा यदि हुआ तो उनकी लाश पर होगा। कामराज बंटवारे के पूरी तरह विरुद्ध थे, परन्तु ऐसा कोई सूत्र हाथ नहीं आ पा रहा था कि मुस्लिम लीग को विश्वास में लेकर उसे कांग्रेस के साथ आंदोलन में शामिल किया जा सके।

तीन वर्ष तक जेल में रहने के बाद 1945 में सारे कांग्रेसी नेता रिहा कर दिए गए। यह वह समय था, जब मित्र देशों के हाथों जर्मनी की करारी हार हो चुकी

थी हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक नगरो पर एटम बम गिराकर अमेरिका उसकी सैनिक शक्ति की कमर तोड़ चुका था। सोवियत संघ के साथ मित्र देशों की जीत के बाद विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था।

इन तीन वर्षों में देश तथा दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। तमिलनाडु की राजनीति में भी भारी बदलाव आ गया था। कामराज और सत्यमूर्ति के समर्थको तथा कांग्रेस से मतभेद हो जाने के कारण 1942 में राजा जी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। 1943 में सत्यमूर्ति का निधन हो चुका था।

सत्यमूर्ति की मृत्यु से कामराज को बहुत दुख पहुँचा। वे जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे, जिनके दिल में गरीब जनता तथा दलितों के लिए प्यार था। वे मृत्यो की राजनीति के पक्षधर थे। इतिहास राजा जी को इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेगा कि उन्होंने सत्यमूर्ति जैसे महा मानवतावादी नेता के साथ गुटबाजी की राजनीति की और उन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया।

राजाजी ने तो कांग्रेस छोड़ दी थी, परन्तु उनके समर्थक अभी भी मैदान में डटे थे। कामराज जब जेल से छूटकर आए तो राजा जी के समर्थक उनसे मिलने आए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे राजाजी के साथ मिलकर काम करें तो लम्बे समय से नेतृत्वविहीन प्रांत का आत्मविश्वास बढेगा और कांग्रेस मजबूत होगी।

कामराज रचनात्मक कामों में विश्वास रखते थे। कांग्रेस की मजबूती और जन-एकता की खातिर वे कुछ भी करने और कुछ भी सह जाने को सदा तैयार रहते थे। राजा जी से असंतुष्ट होते हुए भी वे उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए।

राजा जी के समर्थकों ने उन्हें फिर से सक्रिय राजनीति में आने पर विवश किया और एक बार फिर असहयोग और चालाकी की राजनीति शुरू हो गई। कामराज जब पार्टी के काम से विरुध नगर में व्यस्त थे, उन्हें सूचना मिली कि राजाजी को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। कामराज को इस खबर से बहुत बड़ा धक्का लगा। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस समय कामराज थे फिर उनकी सहमति के बिना राजा जी कांग्रेस कमेटी में कैसे ले लिए गए?

बाद में उनको पता लगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उन्हें समिति में शामिल करवाया है।

अब कामराज अड़ गए। उन्होंने राजा जी के चुनाव को चुनौती दे दी। बात महात्मा गांधी तक पहुँच गई। कांग्रेस में हंगामा हो गया।

ऐसे में सरदार पटेल बीच में आए और उन्होंने कामराज को समझा-बुझाकर

राजाजी के साथ उनकी सुलह करा दी।

1946 में महात्मा गांधी हिन्दी प्रचार समिति के रजत जयन्ती के अवसर पर मद्रास आए। राजाजी ने अपने मुख्यमंत्री काल में मदुरै तथा पलानी के मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश कराया था। गांधी जी इन मन्दिरों को देखने गए। राजाजी के मुख्यमंत्री काल में हरिजनों को दिए गए विशेषाधिकारों के लिए उन्होंने राजाजी की प्रशंसा की।

एक टिप्पणी में गांधी जी ने विजयवाड़ा में कहा—“राजाजी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।”

कामराज को यह टिप्पणी बेहद अपमानजनक लगी। उन्हें लगा कि गांधी जी ने स्थिति को ठीक से समझे बिना ही ऐसी बात कह डाली है। उन्होंने झट तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

कामराज के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु कांग्रेस में भूचाल आ गया। अब तक कामराज के साफ-सुथरे चरित्र और त्यागपूर्ण जीवन का परिचय पूरे क्षेत्र को मिल चुका था। राजाजी के विरुद्ध आवाजें तेज हो गईं। अतएव राजाजी ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर यह स्वीकार किया कि जनता उन्हें नहीं, कामराज को चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी।

1946 में अंतरिम सरकार के लिए चुनाव हुए। कामराज के नेतृत्व में मद्रास प्रेसीडेंसी में कांग्रेस की भारी जीत हुई। कामराज स्वयं विधान सभा के लिए अरुप्पूकोट्टाई से निर्दोष चुन लिए गए।

आजाद भारत में सामाजिक न्याय के प्रयास

अंतरिम सरकार में श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इस सरकार के गठन के साथ ही भारत को स्वाधीनता देने की दिशा में गतिविधियाँ तेज हो गईं।

आजादी से पहले ही पाकिस्तान के निर्माण की अटकलें तेज हो गईं और लोग पलायन करने लगे। पलायन के साथ ही साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता गया और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इसी तनाव के बीच 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की आजादी की घोषणा हुई और 15 अगस्त, 1947 को भारत की आजादी घोषित की गई।

आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम था देश को एक ऐसा संविधान देने का जो दलितों का दमन समाप्त करे, उन्हें विशेषाधिकार दिलाए, जिससे वे अमानवीय अत्याचारों से उबरकर राष्ट्र की मुख्य धारा में स्वतंत्र नागरिक बनकर खड़े हों और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अवसर प्राप्त करें।

कामराज ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आदि

नेताओं पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि संविधान में दलितों व पिछड़ों को विशेष सुविधाएँ मिलें।

उनका प्रयास सफल हुआ। भीमराव अम्बेडकर पहले ही महात्मा गांधी को विश्वास में ले चुके थे। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद कामराज के विचारों से पूरी तरह सहमत थे।

1950 में देश को एक ऐसा संविधान मिल गया, जिसमें पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण तथा शिक्षा व रोजगार आदि में विशेष प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान था। कामराज का मन प्रसन्नता से खिल उठा। देश के लिए जिस उद्देश्य से उन्होंने पूरा जीवन लगाया था, वह पूरा हुआ।

कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा

कामराज 1940 से 1952 तक तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। भारत का संविधान बनने के बाद 1952 में जब स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव हुए तो कामराज संसद सदस्य बन गए। संसद में पहुँचते ही उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अपने इस्तीफे का कारण उन्होंने यह बताया कि संसद में पहुँचने के बाद उन्हें अब प्रायः दिल्ली में रहना पड़ेगा और अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे में वे पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को ठीक से नहीं देख पाएँगे।

परन्तु सच यह नहीं था। कामराज में इतनी क्षमता थी कि वे एक साथ अनेक काम निबटा सकते थे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सम्पूर्ण समर्पण के सामने कोई भी काम आसान हो जाया करता था। अकेले कामराज ने अपने जीवन में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया।

1952 में तमिलनाडु विधान सभा में कांग्रेस पार्टी की हार ने कामराज को सोचने पर विवश किया। 375 विधान सभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 152 सीटें मिली थीं। शेष सीटें संयुक्त मोर्चे के हिस्से में आई जो कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा, कृषक लोक, तमिलनाडु टाइगर और कामनवील नामक छः राजनीतिक दलों से मिलकर बना था। इस मोर्चे का नाम 'यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' था और उसके नेता थे श्री टी. प्रकाशम। श्री प्रकाशम मंत्रिमंडल बनाने को तैयार थे, परन्तु मद्रास के नए राज्यपाल श्रीप्रकाश स्वाधीन भारत के प्रथम चुनाव के बाद तमिलनाडु में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के पक्ष में नहीं थे। श्री टी. टी. कृष्णामाचारी ने सलाह दी कि श्री सी. राजगोपालाचारी को यदि राजनीतिक संन्यास से वापस राजनीति में बुलाकर उन्हें प्रांत के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा जाए तो विपक्ष का विरोध भी हल्का पड़ जाएगा और कांग्रेस में भी सहमति बन जाएगी। श्री सी. राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल केन्द्रीय मंत्री तथा बंगाल

के राज्यपाल रह चुके थे। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के कारण उनका देश भर में नाम था और प्रांत की जनता भी उनकी इज्जत करती थी।

राजाजी ने सन्यास तोड़ दिया और राज्य के मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। राजाजी ने कूटनीति से काम लिया। टायगर पार्टी के संस्थापक नेता श्रीमणिक्रयेलू तमिलनाडु के उभरते हुए अत्यधिक शक्तिशाली नेता थे, राजाजी ने उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इस प्रकार राजाजी की सरकार स्थायी व मजबूत हो गई। राजाजी के इस कदम के कारण विरोधी दलों का संयुक्त मोर्चा भी टूट गया और कांग्रेस के अच्छे भविष्य का मार्ग भी खुल गया।

इन परिस्थितियों में कामराज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहना नहीं चाहते थे। उनका तर्क था कि अब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजाजी के साथ ताल-मेल बैठा सके।

परन्तु राजाजी पुराने खिलाड़ी थे। वे तो अपने विरोधियों के साथ भी ताल-मेल बैठाना जानते थे। वे जानते थे कि कामराज कांग्रेस के महाशक्तिशाली नेता बन चुके हैं। कामराज को शामिल किए बिना उनकी लोकप्रियता का महल धीरे-धीरे ढहना शुरू हो जाएगा और इससे कांग्रेस तथा उनकी सरकार दोनों को भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

वे स्वयं कामराज के पास पहुँचे और उनसे बोले—“कामराज ! जो बीत गया, उसे भूल जाओ। मैं बड़े विश्वास और अधिकार के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा जीवन कांग्रेस और देश के लिए समर्पित है। मैं तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकता। तुम इस्तीफा वापस ले लो।” कामराज मान गए। अब तमिलनाडु की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया।

मद्रास के मुख्यमंत्री बने

राजाजी सी. राजगोपालाचारी कामराज के सहयोग से मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री तो बन गए, परन्तु उनके विकास और नियंत्रण कार्यक्रमों की उष्णता ने अनेक द्रविणों को नाराज कर दिया। राजाजी को त्यागपत्र देना पड़ा।

अब बारी थी कामराज की। पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति कांग्रेस के पास नहीं था जो राजा जी के स्थान को भर सके। कामराज के नाम पर पूरी कांग्रेस एक थी। जबकि कामराज सत्ता की राजनीति में प्रवेश तक नहीं करना चाहते थे। उन्हें पार्टी संगठन, नीति-निर्धारण, सामाजिक कार्यों तथा दलितों व पिछड़ों के लिए काम करने में ही रुचि थी।

कामराज दिल्ली गए और प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू और गोविन्दबल्लभ पंत से मिले। दोनों नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद

स्वीकार करने की सलाह दी।

13 अप्रैल, 1957 को श्री कामराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अनेक ऐसे जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जो अपने-अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। उनकी कार्य-कुशलता और सूझ-बूझ से तमिलनाडु में खुशहाली आ गई। उन्होंने कक्कन नामक हरिजन नेता तथा लौर दम्माल साइमन नामक ईसाई महिला को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। समाज के सभी वर्गों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्होंने प्रशासन की कार्य-कुशलता में वृद्धि की तथा दबे-पिछड़े लोगों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की नई ज्योति जलाई।

कामराज के सामने सबसे बड़ी समस्या रामनाथपुरम जिले में पैदा हुई। थैवर व हरिजन जाति के बीच संघर्ष छिड़ गया। थैवर के आदमियों पर हरिजन ईसाई इमेन्युअल की हत्या का आरोप था। पुलिस जब शक्तिशाली थैवर नेता मुधुरामलिंगा को गिरफ्तार करने को आमुवल गॉघ पहुँची तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे पाँच व्यक्ति मारे गए। सरकार ने जाँच बिठा दी। जाँच की रिपोर्ट आई तो इसमें पुलिस द्वारा गोली चलाने की क्रिया को सही ठहराया गया था। थैवर जाति के लोग और विपक्षी दल सरकारी जाँच से संतुष्ट नहीं हुए।

कामराज समझ गए कि विवाद की जड़ झगड़ा नहीं अपितु क्षेत्र का पिछड़ापन है। उन्होंने तुरन्त क्षेत्र के विकास की योजना लागू कर दी। कृषि तथा उद्योगों के विकास के साथ-साथ मकान बनवाने की भी व्यवस्था कर दी गई।

लोग शांत हो गए और विकास के कार्यों में लग गए।

कामराज योजना

1962 में जब तीसरी बार आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को विधान सभा में पहले से भी 13 सीटें कम मिली। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता सी. एन. अन्नादुरै ने भारतीय संघ से अलगाव की लहर फैलाई और जनता अलगाववाद के बहकावे में आकर उनके पीछे खड़ी हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ा।

यही वह समय था, जब चीन ने भारत पर हमला किया था। विपक्षी दल प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना कर रहे थे। ऐसे ही समय कांग्रेस शासित प्रांतों में दलीय गुटबन्दी पैदा हो गई और प्रशासन पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी। दक्षिण भारत में विरोधी दल सांप्रदायिकता और प्रांतीयता की भावना भड़का कर जनता को गुमराह करने लगे। कामराज चिंतित हो उठे। वे कांग्रेस और देश दोनों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे दोनों में से किसी का नुकसान नहीं सह सकते थे। परन्तु उनकी आँखों के सामने दोनों का नुकसान हो

रहा था और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे।

एक वर्ष तक कामराज ने स्थिति पर काबू पाने के अनेक प्रयास किए, परन्तु स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कामराज ने फैसला कर लिया कि वे सीधे नेहरूजी से बात करेंगे।

जुलाई 1963 में प० जवाहर लाल नेहरू हैदराबाद आए। कामराज ने प्रस्ताव रखा कि सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री अपने पदों से इस्तीफा देकर पार्टी का काम देखें। पार्टी विखराव की ओर जा रही है, उसे कुशल नेतृत्व की जरूरत है।

नेहरू जी ने श्री कामराज के इस सुझाव को कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष रखा। सबने इस विचार की प्रशंसा की और कामराज के आदर्श को ध्यान में रखते हुए इसे 'कामराज योजना' नाम दिया गया। नेहरू जी इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले इस्तीफा देना चाहते थे। परन्तु कार्यसमिति ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। देश को उनके नेतृत्व की आवश्यकता थी।

सभी केन्द्रीय मंत्रियों तथा कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने इस्तीफे सौंप दिए। नेहरू जी ने छ. केन्द्रीय मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए। ये छ. मंत्री थे—मोरारजी देसाई, एस. के. पाटिल, जगजीवन राम, लालबहादुर शास्त्री, श्रीमाली तथा गोपाला रेड्डी। इन सबको पार्टी संगठन का दायित्व सौंपा गया। कामराज की इस योजना से कांग्रेस गुटबंदी में बटकर टूटने से बच गई और जनता से उसके संबंध प्रगाढ़ हो गए।

अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष

दक्षिण के पाँच नेता कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए। इनका गुट 'सिडीकेट' नाम से पुकारा जाने लगा। ये पाँच नेता थे—आंध्र के नेता संजीव रेड्डी, मैसूर के मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा, बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अतुल्य घोष, एस. के. पाटिल और कामराज।

अक्टूबर 1963 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये नेता तिरुपति में एकत्रित हुए। इस बैठक में दो मुद्दे केंद्रीय थे—कांग्रेस की अध्यक्षता और नेहरू जी के उत्तराधिकारी का चयन।

नेहरू जी ने दोनों समस्याओं का समाधान दे दिया। कांग्रेस अध्यक्षता श्री कामराज को दे दी गई और लालबहादुरशास्त्री नेहरू जी के उत्तराधिकारी चुने गए।

यद्यपि कांग्रेस अध्यक्षता के लिए अतुल्य घोष का नाम सामने आया था और नेहरू जी के उत्तराधिकारी के लिए मोरारजी देसाई का। परन्तु इन दोनों नामों पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। कामराज और लालबहादुर शास्त्री के नाम जब प्रस्तावित

किए गए तो किसी ने आपत्ति नहीं की।

कामराज की सगठन-क्षमता बेजोड़ थी। पिछले चालीस वर्ष के सेवाकाल में वे अपनी इस क्षमता का हर स्तर पर परिचय दे चुके थे।

भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशन में कामराज ने कांग्रेस की अध्यक्षता की और नेहरू जी तथा गांधी जी दोनों महान नेताओं के विचारों का आदर करते हुए कांग्रेस की मूल नीति की घोषणा की। यह नीति थी—'अहिंसक साधनों से लोकतांत्रिक समाजवाद' की स्थापना।

लालबहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया

17 मई, 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश में मौत का सन्नाटा छा गया। अपने विशाल व्यक्तित्व से समूचे देश को संरक्षण प्रदान करने वाले ४० नेहरू की मृत्यु के बाद देश में एक भी नेता ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो उनका स्थान ले सके। अनेक नाम उठाले गए—जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा, लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और इन्दिरा गांधी।

कांग्रेस संसदीय दल के नेता का चुनाव विवाद का विषय बनने लगा। कामराज नहीं चाहते थे कि विरोधी पार्टियों को इस बात की भनक भी लगे कि नेतृत्व के प्रश्न पर कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद है।

कामराज ने खाना-सोना त्याग दिया। रात-दिन दौड़-धूप कर उन्होंने मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किया और एक नाम पर सर्वसम्मति तैयार करने का आग्रह किया। यह नाम था—श्री लालबहादुर शास्त्री। श्री कामराज के अथक प्रयासों से शेष सभी नाम नेपथ्य में चले गए और श्री लालबहादुर शास्त्री सर्वसम्मति से संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। उन्होंने सभी कांग्रेसी व गैर कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अंधेरा छूट गया। नेतृत्व के नाम पर कांग्रेस एक बार फिर बँटने से बच गई।

इन्दिरा जी का वयन

1965 में भारत को पाकिस्तान से युद्ध में उलझना पड़ा और केवल 18 माह तक शासन करने के बाद प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री का जीवन दाव पर लग गया। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को रौंद डाला, तब संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में अमेरिका ने भारत को युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया और रूसी प्रधानमंत्री कोसीगन ने भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बातचीत के लिए मास्को बुलाया।

दोनों देशों के बीच सभ्रमिता हुआ और श्री लालबहादुर शास्त्री की मास्को में

ही हृदय आघात से मृत्यु हो गई

अठारह महीने बाद फिर नेतृत्व का सकट देश के सामने आ खड़ा हुआ। अबकी बार श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में खुलकर सामने आ गए। परन्तु उन्हें ससदीय दल का नेता चुनने में दो बाधाएँ थी—एक तो कांग्रेस में उनके नाम पर सर्वसम्मति नहीं थी, दूसरे वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे थे, जिसके दिल में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा बड़ी तीव्र थी। कामराज एक दूरदर्शी नेता थे। उनका मानना था कि पद की लालसा रखने वाले व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री का पद देने में इस पद की गरिमा ही समाप्त हो जाएगी और यह आदर्श टूटा तो देश में गुटबंदी और फूट के बीज पड़ जाएँगे। प्रधानमंत्री केवल अपने दल तथा ससद का ही नहीं अपितु पूरे देश का नेता होता है। उसे परम उदार और त्यागी होना चाहिए। पद की लालसा तो इस मामले में जहर की तरह है। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा—“भारत के प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जो न तो ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसे झपटकर लेना चाहता हो और न ही ऐसे व्यक्ति को, जो इसे प्राप्त करने के लिए दिन-रात स्वप्न देखा करता है। यह पद तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इसकी अधिक कामना नहीं रखता।”

कामराज को मोरारजी देसाई का उतावलापन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू कर दी, जिसके मन में पद की झपटने की लालसा न हो और जो इस पद की बर्यादा के अनुकूल हो।

उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल गया। यह थी श्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इन्दिरा गांधी। श्री कामराज ने इन्दिरा जी के नाम का प्रस्ताव किया। पार्टी का बहुत बड़ा भाग श्रीमती गांधी को निर्विरोध चुनना चाहता था, परन्तु मोरारजी भाई नहीं माने। कुछ पुराने नेता उनकी पीठ थपथपा रहे थे। वे प्रत्याशी के रूप में आगे आ गए। चुनाव हुआ और श्री देसाई को केवल 169 मत मिले और वे श्रीमती गांधी से चुनाव हार गए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गईं। कामराज का यह चयन इतना महत्वपूर्ण था कि इसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। अत्यधिक जटिल परिस्थितियों में श्रीमती गांधी ने देश का लम्बे समय तक नेतृत्व किया।

धरती से उठकर आसमान तक पहुँचे

कामराज ने अपना राजनीतिक जीवन गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर एक साधारण कार्यकर्ता से शुरू किया था। अपने निरन्तर संघर्ष और परिश्रम से मूल्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और विशुद्ध राष्ट्र भक्ति से वे लगातार ऊपर उठते

गए

पाँच दशक से अधिक वर्षों तक उन्होंने लगातार देश की सेवा की और अपने आपको दाय पर लगाकर पार्टी तथा देश को दिशा दी। उनका पूरा जीवन केवल देने के लिए था। उन्होंने न दल से कभी कुछ लिया, न देश से। जितना हो सका उन्होंने दिया।

वे इतने ऊँचे आदर्श इसीलिए बन पाए, क्योंकि उनके मन में लोभ, लालच, पद, लिप्ता आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। वे जान गए थे कि देश को ऐसे लोगों के सख्त जरूरत है जो अपने जीवन को एक ऐसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें जो कोटि-कोटि दिशा भ्रमित और विद्रोही भारतवासियों को ठोस आधार दें सकें और उनकी बिखरी हुए शक्तियों को समेटते हुए उन्हें राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया से सीधा जोड़ सकें।

इस धारणा को उन्होंने आजीवन नहीं छोड़ा। दल के विघटन से लेकर राष्ट्र के विघटन तक को उन्होंने अपनी पीठ लगाकर रोका और अपने ऊपर चोटें सहीं।

यह सोचकर हृदय कॉप जाता है कि स्वाधीनता सग्रम के नाजुक दौर में और आजादी के बाद राष्ट्र-निर्माण की भीषण चुनौतियों का मुकाबला करते समय यदि कामराज जैसे महाकर्मठ, महात्यागी और महाधैर्यवान नेता इस देश में पैदा न हुए होते तो देश का क्या हाल हुआ होता।

आधुनिक भारत के निर्माता की श्रेणी में के. कामराज नामक पुस्तिका में श्री आर. पार्थसारथी ने लिखा है—“एक साधारण स्वयंसेवक और कार्यकर्ता से उठकर कामराज सर्वोच्च पद पर केवल परिस्थितियों के सहारे नहीं पहुँचे, वरन् इसके पीछे उनकी निष्कपट सेवा तथा बलिदान की भावना थी। उनकी विनम्रता, उनका सौजन्य, उनके निष्कपट विचार, उनका उज्ज्वल चरित्र, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, निःस्वार्थता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना ही वे प्रमुख विशेषताएँ थीं, जिन्होंने उन्हें शिखर पर पहुँचाया और जनता के बीच लोकप्रिय बनाकर उसका सहज स्नेह दिलाया।”

जीवन की सॉइ और महाप्रयाण

1975 तक रात-दिन देश और समाज की सेवा करते-करते पार्टी की विसंगतियों को संगति प्रदान करते-करते भारत के महान नेता के कामराज थकान महसूस करने लगे थे।

अपनी लोकप्रियता और ख्याति के शिखर पर पहुँचने के बाद वे भीष्मपितामह की तरह आदरणीय हो गए थे। उनकी सत्ताह के बिना देश में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पिता की तरह

उनका आदर करती थीं और कोई भी कदम उठाने से पहले उनसे मशवरा अवश्य किया करती थीं।

जून 1975 में श्रीमती गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। यद्यपि यह घोषणा श्री कामराज का भावनाओं का सीधा अपमान नहीं थी, फिर भी उनके मन को अन्दर ही अन्दर चोट पहुँची। वे नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को देश पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कोई अलोकतांत्रिक कदम उठाना पड़े। कांग्रेस-अध्यक्ष की हैसियत से वे अहिंसामूलक लोकतांत्रिक समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित कर चुके थे। उनके मन में कहीं कुछ ऐसा चुभा जो वे स्वयं ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ ठीक होते हुए भी बार-बार उन्हें लग रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है।

वे तमिलनाडु के विस्तृत दौरे पर निकल गए। अपनी इस यात्रा के दौरान वे लाखों लोगों से मिले। उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना। उनके अन्दर एक अविरल मंथन शुरू हो गया था।

वे सोच रहे थे—क्या दलितों और पिछड़ों की समस्याओं का सही समाधान हो गया है? क्या लोकतांत्रिक समाजवाद का पथ प्रशस्त हो गया है? क्या नेहरू और गांधी के मूल्य देश ने स्वीकार कर लिए हैं? क्या देश के विकास की दिशा ठीक है?

इन प्रश्नमूलक विचारों के उत्तर तलाशते-तलाशते वे बेहद थकान का अनुभव करने लगे। डाक्टरों की सलाह पर वे मद्रास में ठहर गए। आराम और चिकित्सा की व्यवस्था ठीक कर दी गई। वे राहत महसूस करने लगे। 2 अक्टूबर, 1975 को जब नगर में गांधी जयंती की धूम थी, उन्होंने सादा भोजन किया और फिर चुपचाप विश्राम करने चले गए। यह उनका अंतिम विश्राम था। उन्होंने शांतिपूर्वक अपना शरीर छोड़ दिया।

बाबू जगजीवन राम

(5 अप्रैल, 1908 से 6 जुलाई, 1986)

बाबू जगजीवन राम एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन तथा सवर्णों के दलितों पर अत्याचारों के विरुद्ध एक साथ संघर्ष किया।

वे भारतीय हिन्दू समाज की अंदरूनी बुराइयों के खिलाफ तो लड़े, परन्तु हिन्दू समाज की एकता और मजबूती के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। दलितों को उकसाकर सवर्णों के विरुद्ध खुला संघर्ष छेड़ने और समाज में जातीय घृणा का जवाब जातीय वैमन्य से देने के वे विरुद्ध थे। वे अल्पसंख्यकों के हितैषी थे और उनके हित के लिए सदा काम करते रहे। यही कारण है कि वे समूचे भारत के एकछत्र नेता के रूप में सदा याद किए जाते हैं।

बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को रविवार प्रातः चार बजे, बिहार राज्य के आरा जिले के चंदवा नामक गांव में हुआ था।

उनके पिता का नाम श्री शोभी राम था। वे पढ़े-लिखे किसान थे। उनके पास लगभग 20 एकड़ जमीन थी, जिसमें हर तरह की फसले उगाई जाती थीं। श्री शोभी राम जी अपने आस-पास के क्षेत्र में दूर-दूर तक जाने जाते थे। लोग उनका सम्मान करते थे। उन्होंने शिवनारायण सम्प्रदाय के प्रथी का गहन अध्ययन किया था और इस सम्प्रदाय के सच्चे अनुयायी बन गए थे। अहिंसा उनके जीवन का सदा आदर्श रही।

जगजीवन राम जी की माता का नाम श्रीमती बसंती देवी था। वे एक सीधी-सादी घरेलू महिला थी। धर्म में उन्हें गहरी रुचि थी। परिवार के सदस्यों को पूरा प्यार देने, उनकी अच्छी तरह देखभाल करने और बड़ों की सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आता था।

श्री शोभी राम जी की आठ संतानें थीं—पॉंच बेटियां और तीन बेटे। बाबू जगजीवन राम सबसे छोटे थे, सबसे बड़े थे श्री सन्त लाल।

महात्मा ने कहा : यह बालक गरीबों का उद्धार करेगा

जगजीवन राम जब केवल 8 माह के थे, उनकी माता उन्हें गोद में लेकर घर की चौपाल पर बैठ गई। कुछ और स्त्रियों भी उनके पास आ बैठी। आसमान साफ था। ठंडी सुहावनी हवा चल रही थी। बालक जगजीवन माँ की गोद में किलकागी मार कर खेल रहा था।

उसी समय वहाँ एक भगवा वस्त्रधारी महात्मा आ पहुँचे। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में कमंडल। गले में अनेक प्रकार की मालाएँ और सफेद लम्बी दाढ़ी।

बच्चे को खेलना देख वे ठिठक गए और बोले, “माई, तेरा यह बेटा मृदुभापी और असाधारण गुणों को धारण करने वाला बनेगा। यह करोड़ों दुखियों को दुखों से मुक्ति दिलाएगा। इसके प्रयासों से देश में खुशहाली आएगी। इस बालक के चेहरे पर चन्द्रमा की शीतलता और मस्तिष्क में चन्द्रवृत्त स्थाई रूप से दिखाई पड़ रहा है। जिसका अर्थ यह है कि यह बड़ा होकर परमार्थ के कार्य करेगा और यश कमाएगा।”

माँ चुपचाप सुनती रहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। महात्मा वहाँ से चला गया तो माँ ने बालक जगजीवन को छाती से चिपटा लिया और घर के अन्दर चली गई। थोड़ी देर बाद आसमान में बादल घिर आए और बरसात होने लगी।

जगजीवन राम जी का परिवार शिव नारायणी सम्प्रदाय से इतना प्रभावित था कि घर में हर रम्य के समय भजन-कीर्तन कराया जाता था।

प्राथमिक शिक्षा : पिता का साया सिर से हट गया

1914 में बसंत पंचमी के दिन बालक जगजीवन राम का दाखिला प० कपिल मुनि तिवारी की बैठक में स्थित पाठशाला में कराया गया। जगजीवन राम इस समय 6 वर्ष के थे। इस अवसर पर घर में गीत गाए गए और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया।

तिवारी जी एक कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे। वे बड़े उदार और सहयोगी थे। बच्चों को बहुत प्यार करते थे और मेहनत से पढ़ाते थे।

बालक जगजीवन राम ने पाठशाला में आते ही पं० कपिल मुनि तिवारी का मन मोह लिया। वे बहुत बातें करते थे तथा खूब प्रश्न पूछते थे। तिवारी जी को यह बात अच्छी लगती थी।

लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ कि जगजीवन राम जी के पिता अचानक बीमार पड़ गए। बहुत इलाज कराने पर भी ठीक न हो सके। वे प्यार से जगजीवन राम को ‘दाबू’ कहा करते थे। इसीलिए उनके नाम के आगे ‘दाबू’ शब्द जुड़ गया।

जून का महीना था। पिता ने 12 दिन से कुछ नहीं खाया था। वे वड़ी मुश्किल

से बोल पा रहे थे जगजीवन राम का उठोने अपने पास बलाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले वाबू, मेने तुम्हारे बड़े भाई को तो अग्रेजो पढ़ाई परन्तु तुम्हारे लिए तो मै कुछ न सकता। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, लगता है मेरे पास समय बहुत कम है। मै तुम्हे आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हे जीवन मे बहुत सफलना मिले। तुम बहुत बड़े आदमी बनो...बहुत मेहनत से पढना और छोटे लोगों का साथ देना।" कहते-कहते पिता शिवनारायणी की स्तुति करने लगे और कुछ ही देर मे ब्रह्मलीन हो गए।

घर में हाहाकार मच गया। माँ का रोते-गेते बुरा हाल हो गया। सब बच्चे फूट-फूट कर रो रहे थे। मुहल्ला-पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हो गए।

शांभी राम जी के प्रति सबके दिल में प्यार था। सबने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। छः वर्ष की आयु मे ही बालक जगजीवन के सिर से पिता का साथ उठ गया।

जगजीवन राम उदास रहने लगे। उन्हें पिता की बहुत याद आती थी। जब वे घर जाते तो माँ को पिता की याद मे रोते पाते। उन्हें बहुत दुख होता था। वे स्वयं भी रोने लगते थे। उनकी समझ में नही आता था कि क्या करें, माँ का दुख कैसे दूर करें ? भगवान इतना निटुर क्यों है, बच्चो से उनके पिता और पत्नी से उनके पति को क्यों छीन लेता है ?

प० कपिल मुनि तिवारी ने जगजीवन राम को गोठ में बैठाकर बहुत सात्वना दी। जगजीवन राम धमार जाति के थे, वे दलित थे। ओर देश मे उस समय छुआछूत का बोलचाला था। परन्तु तिवारी जी ब्राह्मण होते हुए भी छुआछूत नहीं मानते थे। वे जगजीवन राम को बहुत प्यार करते थे।

पिता की मृत्यु के बाद एक बार इतनी तेज वर्षा हुई कि गंगा और सोन नदी दोनों में एक साथ बाढ़ आ गई। चंदवा गांव के बरसाती नाले में इतना पानी आ गया कि निचले क्षेत्र मे बने मकान डह गए। जगजीवन राम का मकान भी निचले क्षेत्र में था। वह भी डह गया। तब तिवारी जी ने जगजीवन राम और उनके पूरे परिवार को छ. माह तक अपने घर में रखा। उनका मकान बहुत ऊँचाई पर था। उन्होंने परिवार के साथ तनिक भी छुआछूत नहीं बरती।

मुझे पिटाया कैसे; सिर फोड़ दूँगा

जगजीवन राम बहुत स्वाभिमानी थे। उन्हे गुस्सा भी बहुत आता था। माँ के लाडले थे। पिता का अभाव बातक को न अखरे इसलिए माँ बहुत प्यार करती थी। इससे वे कुछ जिद्दी हो गया था।

पाठशाला में वे तिवारी जी के इतने निकट थे कि जब भी किसी बच्चे को पीटना होता, तिवारी जी जगजीवन राम से ही छड़ी मँगवाया करते थे। जगजीवन

राम की कक्षा का एक लड़का सकल दीप इस बात से चिढ़ गया। उसने जगजीवन राम से बदला लेने की ठान ली। एक दिन उसने कपिल मुनि तिवारी से जगजीवन राम की झूठी शिकायत लगा दी। तिवारी जी ने जगजीवन राम की पिटाई कर दी।

अब तो जगजीवन का क्रोध कब्जे से बाहर हो गया। उन्होंने एक मोटा डंडा उठाया और बगीचे में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए।

माँ परेशान हो उठी। रात हो गई और जगजीवन राम नहीं मिले। तब कपिल मुनि तिवारी अनेक लोगों को साथ लेकर उन्हें ढूढ़ने निकले। बगीचे में लालटेन से देख रहे थे तो पेड़ पर बैठे जगजीवन राम दिख गए। जब उनसे तिवारी जी ने नीचे उतरने को कहा तो बोले, 'मैं नहीं उतरूंगा। मेरे हाथ में मोटा डंडा है। सकल दीप ने आप से झूठी शिकायत लगाकर मुझे पिटाया है। अब मैं कभी पाठशाला नहीं जाऊंगा। जो कोई मुझे पाठशाला भेजेगा, मैं उसका मिर फोड़ दूंगा।'

सात वर्षीय बालक जगजीवन राम की नाक पर इतना गुस्ता देख तिवारी जी हँस पड़े। फिर उन्होंने वादा किया कि अब कभी नहीं पीटेंगे। तब जगजीवन राम पेड़ से उतरे और सबके साथ घर लौटे।

छात्रवृत्ति लौटा दी

प्राथमिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त करने के बाद जगजीवन आगे की शिक्षा के लिए आरा चले गए। आरा नगर के महाजनी स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया।

स्कूल में अच्छे अंक लाने और अछूत बालक होने के कारण उन्हें जब छात्रवृत्ति मिली तो उन्होंने प्रधानाचार्य से कहा, "मुझे छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं अछूत जरूर हूँ परन्तु गरीब नहीं हूँ। मेरे हिस्से की छात्रवृत्ति आप उच्च जाति के किसी गरीब बच्चे को दे दें और हो सके तो उसकी फीस भी माफ करे दें।"

अपमान का प्रतीक घड़ा तोड़ डाला

जगजीवन राम बचपन से ही स्वाभिमानी थे। वे जातीय घृणा और छुआछूत की प्रथा के कट्टर विरोधी थे। जब वे आरा हाई स्कूल में पढ़ते थे तब वहाँ 'हिन्दू घड़ा' और 'मुसलमान घड़ा' नाम के दो अलग-अलग घड़े रखे जाते थे। हिन्दू और मुसलमान लड़के अपने-अपने घड़ों से पानी पिया करते थे।

एक दिन जगजीवन राम ने हिन्दू घड़े से पानी निकाला और पीने लगे। ऊँची जाति के एक लड़के ने उन्हें देख लिया और प्रधानाचार्य से शिकायत कर दी।

प्रधानाचार्य ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और पूछा, "तुमने हिन्दू घड़े से पानी क्यों पिया?"

जगजीवन राम जी तपाक से बोले, "क्योंकि मैं हिन्दू हूँ"

अछूत बच्चे के मुँह से इतना सीधा उत्तर सुनकर प्रधानाचार्य चुप रह गए। उन्होंने जगजीवन राम को कक्षा में भेज दिया।

अगले दिन जब जगजीवन राम स्कूल में पहुँचे तो उन्होंने देखा पानी पीने के लिए तीसरा घड़ा और रखा दिया गया है और उस पर लिखा है, 'अछूत घड़ा।'

जगजीवन राम को यह बहुत अपमानजनक लगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि अछूत अलग है और हिन्दू अलग। उस समय तो वे कक्षा में चले गए।

जब कक्षा शुरू हो गई तो चुपचाप कक्षा से निकले और निशाना बनाकर एक ढेला 'अछूत घड़े' में दे मारा। घड़ा टूट गया और पानी फैल गया।

प्रधानाचार्य को पता लगा कि कितनी ने वह घड़ा तोड़ दिया है तो उन्होंने एक और अछूत घड़ा रखवा दिया। जगजीवन राम ने चुपके से उसे भी तोड़ दिया।

अगले दिन जब वे स्कूल पहुँचे तो उन्होंने तीसरी बार वहाँ अछूत घड़ा रखा देखा।

अब तो उन्होंने बगावत करने की ठान ली। छात्रों और अध्यापकों को देखते-देखते वे आगे बढ़े और "यह अमानवीय है" कहते हुए लात मार कर उन्होंने घड़ा तोड़ डाला।

अछूत बच्चों को इतने क्रोध से घड़ा तोड़ते जिन्होंने देखा, वे सकते में आ गए। तुरन्त प्रधानाचार्य से शिकायत कर दी गई।

प्रधानाचार्य बाहर निकल आए। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि घड़ा तोड़ने के बाद जगजीवन राम अब भी तने हुए वहीं खड़े थे। उन्होंने सजा के डर से भागने की कोशिश नहीं की थी।

प्रधानाचार्य धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़े तो उन्हें लगा कि वे अब उन्हें पीटेंगे। जगजीवन राम पिटाई खाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे इस अमानवीय व्यवस्था का विरोध करेंगे चाहे इसके लिए कुछ भी सहना पड़े।

परन्तु प्रधानाचार्य ने जगजीवन राम के पास पहुँचकर कहा, "शाबाश बेटे... मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूँ। अब से इस स्कूल में कोई अछूत घड़ा नहीं रखा जाएगा।" जगजीवन राम अपनी जीत पर गद्-गद् हो गए।

मालवीय जी की सिफारिश पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय गए

दावू जगजीवन राम जब दसवीं कक्षा में थे, प्रसिद्ध समाज सुधारक महामनन मदन मोहन मालवीय जी आरा आए। उनके स्वागत में मंच पर जाकर जगजीवन राम ने अभिनन्दन पत्र पढ़ा। मालवीय जी ने इस होनहार बालक की भराहना की और बोले, "मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, हाई स्कूल के बाद इतर में बनारस विश्वविद्यालय में दाखिला लेना। मैं तुम्हें छात्रवृत्ति दिलाऊँगा।"

जगजीवन राम ने कहा, "मैं छात्रवृत्ति नहीं लूँगा। परन्तु पढ़ने के लिए बनारस जरूर आऊँगा।" मालवीय जी को जब यह पता लगा कि जगजीवन राम दलित

समाज से हैं तो उन्होंने उन्हें एक बार फिर गले से लगाया और उनके साहस और निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की।

1926 में आरा हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास कर जगजीवन राम बनारस विश्वविद्यालय चले गए।

मैस में छुआछूत का विरोध

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जगजीवन राम होस्टल में रहते थे। जब वे मैस में खाना खाने गए तो ऊँची जाति के छात्रों ने उन्हें साथ विठाने का विरोध किया। मैस ने व्यवस्था दी, “क्योंकि तुम छोटी जाति के हो, अतः अपना खाना स्वयं बनाओ और अपने बर्तन स्वयं भाँफ करो।”

जगजीवन राम को बहुत घुरा लगा। उन्होंने वार्डन से कहा, “मैं विद्यालय का छात्र हूँ। मैं अपना भोजन अलग नहीं बनाऊँगा न अपने जूटे बर्तन साफ करूँगा। मैं सबके साथ बैठकर भोजन करूँगा। यह मेरा अधिकार है।”

वार्डन विवश था। छुआछूत का बोलबाला था। बड़ी जाति के लड़के छोटी जाति के लड़के के साथ कैसे खा सकते थे ? बड़ी जाति का कर्मचारी एक दलित बच्चे के जूटे बर्तन कैसे साफ कर सकता था ?

मैस कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अगले दिन खाना ही नहीं बना।

जगजीवन राम को होस्टल छोड़ना पड़ा। उन्होंने अस्सी घाट पर पेशगी किराया देकर एक कमरा ले लिया और वही रहने लगे। माँ भी उनके साथ आकर वही रहने लगीं।

एक दिन जगजीवन राम ने बाल कटवाने के लिए नाई को बुला लिया। नाई बाल काटने लगा। बाल काटते-काटते अचानक वह जगजीवन राम की जाति पूछ बैठा। जैसे ही उसे पता लगा कि वे चमार हैं तो उसने बाल काटना बीच में ही बंद कर दिया और बोला, “हम बड़ी जातिवालों के बाल काटते हैं, नीची जाति के लोगों के बाल काटेंगे तो बड़ी जाति वाले नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। यह तुम्हारी गलती है, तुम ने बाल कटवाने से पहले जाति क्यों नहीं बताई।”

इतना अपमान और उपेक्षा से भरा था हिन्दू समाज में दलितों का जीवन। हर कोई नीची नजर से देखता और बेइज्जत करता था। अपने आपको मानव मूल्यों का धारण और उच्च आदर्शों का प्रतीक मानने वाला हिन्दू समाज इतना पतित हो गया था कि वह अपने ही एक अंग को अपने से अलग मानकर उसका अपमान करता था।

जगजीवन राम को विद्यार्थी जीवन में पग-पग पर यह पीड़ा सहनी पड़ी।

1928 में बनारस विश्वविद्यालय से विज्ञान में इंटर की परीक्षा पास कर वे

कलकत्ता आ गए कलकत्ता में उनके बड़े भाई सत लाल जी सरकारी नौकरी में थे

उन्होंने कलकत्ता के विद्यासागर कालेज में बी. एस. सी. में दाखिला ले लिया। बी. एस. सी. करते समय उनके मन में संकल्प जागा कि समाज में फैली कुरीतियों से योजनाबद्ध ढंग से लड़ना होगा। जाति प्रथा और छुआछूत हिन्दू धर्म का अभिशाप है। इसे दूर करना होगा।

उन्होंने वेद, उपनिषद आदि धर्मग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वे जानना चाहते थे कि जातियाँ किस प्रकार बनीं और छुआछूत कैसे पैदा हुई।

जनवरी 1929 में उन्होंने कलकत्ता के विलिंगडन स्क्वेयर में मजदूरों व दलितों की एक सभा का आयोजन किया। इसमें बिहार, बंगाल तथा उ. प्र. के दलितों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

सभा का आयोजन बहुत सफल रहा। उन्होंने अपने पहले समाज सुधार भाषण में साबित कर दिया कि छुआछूत हिन्दू धर्म पर एक कलंक है। इसे मिटाना सभी पढ़े-लिखे हिन्दुओं की जिम्मेदारी है। बाबू जगजीवन राम के विचार समाचार पत्रों में छपे। विश्वविद्यालय के कुलपति ने जगजीवन राम की सराहना की। अगस्त 1929 में उन्होंने अखिल भारतीय रविदास सभा की स्थापना की। इसके प्रमुख उद्देश्य थे—दलितों का संगठन करना, दलितों को शिक्षा दिलाना, नशाबंदी का प्रचार करना आदि।

उनके इस प्रयास से दलित संगठित होने लगे। बाबूजी अछूतों के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते थे।

31 दिसम्बर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता युवा नेता पं० जवाहर लाल नेहरू ने की। 31 दिसम्बर को आधी रात के समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। नव वर्ष के पहले ही दिन 1 जनवरी 1930 को भारत की स्वतंत्रता का ध्वज फहरा दिया गया।

बाबू जगजीवन राम उस समय कलकत्ता में पढ़ रहे थे और दलित-आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। इसी वर्ष वे कांग्रेस में शामिल हो गए। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के साथ-साथ छुआ-छूत के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। वे दलित बस्तियों में ठहरते थे। दलितों के यहाँ खाना खाते थे। पानी पीते थे और उन्हें छुआ-छूत मिटाने के लिए तथा आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक जुट होने को कहते थे।

महात्मा गांधी के प्रयासों का जगजीवन राम पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके मन में बाबू के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। गांधी जी ने सचर्चा होते हुए भी अछूतोद्धार के कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा झौक दी थी।

उही दिनों भीमराव अम्बेडकर अछूतो और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात उठा चुके थे अम्बेडकर एक प्रभावशाली नेता थे दलित समाज उन्हें अपना मसीहा मानने लगा था। उन्हें छुआछूत प्रथा के कारण हिन्दू धर्म से ही घृणा होने लगी थी। अतः उन्होंने अछूतों को सघर्ष हिन्दुओं से अलग करने के प्रयास भी शुरू कर दिए थे।

गांधी जी जानते थे कि अम्बेडकर की यह नीति देश की अखंडता के लिए चुनौती बन सकती है। तदर्थ हिन्दुओं के पीढ़ियों पुराने अत्याचारों से दलित तग आ चुके थे, अंग्रेज भारतीय समाज को बांटने का एक और बहाना तलाश रहे थे। अतः गांधी जी ने अम्बेडकर की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया।

1931 में बी. एस. सी. की डिग्री लेकर बाबू जगजीवन राम अपने गांव चंदवा आ गए। इस समय तक उनके बड़े भाई श्री सतलाल भी सेवा-निवृत्त होकर चंदवा पहुँच चुके थे। यों ने बेटे की सफलता पर पूरे गांव में मिठाइयाँ बाँटीं। गांव के लोगों ने बाबू जगजीवन राम को उच्च शिक्षा पाने के लिए बधाई दी।

जगजीवन राम की माँ वसंती देवी चाहती थी कि उनका बेटा सरकारी नौकरी में कोई ऊँचा पद प्राप्त करे और ऊँची कुर्सी पर बैठे। परन्तु जगजीवन राम के मन में दो संघर्षों के बीज एक साथ पड़ चुके थे—दलित जाति के उद्धार के लिए संघर्ष तथा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष। वे कांग्रेस में शामिल हो चुके थे और गांधी जी के साथ मिलकर दोनों संघर्षों के नाम अपना पूरा जीवन लिख देने का निश्चय कर चुके थे। माँ के दिल को चोट न पहुँचे, माँ की आशाएँ एक साथ टूटने से माँ बीमार न पड़ जाए, इस डर से वे चुप थे।

उन्हीं दिनों पटना में अंजुमन इस्लामिया सभागार में एक विशाल छुआछूत विरोधी सभा का आयोजन हुआ। इसमें डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जगजीवन राम जी वक्ता के रूप में आमंत्रित थे।

इस सभा में जगजीवन राम जी ने कहा, “महात्मा गांधी के दिशा निर्देश और उनके नेतृत्व की छाया में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना हमारे जीवन का लक्ष्य है। पूर्ण स्वाधीनता के लिए लड़ाई छिड़ चुकी है। आंदोलन के नेता महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर सरकार ने यवदा जेल में डाल दिया है। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों को अलग देश बनाने के लिए उकसा रहे हैं। डॉ० बी. आर. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की है। ईसाई धर्म के पोष और प्रचारक अछूतों को अनेक तरह के प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई बनाने में लगे हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक अछूतों को बौद्ध बनाकर हिन्दू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। मैं धर्म के इन ठेकेदारों को साफ-साफ बता देना चाहता हूँ कि अछूत हिन्दू हैं और हिन्दू ही रहेंगे। हम हिन्दू पैदा हुए हैं और हिन्दू धर्म का पालन करते हुए ही मरेगे। राष्ट्र की रचना हम से हुई है। हमारी रचना राष्ट्र

से नहीं हुई। राष्ट्र हम से बड़ा है। राष्ट्र के महान नेता महात्मा गांधी ने यह प्रतिज्ञा की है कि छुआछूत को समाप्त करेंगे। मैं आज सब लोगों के समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि गांधी जी के छुआछूत समाप्त करने के प्रस्ताव को पूरे देश में लागू करने के लिए यदि मुझे अपने जीवन की बलि देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं कल से ही मध्य और दक्षिण भारत के दौरे पर निकल रहा हूँ। हमें धर्म परिवर्तन और छुआछूत दोनों के खिलाफ लड़ना है। आइये, हम प्रण लें कि इस देश को आजादी दिलाने के साथ-साथ इसे अर्खंडित बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा देंगे।”

बाबू जगजीवन राम जब माइक से पीछे हटे तो तालियों की गडगडाहट के साथ विशाल जन-समूह ने उनका स्वागत किया।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने जगजीवन राम को यत्ने से लगा लिया। उस दिन सब समझ गए कि युवा नेता जगजीवन राम के अन्दर देश का एक महान नेता छिपा है।

माँ मुझे आशीर्वाद दे, भारत माता की सेवा करूँ

फिर एक दिन जगजीवन राम पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ के पास पहुँचे और उनके चरण छूने के वाद बोले—“माँ मुझे आशीर्वाद दे.. मैं करोड़ों अछूतों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, गरीबों और मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए तथा देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ।”

माँ ने चौंककर बेटे के चेहरे पर देखा। उनकी आँखें नम थीं, पर मस्तक गर्व से उन्नत था।

उन्होंने पुत्र को छाती से लगाया और फिर सफलता का आशीर्वाद दिया।

स्वाधीनता संग्राम और दलितों के लिए एक साथ संघर्ष

माँ की अनुमति प्राप्त कर जगजीवन राम अपने जीवन के एक- मात्र मिशन से सीधे जुड़ गए। वह था—स्वाधीनता के लिए तथा दलितों के अधिकारों के लिए एक साथ संघर्ष।

उन्होंने पूरे देश में घूम-घूमकर सभाएँ की। ब्राह्मणों तथा अन्य सवर्ण जाति के लोगों से निवेदन किया कि वे अपने भाईयो का तिरस्कार करना छोड़ दें और उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार दें। अंग्रेजी राज को समाप्त करने के लिए आंदोलन तेज हो चुका है। अंग्रेज चाहते हैं कि देश के लोगों को आपसी समस्याओं में उलझा कर उन्हें कमजोर बनाए रखे और हिन्दुस्तान न छोड़ें। ऐसे में हम आपसी मतभेद भुलाकर कंधे से कंधा मिलकर एक जुट होकर खड़े हो जाएँ और अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंके।

दूसरी ओर उन्होंने अछूतों और दलितों को समझाया कि वे हिन्दू धर्म छोड़ने

या अलग निर्वाचन आदि माँगों के झँसे में न आएँ। इस सबसे देश कमजोर होगा। दलितों को उनके अधिकार मिलेंगे। स्वतंत्र भारत में कोई अछूत नहीं होगा। सब भाई-भाई की तरह रहेंगे और उन्नति करेंगे।

उनकी बाणी में जोश था, इरादों में दृढ़ता थी। वे जब बोलते थे तो लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी।

1935 में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया। इसी वर्ष उन्होंने कानपुर के समाजसेवी डॉ० वीरबल की पुत्री इन्द्राणी देवी से दूसरा विवाह कर लिया।

31 दिसम्बर, 1935 में जगजीवन राम ने हिन्दु महासभा की 17वीं बैठक में लखनऊ में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता मदनमोहन मालवीय जी ने की थी। इस सभा में भाषण करते हुए मालवीय जी भावुक हो गए। उन्होंने हरिजनों से कहा—“हरिजन हिन्दू धर्म न छोड़ें, मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाऊँगा।”

बाबू जगजीवन राम ने दलितों को विश्वास दिलाया कि जातिवाद और छुआछूत कुछ दिन के मेहमान हैं, इन्हें इस देश की धरती से शीघ्र विदा कर दिया जाएगा।

बाबू जगजीवन राम अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। उनका उद्देश्य था एक दलित नेता की हैसियत से दलितों को उनके हक दिलवाना। सार्वजनिक स्थानों, मन्दिरों, भोजनालयों, धर्मशालाओं में उन्हें प्रवेश दिलाना। कुएँ से पानी भरने और पाठशालाओं में पढ़ने की खुली दूट दिलवाना। दलित वर्ग लीग की ओर से अगस्त 1936 में बाबू जगजीवन राम ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। इस सभा का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया। बाबू जगजीवन राम ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा—“अंग्रेजों की साजिश है कि वे भारत के लोगों को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बाँट दें। वे हरिजनों को इससे अलग करना चाहते हैं, मुसलमानों को भी अलग होने के लिए उकसा रहे हैं। उनकी बाँटो और राज करो की नीति से सावधान रहना है। स्वाधीनता की लड़ाई सभी भारतवासियों की लड़ाई है।”

बाबू जगजीवन राम ने महात्मा गांधी को विश्वास दिलाया कि आजादी की लड़ाई में पूरा दलित समाज उनके साथ है।

1937 में जगजीवन राम ने खेतिहर मजदूर सभा का गठन किया। खेतों पर मजदूरी करने वाले मजदूरों को शोषण से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा करने का दायित्व इस संगठन ने संभाला।

17 जुलाई, 1938 को बाबूजी की पत्नी इन्द्राणी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया—सुरेश कुमार। उस समय बाबूजी हरिजन सेवक संघ

को बिहार प्रांत के सचिव थे और वहाँ से केवल 75 रु. मासिक वेतन लेते थे।

10 दिसम्बर, 1940 को बाबू जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में आरा शहर में बड़ी जनसभा में भाषण दिया। भाषण पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

10 अक्टूबर, 1941 को वे सैन्ट्रल जेल हजारीबाग से रिहा हुए और देश व समाज के काम में जुट गए।

इस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे जोरो पर था। अंग्रेज आजादी के नाम पर भारतीय नेताओं को गुमराह कर रहे थे। महात्मा गांधी को कई बार आजादी देने का विश्वास दिलाया और कई बार उसे तोड़ दिया। इससे कांग्रेस में गुस्ता भड़क उठा।

भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी

7 अगस्त, 1942 को कांग्रेस महासमिति की मुम्बई में बैठक हुई। देश भर के सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव तैयार किया गया।

8 अगस्त, 1942 को कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधी जी ने कहा 'अंग्रेजों भारत छोड़ो।'

सरकार का दमन-चक्र शुरू हो गया। 9 अगस्त को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, आसफ अली आदि नेता गिरफ्तार कर लिए गए।

बाबू जगजीवन राम को बिहार प्रांत में जन-जागरण का दायित्व सौंपा गया था। वे मुम्बई से चलकर बिहार आ गए और उन्होंने बड़ी तेज गति से बिहार में सभाएँ करके जन-जागरण अभियान चालू कर दिया। हर दिन जत्थे के जत्थे 'भारत छोड़ो आंदोलन' में गिरफ्तारी देने के लिए आगे आने लगे।

19 अगस्त, 1942 को बाबू जगजीवन राम जन-जागरण करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए।

बाबूजी 15 महीने तक जेल में रहे। अस्वस्थ होने के कारण 5 अक्टूबर, 1943 को सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया।

31 मार्च, 1945 को उनकी पत्नी इन्द्राणी देवी ने अपनी दूसरी सतान मीरा को जन्म दिया।

इधर लार्ड वैबेल भारत के वायसराय बने और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली तथा भारत के नए वायसराय लार्ड वैबेल ने मिलकर प्रांतीय चुनावों की घोषणा की। चुनाव हुए। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ने कांग्रेस की ओर से 151 सीटों पर चुनाव लड़ा और अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों ने 123 सीटें जीतीं। बाबू

जगजीवन राम निर्विरोध चुने गए। बाबू जगजीवन राम की दलित समाज पर पूरी तरह पकड़ होने का प्रमाण मिल गया।

देश को एक और विभाजन से बचाया

बाबू जगजीवन राम ने देश के लिए जितने महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्हें गिना नहीं जा सकता, परन्तु 1942 और 1947 के बीच अंग्रेजों ने दलितों और पिछड़ों के नाम पर एक और विभाजन की जो कांशिश की थी, उसे नाकामयाब करने का एकमात्र श्रेय बाबू जगजीवन राम को है।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर पिछड़ों और अछूतों पर सवणों के जुल्मों से इतने आहत हो चुके थे कि उन्होंने उनके लिए अलग देश बनाने की बात उठा दी थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की माँग रखकर अंग्रेजों के हाथों में देश के विभाजन का हथियार थमा चुकी थी। ऐसे में पिछड़ी जातियों के सामूहिक प्रयास से और नेतृत्व की मदद तथा अंग्रेजों की विभाजन-लालसा के कारण निश्चय ही एक और विभाजन हो गया होता।

बाबू जगजीवन राम ने इस विभाजन को रोकने का दायित्व अपने कंधों पर लिया और पूरा जोर लगाकर उसे रोक लिया। 1930 में कांग्रेस में आने के बाद से ही उन्होंने दलितों और पिछड़ों का रुझान अपनी ओर कर लिया था। वे देश की आजादी के साथ-साथ दलितों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उनकी उपेक्षा करके ब्रिटिश हुकूमत कोई फैसला नहीं ले सकती थी।

भारत को आजादी देने का सिलसिला जब शुरू हो गया तो देश की अंदरूनी स्थितियों को सुलझाने की दृष्टि से इंग्लैण्ड से केबिनेट मिशन भारत आया। दलितों व पिछड़ों के अनेक नेताओं की ओर से इंग्लैण्ड पर दबाव था कि उनके लिए अलग अधिकार दिए जाएँ।

8 अप्रैल, 1946 को बाबू जगजीवन राम जी ने स्पष्ट कहा—“हमें पृथक राष्ट्र की माँग अमान्य है। परन्तु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि हरिजनो व दलितों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। हरिजन हिन्दू हैं और वे हिन्दू ही रहेंगे। हिन्दुस्तान का कोई दलित पृथक राष्ट्र नहीं चाहता, जो ऐसा कहते हैं वे निहित स्वार्थों की राजनीति कर रहे हैं। हिन्दुस्तान उन्हें माफ नहीं करेगा।”

अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री

2 सितम्बर, 1946 को भारत में अंतरिम मंत्रिमण्डल का गठन हुआ। बाबू जगजीवन राम पिछड़ों और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ते-लड़ते अब तक इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें श्रम मंत्री बनाया। उन दिनों मजदूर वर्ग की समस्याएँ बड़ी विषम थीं। अंग्रेजों और उच्चवर्गीय भारतीयों ने मजदूर वर्ग का भारी शोषण किया था। उनकी आर्थिक दशा खराब

थी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जीवन-स्तर निम्न था। ऐसे में उनके दर्द को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जिस सूझ-बूझ और समर्पण भाव से काम करने की आवश्यकता थी, वह सब बाबू जगजीवन राम जी में मौजूद था।

पूरे देश में केवल बारह चुनिंदा व्यक्तियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। दलितों के नेता बाबू जगजीवन राम का इस सरकार में शामिल होना दलितों के लिए गौरव की बात थी। भारत के सारे दलितों ने वायसराय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा—“यह दलितों की प्रगति और दासता की समाप्ति के लिए गहन चिंतन पर आधारित साहसिक व क्रांतिकारी कदम है। हम वायसराय लार्ड वैवेल को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।”

अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। बाबू जगजीवन राम को इस सभा की अनेक समितियों के संचालन का दायित्व सौंपा गया।

बाबू जगजीवन राम ने केन्द्रीय ससद तथा प्रांतीय विधायिकाओं में जनसंख्या के अनुपात में दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण के सुझाव रखे। गांधी जी ने इन सुझावों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि आजादी के बाद भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया जाएगा।

आजादी का जश्न : आर्थिक आजादी का संकल्प

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ। एक दिन पहले पाकिस्तान बन चुका था। देश के विभाजन का दुख इतना गहरा था कि पूरी एक सदी लम्बे स्वाधीनता संग्राम के बाद मिली आजादी की खुशी अपनी मिठास खो चुकी थी।

विभाजन के कारण भड़की हिंसा के बीच आजादी का जश्न मनाया गया। लम्बे समय से जेलों की यात्रा करते-करते मुसीबतें और कष्ट सहते-सहते थक चुके भारतीय नेता गले मिले। एक-दूसरे को उन्होंने बधाइयों दीं और आजाद देश में नव निर्माण के संकल्प लिए। बाबू जगजीवन ने अपने जीवन में दो लड़ाईयाँ एक साथ लड़ने का संकल्प लिया था। भारत की आजादी और दलितों का उद्धार।

एक संकल्प तो पूरा हुआ। दूसरे की नींव रखी जा चुकी थी, अभी उसको आकार देना बाकी था। इस दिन जगजीवन राम जी ने दूसरा संकल्प दोहराते हुए कहा—“अब देश आजाद है। हमारा एक सदी पुराना स्वप्न पूरा हुआ। इस अवसर पर मैं उन समस्त देश-प्रेमियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस लम्बी लड़ाई में जेलों में यातनाएँ झेलीं और प्राणों की बलि दी। उनमें से अनेक आज हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु यह आजादी उन्हीं के संघर्षों का प्रतिफल है।”

अब हमारे सामने एक दूसरी लड़ाई बाकी है; वह है आर्थिक आजादी की

लड़ाई। राजनीतिक आजादी तो मिल गई, अभी आर्थिक आजादी प्राप्त करना बाकी है। इस आजादी में भारत के मंहनतकश वर्गों, दलित व पिछड़े वर्गों का हित शामिल है। समूचे देश की प्रगति का भविष्य इससे जुड़ा है।”

मजदूरों के मसीहा

बाबू जगजीवन राम के तीन रूप हमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं। उनका एक रूप था स्वाधीनता सेनानी का, दूसरा दलितों के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले नेता का, तीसरा एक कुशल और सक्षम प्रशासक था।

उनका तीसरा रूप तब सामने आया जब वे स्वाधीन भारत की सरकार में मंत्री बने। ५० जवाहरलाल नेहरू के सबसे पहले मंत्रिमंडल में बाबू जी को श्रम मंत्रालय का दायित्व दिया गया। अंतरिम सरकार में भी वे श्रम मंत्री रह चुके थे। उन्हें श्रमिकों की समस्याओं की समझ थी तथा उनके हितों का ध्यान था। बाबू जी ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाई और दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के सफल प्रयास किए। श्रमिकों के जीवन-स्तर को सुधारने, उनके लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उत्पादन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे।

उनकी श्रम-नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे मजदूरों का हित सबसे पहले देखते थे और मालिकों का हित उसके बाद। उनका विचार था कि भूखे पेट, फटेहाल और बीमार मजदूर न काम के साथ न्याय कर सकता है, न मालिक के साथ। पहले उसे तन व मन से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह अपना श्रम-कौशल दिखा पाएगा। शोषण और बेगार जैसी सामंती नीतियाँ मानवता विरोधी हैं। इनसे श्रम-शक्ति का भी ह्रास होता है, श्रम सस्कृति को गहरा आघात लगता है।

अपनी इसी नीति के तहत उन्होंने गाँव से लेकर महानगर तक के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की तथा कारखानों, और बड़े संस्थानों के मुनाफे में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया। शोषण से मुक्ति के लिए श्रमिक संगठनों के गठन पर बल दिया। ट्रेड यूनियन एक्ट को संशोधित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा—“हम उन श्रमिकों की अनदेखी नहीं कर सकते जो इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपनी माँगों और परेशानियों को मालिकों, जनता और सरकार के समक्ष रख सकें। ऐसे श्रमिकों के लिए यह सारभूत और आवश्यक है कि सरकार उनकी सहायता करने के लिए आगे जाए और उनकी दशा सुधारने, जिसका सम्बन्ध उनकी मजदूरी में वृद्धि और कार्य करने की दशाओं को सुधारने से है, के लिए कार्य करे।”

डाक व्यवस्था में क्रांति

मई 1952 में बाबूजी ने संचार मंत्रालय का कार्यकार सभाला और 1956 तक संचार मंत्री के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया।

13 अप्रैल, 1962 को एक बार फिर उन्हें संचार मंत्रालय मिला, साथ में परिवहन भी। डाक-तार विभाग की सेवाएँ किसी देश की सभ्यता व संस्कृति की पहचान होनी हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ, तब केवल 23,000 डाकघर थे। गाँवों में तो डाकघर प्रायः थे ही नहीं।

बाबू जगजीवन राम ने इस विभाग के विस्तार की नीति बनाई। उन्होंने घोषणा की कि 2000 की आवादी वाले हर गाँव में डाकघर की व्यवस्था होगी। 31 मार्च, 1953 से लेकर 31 मार्च, 1956 तक दो वर्ष की अवधि में 5,000 नए डाकघर खोले गए।

1962 में जब बाबूजी ने फिर इस मंत्रालय का दायित्व सभाला, उस समय डाकघर कुल मिलाकर 76,839 थे। इनमें से 7,336 शहरो में थे और 69,513 गाँवों में। बाबू जगजीवन राम जी की दूर-दृष्टि और कार्य-कुशलता से इतनी कम अवधि में इतनी डाक सेवाओं का इतना विस्तार हो सका। इसके अतिरिक्त उन्होंने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की नींव रखी। जिससे गाँव के कम आय वर्ग के लोगों, खासकर स्त्रियों को बचत करने का एक आधार मिल गया। सरकार को इससे जो धन प्राप्त हुआ, उससे विभाग के विकास में बड़ा सहयोग मिला।

31 मार्च, 1956 तक वायरलेस सेवा का पहला चरण पूरा हो गया था और देश 22 देशों के साथ जुड़ गया था। दूरभाष प्रणाली आरंभ कर दी गई। 1955 तक देश में 759 दूरभाष केन्द्र स्थापित कर दिए गए।

परिवहन विभाग में भी उन्होंने तेजी से विकास कार्य किए। हवाई सेवाओं का विकास, वैधशालाओं और राडारों की स्थापना, जहाजरानी सेवा का विस्तार तथा संबंधित कर्मचारियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने में बाबू जी ने अपनी कुशल प्रशासन एवं प्रबंधन नीति का परिचय दिया।

रेल मंत्री के रूप में स्वर्णिम कीर्तिमान

7 दिसम्बर, 1956 को बाबू जगजीवन राम ने रेल मंत्रालय का दायित्व सभाला। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से रेल सेवाओं के विस्तार एवं विकास के कार्यक्रम लागू किए। रेलगाड़ियों में सुविधाएँ बढ़ाने, अच्छी सीटों, पंखों, शौचालयों आदि की व्यवस्था करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। नई रेलवे लाइनें बिछाने, मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ाने तथा रेलवे मार्गों के विद्युतीकरण पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उनके कार्यकाल 1956 से 1962 तक 653.39 किलोमीटर नवनिर्मित छोटी लाइनों पर रेलगाड़ियाँ शुरू की गईं। 1609.34 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइनें

तथा 402.34 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइनें बिछाने का काम आरम्भ किया गया।

उनके कार्यकाल में 25,000 लोकोमोटिव तथा 75,000 रेल के डिब्बों और 99,000 मालगाड़ी के डिब्बों को देश के रेल यालायात में शामिल किया गया।

इसी अवधि में जगजीवन राम जी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोगों को रेलवे विभाग में से बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान किए। पानी पिलाने के काम पर दाल्मिक जाति के युवकों को लगाकर उन्होंने उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाया। अछूतों के हाथों से पानी पीने में कुछ दिन लोगों ने ऐतराज किया, बाद में धीरे-धीरे यह स्वीकार कर लिया गया। जगजीवन राम जी का यह कदम अत्यधिक क्रांतिकारी था। इस कदम से अछूत तथा दलित समाज को श्रेष्ठ समाज से जुड़ने और राष्ट्र की मुख्यधारा में खड़े होने का अवसर मिला।

कृषि एवं सहकारिता क्रांति

13 मार्च, 1967 को वाबूजी खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्री बने। इस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। अंग्रेजी शासन काल में और आजादी के बाद के वर्षों में भी अब तक देश खाद्यान्न की कमी महसूस करता रहा था। यह एक सुखद संयोग था कि सूखा पीड़ित देश में वाबूजी के मंत्रालय सभालते ही मौसम संभल गया। जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की उसी दिन बादल घुमड़े और बरसात हुई।

11 अप्रैल, 1967 को उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन एवं संरक्षण को केन्द्र में रखते हुए देश की खाद्य समस्या पर लिखित प्रस्ताव रखा, जिसमें उत्पादन अनुमान तथा उत्पादन वृद्धि की योजना का विस्तार से वर्णन किया गया था। सरकार द्वारा अनाज की खरीद, भंडारण तथा कमी पड़ने पर रियायती दर पर उसके वितरण की नीति पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। जमाखोरी करने तथा कमी की स्थिति में ऊँची कीमत पर अनाज बेचने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर खरीद कर किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने तथा उन्हें बाजार के झंझट से बचाने की योजना पर भी विचार हुआ।

हरित क्रांति की योजना तैयार की गई। उत्पादन के लिए मौजूद संसाधनों का नियोजन किया गया तथा और अधिक संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू हो गए। 1966-67 में अधिक उपजाऊ बीजों को बोनो का क्षेत्रफल 18.9 लाख हैक्टेयर था जो वाबूजी के प्रयासों से 1967-68 में बढ़कर 60.7 लाख हैक्टेयर हो गया। 1969-70 में यह बढ़कर 109 लाख हैक्टेयर हो गया।

1967-68 में अन्न के उत्पादन में 28.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। पाँच वर्ष की

अवाधे मे हरित क्रांति के फलस्वरूप दश खाद्यान मे पूरी तरह आयनिर्भर हो गया 1970 71 मे बाबू जगजीवन राम ने गव के साथ घोषणा की कि अब अमेरिका से गेहू के आयात की आवश्यकता नहीं है

रक्षा मंत्री के रूप में बाबूजी

29 जून, 1970 को बाबू जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री बने। श्रीमती इन्दिरा गांधी उस समय देश के नवनिर्माण मे जुटी थीं। 1965 मे भारत-पाकिस्तान युद्ध हो चुका था। पाकिस्तान अब भी भारत के साथ सीमा पर छेड़खानी करने मे लगा था।

दिसम्बर, 1970 में पाकिस्तान मे चुनाव हुए और आवामी लीग के अध्यक्ष श्री मुजीबुर्हमान को पूर्वी पाकिस्तान में 169 मे से 167 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासक याहिया खॉ ने मुजीब के प्रधानमंत्री बनने तथा उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हजारों लोग क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिए गए।

बाबू जगजीवन राम एक दूरदर्शी नेता थे। वे समझ गए कि पूर्वी पाकिस्तान पर हमला पाकिस्तान का निजी मामला मात्र बनकर नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान भारत से जरूर टकड़ाएगा, उसे तो वहाना चाहिए। अतः उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के साथ विचार-विमर्श कर रूस के साथ सुरक्षा-सन्धि पर जोर दिया।

9 अगस्त, 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच नई दिल्ली में 20 वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। सन्धि में कहा गया था कि इस अवधि मे यदि कोई देश हम में से किसी पर हमला करेगा तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेगे। रूस से अनेक आधुनिकतम हथियार भी खरीदे गए।

3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। बाबू जी ने सुरक्षा सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया।

भारतीय सेनाओं ने हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेनाओं को भारी नुकसान पहुँचाया। ढाका के किले में 90 हजार से अधिक पाकिस्तानी सैनिक घिर गए। उन्होंने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और भारत ने यह युद्ध जीत लिया। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन गया। भारत ने उसे सबसे पहले मान्यता दी।

बाबू जगजीवन राम की दूरदर्शिता और सही वक़्त पर सही फैसला लेने की क्षमता के कारण भारतीय सुरक्षा सेनाओं का मनोबल बहुत ऊँचा रहा और बड़ी विषम परिस्थितियों मे उन्होने भारी विजय प्राप्त की।

आपातकाल और बाबूजी

बाबू जगजीवन राम सदा लोकप्रिय रहे। वे इतने व्यवहार-कुशल सरल और

विनम्र थे कि विपक्ष उनका पूरा आदर करता था। इन्दिरा जी ने सदैव उनके योगदान की सराहना की और उन्हें विशेष सम्मान दिया।

परन्तु 1975 में देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोकतंत्र की मर्यादाओं का चकनाचूर कर दिया। तब बाबूजी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। इन्दिरा जी के विश्वास को तोड़ना, उनका साथ छोड़ कर अलग हो जाना उनके लिए कठिन था। कांग्रेस के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी थी। बाबू जी जानते थे कि यदि उन्होंने विरोध में त्यागपत्र दिया अथवा पार्टी छोड़ी तो पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उसे फिर भरा न जा सकेगा। बाबूजी अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह गए थे, वे पार्टी बन चुके थे। वे देश के साथ एकाकार हो चुके थे।

26 जून, 1975 को समूचे देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी और पूरे डेढ़ वर्ष तक विपक्षी नेताओं से जेलें भरी रहीं। बाबू जी अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध यह सब सहते रहे। अतः उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने 2 फरवरी, 1977 को अपने पद तथा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 42 वर्ष तक दल तथा देश की सेवा करने के बाद जब बाबूजी अपने नई दिल्ली स्थिति निवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग पहुँचे तो उन्हें सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था।

उसी दिन शाम को उन्होंने अपने निवास पर अपने समर्थकों एवं प्रशंसकों की भारी भीड़ के बीच 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' के गठन की घोषणा की। 30 प्र० के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नदन बहुगुणा, उड़ीसा की पूर्व मंत्री श्रीमती नदिनी सत्यपथी तथा वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद श्री डी एन. तिवारी आदि अनेक महत्वपूर्ण नेता 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' में शामिल हो गए।

इस्तीफा देने से पहले उन्होंने इन्दिरा जी से भेंट कर उन्हें बहुत समझाया था कि वे आपातकालीन स्थिति वापस ले लें और देश में चुनाव कराएँ। परन्तु उन्होंने बाबूजी का सुझाव मानने से साफ इनकार कर दिया।

बाबूजी के पार्टी से निकलने के बाद वे अपनी जिद पर और अधिक नहीं टिक सकीं। उन्हें नये चुनाव कराने पड़े।

अब उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और उनकी पार्टी ने भारी विजय प्राप्त की।

1977 में बनी मोरारजी देसाई की सरकार में वे रक्षा मंत्री बने। देश के रक्षा विभाग को सभालने के साथ-साथ अब उन्होंने समता के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया। यह सिद्धांत समाज में समरसता और समता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। पिछड़ों तथा गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से तथा समाज में जाति व वर्ग से ऊपर उठकर एक ठोस बदलाव लाने की दृष्टि से यह सिद्धांत लाया गया था।

जनवरी 1979 में बाबूजी को उप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण जी बाबूजी का बहुत सम्मान करते थे।

अंतिम जन्मदिन और महाप्रयाण

5 अप्रैल, 1986 को बाबूजी का 78वा जन्मदिन 'समता दिवस' के रूप में बड़ी पूम धाम से मनाया गया।

तब तक देश में भारी परिवर्तन हो चुके थे। 1980 में फिर से सत्ता में आई श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनके ही सिख सुरक्षा गार्डों ने गोली से उड़ा दिया था और उनके बड़े बेटे श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे।

बाबूजी अब विपक्ष में थे। उन्हें राजनीति में अब अधिक रुचि नहीं रह गई थी। इस अवसर पर श्री राजीव गांधी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका की सराहना की और उनसे मार्ग-दर्शन करने का निवेदन किया।

बाबूजी प्रधानमंत्री की विनम्रता पर गद्गद् थे। इस अवसर पर बोलते हुए वे भादुक हो गए, "मैंने राष्ट्र को सदैव सर्वोपरि माना है। मैं रहूँ न रहूँ लेकिन भारत सदा रहेगा। जहाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रश्न आता है, वहाँ न जाति, न धर्म, न भाषा और न क्षेत्र बड़ा है। राष्ट्र की तुलना में ये सभी छोटे पड़ जाते हैं। राष्ट्र है तो यह सब है। जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो क्या वे सब हमारे समक्ष होंगे ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है।"

8 मई, 1986 को उनकी साँस में अचानक अवरोध पैदा हो गया और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया। भारी थिकित्सा व्यवस्था के बावजूद वे ठीक न हो सके।

6 जुलाई को प्रातःकाल ही बाबू जगजीवन राम ने अपनी अंतिम साँस देश को समर्पित कर दी। सारा देश शोक में डूब गया।

डॉ० के. आर. नारायणन

(27 अक्टूबर, 1920)

भारत के दसवें राष्ट्रपति पद पर (25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002 तक) आसीन रहे डॉ० के. आर. नारायणन सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रशासनिक व राजनयिक हैं। उन्होंने अपने जीवन के लगभग छः दशक राष्ट्रीय सेवा में लगाए हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद उनका जीवन समाज-सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है।

श्री के आर नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर, 1920 को केरल के कोट्टायम जिले में उझावूर नामक गाँव में हुआ था। श्री नारायणन के पिता श्री के. आर वाडियार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के ज्ञाता थे और गाँव में गरीबों की चिकित्सा कर कुछ आमदनी कर लेते थे परन्तु यह आमदनी इतनी कम थी कि इससे गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था।

प्राइमरी शिक्षा तक तो अधिक परेशानी नहीं आई। उनके पिता किसी तरह उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते रहे। उनकी प्राइमरी शिक्षा कुरिविन्तम में हुई थी। उझावूर से कुरिचिन्तम तक नारायणन को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था।

आगे की पढ़ाई के लिए नारायणन को कुरविलंगडु जाना पड़ा। पिता की आय इतनी अधिक नहीं थी कि बाहर रखकर नारायणन की पढ़ाई का बोझ उठा सकें। बड़ी मुश्किल से वे घर का खर्चा पूरा कर पा रहे थे। नारायणन की मेहनत और लगन ने पिता की कठिनाई कम कर दी। नारायणन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर छात्रवृत्ति ले ली और आर्थिक समस्या सुलझ गई।

शिक्षा के दौरान दलित जातियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आर्थिक समस्या का मुकाबला तो मेहनत और मजदूरी से कर भी लेते थे परन्तु सामाजिक तिरस्कार की समस्या बहुत कष्टदायक थी। बाबा साहब अम्बेडकर और श्री जगजीवन राम को शिक्षा के दौरान अनेक प्रकार की सामाजिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा था। छुआछूत और ऊँच-नीच के भेद-भाव के

कारण कक्षाओं में और विद्यालय परिसर में जो अपमान झेलना पड़ता था उसे सहन करना कठिन हो जाता था। दक्षिण में पेरियर रामास्वामी के सवर्णों के विरुद्ध आंदोलन आर बाबा साहब अम्बेडकर के सघष के कारण स्थितियाँ उतनी विषम नहीं रही थीं। अतः नारायणन को अधिक कठिनाई नहीं आई।

नारायणन की एक और विशेषता थी, वे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर थे तथा अपने काम से काम रखने में विश्वास रखते थे। उन्हें बहुत मेहनत से पढ़ने, अच्छे अंक प्राप्त करने और शिक्षकों की प्रशंसा का पात्र बनने की धुन थी। अतः वे मान-अपमान पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। इस आदत से उन्हें बहुत लाभ हुआ। उनका मन पूरी तरह पढ़ाई में लगा रहा। हर कक्षा में वे प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे और छात्रवृत्ति लेते रहे।

श्री नारायणन ने तिरुवनन्तपुरम विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स से बी. एस्. सी. की डिग्री प्राप्त की।

1943 में वे द्रावनकोर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बन गए। युवा प्रवक्ता श्री के आर. नारायणन की शिक्षण शैली इतनी सरल और सटीक थी कि वे छात्रों में बड़ी तेजी से लोकप्रिय होने लगे। इसी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के कारण वे पहले ही चर्चित हो चुके थे। विश्वविद्यालय के छात्र उन्हें अपना आदर्श मानते थे। अपनी कक्षा में जब वे पढ़ा रहे होते थे, उस समय छात्रों का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर रहता था। श्री नारायणन की छवि हर छात्र के लिए प्रेरणा बन गई थी।

पत्रकार श्री नारायणन

श्री के आर. नारायणन बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। उन्होंने अपने छात्र-जीवन में पूरी एकाग्रता और लगन से अध्ययन किया था। वे केवल अपनी पाठ्यपुस्तकों का ही अध्ययन नहीं करते थे, अपितु देश की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों की भी पूरी जानकारी रखते थे।

यह वह समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा चुका था और भारत के लगभग सभी बड़े नेता जेलों में बंद थे। देश में राष्ट्र-प्रेम उभार पर था। देश की जनता आजादी का फैसला ले चुकी थी। देश के नेता 'आजादी लेकर रहेंगे' का नारा बुलंद कर चुके थे। अब आजादी अधिक दूर नहीं थी। अंग्रेज भी समझ गए थे कि अब वे एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं कि वहाँ से वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी ने यूरोप के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। फ्रांस को इरान और ब्रिटेन को चुनौती देने के बाद जर्मनी का शासक हिटलर रूस में जा घुसा था। घमासान युद्ध जारी था।

इन परिस्थितियों में श्री के. आर. नारायणन केरल विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ा कर संतुष्ट नहीं हो सकते थे। अध्ययन और अध्यापन तो हर योग्य और विद्वान व्यक्ति को प्रिय होता है, अतः उन्हें भी प्रिय था, परन्तु उनके मन में जो चिन्ता सुलग रही थी, वह थी दलित व शोषित समाज को न्याय दिलाने की। सदियों से दलित समाज सवर्णों के अत्याचारों की मार झेलता आ रहा था। भीमराव अम्बेडकर दलित आंदोलन में देश भर में सक्रिय थे। दलितों तथा पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारों को लेकर उथल-पुथल मची थी। समाज जाग चुका था, परन्तु स्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं।

प्रभावशाली सवर्णों की ताकत का सहारा लेकर अंग्रेज भारत में अपने पैर जमाए हुए थे और बदले में अंग्रेजों से ऐसे अधिकार प्राप्त कर चुके थे, जिनके कारण उन्हें चुनौती देना कठिन हो रहा था।

ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त किए बिना सवर्णों के विशेषाधिकारों पर हाथ नहीं डाला जा सकता था। इसलिए भीमराव अम्बेडकर सहित सभी पिछड़े समाज के नेता गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। बाबू जगजीवन दलितों का राजनीतिक नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें यह बात समझाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि दलितों की लड़ाई दो मोर्चों पर है—एक सवर्णों और संपन्नों के विरुद्ध, दूसरी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। यह ध्यान रहे कि सवर्णों के विरुद्ध दलितों की लड़ाई का नाजायज फायदा अंग्रेज न उठा पाएँ।

श्री के. आर. नारायणन जिस समय द्रायनकोर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता की हैसियत से काम कर रहे थे तभी उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हो गया था। वे अपने सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मद्रास से प्रकाशित लोकप्रिय अंग्रेजी समाचार पत्र 'द हिन्दू' तथा बम्बई से प्रकाशित 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लिए काम करना शुरू कर दिया।

श्री के. आर. नारायणन अपने विचारों में बिल्कुल स्पष्ट थे। वे दलितों के उद्धार के लिए सक्रिय थे। दलितों तथा पिछड़ी जातियों को सवर्णों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वे संघर्षरत थे, परन्तु दलितों के लिए अलग देश बने, यह विचार उन्हें पसंद नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर सवर्णों के अत्याचारों से इतने तंग आ चुके थे कि वे दलितों को उनसे पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए देश के बँटवारे तक को तैयार थे। श्री० के. आर. नारायणन अंग्रेजों की चाल से परिचित थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मुहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग उठा दी थी। अंग्रेज इस मांग का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर शिकंजा कसने लगे थे और आजादी को टालने का बहाना तलाश रहे थे।

उस समय अपनी पत्रकारिता के माध्यम से श्री० के. आर. नारायणन ने

महात्मा गांधी तथा बाबू जगजीवन राम के विचारा का समर्थन किया समाचार पत्रों में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, पिछड़े समाज के लिए शिक्षा तथा नाकरियों में प्राथमिकता को आधार बनाकर भी उन्होंने लेख लिखे। भारतीय समाज में शिक्षा के अभाव में नारी-दुर्दशा पर भी उन्होंने क्रम चलाई। स्वर्ण तथा दलित दोनों ही समाज नारी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे थे। श्री के. आर. नारायणन ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर बहुत जोर दिया। स्वदेशी की असफलताओं को भी उन्होंने निशाना बनाया।

1945 में श्री के. आर. नारायणन लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का विशेष अध्ययन किया। इस अवधि में उन्हें 'टाटा स्कालरशिप' प्रदान की गई। इस अवधि में वे लंदन में मुम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र 'सोशल वेलफेयर' के लंदन सवाददाता रहे। तीन वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवाएँ इस समाचार पत्र की प्रदान की।

भारत सरकार की सेवा में

लंदन में अपना अध्ययन कार्य समाप्त करने के बाद जब वे भारत लौटे तब तक देश आजाद हो चुका था। 1945 से 1948 तक वे लंदन में रहे। इस अवधि में हिन्दुस्तान आजाद हो चुका था। पाकिस्तान बन चुका था। बंटवारे को लेकर दोनों देशों में लाखों लोग मारे जा चुके थे। 30 जनवरी, 1948 को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या भी हो चुकी थी।

1949 में श्री नारायणन भारतीय विदेश सेवा विभाग में शामिल हो गए। इस समय भारत का संविधान निर्माणाधीन था। श्री जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तथा डॉ० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति थे।

विदेश विभाग की ओर से डॉ० नारायणन ने भारतीय राजदूत के रूप में रंगून, टोकियो, कैनबरा तथा हनोई में अपनी सेवाएँ दीं।

1949 से 1978 तक डॉ० के. आर. नारायणन भारतीय विदेश विभाग में विभिन्न पदों पर रहे। इस अवधि में उन्हें चीन, तुर्की, थाइलैण्ड, अमेरिका आदि देशों में रहने का अवसर मिला। भारतीय राजदूत के रूप में डॉ० नारायणन अत्यधिक लोकप्रिय तथा सफल रहे। अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार था। अनेक देशों की संस्कृति और रीति-रिवाजों की उन्हें जानकारी थी। वे जहाँ-जहाँ भी गए अपनी व्यवहार कुशलता और मिलनसारता के कारण उन्होंने भारत के अच्छे संबंध स्थापित किए।

जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर

डॉ० के. आर. नारायणन शिक्षा एवं प्रशासन दोनों कार्यों में दक्ष हो चुके थे।

उन्होंने तीन दशक विदेशों में बिताए थे। उन्होंने वहाँ राजनीतिक सबंध स्थापित करने के साथ-साथ शिक्षा एवं संस्कृतियों का भी अध्ययन किया। उनकी सभी गतिविधियों के केन्द्र में अपना देश और अपना समाज था।

1978 में विदेश सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें देश में रहकर काम करने का अवसर मिला। जनवरी, 1979 में उन्हें दिल्ली के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 'जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी' का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अक्टूबर 1980 तक वे इस पद पर रहे।

इस अवधि में उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने अनुभवों का लाभ पहुँचाया। छात्रों की समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करने का प्रयास किया। अनेक ऐसे पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में शामिल करवाया, जिनकी आवश्यकता अनेक वर्षों से महसूस की जा रही थी और जो विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी थे।

अमेरिका में भारत के राजदूत

भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी डॉ० के. आर. नारायणन को क्षमताओं और योग्यताओं से बहुत प्रभावित थीं। विभिन्न देशों के राजदूत के रूप में वे अनेक वर्षों तक विदेशों में भारतीय समस्याओं का समाधान खोजते रहे थे। उन्हें अमेरिका के लिए किसी सुलझे हुए राजनयिक की आवश्यकता थी। अमेरिका के साथ भारत के संबंध उस समय बहुत अच्छे नहीं थे। अतः श्रीमती गांधी ने डॉ० के. आर. नारायणन को अमेरिका में भारतीय राजदूत बनाकर भेजा।

डॉ० नारायणन ने अपनी विनम्रता और व्यवहारकुशलता के बल पर दोनों देशों के संबंध सामान्य करने के प्रयास किए और उन्हें काफी सफलता मिली। उन दिनों भारत सिख आतंकवाद से जूझ रहा था। अनेक आतंकवादी सिख नेता पाकिस्तान से मदद ले रहे थे, अनेक अमेरिका में रहकर भारत में आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। डॉ० के. आर. नारायणन ने अमेरिका में भारत का पक्ष रखा और अमेरिका से भारत में आतंकवाद को मदद मिलने की स्थिति को नियंत्रण में किया।

1974 में भारत परमाणु महाशक्ति बनने के उद्देश्य से सक्रिय कदम उठा चुका था। उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ही थीं। भारत की सुरक्षा पर मंडराते खतरों को देखते हुए श्रीमती गांधी ने परमाणु वम बनाने का निश्चय किया था, परन्तु अमेरिकी विरोध के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी थी और अमेरिका से संबंध बिगड़ गए थे। डॉ० के. आर. नारायणन ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सुरक्षा एवं विकास की समस्याएँ अमेरिका के सामने रखीं तो उसे सच्चाई समझने का मौका मिला। अमेरिका की ओर से भारत की समझने के प्रयासों का सिलसिला शुरू हुआ।

राजनीति में प्रवेश

1983 तक डॉ० नारायणन अमेरिका के राजदूत रहे। इसके बाद वे भारत वापस आ गए।

अब श्री नारायणन ने शेष जीवन राजनीति के माध्यम से देश तथा समाज की सेवा में व्यताने का फैसला लिया।

भारत में संविधान के माध्यम से दलित तथा पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका था। इससे उनमें नवचेतना का संचार हुआ था और आगे बढ़कर अपने अधिकार लेने की प्रवृत्ति जागी थी।

इसके साथ आरक्षण की राजनीति भी देश में उत्तर आई। पिछड़ी जातियों का वोट बैंक 52 % से अधिक होने के कारण हर राजनीतिक दल उनके मतों से सत्ता में पहुँचने के मनसूबे बनाने लगा।

डॉ० के. आर. नारायणन दलितों और पिछड़ों के हितैषी अवश्य रहे हैं परन्तु इसका लिए सर्वोपेक्षा के साथ ठकराव की स्थिति पैदा करने और उससे राजनीतिक लाभ उठाने के वे सर्वथा विरोधी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तथा भारत के महान नेताओं ने भारतीय संविधान का गठन ही कुछ इस प्रकार किया है कि शिक्षा एवं सेवाओं में भागीदारों के द्वारा धीरे-धीरे उनका उत्थान सुनिश्चित है। संविधान में विश्वास रखते हुए तथा राजनीतिक सत्ता का उपयोग करते हुए बिना जातीय संघर्ष के पिछड़ी जातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जा सकता है और देश से अततः जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। दलित नेताओं के राजनीति में आने तथा उच्च पदों पर पहुँचने से दलितों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक, राजनीतिक तथा उत्पादन आदि सभी प्रकार के कामों में उनकी रुचि पैदा होती है।

इसी उद्देश्य से डॉ० के. आर. नारायणन ने अमेरिका से लौटने के बाद राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। पहला लोक सभा चुनाव उन्होंने केरल के श्रीटा पालम चुनाव क्षेत्र से लड़ा और वे जीत कर संसद में पहुँचे।

अपनी राजनीतिक गतिविधियों में तथा जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता को यही संदेश दिया कि दलित और पिछड़े लोग विशेष सुविधाओं और अधिकारों के हकदार हैं। सदियों से इस देश में उपेक्षा और तिरस्कार की मार सहते-सहते वे बिल्कुल नष्ट होने की स्थिति में पहुँच गए। भारत के महान नेता महात्मा गांधी ने दलितों का मनोबल बढ़ाया और आश्वासन दिया कि देश में जब अपना राज आएगा तो कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। सब स्वाधीन देश के समान अधिकार प्राप्त नागरिक होंगे। देश आजाद हुआ। अपना संविधान बना, अपनी सरकारें बनीं और दलितों की स्थिति में भारी बदलाव आया। महात्मा गांधी का स्वप्न साकार हुआ। परन्तु अभी बहुत सी समस्याएँ बाकी हैं। विकास की प्रक्रिया से अभी दलितों का

सीधा जुड़ना और सत्ता में भागीदारी करते हुए आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना सबसे बड़ी समस्याएँ हैं। सामाजिक समस्याओं का हल तो काफी हद तक हो चुका है जीवन स्तर को ऊपर उठाना और समतामूलक समाज बनाना, जाति व वर्गहीन समाज बनाना अभी शेष है। जब दलित शिक्षित होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी हर काम में भागीदारी होगी तो ये सब समस्याएँ भी समय के साथ सुलझ जाएगी।

दूसरी बार इसी क्षेत्र से उन्होंने फिर 1989 में लोकसभा का चुनाव जीता और तीसरी बार 1991 में। तीन बार लगातार लोकसभा की सीट एक ही चुनाव-क्षेत्र से जीतने के बाद क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गए।

1985 में केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री बने। 1985-86 में वे विदेश मंत्री बने। 1986 से 1989 तक वे प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा समुद्री विकास मंत्री तथा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान के उपाध्यक्ष रहे।

भारत के उपराष्ट्रपति

21 अगस्त, 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। जुलाई 1997 में देश के राष्ट्रपति चुने जाने तक उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर काम किया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में उन्होंने राज्य सभा के सभापति का दायित्व बड़ी सफलता से निभाया।

इस अवधि में उन्हें राज्यसभा की कार्यवाहियों तथा कार्यक्रमों को संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के अनेक महान राजनीतिज्ञों के साथ विचार-विमर्श का मौका मिला। देश की समस्याओं को और अधिक नजदीकी से समझने तथा उन्हें हल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जानने का अवसर मिला। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया। बड़ी विपन्न स्थितियों में भी सदन का सफलतापूर्वक संचालन किया। उनकी योग्यताओं, अनुभवों और विनम्र स्वभाव के कारण सदस्य उनका बहुत आदर करते थे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व

डॉ० नारायणन भारत को अच्छी तरह समझते थे तथा उन्हें भारतीय समस्याओं की पूरी जानकारी थी। वे पूरी तरह मानवीय और न्यायप्रिय थे। इसीलिए उन्हें सरकार ने विदेशों में अनेक प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने के लिए भेजा।

1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के सदस्य बने। अपने अनुभवों से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नवम्बर, 1985 में नामीबिया की स्वाधीनता का मामला निबटाने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया। नामीबिया के लोगों

का स्वाधानता दिलवान में मदद करने में सबसे आगे रहे उन्होंने नामीबिया के लोगों की भावनाओं को समझा और उन्हें पूरा आदर दिलान का प्रयास किया।

1986 में हरारे में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस सम्मेलन में जाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाया। डॉ० के. आर. नारायणन इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए गए। उन्होंने देश के युवा प्रधानमंत्री को अपने लम्बे अनुभवों के आधार पर विशेष सहयोग दिया।

मई 1986 में अफ्रीका की गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष सत्र बुलाया। डॉ० के. आर. नारायणन को इस सत्र में शामिल किया गया। डॉ० के. आर. नारायणन को विदेशी मामलों की अच्छी जानकारी थी। जीवन के तीन दशक विदेशों में बिताने के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के व्यक्ति बन गए थे। दूसरे देशों की समस्याओं का अध्ययन करने, समझने और उन्हें दूर करने में डॉ० के. आर. नारायणन सदा विशेष रुचि लेते रहे थे। उनके इसी अनुभव का लाभ उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष सत्र में उन्हें अपने साथ लेना उपयुक्त समझा।

विभिन्न संस्थाओं से संबंध

डॉ० के. आर० नारायणन का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने अपने देश और विदेशों में अनेक विषयों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था। सीखना उनका सदा शौक रहा। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे विभिन्न विषयों के अच्छे जानकार बन गए थे। भारत की विभिन्न संस्थाओं ने उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ने में गर्व का अनुभव किया। डॉ० के. आर. नारायणन तो देश की हर प्रकार से सेवा करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने सदा आगे बढ़कर अपने अनुभव बाँटे और अपने मार्ग दर्शन से संस्थाओं को लाभ पहुँचाया।

वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध समिति के अध्यक्ष रहे, भारतीय लोकप्रशासन संस्थान के अध्यक्ष रहे। रामकृष्ण मिशन संस्थान कलकत्ता ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना तथा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर थिंग पीपुल ने उन्हें संरक्षक पद सौंपा।

इसके अलावा वे निम्न संस्थाओं के चेयरमैन भी रहे—

द ज्यूरी ऑफ द जवाहर लाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग

द इंटरनेशनल ज्यूरी फॉर द इन्दिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एण्ड डेवलपमेंट

राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सलाहकार समिति।

द ज्यूरी फॉर इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रौसी।

द ज्यूरी फॉर इटिरा गाधी पर्यावरण पुरस्कार ।

द ज्यूरी फॉर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड फॉर सोशल अंडरस्टेडिंग एण्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ।

द ज्यूरी फॉर बी. आर अम्बेडकर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल चेज

द ज्यूरी फॉर घनश्यामदास बिरला अवार्ड्स फॉर ह्यूमेनिज्म, इंडियाज हेरिटेज एण्ड कल्चर एण्ड रूरल अपलिफ्टमेंट, द ज्यूरी फॉर कम्युनल हारमनी अवार्ड्स ।

लेखक डॉ० के. आर. नारायणन

अपने अनुभवों तथा जानकारियों को देश-विदेश के पाठकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से डॉ० के. आर. नारायणन ने तीन महत्त्वपूर्ण किताबें लिखी हैं—

(1) इंडिया एण्ड अमेरिका एसेज इन अण्डरस्टेडिंग ।

(2) इमेजिज एण्ड इनसाइट्स ।

(3) नॉन एलाइनमेट इन कंटेपोररी इटरनेशनल रिलेशन्ज ।

इसके अतिरिक्त उन्हें लेख-लिखने का बहुत शौक है। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के लेख लिखे हैं। पत्रकारिता और लेखन से उनका पहले से ही विशेष लगाव रहा है। अपने अति व्यस्त राजनीतिक जीवन में से समय निकाल कर उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह राष्ट्र और समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है।

सदस्यता एवं उपलब्धियाँ

डॉ० के. आर. नारायणन देश-विदेश की विभिन्न सस्थाओं के सदस्य रहे हैं तथा उन्होंने अपने जीवन में अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

श्री नारायणन यूनीवर्सल एकेडेमी ऑफ कल्चर्स के सदस्य है, लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स तथा जवाहरलाल नेहरू सेटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बंगलोर के फेलो हैं। 1970-72 में 'नेहरू की गुटनिरपेक्षता' विषय के अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई थी।

डॉ० के. आर. नारायणन ने अपने जीवन में अनेक उपाधियाँ और सम्मान प्राप्त किए हैं। टोलेडो विश्वविद्यालय अमेरिका ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की, आस्ट्रेलियन नेशनल यूनीवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस ने डॉक्ट्रेट की उपाधि से सम्मानित किया, पेरू की यूनिवर्सिटी ऑफ मारकॉस ने डॉक्ट्रेट प्रदान किया, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ने उन्हें डॉक्ट्रेट ऑफ लैटर्स की उपाधि दी। विलकेट विश्वविद्यालय टर्की ने उन्हें राजनीतिशास्त्र में डॉक्ट्रेट की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया।

डा० के आर नारायणन दिल्ली विश्वविद्यालय नेहरू विश्वविद्यालय तथा अन्य अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विजीटर हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, पाडिचेरी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, हिल यूनिवर्सिटी एण्ड गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के चांसलर रह चुके हैं। भाखनलाल चतुर्वेदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म भोपाल तथा मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स के विजीटर रह चुके हैं।

उन्होंने भारत तथा दुनिया के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में उपाधि वितरण समारोहों की अध्यक्षता की है।

भारत सरकार की ओर से वे पेरू, ब्राजील, नेपाल, जर्मनी, पुर्तगाल, लगजमबर्ग तथा टर्की की यात्रा कर चुके हैं।

उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामले, राजनीतिक विचार, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सामाजिक उपयोग, साहित्य, ललित कलाएँ, लोक-नृत्य, शास्त्रीय संगीत तथा सैर करने आदि का बहुत शौक है। वे विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तथा खेल सस्थानों के संरक्षक हैं।

भारत के राष्ट्रपति

श्री के आर. नारायणन पॉंच वर्ष तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद 25 जुलाई, 1997 को भारत के राष्ट्रपति चुने गए। श्री नारायणन का नाम जब राष्ट्रपति पद के लिए सामने आया तो किसी ने भी विरोध प्रकट नहीं किया। वे सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिए गए। इससे उनकी सर्वस्वीकृति का प्रमाण मिलता है। श्री नारायणन पहले राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग में आए थे। भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर श्री नारायणन का सर्वसम्मति से चुना जाना दलित आंदोलन की विजय और भारतीय जनमानस की विशालता और उदारता का प्रतीक है।

श्री नारायणन का यह स्वप्न रहा है कि भारत एक जाति, वर्ग व वर्ण रहित समाज बने। भारत के लोगों के दिलों में राष्ट्रियता और मानवता का पूरा विकास हो और वे अन्य सभी भेद-भाव भूल जाएँ।

इसी सकल्प के साथ वे जीवन भर संघर्ष करते रहे और यही सकल्प लेकर राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए।

उदारता एवं लोकप्रियता

श्री के. आर. नारायणन राष्ट्रपति के रूप में अत्यधिक उदार रहे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति एक गरिमामय सर्वोच्च पद है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के आदेश व सहमति से देश पर शासन करता है, परन्तु व्यावहारिक स्तर पर सारी सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में ही केन्द्रित रहती है।

राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक और राजनेता का कर्तव्य है। अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से राष्ट्रपति अपनी लोकप्रियता में वृद्धि कर सकता है। श्री के. आर. नारायणन का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। वे उदार और भिन्नसार हैं। अपने इन गुणों के कारण वे राष्ट्रपति बनते ही पूरे देश की जनता में लोकप्रिय हो गए। जनता अपने राष्ट्रपति पर गर्व करने लगी।

संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह

श्री के० आर० नारायणन इस सत्य को अच्छी तरह जानते हैं कि जब-जब राष्ट्र के सामने कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तब-तब राष्ट्रपति के दायित्वों का दायरा बढ़ जाता है।

सबसे पहला राजनीतिक संकट उनके सामने तब उपस्थित हुआ जब 1997 में भाजपा, कांग्रेस तथा अन्य किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। उस समय राष्ट्रपति को फैसला लेना था कि सरकार बनाने का न्यौता किस राजनीतिक दल को दिया जाए। सब अपने-अपने दावे पेश कर रहे थे। नैर भाजपा दल भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।

ऐसे समय राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया। वे चाहते थे कि कोई भी दल अन्य दलों के समर्थन से सरकार बना ले तो बेवक्त के चुनावों से बचा जा सकता है।

राजनीतिक खेमों में कई दिन तक गहमा-गहमी रही। भाजपा पिछले लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बना चुकी थी। समर्थन न मिल पाने के कारण भाजपा के प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी को 13वें दिन ही इस्तीफा देना पड़ा था।

अब की बार भाजपा शांत थी। वह कांग्रेस तथा अन्य दलों में ही रही गस्ताकस्ती को देख रही थी और अगली राजनीति पर विचार कर रही थी। ऐसे नाजुक समय में भारत के राष्ट्रपति श्री नारायणन संवैधानिक विशेषज्ञों और कानूनी सलाहकारों से मशवरा ले रहे थे। परन्तु उन्होंने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। बड़े धैर्यपूर्वक वे राजनीतिक हलचलों का जायजा लेते रहे।

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी आगे बढ़ी, परन्तु सभाजवादी पार्टी आदि का समर्थन न मिल पाने के कारण उनकी गिनती कम रह गई। उन्हें पीछे हटना पड़ा।

अब राष्ट्रपति के सामने भाजपा के संसदीय दल के नेता जो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने श्री वाजपेयी को भेट के लिए आमंत्रित किया। आवश्यक विचार-विमर्श के बाद उन्होंने श्री वाजपेयी से समर्थकों की सूची माँगी। वे नहीं चाहते थे कि भाजपा विना स्पष्ट सहयोग के

केवल उम्मीद पर सरकार बना ले और पिछली बार की तरह इस बार भी विश्वास मत स पहले ही उसे इस्ताफा देना पड़े। नमिलनाडु से श्रीमती जयललिता की सूची आने में काफी विलंब हुआ। लेकिन अंततः उनकी सहमति प्राप्त हो गई और राष्ट्रपति ने श्री वाजपेयी को सरकार बनाने का आदेश दे दिया।

श्री वाजपेयी ने अपने मन्त्रीमंडल का गठन किया और राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई।

राष्ट्रपति द्वारा दी गई अवधि के अन्दर भाजपा ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केन्द्र में मत्ता सभाल ली।

कश्मीर में आतंकवाद

श्री नारायणन के राष्ट्रपति काल में कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर रहा। देश का सौभाग्य था कि वह उस समय दो अत्यधिक अनुभवी नेताओं के हाथों में था— राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन तथा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री वाजपेयी ऐसी नाजुक स्थिति में राष्ट्रपति से सलाह-मशवरा करते रहे। अनेक बार आतंकवादियों ने सामूहिक नरसंहार किए, सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर बल दिया। बहुत जल्दी ही सत्तार के मुख्य देशों को स्पष्ट होने लगा कि गलती पाकिस्तान की है। पाकिस्तान सीमा पार से भारत में आतंकवाद फैला रहा है।

उस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। नवाज शरीफ की सरकार अफगानिस्तान में तालिबानों को मदद करती रहती थी, जिससे अफगानिस्तान में पाक समर्थित आतंकवादी अपने ट्रेनिंग कैम्प चलाने लगे। पाक अधिकृत कश्मीर में भी आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैम्प काम कर रहे थे। अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था, इसलिए पाकिस्तान हिन्दुस्तान के रुख की कोई परवाह नहीं करता था। उसका इरादा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों तेज करके कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेने का था। कश्मीर में अनेक संगठन आतंकवादियों से मिल गए थे जो अपने आपको कश्मीर के स्वाधीनता सेनानी कहने लगे थे। भारत पर दबाव बढ़ रहा था कि पाकिस्तान से बातचीत करे और दोनों देशों के बीच कोई शांति समझौता हो जाए, जिससे तनाव कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री की लाहौर बस यात्रा

इस कठिन दौर में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने राष्ट्रपति के. आर. नारायणन से मुलाकात की। दोनों नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि शांतिवार्ता हो जाए तो अच्छे बात है। श्री वाजपेयी ने बस द्वारा लाहौर जाकर पाकिस्तान के

प्रधानमंत्री से बातचीत करने की योजना बनाई। श्री के आर. नारायणन ने कुछ सुझाव दिए और श्री वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी।

प्रधानमंत्री बस द्वारा लाहौर पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाजशरीफ से एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे लाहौर समझौता नाम दिया गया।

राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन खुश थे कि दोनों देशों के बीच अमन-चैन का रास्ता खुल गया है, परन्तु पाकिस्तान के मन में खोट था। यह बात वे नहीं समझ पाए।

कारगिल युद्ध की चुनौती

भारत यह मानकर खुश था कि पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत शुरू हो गई है, अब दोनों पड़ोसी देश प्यार से रहेंगे। टकराव का दौर समाप्त हो जाएगा। दोनों देश तरक्की करेंगे।

परन्तु यह सब भ्रम साबित हुआ। सर्दियों आते ही पाकिस्तान की नीयत खराब हो गई। कारगिल की जिन पहाड़ियों से भारतीय सैनिक नीचे उतर आए थे, पाकिस्तान ने उन पर अपनी सेना की मदद से आतकवादी जत्थे तैनात कर दिये। कारगिल क्षेत्र की भारतीय पहाड़ियों पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया।

इधर देश के सामने एक और संकट आ खड़ा हुआ। श्रीमती जयललिता ने वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और विश्वाम मत के समय सरकार गिर गई।

राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन के सामने यह एक अग्नि परीक्षा की घड़ी थी। देश पर युद्ध के बादल मँडरा रहे थे और सरकार गिर गई। तुरन्त चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। कोई और राजनीतिक विकल्प था नहीं, अतः श्री नारायणन ने श्री वाजपेयी को कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहने का आदेश दिया और आम चुनावों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव कराना आसान काम नहीं होता। देश जब युद्ध की स्थिति में हो तब तो हर काम और भी मुश्किल हो जाता है। परन्तु श्री के. आर. नारायणन ने बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया।

एक ओर उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कारगिल से पाकिस्तानी कब्जा हटाने के लिए 'आपरेशन विजय' शुरू करने का आदेश दिया और दूसरी ओर सरकार के साथ मिलकर देश के अंदरूनी हालात पर नजर रखे रहे।

बड़ी सावधानी से भारतीय सेनाओं ने हवाई हमलों से पहाड़ियों में छिपे

शत्रुओं की स्थिति कमजोर की और फिर जमीनी लड़ाई के लिए सीधी चढ़ाई चढ़कर गोलीबारी का मुकाबला करते हुए ऊपर जा पहुँचे। कुछ ही दिनों की लड़ाई में भारतीय सेनाओं ने कारगिल की सभी पहाड़ियों से शत्रुओं को मार भगाया और उन पर फिर से कब्जा कर लिया।

इस युद्ध में भारत के 400 से अधिक जवान शहीद हुए। दुख की इस घड़ी में राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन शहीदों के अंतिम सस्कार में शामिल हुए। वे उनके परिवारों से स्वयं मिले और उन्हें सांत्वना देकर सुरक्षा सेनाओं का मनोबल बढ़ाया। राष्ट्रीय खजाने से बड़ी से बड़ी मदद की घोषणा की गई। राष्ट्रपति के आगे बढ़ कर हिस्सा लेने के कारण भारतीय जनता में सहानुभूति की लहर और तेज हो गई। लोगों ने आगे बढ़कर शहीदों को अंतिम विदाई दी और उनके शौर्य की प्रशंसा की। हर दिन समाचार पत्र शहीदों के चित्रों और उनके बहादुरी के कारनामों से भरे रहते थे।

एक बार फिर संवैधानिक संकट से उबारा

1999 में एन. डी. ए. के बैनर तले भाजपा ने चुनाव लड़ा। एन. डी. ए. सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरकर आया।

एक बार फिर हो-हल्ला मचा। यामर्पथी, समाजवादी तथा कांग्रेसी सक्की एक ही आवाज थी—भाजपा सांप्रदायिक दल है। एन. डी. ए. का मुखौटा लगाकर भाजपा सत्ता में आना चाहती है। राष्ट्रपति महोदय एन. डी. ए. को सरकार बनाने का निमंत्रण न दें। अनेक दलों के मुखियाओं ने समाचार पत्रों में एन. डी. ए. के विरुद्ध वक्तव्य प्रकाशित कराए। अनेक नेता राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने उन्हें एन. डी. ए. को सरकार बनाने के लिए न बुलाने की प्रार्थना की।

परन्तु श्री के. आर. नारायणन अपनी आँखों से देखने में विश्वास रखते थे। उन्होंने देखा कि एन. डी. ए. सबसे आगे है तो उन्होंने संवैधानिक निर्देशों व परम्पराओं का आदर करते हुए एन. डी. ए. के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। विद्वान राष्ट्रपति ने सारी अटकलवाजियों को समाप्त कर देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनवा दी। श्री वाजपेयी ने एक बार फिर देश की बागडोर संभाल ली।

परमाणु विस्फोट से लगे प्रतिबंधों की चुनौती

1998 में पोखरण में परमाणु शक्ति का विस्फोट कर भारत परमाणु महाशक्ति बन गया। परन्तु भारत का महाशक्ति बनना अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को बहुत बुरा लगा। अमेरिका ने भारत पर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे देश में आर्थिक संकट गहराने लगा।

ऐसे समय डॉ. के. आर. नारायणन ने पूरे देश से अपील की कि वे धबराएँ नहीं। जब हम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। देश का परमाणु शक्ति सम्पन्न होना एक बड़ी उपलब्धि है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। पश्चिमी देशों ने हम पर जो प्रतिबन्ध लगाए हैं, इससे हमारे सामने नई चुनौतियाँ आ खड़ी हुई हैं। हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना है। भारत एक विशाल देश है। इसका आर्थिक ढाँचा बहुत मजबूत है। हम सावधानी से काम करें। ये प्रतिबन्ध हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएँगे।

राष्ट्रपति की अपील पर जनता ने पूरा ध्यान दिया। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। आर्थिक प्रतिबन्धों से देश का अधिक नुकसान नहीं हो पाया। जनता की जागरूकता और नेतृत्व की कुशलता ने मिलकर इस संकट को हल कर लिया। ऐसे समय में देश का मनोबल ऊँचा रखने में श्री के. आर. नारायणन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

अमेरिका को विश्वास में लिया

राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन के कार्य-काल में देश तथा दुनिया में कई बड़ी घटनाएँ घटीं। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन भारत आए। कारगिल युद्ध हुआ। आगरा शिखर वार्ता हुई। आतंकवाद बंकाबू हो गया और लादेन के अलकायदा गुट ने 11 सितम्बर, 2001 में अमेरिका की 110 मजिली दो ट्रेड टावर उड़ा दीं। पाँच हजार से अधिक लोगों की जानें गईं।

इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर तालिबान शासन को समाप्त कर दिया और संयुक्त राष्ट्र सभ की देख-रेख में वहाँ लोकप्रिय सरकार गठित करवा दी।

भारत पर आतंकवादी मार और बढ़ गई। जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर आतंकवादी आत्मघाती जत्थे ने हमला कर दिया। दो दर्जन से अधिक लोगों की जानें गईं।

18 दिसम्बर, 2001 को आतंकवादियों के आत्मघाती जत्थे ने भारत की संसद या हमला कर दिया। इसमें पाँच आतंकवादी शामिल थे। संसद के सुरक्षा बल ने इन आतंकवादियों को मार गिराया। चार सुरक्षाकर्मी शहीद हुए।

इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को चुनौती दी। भारतीय सेनाएँ सीमा पर तैनात कर दी गईं। पाकिस्तान ने भी जवाब में अपनी सेनाएँ तैनात कर दीं। युद्ध होने के पूरे आसार बन गए।

देश के सामने यह परीक्षा की घड़ी थी। सीमाओं पर सेनाएँ आमने-सामने खड़ी थीं। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसे में जंग होने का मतलब था भारी विनाश।

भारत के राष्ट्रपति श्री क. आर. नारायणन ने अपनी सरकार को सलाह दी कि वह समय से काम ले और खून-खराबे का रोकें। विदेशों से कूटनीतिक संबंध बढ़ाए जाएं और अपनी बात स्पष्ट की जाए। श्री नारायणन अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। इस समय वे भारत के राष्ट्रपति थे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों पर श्री नारायणन का अच्छा प्रभाव पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया। यह भारत की कूटनीति की भारी विजय थी।

राष्ट्रपति पद से अवकाश

25 जुलाई, 2002 को श्री के. आर. नारायणन का राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो चुके थे। श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम नए राष्ट्रपति चुने जा चुके थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री बी. एन. किम्पाल ने श्री डॉ. कलाम को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। श्री के. आर. नारायणन ने अपनी सीट डॉ० कलाम को सौंप दी। अवकाश ग्रहण करने के बाद वे अपने परिवार के साथ पृथ्वीराज रोड पर अपने बंगले में रहने के लिए चले गए।

श्री के. आर. नारायणन का परिवार

श्री नारायणन की पत्नी का नाम श्रीमती ऊषा नारायणन है। वे म्यांमार की रहने वाली हैं। उनकी दो बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी का नाम चिन्ता है। वह भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी है। छोटी पुत्री का नाम अमृता है। वह अमेरिकन मीडिया में काम करती है।

श्रीमती ऊषा नारायणन सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखती हैं। वे बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण से संबंधित संस्थाओं से जुड़े हैं। वे 1985 से 1992 तक 'करुणा' नामक बच्चों व महिलाओं की सस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे कहानियाँ तथा लघु कथाएँ भी लिखती हैं।

डॉ० के. आर. नारायणन अपना शेष जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन में लगाना चाहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य जाति व वर्ग रहित समाज का निर्माण करना है। उन्हें विश्वास है कि धीरे-धीरे समाज के हालात बदलते जाएँगे और एक दिन भारतीय समाज से जातिवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। समतामूलक समाज की रचना करने का जो स्वप्न बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बाबू जगजीवन राम ने देखा था, वह अवश्य पूरा होगा।

रामविलास पासवान

(5 जुलाई, 1946)

लोक जनशक्ति के नेता तथा दलित सेना के अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान अनेक सरकारों में केन्द्रीय मंत्री रह चुकने के बाद भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। बहुत कम आयु से ही राजनीति में उतरे श्री पासवान का जीवन पूरी तरह राजनीतिमय हो गया है।

श्री पासवान दलित वर्ग से आए एक ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन मिला है। उनकी राजनीति केवल दलितों तक ही सीमित नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग भी उन्हें बहुत चाहते हैं।

रामविलास जी का जन्म 5 जुलाई, 1946 को गाँव शहरबन्नी, ब्लाक अलौली, जिला खगडिया, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम जामुन पासवान था।

दलित वर्ग में जन्मने के कारण उन्होंने बचपन में उसी तरह उपेक्षा और अपमान झेले जिस प्रकार दलित वर्ग के अन्य बच्चों को झेलने पड़े थे। सवर्ण जाति के बच्चों के साथ खेलने का तो प्रश्न ही नहीं था। समाज में छुआछूत और जातिवाद जोरो पर था। दलितों की बस्तियाँ सवर्ण जाति के लोगों की बस्तियों से अलग हुआ करती थीं। दलितों के बच्चे अलग खेलते थे और सवर्णों के बच्चे अलग।

दलितों को सवर्ण जातियों और जमींदारों को बेगार करनी पड़ती थी। वे गाँव वालों की गदगी उठाने, मरे हुए पशुओं को ठिकाने लगाने, उनकी चमड़ी उतारने तथा उस चमड़े से जूते आदि बनाने के काम करते थे। समाज में उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था।

बड़ी जाति वालों के यहाँ जब कोई उत्सव मनाया जाता था तब दलितों को उनके सारे काम संभालने पड़ते थे। दलित वर्ग के लोग सवर्णों की सेवा में बिछे रहते थे। मुस्कान न आते हुए भी मुस्कराते थे, हँसी न आते हुए भी उनके साथ-साथ हँसते थे। फिर भी

सवण उनके दिलो म छिपे दर्द को नही पढ पाते थे

जाति के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन ने ऊँची जाति और नीची जाति के लोगो के बीच खाई इतनी चौड़ी कर दी थी कि वह पट ही नही पाती थी। उस खाई को पाटने का प्रयास करने के लिए धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक मंचों से अनेक लोग समाज के बीच आए। उन्होंने बड़ी कोशिशों कीं फिर भी खाई नही पट पाई।

ऐसी गह्रित समाज-व्यवस्था मे श्री पासवान का वचपन बीता। पासवान की बड़ी इच्छा रहती थी कि वे सबके साथ खुलकर खेले, खुलकर बातें करे, हाथों में हाथ डालकर कुछ कदम चले। उत्सवो और त्यौहारो को खुलकर मनाए। परन्तु ऐसा नही हो पाता था। अपने समुदाय के बच्चों तक ही उनकी दुनिया सीमित थी।

जब तक वे स्कूल नही गए तब तक अपनी माँ, अपने पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यो की सगत का उन्होंने सुख लिया। उन्हीं से बाहर के समाज के बारे में थोड़ा-थोड़ा जाना और मन बनाया कि बाहर की दुनिया से मुलने-मिलने मे कुछ सावधानिया बरतनी पड़ेंगी। रामविलास वचपन से ही उत्साही और उत्सुक मानसिकता वाले थे। बाहर की दुनिया को और अधिक जानने और समझने की उनकी इच्छा प्रायः बहुत तेज रहा करती थी।

शिक्षा : रामविलास ने प्राइमरी शिक्षा खगरिया मे प्राप्त की। गाँव में कोई स्कूल नही था। खगरिया तक उन्हें दूसरे बच्चो के साथ पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। उनकी आगे की शिक्षा भी खगरिया मे ही हुई। खगरिया के कोशी कॉलेज से उन्होने एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की।

कानून की शिक्षा : रामविलास की पढ़ने में वड़ी रुचि थी। गाँव में पैदा होने के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करना उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वे यह दिखाना चाहते थे कि छोटी जाति के होते हुए भी वे बड़ी जाति वालो की तरह ऊँची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी तरह जीवन में बड़े-बड़े काम कर सकते हैं।

उन दिनों गाँवो में मुकदमेबाजी बहुत हुआ करती थी। स्वर्ण जातियों के सामतवादी लोग दलितों को उधार देकर उन्हें फँसा लेते थे। इसके बदले मे उन्हें या तो उनके घरों मे जाकर बाँधुवा मजदूरी करनी पड़ती थी या फिर अपने छोटे-छोटे खेतो या जमीन से हाथ धोने पड़ते थे। सामत और जमींदार कानून अपनी जेब मे रखते थे और पुलिस अपनी बगला में। जो वे चाहते थे वही होता था। ऐसे में दलितो तथा पिछड़ों को न्याय मिल ही नही सकता था। रामविलास पासवान ने जब से होश सँभाला था वे यह अन्याय देख रहे थे। अपने माता-पिता, परिवारजनों तथा परिवेश के लोगो से उन्होने यह जाना था कि उनकी जाति के लोग सवर्णों के दबाव में जीते हैं। देश तो आजाद हो चुका है, परन्तु दलितो और पिछड़ों की आजादी सवर्णों के सामती चरित्र की गुलाम है। उन्हें तब तक मुक्ति नही मिल सकती जब तक उनके अदर का स्वाभिमान न जागे और वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए न लड़ें।

पीठी-दर-पीठी दबावों में जीते आ रहे पिछड़ो और दलितों के लिए यह बात इतनी

आसान न थी। इसके लिए आवश्यकता थी सशक्त नेतृत्व की जो उनमें नया आत्मविश्वास पैदा कर सके।

कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम और भीमराव अम्बेडकर ने अपनी-अपनी शैली में दलितों व पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज के विकास की ठोस योजना तैयार की थी। स्वाधीन भारत के संविधान में दलितों को विशेषाधिकार एवं आरक्षण दिलवाकर अम्बेडकर ने उनमें अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की थी तथा उनका मनोबल ऊँचा किया था। बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस जैसे विशाल राजनैतिक मंच से दलितों को जोड़ा था और उनमें नया जोश पैदा किया था। दलितों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का श्रेय बाबू जगजीवन राम को है।

रामविलास जी ने जब स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की तब उनका मन नई उमंगों और इच्छाओं से भरा था। वे दलित जाति के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उन्हें सामाजिक न्याय मिले और उनकी शक्तियों का विकास हो। रामविलास जी ने कानून की पढ़ाई कर वकील बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया।

एल.एल.बी करने के साथ-साथ उनकी रुचि पत्रकारिता और राजनीति में भी पैदा हो गई। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में दलितों के अधिकारों तथा उनकी दयनीय दशा के बारे में लेख लिखने आरंभ कर दिए। उनके विचारों का केंद्र में समाज के दबे-पिचे लोग ही रहते थे। युवा रामविलास को पिछड़े समाज के उद्धार की लगन लगी थी।

राजनीति में प्रवेश

रामविलास जी अपने छात्र जीवन में ही राजनीति से जुड़ गए थे। कॉलेज के चुनावों में वे आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सघर्ष करते थे। नेतृत्व के गुण उनमें छात्र-जीवन में ही आ गए थे।

कानून की पढ़ाई के साथ ही वे राजनीति में सक्रिय हो गए। वे समाजवादी विचार-धारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने संयुक्त समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और सक्रिय राजनीति में आ गए। जन-समूह को सम्बोधित करने तथा अपने राजनैतिक व सामाजिक विचारों को जनता के सामने रखने का गुण उनमें स्वतः ही उत्पन्न हो गया था। सामंतवादी विचारों के वे घोर विरोधी थे। जातिवाद और छुआ-छूत से उन्हें सख्त नफरत थी। युवा रामविलास जब मंत्र पर खड़े होकर सामंतवादियों और पूंजीवादियों पर बरसते थे तो पिछड़े और शोषित लोगों में हर्ष की लहर दौड़ जाती थी। वे खड़े होकर नारे लगाने लगते थे—रामविलास जिन्दाबाद... रामविलास जिन्दाबाद।

रामविलास उन्हें सात्वना देते हुए कहते—“सामंतवादी और पूंजीवादी हमारे घोर शत्रु हैं। इन लोगों ने गरीब और मेहनतकश जनता का खून चूसना है। ये अपने ऊँचे-ऊँचे महलों में बैठकर झोपड़ी वालों पर राज करते हैं, उनकी झोपड़ियों में आम लगवा कर अट्टहास

करते हैं। खेतिहर किसानों और मजदूरों की खून-पसीने की कमाई पर ऐश करते हैं। उनके तन पर कपडे न हो, उनके पेट में रोटी न हो, इन्हें इमसे कोई मतलब नहीं। वे उन्हे पूरा वेतन नहीं देते, ऊपर से बेगार लेते हैं। इस मुल्क में अब यह सब नहीं चलेगा। दलित और शोषित अब जाग उठे हैं। वे अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। वे आगे बढ़कर उनसे अपना हक छीनेंगे। अब इस देश में कुछ लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। मेहनतकश मजदूर को न्याय देना होगा। दलितों को उनके अधिकार देने होंगे। हमारा सविधान दलितों के अधिकारों की घोषणा कर चुका है, फिर उन्हे न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा ? कौन है वे लोग जो उन्हें उनके अधिकार नहीं लेने देते ? कौन है वे लोग जो आजादी के उजाले को, विकास के लाभों को गरीब के घर में पहुँचने से रोक रहे हैं ? हम यह सब नहीं होने देंगे। हम उन लोगों के चेहरे से नकाब खींचकर उन्हें समाज के सामने नंगा कर देंगे। गरीब अब भूखा नहीं सोएगा। हर घर में दीपक जलेगा, हर घर में उजाला होगा। हर मेहनतकश के साथ न्याय होगा। भाइयों और बहनों ! मैं कहता हूँ उठो और अपने अधिकारों को लेने के लिए चञ्चल की तरह अड़कर खड़े हो जाओ।”

बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए

23 वर्ष की आयु तक आते-आते पासवान राजनीति में इतने चर्चित हो गए थे कि पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा के लिए अलौली चुनाव क्षेत्र से टिकट दे दिया। श्री पासवान ने चुनाव की राजनीति में पहला कदम रखने के साथ ही इतिहास बनाया। उन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव सभाएं आयोजित कीं और खुलकर अपने विचार रखे। बिहार सवर्ण जातियों के पिछड़ी जातियों पर अत्याचारों के लिए बदनাম क्षेत्र है। 1969 में तो स्थितियां बहुत ही भयावह थीं। सामंती ताकतें दलितों को दबाए रखने के लिए एकजुट थीं। बाबू जगजीवन राम बिहार के दलित नेताओं के सरगना थे। परन्तु वे कांग्रेस पार्टी में थे और इन्दिरा जी की सरकार में वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री थे। अब वे राष्ट्रीय नेता थे और बिहार के लिए अधिक समय नहीं दे पाते थे। कांग्रेस 1947 से सत्ता में थी। पिछले 22 वर्षों में कांग्रेस की दलित विकास की नीतियों से बिहार के दलित सतुष्ट नहीं थे। लोगों को बाबू जी से शिकायतें रहने लगी थीं। अति गरीब और अति पिछड़े दलितों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें आजादी का कोई लाभ नहीं मिल पाया था।

रामविलास पासवान ने दलित जनता की इस स्थिति को समझ लिया और वे शोषण विरोधी संघर्षशील पार्टी में शामिल होकर चुनाव के मैदान में उतरे। उनकी चुनाव-सभाओं में दलित युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी। महिलाएं और बूढ़े भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। सबकी आँखों में नई चमक उभर आती थी। पासवान ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे भारत में नया सवेरा लाएंगे। गरीब और पिछड़े लोगों के तन पर कपडे होंगे, उन्हें खाने को दो वक्त्त की रोटी और रहने को मकान जरूर मिलेगा। उन्होंने अपनी एक सभा में कहा—“मैं बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने की शपथ

लेकर राजनीति में उतरा हू, जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करूंगा आजादी के 22 वर्ष बाद भी गरीबों की झोपड़ियों पर फूस नहीं है। खाने के लिए दो वक्त रोटी नहीं मिल पाती, दवा नहीं मिल पाती, अधनगे घूमते बुजुर्गों को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। लानत है मुझे जो मैंने यह तस्वीर न उलटी। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी जय-जयकर हो, लोग फूल माताएँ पहनाएँ और मैं खुश हो जाऊँ। मैं इसलिए आया हूँ कि बूढ़ों और गरीबों की आँखों के आँसू पोछूँ। स्त्रियों के दुख-दर्दों को जानूँ और उन्हें दूर करने के लिए अपने आपको दांव पर लगा दूँ। आप लोग मुझे विधान सभा में भेजकर देखो, मैं आपके सारे सपने पूरे करूँगा।”

पासवान की युवा वाणी में जादू था। दलित जनता उनके पीछे उमड़ पड़ी। बूढ़ों ने अपना बेटा और पोता समझ कर वोट दिया, माताओं ने अपने बेटों की तरह पासवान पर ममता लुटाई और युवा वर्ग ने अपना असली नेता मानकर उन्हें वोट दिए।

परिणाम आए तो सब चकित रह गए। रामविलास पासवान भारी मतों से विजयी हुए थे।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव

बिहार विधान सभा में पहुँचते ही पासवान राजनीति में छा गए। उनकी अपनी पार्टी में उनका महत्त्व और बढ़ गया। पार्टी ने जितनी उनसे उम्मीदें लगाई थीं उससे कहीं ज्यादा उन्होंने करके दिखाया। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें गले से लगा लिया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया। पासवान की लोकप्रियता और उनकी कार्यकुशलता व संगठन क्षमता को देखकर पार्टी ने उन्हें संयुक्त सचिव का दायित्व सौंप दिया।

अब पासवान के कंधों पर तीन जिम्मेदारियाँ आ गई—एक, अपने विधायक दायित्वों का ठीक से निर्वहण करना, दूसरा, पार्टी के प्रचार एवं विस्तार के लिए जनता के बीच जाकर सभाएँ करना और पार्टी की नीतियों व विचारों से जनता को अवगत कराना तथा तीसरा, दलित व पिछड़ी जनता से उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए देश व प्रांत की सरकारों पर दबाव डालना।

पासवान अपने मन्तव्य में सफल होते गए। उन्हें तीनों मोर्चों पर भारी सफलता मिली।

बिहार लोकदल के महामंत्री

1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को भारी सफलता दिलाकर तथा पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बंगलादेश को जन्म देने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की जनता में लोकप्रिय हो गईं। उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इतनी खली कि वे इन्दिरा जी के विरुद्ध एकजुट हो गए। कांग्रेस का विभाजन हुआ और इन्दिरा कांग्रेस बनी। विभाजन और विरोध की इस प्रक्रिया में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस छोड़कर बाहर निकल आए और उन्होंने ‘लोकदल’ नामक राष्ट्रीय राजनैतिक दल का गठन किया।

रामविलास पासवान लोकदल में शामिल हो गए। उनकी पार्टी का लोकदल में विलय हो गया था। 1974 में बिहार लोकदल में पासवान इतने उभरे हुए राजनयिक के रूप में सामने आए कि उन्हें बिहार लोकदल का महामंत्री पद सौंप दिया गया। 1974 से 1977 तक रामविलास जी बिहार लोकदल के महामंचिव रहे। तीन वर्ष की अवधि में उन्होंने पूरे बिहार में विभिन्न स्थानों पर सभाएं करके, पद यात्रा और संपर्क अभियान चलाकर लोगों के दिलों को जीता और लोकदल का बिहार में विस्तार किया। किसानों, मजदूरों और गरीबों का हित साधने का संकल्प लेकर उभरा लोकदल बिहार में तेजी से फैला और अपना आधार मजबूत करता चला गया।

1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया। रामविलास पासवान भी जेल में डाल दिए गए।

दो वर्ष तक आत्ममथन का दौर चला और इन्दिरा कांग्रेस के विरुद्ध राजनैतिक धुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई।

1977 में नए चुनावों की घोषणा हुई। इन चुनावों में भाग लेने के लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए और उन्होंने 'जनता पार्टी' नामक राष्ट्रीय दल में अपना विलय कर दिया। लोकदल ने भी जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया।

1977 के चुनावों में श्री पासवान जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में उतरे।

सांसद के चुनाव में विश्व रिकार्ड बनाया

1977 के चुनावों में देश की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया था। वामपंथी दलों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक दल इन्दिरा कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर जनता पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव अभियान में उतरे।

रामविलास पासवान ने अपने चुनाव क्षेत्र में इतनी लोकप्रियता हासिल की कि क्षेत्र के लगभग सारे वोट उन्हीं की झोली में आ गिरे। श्री पासवान अपने विरोधी प्रत्याशी के मुकाबले 4 लाख 67 हजार मतों से विजयी हुए। उनकी यह जीत भारतीय लोकतंत्र में ही सबसे बड़ी जीत नहीं थी, अपितु विश्व के सभी देशों के उन्होंने रिकार्ड तोड़ डाले। 1977 में वे विश्व के सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले सांसद के रूप में विख्यात हुए और गिनीज़ वर्ल्ड बुक में उनका नाम दर्ज हुआ।

पासवान की यह विजय दलित जनता का महासम्मान था। भारतीय लोकतंत्र में दलित व पिछड़ी जाति के प्रत्याशी को मिला यह आदर सचमुच बेजोड़ था। इस उपलब्धि ने पासवान को राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर ला खड़ा किया। मात्र 31 वर्ष की आयु में वे सबसे अधिक लोकप्रिय सांसद के रूप में देश में स्थापित हो गए।

अब तो पासवान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उनकी वाणी में इतना जोश आ

गया कि उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ जुटने लगी। उनके विचार जानने के लिए गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग ही नहीं सभी जातियों और धर्मों के लोगों का जमघट लगने लगा।

जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री

1977 में जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी का आकार बहुत बड़ा था और उसमें बड़ी उम्र के नेताओं का बड़ा जमावड़ा था। ऐसे में रामविलास पासवान जैसे 31 वर्षीय युवा सांसद का मंत्रि-मंडल में लिया जाना संभव नहीं था। यही कारण था कि पासवान को उस समय मंत्रिमंडल में न लिया जा सका। परन्तु उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं थी।

पासवान इस तथ्य को जानते थे, उन्होंने मंत्री बनने की महत्वाकांक्षी पाली ही नहीं थी। पासवान की एक विशेषता यह भी है कि वे अपनी दलित विकास की जमीन को कभी नहीं छोड़ते। मंत्री पद को वे इतना महत्त्वपूर्ण नहीं मानते जितना कि दलितों और पिछड़ों के प्रति अपने दायित्व को मानते हैं। किसी भी कीमत पर वे अपना यह दायित्व नहीं त्याग सकते।

1977 में भारी सफलता प्राप्त करने के बाद श्री पासवान दलितों और पिछड़ों के उत्थान कार्य में लग गए। उनके कंधों पर इस समय दो ही जिम्मेदारियाँ थी—एक, अपने चुनाव क्षेत्र तथा दलीय आधार को दुरुस्त रखना; दूसरा, गरीबों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं को लागू करवाना। श्री पासवान पूरे मनोयोग से इन कामों में जुट गए।

1979 में चौधरी चरण सिंह अपने घटक के साथ जनता पार्टी से अलग हो गए और मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई। पार्टी संसद में विश्वास मत प्राप्त न कर सकी और मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री पद से अलग होना पड़ा। मोरारजी की सरकार गिरते ही चौधरी चरण सिंह ने इन्दिरा कांग्रेस के समर्थन के सहारे सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के सामने पेश कर दिया। राष्ट्रपति ने चरण सिंह का दावा स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी।

परन्तु निश्चित अवधि के अन्दर चौधरी चरण सिंह संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। इन्दिरा कांग्रेस के सजय गुट ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन का वादा तो कर दिया था, परन्तु उसने यह वादा नहीं निभाया। यह तो मोरारजी भाई की सरकार गिराने और विपक्ष को छिन्न-भिन्न करने की एक सोची-समझी चाल थी। मोहरा ठीक पड़ा और चाल सफल हो गई।

विपक्ष छिन्न-भिन्न हो गया। चरण सिंह फिर से अपने लोकदल में सिमट कर रह गए और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए समर्थन नहीं मिल पाया।

राष्ट्रपति ने चरण सिंह को कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहने की सलाह देते हुए अगले चुनावों की घोषणा करवा दी।

1980 में फिर से चुनाव हुए। इस समय श्री पासवान लोकदल के साथ थे। राजनैतिक

ध्रुवीकरण बिखर चुका था परन्तु पासवान का जनाधार ज्यो का त्यो था पासवान की राजनैतिक जमीन मजबूत थी, उसे कोई ताकत उखाड़ नहीं सकती थी।

सातवीं लोकसभा के लिए 1980 में वे फिर भारी मतों से जीतकर लोकसभा में पहुँचे। 1980 से 1984 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। इस अवधि में उन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए बहुत काम किए। इस अवधि में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। पासवान विपक्ष में थे। परन्तु वे जनता के बीच बराबर सक्रिय थे और पिछड़ों के लिए नीतियों को प्रभावित करने और दलितों के हितों से जुड़े कानून बनवाने में सफलतापूर्वक जुट रहे।

लोकदल के राष्ट्रीय महामंत्री

1985 में श्री पासवान लोकदल के राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए। यह वह दौर था जब केन्द्र में कांग्रेस का शासन था और श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। उनके बड़े पुत्र श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे।

देश में नेहरू-इन्दिरा परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर थी। श्री राजीव गांधी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का आदर पा रहे थे।

ऐसे समय श्री पासवान ने लोकदल को मजबूत करने के लिए महासचिव की कमान सभाली। यद्यपि चौधरी चरण सिंह के भोगरजी विरोध के कारण लोकदल की साख गिर चुकी थी, परन्तु श्री पासवान जैसे सदावहार नेता की साख अब भी जीवित थी और सदा जीवित रहती थी। इसी साख का लाभ उठाने के लिए पार्टी ने 39 वर्षीय युवा सांसद श्री रामविलास पासवान को पार्टी का महासचिव बना दिया।

पासवान ने पार्टी को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया। अपने मजबूत जनाधार के कारण उन्हें काफी हद तक सफलता मिली, परन्तु अब लोक दल के दिन लट चुके थे। वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अधिक दिन तक नहीं चल सकता था। अतः श्री पासवान को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी किसी अन्य दल में होने पर मिलती।

जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव

1986 में श्री रामविलास पासवान समझ गए कि वे गलत नाव में सवार हो गए हैं। अतः वे डूबने वाली नाव को छोड़कर सत्ता की ओर मुँह करके तैरने वाली नाव में आ गए। यह नाव थी 'जनता पार्टी'। 1987 में श्री रामविलास पासवान जनता पार्टी के महासचिव बने। पूरे जोश के साथ उन्होंने जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1987 से 1988 तक वे जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे।

परन्तु सच तो यह है कि इन दोनों मंचों ने श्री रामविलास पासवान के वोट बैंक को महत्त्व दिया था। अधिक जनाधार वाले युवा नेता की उभरती ताकत के सहारे अपनी-अपनी किश्तियों को पार लगाने की जुगत भिड़ाई थी। श्री पासवान की आयु अब चालीस का पार कर चुकी थी। वे युवा नेता अवश्य थे, परन्तु अनेक संघर्षों को झेलते-झेलते भारतीय

राजनीति के घाघ नेताओं के दाव-पेचों में उलझकर निकलते-निकलते बहुत कुछ सीख चुके थे।

वे जान गए थे कि भारतीय राजनेता अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं। एक दर्जन से अधिक बृद्धे नेता प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देख रहे हैं और लगभग इतने ही अर्धे उम्र के नेताओं की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है। ऐसे में राजनैतिक ध्रुवीकरण हो ही नहीं सकता। यह वह दौर था जब सबको अपनी-अपनी बचाने की पड़ी थी। देश के सबसे कम उम्र के नेता श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखकर विपक्ष में बैठे बड़ी उम्र के नेताओं को बड़ी परेशानी हो रही थी।

ऐसे में श्री पासवान की राजनैतिक स्थिति भी डावाडोल हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस नाव में पैर रखे, किस मच के साथ जुड़े, किस संगठन पर विश्वास करें ?

इस सबके बावजूद उनके पास एक बड़ी ताकत थी और वह था उनका अटूट जनधार। श्री पासवान जिस समाज से आए थे, वह उनमें पूरा विश्वास रखता था। राजनैतिक विघ्नशाताओं के कारण यदि उन्हें पाता बदलना भी पड़े तब भी वह उनका साथ छोड़ने वाला नहीं था। श्री पासवान एक उभरते हुए मशकत नेता थे। वे दलित समाज के लिए आशा की किरण थे। राजनैतिक स्वार्थों की आपा-धापी के युग में वे अपने नेता का हाथ कस कर पकड़े हुए थे।

राष्ट्रीय मोर्चा के सचिव

श्री पासवान जनता पार्टी के संगठन के लिए कार्य कर रहे थे और राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था की गहराइयों की टोह ले रहे थे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इन्दिरा जी के इतने निकट रहे थे कि वे राजनीति के अनेक प्रभावी दाव-पेच सीख गए थे। अपनी वफादारी और मित्रता के बल पर वे राजीव गांधी के इतने निकट पहुँच गए कि उनसे कुछ भी छिपा न रहा।

यकायक उनके हाथ एक ऐसा यंत्र आ गया जिससे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की सरकार को एक ही झटके में उलटा जा सकता था। श्री सिंह ने सरकार उलटने की पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने राजीव सरकार द्वारा किए गए बोफोर्स तोप सौदे में दलाली का मामला उछाल दिया। आरोप लगाया गया कि श्री राजीव गांधी के इटली स्थित रिश्तेदारों ने तोपों का सौदा करवाया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को विश्वास में लेकर उन्होंने मोटी रकम खाई। राजीव गांधी को भी बोफोर्स रिश्तत कांड में घसीट लिया गया।

तसद में मामला इतना तूल पकड़ गया कि विपक्ष सरकार पर हावी हो गया। मौके का फायदा उठाकर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस ने उन्हें छोड़ दिया। श्री सिंह ने जनता दल का गठन कर लिया।

अब श्री सिंह ने जनता पार्टी की शैली में विपक्ष के धुवीकरण का एक बार फिर प्रयास किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने सरकार छोड़ी थी। अब भारतीय जनता में वे एक ऊँचे आदर्श वाले नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता का चढता ग्राफ सभी विपक्षी नेताओं को समझ में आ गया। कांग्रेस से बदला लेने की इच्छा विपक्ष में बलवती हो उठी।

श्री सिंह ने अपने चारों ओर विपक्ष का खुला समर्थन देखा तो उन्होंने 'राष्ट्रीय मोर्चा' नामक वैकल्पिक राजनैतिक मंच के लिए पहल करनी शुरू कर दी।

श्री रामविलास पासवान ने 5 दिसम्बर, 1989 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में केन्द्रीय श्रम एवं कल्याण मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

श्रम मंत्री के रूप में पासवान की भूमिका

श्री रामविलास पासवान 43 वर्ष की आयु में पहली बार केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के सदस्य बने और उन्हें श्रम मन्त्रालय जैसा मवेदनशील मन्त्रालय दिया गया। श्री पासवान के समाजवादी विचारों तथा गरीबों व मजदूरों के प्रति उनके रुझान को देखते हुए यह मन्त्रालय उन्हें सौंपा गया था।

श्री पासवान ने इस मन्त्रालय के साथ न्याय किया। यद्यपि वे केवल ग्यारह महीने तक इस मन्त्रालय में रह पाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आपसी राजनैतिक मतभेदों के कारण अधिक दिन नहीं चल सकी, इसीलिए श्री पासवान की सेवाओं की अवधि छोटी रही, परन्तु इस बीच उन्होंने मजदूरों के प्रति अपने दायित्वों का जिस सजीवगी से निर्वाह किया वह आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने मन्त्रालय में अग्रक प्रयत्नों से मजदूर-हितैषी नीतियाँ बनवाईं और उन्हें लागू करवाया। न्यूनतम वेतनमान और काम के अधिकार को उनके मन्त्रालय ने विशेष महत्त्व दिया। राजनैतिक अस्थिरता को देखते हुए श्री पासवान पूरी तरह सतर्क थे। उन्हें आभास था कि सरकार किसी भी समय गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक विचार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा उनके सहयोगी दलों के विचारों से मेल नहीं खाते थे। अतः अधिक दिन तक गठबंधन संभव नहीं था।

10 नवम्बर, 1990 को श्री वी. पी. सिंह की सरकार गिर गई और श्री पासवान फिर विपक्ष की राजनीति में आ गए।

रेलमंत्री के रूप में लोकप्रिय

9 जून, 1996 को श्री रामविलास पासवान श्री देवगौड़ा सरकार में केन्द्रीय रेलमंत्री बने। श्री सतपाल महाराज केन्द्रीय राज्य मंत्री बनाए गए थे। श्री पासवान ने लगभग दो वर्ष तक रेलमंत्री के रूप में भारत सरकार को अपनी सेवाएँ दीं। श्री पासवान ने इस अवधि में गरीबों और पिछड़ों को रेलवे में रोजगार दिलाने में विशेष भूमिका अदा की।

रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा-सुविधाएं दिलवाने तथा अन्य अनेक लाभ पहुँचाने में श्री पासवान सबसे आगे रहे। उन्होंने अनेक नई रेलवे लाइनें बिछवाई तथा देश भर में रेलवे विभाग के नवीनीकरण पर जोर दिया। विदेशों से विशेष प्रकार की बोगिया खरीदने तथा अपने देश में विशेष प्रकार की बोगियों तथा इंजनो का निर्माण कराने के मामलों में श्री पासवान ने विशेष रुचि ली।

श्री पासवान एक उदार मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जब वे रेलमंत्री थे तब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की अनेक सामाजिक समस्याओं के सम्मेलनों तथा समारोहों को विशेष रेल-सुविधाएं प्रदान कीं। श्री सतपाल महाराज की सस्था मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय मानव धर्म सम्मेलन' का रामलीला मैदान दिल्ली में प्रतिवर्ष नवम्बर में वार्षिक सम्मेलन होता है। श्री पासवान जब केन्द्रीय रेल मंत्री थे तब उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश भर से आने वाले यात्रियों के लिए रेल भाड़े में विशेष छूट की व्यवस्था की।

केन्द्रीय दूरसंचार एवं सम्पर्क मंत्रालय

सितम्बर 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट' के ससदीय दल के नेता चुने गए और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। श्री वाजपेयी ने श्री पासवान को केन्द्रीय दूरसंचार एवं सम्पर्क मंत्रालय का कार्य भार सौंपा।

श्री पासवान ने इस मंत्रालय का दायित्व संभालते ही अनेक फैसले लिए जिससे मंत्रालय के कार्यों में गति आ गई। दूरसंचार विभाग लापरवाही के लिए मशहूर हो चुका था। समय पर काम न करके देना उसकी आदत बन गई थी। श्री पासवान ने मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी कर्मचारियों के लिए टेलीफोन सेवा निशुल्क कर दी। कर्मचारी बहुत दिनों से इस सुविधा की मांग कर रहे थे। यह कदम उठाकर श्री पासवान ने विभागीय कर्मचारियों का दिल जीत लिया। कर्मचारियों का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने पूरे मन से काम करना शुरू कर दिया। भारतीय टेलीफोन विभाग के समानांतर अनेक विदेशी तथा देशी कम्पनियां मोबाइल फोन सुविधा के बाजार पर छाई हुई थीं। श्री पासवान ने भारतीय टेलीफोन विभाग के अंतर्गत कई ऐसी योजनाएं लागू की जिनसे भारतीय टेलीफोन विभाग का मोबाइल फोन बहुत सस्ता हो गया। कालों की दर बाजार की दरों से बहुत नीची थी। मजबूर होकर निजी कम्पनियों को भी अपनी दरें घटानी पड़ीं। नतीजा यह हुआ कि भारतीय उपभोक्ता की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ आधा रह गया।

पूरे जन-सम्पर्क बाजार में इतना बड़ा परिवर्तन लाने और निजी कम्पनियों को अपनी दरों में 50 प्रतिशत तक कमी करने के लिए सख्त कदम उठाने जैसा काम श्री रामविलास पासवान जैसा उदार मंत्री ही कर सकता था। श्री पासवान अपने मंत्रालय के माध्यम से जन-सेवा करने तथा जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए पूरे देश में जाने

नते हे

परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि वे मंत्रालय को घाटा पहुँचाते रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि मंत्रालय जितना अधिक सक्रिय होना है, लोकप्रिय है और जनता के लिए सहयोगी होता है, जनता उतनी ही अधिक उससे जुड़ जाती है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाला मंत्रालय कभी घाटे में रह ही नहीं सकता। यह तो मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि वे विभाग को जनता के लिए खोल पाते हैं या नहीं। श्री पासवान एक ऊर्जावान और उत्साही नेता हैं। अपनी उदारता के कारण चाहे उन्हें आलोचना ही क्यों न झेलनी पड़े, वे जनता को अपने विभाग से सीधा जोड़ देते हैं। फिर जनता विभाग से फायदा उठाती है और विभाग जनता से।

राजनीतिक संघर्ष और कष्ट

श्री रामविलास पासवान दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हित की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उनका रास्ता कष्टों से भरा रहा है। संघर्ष उनके लिए सदा अनिवार्य रहा है। अपने सामाजिक कार्यों तथा गरीबों का न्याय दिलाने के लिए किए गए संघर्षों के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा।

श्री पासवान ने बिहार में भूमि हड़पों आंदोलन चलाया था। 23 वर्षों में श्री पासवान छात्र राजनीति से ही सीधे राजनीति में आ गए थे। छात्र जीवन में ही उन्होंने पिछड़ों व दलितों को गरीबी के चंगुल से मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया था। भूमि हड़पों आंदोलन बड़े जोरों से चला। श्री पासवान की अगुवाई में बिहार में पिछड़े समाज के युवकों ने आगे बढ़कर पुलिस की लाठियाँ खाईं और आंदोलन जारी रखा। यह आंदोलन गरीबों को बलपूर्वक सताने वाले, उनका सब कुछ हड़प कर जाने वाले बड़े-बड़े सामंतों के खिलाफ था। इन लोगों ने सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा था जबकि करोड़ों लोगों के पास भूमि का एक टुकड़ा तक नहीं है। खेतिहर मजदूरों तथा शोषितों को जमीन दिलाने के उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू किया गया। श्री पासवान के नेतृत्व में ऐसी जमीन पर कब्जा किया गया। इसके लिए सामंतों और सरकारी पुलिस दोनों की चोट श्री पासवान तथा उनके साथियों को सहनी पड़ी। परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी। बड़ी-बड़ी चोटे खाने के बावजूद वे आगे बढ़ते गए। इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा इनका नेतृत्व करने के जुर्म में श्री पासवान को लगभग दो वर्ष की सजा हुई। वे 1969 से 1971 तक भागलपुर केन्द्रीय कारागार में बन्द रहे।

दूसरा बड़ा आंदोलन 1974 में श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसका केन्द्र भी बिहार था। श्री पासवान ने इस आंदोलन में आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी की तानाशाही तथा गलत नीतियों के विरुद्ध श्री पासवान खुलकर खड़े हो गए और उन्होंने सबसे आगे आकर आंदोलन में श्री जयप्रकाश नारायण का साथ दिया।

जून 1975 में श्रीमती गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर सभी आंदोलनकारी नेताओं को जेल में डाल दिया था। श्री पासवान भी जे.पी. के साथ जेल गए और पूरे 15 महीने तक उन्होंने 'मीसा' के तहत सजा काटी।

चालीस बार जेल गए : इसके अलावा समाज के कमजोर वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ते हुए पासवान अनेक बार जेल गए। जिस प्रकार चुनाव जीतने, अधिकतम मत प्राप्त करने और उदार मंत्री होने का पासवान ने रिकार्ड बनाया है, उसी प्रकार जल जाने का भी उनका अपना अलग रिकार्ड है। कोई यह सोच भी नहीं सकता कि श्री पासवान अपनी आयु के 50 वर्ष पूरे करने तक पुलिस द्वारा 40 बार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संघर्ष करना उनकी आदत रही है। अन्याय और शोषण वे दर्दाश्रित नहीं कर पाते और झट अड़ जाते हैं। फिर गिरफ्तार किए जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता।

दलित सेना का गठन

श्री पासवान दलितों के अग्रणी नेता हैं। अपना पूरा जीवन दलितों के नाम लिखकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि अपने जीते जी वे दलितों का अहित नहीं होने देंगे।

दलित हित की लड़ाई पूरी तैयारी के साथ लड़ने के उद्देश्य से उन्होंने 1983 में दलित सेना नामक संस्था का गठन किया। दलित सेना दलित युवकों का उत्साही संगठन है। ये युवक अपने अधिकारों की समझ रखते हैं और कोई दलितों के अधिकार छीन ले तो वे मरने-भारने पर उतारू हो जाते हैं। दलित सेना कोई लड़ाकू सेना नहीं है। उसका उद्देश्य युद्ध करना या लड़ाई लड़ना नहीं है। उसका उद्देश्य शोषण के विरुद्ध खुल कर संघर्ष करना है।

दलित सदियों से दबता आया है। उसका मनोबल बुरी तरह गिरा दिया गया था। अधिकार छीन लिए गए थे। अब देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान ने दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार तो दे दिए हैं परन्तु सवर्णों के दबाव, सामंतों के अत्याचार या सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग के कारण कई बार उनके अधिकारों का हनन हो जाता है। दलित सेना को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह इस प्रकार के अधिकार हनन के खिलाफ खुला संघर्ष छेड़ दे।

अल्पसंख्यकों के हित-साधक

श्री रामविलास पासवान की आयु 55 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अब उन्हें युवा नेता नहीं कहा जा सकता। अब वे एक परिपक्व बुद्धिवाले, गंभीर नेता हैं। वे देश की आबादी के ढांचे को तथा साझा संस्कृति के ताने-बाने को अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यकों की तुलना में उन्हें थोड़ा दबना पड़ता है। श्री पासवान की सोच यह है कि देश की नजरों में सब समान हैं। सभी एक देश के नागरिक हैं। सबको संविधान में समान अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में

अल्पसंख्यकों का अहित नहीं होना चाहिए अतः जिस प्रकार वे दलितों और पिछड़ों के हितों की लड़ाई लड़ते आए हैं उसी प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ना भी अपना कर्तव्य मानते हैं।

दूसरी बात यह है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के मतों पर सभी की नजर रहती है। अल्पसंख्यकों की आबादी भी दलितों की भांति एक बड़ी ताकत है। दलित वोट बैंक की तरह ही मुस्लिम वोट-बैंक भी चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करता आया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री पासवान मुस्लिम वोट बैंक को अपने राजनैतिक कदमों को और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है ?

इस देश में राजनीति का अब यही चलन बन गया है कि अधिक से अधिक वोट प्राप्त करें और सत्ता में आने का प्रयास करते रहें। सत्ता में आने के लिए मतों की ताकत जरूरी है। अतः जहाँ भी मत मिले, जिस शर्त पर भी मिले, उसे ले लो। नेताओं की इस सोच के कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब तो यह स्पष्ट दिखने लगा है कि नेताओं का केन्द्र देश है ही नहीं, केवल वोट बैंक और सत्ता अब उनकी सोच के केन्द्र में है।

श्री पासवान राजनेता हैं। वे प्रतियोगिता में पिछड़ना नहीं चाहते। वे सदा जीतते रहे हैं। उन्हें जीतने की आदत पड़ गई है। अतः देश के राजनैतिक सर्माकरणों को अपने पक्ष में बिठाने का अवसर वे कैसे गवा सकते हैं। अब भारत में ऐसे नेता कहा है जो अपने हितों की राजनीति करना छोड़ दें और केवल देश हित की राजनीति करें।

आरक्षण वृद्धि के समर्थक

भारतीय संविधान में आरक्षण की नीति ने पिछड़ों और दलितों को बहुत लाभ पहुँचाया। करोड़ों ठेके-पिचे लोंग यातना भरी जिन्दगी से बाहर निकले और उन्होंने राजनैतिक आजादी के साथ-साथ आर्थिक आजादी का थोड़ा-सा सुख पाया। आरक्षण की नीति को तथा उसे लागू करवाने वाले पासवान सरीखे नेताओं के तीव्र प्रयासों के बल पर यह संभव हो सका।

यही कारण है कि श्री पासवान आरक्षण को न केवल जारी रखने के पक्ष में हैं, बल्कि वे इसे और बढ़ाना चाहते हैं। देश भर में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे ऊपर है। तमिलनाडु में आरक्षण 65-69 प्रतिशत तक पहुँच गया है। श्री पासवान का कहना है कि सभी राज्यों में आरक्षण की दर तमिलनाडु की तरह ही बढ़ाई जाए।

बिहार के मामले में उनकी बड़ी शिकायत है कि रावड़ी देवी सरकार नई आरक्षण नीति लागू नहीं करती। श्री पासवान ने रावड़ी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनसंख्या के नए आँकड़ों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति तथा जन जाति की आबादी 15.40% से बढ़कर 20% हो गई है। अतः सरकार नई आरक्षण नीति लागू करे और तमिलनाडु की तरह 65 से लेकर 69% तक आरक्षण दिया जाए।

पिछड़े सवर्णों को लाभ

श्री रामविलास पासवान दलितों की राजनीति से ऊपर उठे हैं। आज भी वे दलितों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। सच तो यह है कि उनकी राजनीति के केन्द्र में दलित ही हैं। परन्तु वे जानते हैं कि अब उनकी आयु एक जिम्मेदार राजनेता की हो चुकी है और वे पूरे देश के नेता के रूप में तब तक उभर कर नहीं आ सकते जब तक कि वे सबके हितों को समान रूप से महत्व न दें।

विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों और उपजातियों में बंटे इस देश में राजनीति करना सभी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सर्व स्वीकृत नेता के नेतृत्व और सौच पर भी कुछ लोग प्रश्नचिह्न लगाने लगे हैं। स्वयं श्री पासवान को वाजपेयी सरकार की गुजरात सांप्रदायिक कांड से संबंधित नीतियों से शिक्कापत हो गई और उन्होंने वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की एकलव्य नेता हैं, पूरे देश की एकलव्य नेता बनने का उनका स्वप्न भी है और इरादा भी परन्तु देश नहीं मान पाता। कुछ लोग, अब भी इस देश में ऐसे हैं जो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालकृष्ण आडवानी, श्री देवगौडा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर तथा वामपंथी दलों के अनेक नेता सर्व स्वीकृति पाने का स्वप्न देखते हैं, परन्तु विविधताओं वाले इस देश में सर्व स्वीकृति तो दूर की बात है, ससद और विधान सभाओं में किमी भी दल को स्पष्ट बहुमत तक जुटाना कठिन हो गया है। ससद और विधान सभाएं प्रायः निशंकु हो जाती हैं और दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाने लगी है।

ऐसे में श्री पासवान का सवर्ण जाति के गरीबों को लाभ पहुंचाने की बात सोचना स्वाभाविक ही है। श्री पासवान अब सवर्णों को भी अपनी राजनीति की धारा में शामिल करने की बात सोचने लगे हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि इस मामले में वे खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। इस देश में खुलकर आना भी खतरों से खाली नहीं है। एक को राखी करो तो दूसरा रूठ जाता है। श्री पासवान दलित वोट बैंक पर खड़े हैं और मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनका गणित कहता है कि दलित और मुस्लिम वोट देश में बहुमत लेने के लिए काफी है, परन्तु एक सकट है और वह है राष्ट्रीय स्तर पर सर्व स्वीकार्य होने का।

सर्व स्वीकार्य होने के लिए तो सवर्णों को भी लाभ पहुंचाना होगा। परन्तु एक तर्क यह है कि सवर्णों के विरोध की राजनीति करने से तो दलितों का वोट प्राप्त होता है। यदि सवर्णों के हितों की राजनीति की तो कहीं दलित न बिटक जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजनैतिक दल-दल में फस जाएंगे।

परन्तु जैसा कि स्पष्ट है श्री पासवान उन नेताओं में से हैं जो सदा जीतने आए हैं। जिनके पास मजबूत जनसंघार है। हमें दृढ़ विश्वास है कि वे अपने राजनैतिक कद को ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता जरूर खोज निकालेंगे जिस पर चलते हुए कोई भी नाराज

न हा वह रास्ता है खुला पड़ा है वह रास्ता श्री पासवान जी भी समझते हैं कि रास्ता है परन्तु उस तक जाने के लिए देश के राजनैतिक जगत को आत्म निरीक्षण करना होगा और ग्रेट छोट स्वाधा से ऊपर उठकर समूचे देश को राजनीति के केन्द्र में रखना होगा । जब परा दश राजनीति के केन्द्र में आ जाएगा तो निश्चय ही पूरे समाज के दबे-पिचे गरीब और भोपित लोगों का हित केन्द्र में होगा ।

नब यह नहीं देखा जाएगा कि जीतने के लिए कि जाति या संप्रदाय को रिझाया जाए । तब तो यही देखा जाएगा कि पूरे समाज को आवश्यकतानुसार लाभ हो । जो अभीर हैं या सपन्न हो चुके हैं वे चाहे सवर्णों में हो या पिछड़ी जातियों में, चाहे हिन्दुओं में या मुसलमानों में, सिखों में हो या पारसी, ईसाइयों, बौद्धों व जैनों में उनसे सहयोग लेकर गरीबों को सहयोग पहुँचाने का मार्ग तलाशना होगा ।

वह किस तरह हो सकता है, देश के तमाम चरिष्ठ नेता जानते हैं । श्री पासवान भी चरिष्ठः नेता हैं । वे पूरे देश के नेता हैं, एक सम्मानित सासद हैं, महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में सफल मंत्री रह चुके हैं ।

हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि वे देश को राजनैतिक दल-दल से निकाल कर एक साफ-सुथरी जमीन पर खड़ा करने का मार्ग अवश्य तलाश लेंगे । तब राजनीति के केन्द्र में केवल देश होगा और राजनीतिज्ञों के केन्द्र में शुद्ध सामाजिक न्याय । शुद्ध सामाजिक न्याय से मेरा अभिप्राय देश के हर उस नागरिक से है जो इस न्याय के लिए रात-दिन तड़प रहा है परन्तु उसे कोई न्याय नहीं दे पाता ।

पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों की आशा

मायावती

(15 फरवरी, 1956)

भारतीय समाज में शोषण और शोषित लम्बे समय से एक साथ जीते आ रहे हैं। सम्पन्नता और विपन्नता का नाता बहुत पुराना है। सम्पन्नता अपने पैर पसारती रही है और विपन्नता डर कर अपने आप में सिकुड़ती रही है। सम्पन्न डराता रहा है और विपन्न डरता रहा है। सम्पन्न लुटता रहा है और विपन्न लुटता रहा है।

समाज के इस अभिशाप को समाप्त कर सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को रोकने के लिए अनेक सचेतन और संवेदनशील व्यक्ति आगे आए और उन्होंने अपने सबल हाथों से कमजोरो और शोषितों पर अत्याचार के लिए उठने वाले हाथों को धामा और निर्वलों को बल प्रदान किया।

ऐसा ही एक नाम है मायावती। 15 जनवरी, 1956 को उत्तर प्रदेश के बादलपुर गाँव, जिला गाजियाबाद में जन्मी मायावती ने होश सभालते ही सामाजिक सत्य के आर-पार देखना आरंभ किया। उनके पिता श्री प्रभुदयाल जी डाक-तार विभाग, दिल्ली में सुपरवाइजर थे।

बादलपुर गाँव जी.टी. रोड दादरी और गाजियाबाद के बीच स्थित है। सदा राजनीतिक हलचलो का केन्द्र रहने वाली दिल्ली मायावती जी की जन्म-स्थली से इतनी निकट है कि शीघ्र ही दिल्ली ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

सामाजिक दायित्व का बोध

आठ भाई-बहनों वाले बड़े परिवार में जन्मी मायावती ने निम्न-मध्यम वर्ग की कठिनाइयों को बचपन से ही देखा और झेला। दलित वर्ग में जन्म लेने, पलने-बढ़ने और पढ़ने की पीडा भी उन्होंने अम्बेडकर की तरह सही। यद्यपि छुआछूत और

जातीय घृणा स्वाधीन भारत में काफी कम हो चुकी थी और भारतीय संविधान ने पिछड़ों और दलितों को विशेष सुविधाएँ दिलवाकर उन्हें ऊपर उठाने में बहुत मदद की थी फिर भी कष्टों का निराकरण पूरी तरह नहीं हो पाया था। संघर्ष अभी शेष था। अतः अपने छात्र-जीवन में ही मायावती ने अपने सामाजिक दायित्व को महसूस किया और शिक्षिका बनकर पिछड़ों और दलितों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगाने का फैसला कर लिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज में जब वे बी. ए. की छात्रा थीं, तभी उन्हें छोटी जाति और निम्न आय वर्ग की पीडा का अहसास हो गया था। उनको ऐसा लगा था कि छोटी जाति के प्रति बड़ी जाति के लोगों के दिलों में जो घृणा का भाव है, उसका आधार शिक्षा एवं संसाधनों की कमी है। दलित और पीडित समाज को ऊपर उठना है तो उसे एक बार हिम्मत जुटानी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा की प्रतियोगिता में उतारना होगा। पढ़-लिख कर वे अपने अधिकारों को पहचानेंगे और उन्हें हासिल करने की ताकत भी पा जाएंगे।

गरीबों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने का सकल्प उनके मन में तब आ गया था, जब वे नवीं कक्षा में पढ़ती थीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन-संघर्ष को पढ़कर उन्होंने फैसला किया कि पढ़-लिख कर वे अपने समाज के लोगों को ऊपर उठाने के काम में अपना जीवन लगा देंगी। कानून को सामाजिक न्याय का हथियार मानते हुए उन्होंने बी. ए. के बाद एल. एल. बी. करने का निश्चय किया। उन्हें लगा था कि कानून सामाजिक न्याय दिलाने में सबसे अधिक सहयोगी होता है। देश और समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों के उदाहरण उसके सामने थे—महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर आदि सभी नेताओं ने कानून की डिग्री प्राप्त की थी।

कानून की पढ़ाई के दौरान उनके सामने अनेक ऐसे उदाहरण आए, जिससे उन्हें लगा कि शिक्षा की कमी दलितों के पिछड़ेपन का मूल कारण है। कानून की मदद से कुछ लोगों को न्याय तो दिलाया जा सकता है, परन्तु समाज के उत्थान की नींव तो शिक्षा पर ही रखी जाती है। देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पिछड़े वर्गों को शिक्षा से जोड़ें। पीढ़ी-दर-पीढ़ी पिछड़ी जातियों के लोग शिक्षा के उजाले से दूर अज्ञान के अंधेरे में भटकते रहे हैं। ब्राह्मणों ने शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखने की कुटिल चाल चली ताकि दोनों वर्गों को अपना गुलाम बना कर रखा जा सके। उसका नतीजा हुआ देश और समाज का पतन। शिक्षा के अभाव में स्त्री-समाज इतना पिछड़ गया कि उसका आत्मविश्वास ही जाता रहा। जन्म देने वाली माँ को अज्ञान के अंधेरे में रख कर इन लोगों ने घोर मानवीय

अपराध किया है। पिछड़ी जातियों से शिक्षा का अधिकार छीन लेना भी ऐसा ही अपराध है।

परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। देश आजाद है। देश में लोकतंत्र प्रणाली है और देश का अपना संविधान है, जिसमें शिक्षा के अधिकार पर विश्वास जोर दिया गया है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधा देकर ऊपर उठाने का संकल्प साफ दिखाई देता है। ऐसे में जन्मत इस बात की है कि पिछड़ी जातियों के बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी तक इन जातियों के लोग बच्चों को स्कूलों से दूर रखकर उनसे काम करवाने आए हैं। उनसे आगे बढ़कर अपने अधिकार लेने की आदत नहीं है। यह आदत डालनी होगी। इसके लिए सबसे पहली जरूरत शिक्षा है। पिछड़ी जातियों के बच्चों तक शिक्षा का उजाला अनिवार्य रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से मायावती जी ने बी. एड. में दाखिला ले लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने बी. एड. किया और उसके बाद दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी ले ली।

अध्यापन के सात वर्ष

21 वर्ष की आयु में जब कु० मायावती ने दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया, तब उनकी आँखों में समाज उत्थान के हजारों स्वप्न थे।

निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को आर्थिक सहयोग देने के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करना उनका मुख्य उद्देश्य था।

माँ ने विवाह की बात चलाई तो मायावती ने साफ कह दिया, "मैं नौकरी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि शादी करके घर बसा लूँ और अपनी खुशियों में खो जाऊँ। दलित परिवार में जन्म लेकर मैंने जो पीड़ा झेली है, मैं नहीं चाहती कि पिछड़ी जातियों के लोग हमेशा ऐसी पीड़ा झेलते रहें। मैं अपने समाज में शिक्षा की चेतना जगाऊँगी। जैसे पढ़-लिखकर मैंने नौकरी ले ली, ऐसे ही यदि सब पढ़े-लिखें और किसी काम में जुट जाएँ तो वे समाज के अत्याचारों को चीरकर नई दुनिया का निर्माण करेंगे। फिर कोई दलित और पीड़ित नहीं रहेगा। सामाजिक न्याय का जो स्वप्न महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था; बाबू जगजीवन राम जिस स्वप्न को साकार करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, वही स्वप्न मेरी आँखों में भी है। मैं शादी नहीं करूँगी। अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दूँगी।"

माता-पिता मायावती के स्वभाव से परिचित थे। देखने में साधारण कढ़-काठी की लगने वाली यह लड़की असाधारण प्रतिभा और अदम्य इच्छाशक्ति से भरी थी। हमेशा उत्साहित और आशावान मायावती के चेहरे पर संकल्प का उजाला सदा

दिखाइ पड़ता था

समय पर स्कूल पहुँचना मन लगाकर पढ़ाना और स्कूल से निबटकर अपने मिशन में जुट जाना मायावती की दिनचर्या थी।

राजधानी दिल्ली, जहाँ संपन्नता की सज-धज से लदी है, वहीं विपन्नता का विशाल सागर भी यहाँ सदा लहराता रहता है। स्थान-स्थान पर काम की तलाश में पूरे-पूरे दिन बैठे मजदूरों के झुंड, झुग्गी-झोंपड़ियों में अभावों के बीच जीते परिवार, सड़कों के किनारे पड़े बेघरबार, बेसहारा लोग, भीख माँगते गरीब और अनाथ बच्चे हर संवेदनशील व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हैं।

मायावती तो बहुत संवेदनशील युवती थी। अपनी कक्षा के ही फटेहाल बच्चों को देखकर उनकी आँखें नम हो जाती थीं। वे उनसे उनके परिवार, आमदनी के साधन और रहन-सहन के बारे में पूछती तो उनका दिल भर आता था। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे परिवारों से आते थे, जिनके पास न खाने का कोई ठिकाना था, न रहने का, फिर बच्चों के लिए साफ-सुथरी स्कूल-यूनीफार्म और नई किताबें वे कैसे जुटा पाते।

उन्होंने गरीब परिवारों की सूचियाँ बनाकर सरकार के पास भेजीं और उनके बच्चों के लिए सहायता की माँग की। बहुत से बच्चों को उनके प्रयास से लाभ हुआ। सरकारी नीतियों में परिवर्तन हुए। किताबें, स्कूल बैग तथा यूनीफार्म तक मिलनी शुरू हो गई।

इस समय देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था। 1975 में आपातकालीन स्थिति लागू करके इन्दिरा जी ने लोकतंत्र को अपनी मुठ्ठी में कैद कर लिया था। उसके विरोध में लगभग सभी गैर कांग्रेसी दल एकजुट हो गए थे और 1977 में उन्होंने इन्दिरा जी को चुनाव कराने पर विवश कर दिया था। इस चुनाव में वे हारी और जनता पार्टी सरकार के क्रोध का पात्र बनी। इन्दिरा जी की गरीबों तथा पिछड़े वर्गों के प्रति उदार नीतियों और प्रशासनिक सख्ती को मायावती बहुत पसंद करती थीं। वे इन्दिरा जी का आदर करती थी और उनसे प्रेरणा लेती थीं, परन्तु उनके लोकतंत्र विरोधी कदम को मायावती ने पसंद नहीं किया।

बाबू जगजीवन के प्रति मायावती के मन में बहुत आदर था। वे उनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे। 42 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद जब उन्होंने आपातकाल के विरोध में इन्दिरा जी के मंत्रीमंडल और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया, तब मायावती को बहुत अच्छा लगा था। लोकतंत्र विरोधी इन्दिरा जी का साथ छोड़कर उन्होंने मायावती के मन में अपने प्रति आदर और बढ़ा लिया था।

इन परिस्थितियों में दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाती 21-22 वर्ष की लड़की मायावती अपने विचार और इरादों को मजबूत बना रही थी। देश के हालात उसे पूरी तरह साफ नजर आ रहे थे। राजनीति की उठा-पटक उसे कुछ-कुछ समझ आ रही थी। सबसे अधिक साफ एक बात दिखाई दे रही थी कि गरीब और पिछड़े वर्गों को न्याय देने के नाम पर राजनीति तो बहुत हो रही है, परन्तु वास्तव में इन्हे पूरा न्याय मिल नहीं पा रहा है। तब उन्हें अब भी छल रहा है, भुलावे में रख रहा है।

मायावती जी अध्यापिका थीं, लेकिन उनके चारों ओर जो हो रहा था, उसे वे आँखें खोलकर देख रही थी और कान खोलकर सुन रही थी। अध्यापन काल में उन्होंने जहाँ गरीब तथा असहाय बच्चों के लिए सरकारी सुविधाएँ जुटाईं, वहाँ साक्षरता आंदोलन में भी बड़ा योगदान दिया। साक्षरता के लिए इन्दिरा जी ने बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई थीं और अशिक्षितों को शिक्षित बनाने के लिए सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं को भारी आर्थिक सहाय्य देना आरंभ किया था। जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी शिक्षा से जुड़ी थी। अतः यह नीति तैयार की गई थी कि साक्षरता अभियान चलाया जाए। गाँव-गाँव में चौपालों पर, स्कूलों में साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे।

मोरारजी सरकार ने भी इस नीति पर जोर दिया। साक्षरता अभियान चल रहा था। सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाएँ सरकार से धन ले रही थीं। कागजों पर सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा था। खूब आँकड़े जुटाए जाते थे और प्रकाशित किए जाते थे, परन्तु परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहा था।

मायावती जी ने शिक्षा के क्षेत्र को इसीलिए चुना था कि वे अपने प्रयासों से पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रेरित कर शिक्षा से जोड़ेगी और सरकार के सामने उनकी समस्याएँ रखकर सरकार से उन्हें सहयोग दिलवाएँगी। जिन पढ़े-लिखे पिछड़ों को रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको रोजगार दिलवाने की पहल करेंगी। उन्होंने बहुत प्रयास किए। साक्षरता अभियान में बढ-चढकर हिस्सा लिया। समाज के बीच जाकर स्त्रियों को समझाया कि वे अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजे, परन्तु जो परिणाम आ रहा था, उससे उन्हें संतुष्टि नहीं हुई।

1977 से लेकर 1980 तक तीन वर्ष का समय बीत गया। आम चुनाव हुए, इन्दिरा जी फिर सत्ता में आ गईं। देश में एक बार फिर सत्ता-परिवर्तन हो गया। जो सत्ता में थे, वे विपक्ष में जा बैठे और जो विपक्षी खेमों में धूल फेंक रहे थे, वे सत्ता की ऊँची कुर्सियों पर जा बैठे, परन्तु बेचारे गरीब, दलित, शोषित और पीड़ित वही के वही रहे। पिछड़ी जातियों को संविधान के अनुसार सहयोग देने के वादे कांग्रेस तथा गैर कांग्रेस सरकारों ने केन्द्र व राज्यों में बार-बार किए। उन्हें कुछ

लाभ हुआ भी सरकारी पेसा और सरकारी सुविधाएँ उन तक पहुँचीं ज़रूर पर वे नाकाफी थीं

भूखे को एक बार आप पेट भर कर भोजन करा दे या मॉगने वाले की झोली में कुछ डाल दे, इससे समस्या का समाधान नहीं हो जाता। समस्या की जड़े तो बहुत गहरी हैं। समस्या का समग्र अध्ययन किए बिना, उसके सारे पहलुओं पर विचार किए बिना, उसे हल करने के लिए उठाए गए कदम प्रायः फलदायी नहीं होते।

मायावती ने देखा कि सब सरकारें दलित वोटों को अपने पक्ष में करके सत्ता हथियाने और सत्ता में बने रहने की राजनीति कर रही हैं। आजादी के 43 वर्ष बाद भी दलितों में आत्मसम्मान नहीं आया, मनोबल में वृद्धि नहीं हुई। निराशा, विपाद और अवसाद के घेरो को तोड़कर दलित बाहर नहीं निकल पाया। वह अब भी सवर्णों और सत्ताधीशों से डरता है। यहाँ तक कि अपनी मर्जी से खुलकर मतदान भी नहीं कर पाता। बड़ी जातियों के लोग या समाज और धर्म के तथाकथित टेकंदार उसे डरा-धमकाकर अपनी मर्जी उस पर लादने में सफल हो जाते हैं। शिक्षा में उसकी रुचि पूरी तरह नहीं जागी, राजनीतिक जिम्मेदारियों उठाने को वह जोखिम भरा मानता है। उसके मन में सदियों से यह विचार बैठा दिया गया है कि वह सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारियों नहीं निभा सकता। वह शासन नहीं कर सकता, वह व्याख्यान नहीं दे सकता, वह दूसरों को अपने अनुसार नहीं मोड़ सकता, वह आज भी ज्यो-का-त्यो है। आर्थिक स्थिति में भी कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता।

सरकारी नौकरियों में उच्च पदों की जिम्मेदारियों प्रायः उन्हें नहीं दी जा रहीं। आरक्षित पद खाली पड़े रहते हैं परन्तु उन्हें आरक्षण के कोटे से भरा नहीं जाता। इस सबसे मायावती का यह भ्रम दूर हो गया कि कांग्रेस या गैर कांग्रेस सरकारें दलितों का उत्थान कर पाएँगी।

उन्हे दो बातें समझ आई—एक यह कि दलितों व पिछड़ों का मनोबल बढ़ाने तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। दूसरा यह कि दलित आगे बढ़कर अपना अलग राजनीतिक दल बनाएँ और दलित वोट-बैंक को दूसरी पार्टियों से छीनकर स्वयं सत्ता के गलियारों तक पहुँचें।

बामसेफ व दलित शोषित समाज संघर्ष समिति से सम्पर्क

1981 में मायावती ने अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल की नौकरी जारी रखी और दलित उत्थान हेतु सामाजिक आंदोलन में सक्रिय

भागीदारी शुरू कर दी

25 वर्ष की आयु में मायावती ने अपने मिशन की ओर पहला कदम उठा दिया और दूसरे कदम की प्रतीक्षा करने लगी। बामसेफ की सदस्यता लेते ही उन्होंने संगठन में आगे बढ़कर जिम्मेदारियों निभानी शुरू कर दी। दलित उत्थान के लिए सकल्पित यह संगठन देश भर में दलितों और पिछड़ों में नई चेतना भरने, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा संगठित करने के लिए सक्रिय था। मायावती का विश्वास भी यही था कि दलितों में नया आत्मविश्वास पैदा किया जाना चाहिए। उन्हें किसी से दबने या डरने-झिझकने की जरूरत नहीं है। वे नीच जाति के नहीं हैं। नीची जाति और ऊँची जाति का भेद-भाव धर्म के जिन ठेकेदारों ने पैदा किया है, उनके दकियानूसी विचारों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। हमारा धर्म बहुत उदार और विशाल है, उसमें भेद-भाव और ऊँच-नीच जैसा कुछ भी नहीं है। धार्मिक स्थानों में जाने, पूजा करने, सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार हमारे सविधान ने सबको समान रूप से दिया है। पुरानी सड़ी-गली परंपराओं की दुहाई देकर समाज बाँटने वाले तत्त्व दलितों के साथ जो सौतेला व्यवहार करते हैं, उसे सहन नहीं किया जाएगा। आगे बढ़कर हर अधिकार हासिल किया जाएगा।

मायावती संगठनों के लिए नई अवश्य थी, परन्तु उनके मस्तिष्क में सामाजिक परिवर्तन की जो रूपरेखा अंकित थी, वह नई नहीं थी।

650 ईसा पूर्व में जन्मे महान् तपस्वी और विचारक गौतमबुद्ध कह चुके थे कि मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं होता। मनुष्य की केवल एक ही जाति है और एक ही धर्म। मनुष्यों को जाति और धर्म के नाम पर बाँटने के परिणाम पूरी मनुष्य जाति को भुगतने होंगे। अहिंसा, करुणा, सहानुभूति और प्रेम मनुष्य समाज को बांधते हैं और ठीक रास्ते पर चलाते हैं। वैसे भी यह ससार असख्य कष्टों से भरा है, जीवन में दुख कम नहीं हैं, भेद-भाव पर आधारित समाज बनाकर हम अपने दुख और बढ़ाएँगी ही।

कबीर साहब, सत रविदास, गुरु नानक जैसे महान् संत बहुत पहले यह चेतावनी दे चुके थे कि धर्म व जाति में समाज को बटने नहीं देना है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति घृणा सबसे बड़ा अपराध है।

दक्षिण में ई. वी. रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु, महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले, बिहार (झारखण्ड क्षेत्र) में विरसामुंडा, उ० प्र० में स्वामी अछूतानंद आदि सामाजिक क्रांतिदर्शी सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बजा चुके थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर तो हरिजनों और दलितों के उत्थान के लिए सामाजिक क्रांति के साथ-साथ विशेष अधिकार प्रदान करने वाला सविधान

वनाकर दलित उत्थान का पथ प्रशस्त कर गए थे।

मायावती ने इन सभी प्रयासों के सूत्रों को समेटकर इनसे एक नई व्यवस्था का ताना-बाना बुनने का सिलसिला शुरू किया था। बाबा साहब अम्बेडकर तो दलित समाज के सबसे बड़े मसीहा थे। दलित उत्थान में उन्होंने अपने जीवन का एक-एक पल लगाया और देश भर में ऐसे अनेक सगठन खड़े कर दिए जो दलितों और पिछड़ी जातियों का उद्धार करने के लिए काफी थे। जरूरत केवल इस बात की थी कि इन संगठनों में नई जान फूँकी जाए और बिखरी हुई दलित ऊर्जा को बटोर एक शक्तिशाली और सपन्न समाज का निर्माण किया जाए। मायावती ने अपने आपको इस भूमिका के लिए समर्पित कर दिया। वे पूरी तरह समाज सेवा में जुट गईं।

दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी वे सभाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने लगीं। दिल्ली और उत्तर-प्रदेश को उन्होंने आगे बढ़कर प्राथमिकता दी। उत्तर-प्रदेश में जन्मी मायावती के मन में उत्तर-प्रदेश के दलितों के उत्थान की सबसे ज्यादा चिन्ता थी। अतः वे उत्तर-प्रदेश में बहुत सक्रिय होती गईं।

कासीराम जी से भेंट

1982 में मायावती जी की भेंट दलित सेवा के लिए समर्पित, पिछड़े वर्गों के उत्थान कार्यों में रत महान सगठनकर्ता श्री कासीराम जी से हुई। कासीराम जी उपेक्षित समझी जाने वाली जातियों का मनोबल बढ़ाने में बहुत सफल रहे थे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था। देश भर के पिछड़े लोगों को एकता का संदेश देने वाले श्री कासीराम दलित समाज में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे।

कासीराम जी ने पहली ही नजर में मायावती जी के अन्दर छिपी राजनीतिक ओर प्रशासनिक क्षमता को पहचान लिया। कासीराम जी का पहले से ही यह विश्वास रहा है कि तरक्की करना चाहते हो तो सत्ता में आओ। शासक बन कर जियो, शापित बनकर नहीं। अधिकारों के मामले में उनका सिद्धांत बिल्कुल दो टूक रहा है—अधिकार दिए नहीं जाते, आगे बढ़कर हासिल किए जाते हैं।

उन्होंने अपने एक भाषण में कहा—“बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा सविधान बना गए, जिसने पिछड़ी जातियों को विशेष अधिकार दिए हैं, परन्तु फिर भी इस मुगालते में बैठे रहना एक बड़ी भूल होगी कि सरकारें हमें ये अधिकार देने आएंगी। अधिकार लेने हैं तो आगे बढ़ो, सगठन में रहने की आदत डालो, अपनी ताकत को समझो और उसे इस्तेमाल कर सत्ता की ओर बढ़ो, सम्मान और सपन्नता दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे।”

बिल्कुल ये ही विचार मायावती जी के हैं। विचारों का तालमेल संगठन की कुजी है। कासीराम जी ने मायावती की क्षमता के साथ-साथ उनके विचारों को भी

परखा तो पाया कि जो स्वप्न उनकी आँखों में है, उसे पूरा करने वाला व्यक्तित्व मिल गया है। मायावती ही वह व्यक्तित्व है। अब निश्चय ही वह स्वप्न पूरा होगा।

कासीराम जी ने मायावती से बात की। दोनों इस बात पर एक मत थे कि एक राजनीतिक संगठन को जन्म दिया जाए, जिससे पूरे देश के दलित और पिछड़े लोग सीधे जुड़ जाएँ।

बहुजन समाज पार्टी का गठन

14 अप्रैल, 1984 बाबा साहब अम्बेडकर के 95वें जन्म-दिवस पर श्री कासीराम और मायावती जी ने मिलकर बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया। श्री कासीराम जी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चुने गए तथा मायावती पार्टी की महामंत्री। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पार्टी का पूरा विधान बनाया गया था। पार्टी के उद्देश्यों की व्याख्या की गई थी। दो उद्देश्य मुख्य थे—दलित व पिछड़े वर्गों को एकजुट करना, उनके हितों को प्राथमिकता देना तथा चुनावों के माध्यम से चुनकर सत्ता के गलियारों तक पहुँचना। यदि बसपा अकेली स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा पाती तो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाए, यह विकल्प खुला छोड़ा गया।

पार्टी का मुख्य कार्य-क्षेत्र उत्तर-प्रदेश रखा गया। मायावती जी की बड़ी इच्छा थी कि वे उत्तर प्रदेश के पिछड़े लोगों में राजनीतिक चेतना जगाएँ और उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर सदन में जाएँ। श्री कासीराम जी का स्वप्न सभी पिछड़ी जातियों को एकजुट कर अल्पसंख्यकों के सहयोग से पूरे देश की सत्ता संभालने तक विस्तृत था और आज भी है। वे यह मानते हैं कि जब तक दलित देश पर शासन करने का अवसर नहीं पा जाते, तब तक उनकी दशा में सुधार होने वाला नहीं है। इसीलिए वे पूरे देश का नेतृत्व करने का इरादा रखते हैं।

मायावती जी का स्वप्न दलित व पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना तथा उनमें नया आत्मविश्वास भरना था। उन्होंने पूरे देश को नेतृत्व देने का स्वप्न कभी नहीं देखा। हाँ, देश में दलितों का प्रतिनिधित्व करना उनके जीवन का उद्देश्य कल भी था, आज भी है और सदा रहेगा। एक और बात, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को सदा अपनी राजनीति के केन्द्र में रखा है। उत्तर प्रदेश के दलितों व अल्पसंख्यकों की समस्याओं का सही समाधान खोजना तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना वे अपने जीवन का पहला मिशन मानती हैं, परन्तु वे अपने आपको केवल एक अंचल का नेता मानने से सतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि वे देश की धर्मनिरपेक्ष जनता की नेता हैं। दलितों का उद्धार करना

उनके जीवन का उद्देश्य अवश्य रहा है, वह भी इसलिए कि वे पिछड़े और सहमे हुए हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रयास करने आवश्यक हैं, परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे केवल पिछड़ों व दलितों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। वे साम्प्रदायिक ताकतों से परहेज करना चाहती हैं और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ लेकर चलना चाहती हैं। वे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण उनकी राजनीति के दायरे में शामिल नहीं हैं।

चुनावी राजनीति आगे और आगे

1984 में मायावती जी ने राजनीति में प्रवेश किया और उसी वर्ष पहला चुनाव उन्होंने मुजफ्फर नगर के कैराना नामक चुनाव क्षेत्र से लड़ा। इस चुनाव में उन्हें मतदाताओं ने स्वीकार तो किया, परन्तु वे सीट जीत नहीं पाई।

दूसरा चुनाव उन्होंने 1985 में बिजनौर से लड़ा। उसमें भी वे सीट नहीं जीत पाई।

तीसरा चुनाव उन्होंने 1987 में हरिद्वार चुनाव क्षेत्र में लड़ा। इस लोक सभा क्षेत्र पर वे कब्जा तो नहीं कर पायीं, परन्तु विजेता उम्मीदवार से कुछ ही कम मत प्राप्त कर वे दूसरे स्थान पर रहीं।

दो वर्ष बाद 1989 में उन्होंने फिर बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस बार वे भारी मतों से विजयी घोषित की गई। अपने राजनीति में प्रवेश के 5 वर्ष बाद मायावती जी लोकसभा में पहुँचीं।

समाजवादी पार्टी के साथ ७० प्र० में साझा सरकार

लोकसभा में पहुँचने के बाद भी मायावती जी की राजनीति के केन्द्र में ७० प्र० ही रहा। ७० प्र० से सचमुच उन्हें बहुत प्यार है। वे अपने चुनाव क्षेत्र बिजनौर के साथ-साथ पूरे ७० प्र० के हितों की चिन्ता करती।

1993 के विधान सभा चुनावों में बसपा ने युलायम सिंह के समाजवादी दल के साथ चुनावी तालमेल किया। चुनाव अभियान में मायावती ने प्रमुख भूमिका निभाई तथा पूरे ७० प्र० में उन्होंने चुनाव सभाओं में भाषण दिए और लोगों को विश्वास में लिया। उनका कहना था कि सपा और बसपा दोनों समानांतर राजनीतिक दल हैं और दोनों का मुख्य उद्देश्य पिछड़ों, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के हितों को प्राथमिकता देना है। इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया और दोनों दलों की मिली-जुली सरकार ने उत्तर प्रदेश में शासन की बागडोर संभाल ली।

परन्तु दुर्भाग्यवश यह सरकार 2 जून, 1995 को आपसी मतभेद के कारण गिर गई।

3 जून, 1995 को बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उ० प्र० मे सरकार बना ली और मायावती जी पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गईं।

मायावती जी के हाँसले दुर्लभ थे। उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही राज्य की नीतियों में भारी फेर-बदल की और पूरे प्रशासन तंत्र को देखते ही देखते गरीबों और पिछड़ों के हितों से सीधा जोड़ दिया। दीन-दुखी और दबे हुए लोगों की आवाज सुनने वाला अब तक प्रदेश में कोई नहीं था। मायावती जी ने शासन की वागडोर संभालते ही इन लोगों का मनोबल ऊँचा करने में पूरी ताकत लगा दी। जो लोग दबाव में जी रहे थे, वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए। मनमानी करने वाले अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। जिसके खिलाफ शिकायत मिली उसे ही लाद दिया गया।

मायावती जी को 27 अक्टूबर, 1995 तक सत्ता में रहने का मौका मिला। इस अवधि में राज्य में बड़ी तेजी से सामाजिक परिवर्तन हुआ। दबे और पिछड़े लोगों के लिए वे मसीहा बनकर आई थीं। लोगों ने अपने दुख-दर्द खुलकर कहे और उनसे निजात भी पाई। पाँच माह से भी कम की अवधि में मायावती पूरे प्रदेश में छा गईं। उनका आत्मविश्वास और नियंत्रण करने का ढंग बेमिसाल था।

छ. महीने के लिए फिर मुख्यमंत्री

1996 में विधानसभा चुनाव हुए। राज्य में फिर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 15 अक्टूबर, 1996 से 20 मार्च, 1997 तक कोई दल सरकार नहीं बना पाया। कोई तालमेल न बैठने के कारण फिर से चुनाव कराने की स्थिति दिखाई पड़ने लगी। मायावती जी ने विवेक से काम लिया। उन्होंने भाजपा के साथ 1995 में पैदा हुई कडुवाहट को भुला दिया और राज्य को चुनावों से बचाने के लिए तथा पिछड़ों व गरीबों की सेवा का एक और मौका पाने के लिए भाजपा के साथ फिर सत्ता-गठबंधन किया। पहले छः महीने तक मायावती को प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का निश्चय किया गया। 21 मार्च, 1997 को मायावती जी ने दूसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1996 के चुनावों में उन्होंने बिल्सी (जि० बदायूँ) और हरौड़ा (जि० सहारनपुर) से चुनाव लड़े थे और वे दोनों जगहों से चुनी गईं थीं। उन्होंने बिल्सी की सीट छोड़ी दी।

सितम्बर, 1997 में उन्होंने समझौते के अनुसार मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनकी पार्टी ने भाजपा को सरकार चलाने में समर्थन दिया। मायावती पिछड़ों के प्रति अपने मिशन में जुट गईं।

1999 में मायावती जी ने फिर अकबरपुर क्षेत्र से ही लोक-सभा का चुनाव लड़ा और वे अपने साथ 13 अन्य बसपा सांसदों को संसद तक पहुँचाने में कामयाब रही।

तीसरी बार फिर 30 प्र० की मुख्यमंत्री

2002 में 30 प्र० विधान सभा के चुनाव हुए तो उन्होंने अपनी लोकसभा सीट का माह छोड़ दिया और विधान सभा चुनावों में पार्टी का नतुत्व सभाला। इस बार उन्होंने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीता और 403 विधान सभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने 100 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में उतारे। मायावती जी ने रात-दिन दौड़ भाग करके 30 प्र० में भारी जीत हासिल की; परन्तु विधान सभा फिर त्रिशंकु हो गई। बसपा 98 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही।

कई महीने तक प्रदेश में कोई दल सरकार नहीं बना पाया फिर वही स्थिति घूम कर आ गई। प्रदेश में मध्यावधि चुनावों के अन्तवा और कोई रास्ता नहीं बचा।

अब फिर मायावती जी ने अपने अह का शमन किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर राजी हो गई। राज्य को एक बार फिर उन्होंने बेवक्त चुनावों का खर्च उठाने से बचा लिया।

3 मई, 2002 को उन्होंने तीसरी बार 30 प्र० की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वे राज्य की 28वीं मुख्यमंत्री हैं।

तीन महीने के अन्दर उन्होंने राज्य के सारे बिछरावों को समेटने तथा राज्य की तमाम समस्याओं से निबटने में सफलता प्राप्त की। भाजपा पर तीसरी बार फिर विश्वास करने के लिए विरोधियों ने उन पर काफी छीटाकशी की परन्तु उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की। भाजपा के साथ सत्ता का तालमेल विधान के लिए कांग्रेस और समाजवादी दलों ने उनकी बहुत खिचाई की। उनके अल्पसंख्यक विधायकों को भड़काने के प्रयास भी किए गए, परन्तु मायावती जी अपने निश्चय से डिगी नहीं। वे अपने वचन की पक्की हैं और प्रदेश का हित उनके लिए सबसे ऊपर है।

नौकरशाही पर भारी

मायावती जी जहाँ पिछड़ों और गरीबों की हमदर्द हैं, वहीं वे नौकरशाही पर बहुत भारी पड़ती हैं। वे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को तनिक भी सहन नहीं करतीं, जिनके खिलाफ उन्हें शिकायत मिलती है या जो प्रशासन की गति को अवरुद्ध करते हैं। इस मामले में उनकी दृष्टि बहुत पैनी है। उनके सत्ता सभालते ही नौकरशाहों में खलबली मच जाती है। सब सतर्क होकर अपने-अपने कार्यों को अजाम देने लगते हैं। जहाँ ऐसा नहीं करते, वे मायावती जी की दृष्टि से अपने आपको बचा नहीं पाते। उन पर गाज गिरती है। उनको या तो दूसरे स्थान पर भेज

दिखा जाता है या फिर (अपराध समीन होने पर) नौकरी से हाथ धोना पड़ता है पुलिस चौकन्नी हो जाती है। पिछड़ों या सत्ताएँ हुआ के खिलाफ कोई शिकायत मिलने ही पुलिस हरकत में आ जाती है।

जौनपुर के चितौड़ी गाँव का तिवारी फागूराम बहुत परेशान था। दो साल से वह बराबर पुलिस में शिकायत कर रहा था परन्तु पुलिस कोई कदम नहीं उठाती थी। मायावती जी ने जब तीसरी बार मुख्यमंत्री पद सभाला तो फागू को थोड़ी आस बंधी। उसने झट पुलिस में अर्जी दे दी। पुलिस तुरन्त उसके घर जा पहुँची और पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा तुरन्त सुलझा दिया। पड़ोसी को पुलिस ने सख्त हिदायतें देकर छोड़ा।

लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर बंधरा नामक गाँव में पुलिस को खबर मिली कि एक पासी का घर फूँक दिया गया है तो उसने तुरन्त कार्रवाई की। यद्यपि वह खबर झूठी निकली, परन्तु पुलिस दल तुरन्त हरकत में आ गया था।

प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने और अधिकारियों को अपने दायित्व का बोध कराने के मामले में मायावती वेजाँड़ मानी जाती है। वे मौके पर पहुँचने में भी नहीं हिचकतीं। अनेक ऐसे अवसर आए हैं, जब उन्होंने सरकारी कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को गलतियाँ करते रंगे हाथों पकड़ा है और नौकरी से निकाल दिया है।

अपराध व भ्रष्टाचार पर कड़ी पकड़

मायावती जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वे साफ-सुधरे प्रशासन में विश्वास रखती हैं। अपराधियों को वे अपने दल में कोई स्थान नहीं देतीं। शासन में आते ही उनकी तीखी दृष्टि अपराधियों को खोजने लगती है। पुलिस प्रशासन इस बात को अच्छी तरह जानता है। अतः कहने का मौका आने से पहले ही अपराधियों पर कड़ी नजर रखने लगता है। अपराधी सहम जाते हैं। वे या तो सुधर जाते हैं या फिर प्रदेश से पलायन करने पर विवश होते हैं। मायावती जी के शासन काल में खुले नहीं घूम सकते।

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनकी नीति बहुत स्पष्ट है। सब अधिकारी जानते हैं कि मायावती जी को भ्रष्टाचारियों से नफरत है। वे उन्हें नहीं सह सकतीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने सदा कड़े कदम उठाए हैं। उनके शासन काल में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया हो, यह तो नहीं कहा जा सकता। देश की काया में भ्रष्टाचार का रोग ऐसा रच-बस गया है कि यह कभी जाता ही नहीं, परन्तु इतना अवश्य है कि भ्रष्टाचारी सहम जाते हैं। प्रशासन उन्हें खुलकर खेलने की इजाजत नहीं दे सकता।

की मसीहा

मायावती जी ने दलितों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों का भी विश्वास जीता है। वे राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर सदा जोर देती रही हैं। 14वीं विधान सभा चुनाव में उन्होंने 403 में से 100 उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग में मैदान में उतारे थे। वे बड़ी संख्या में जीतकर आए मायावती जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों को पूरा विश्वास है। मायावती जी इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। दलितों और पिछड़ों की तरह वे भी शिक्षा और सपन्नता में पीछे रह गए हैं, अतः वे अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखकर चलती हैं। धर्म और जाति की राजनीति करना उन्हें पसंद नहीं है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में आगे लाने तथा उनमें नया आत्मविश्वास पैदा करने का वे पूरा प्रयास करती रही हैं। अपनी सरकार में उन्होंने अल्पसंख्यकों को पूरा प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। सरकारी नौकरियों में उनका पूरा ध्यान रखा जाता रहा है। वे जानती हैं कि प्रदेश की जनसंख्या में दलित और अल्पसंख्यक बड़े अनुपात में हैं; अतः उन्हें उनके अधिकार अवश्य मिलें, इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं। राजनीतिक लाभ और जनहित दोनों दृष्टियों से अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान देना अनिवार्य है।

समतामूलक समाज का सकल्प

मायावती जी का यह सकल्प है कि वे एक ऐसे समाज की रचना करें, जिसमें जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण और आर्थिक आदि कारणों से भेद-भाव और वैमनस्य न हो।

उपनिषद काल से ही भारत की यह कल्पना रही है कि वह एक आदर्श मानव समाज की रचना करें। आदर्श मानव समाज वह है, जहाँ लोग आपस में कोई भेद-भाव नहीं रखते। सब मिलकर रहते हैं और एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। भारत ऐसे समाज की, ऐसी जीवन-शैली की रचना करने में सफल रहा है, परन्तु विदेशी सस्कृतियों के प्रभाव में आने तथा विदेशी दवावों में आने के कारण उसकी सामाजिक रचना गड़बड़ा गई और जाति, वर्ग, वर्ण आदि में समाज बँट गया। यहाँ अनेक धर्मों के लोग आए और बस गए। उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया, धर्म परिवर्तन का दौर चला और पूरा समाज अनेक प्रकार के भेद-भावों से भर गया।

समतामूलक समाज की रचना करना भारत के हर महान विचारक के मन में रहा है। कवि और साहित्यकार भी इसकी कल्पना करते रहे हैं, परन्तु इस विचार को एक आंदोलन के रूप में समाज में उतार लाने में सफलता प्रायः कम मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम और राममनोहर लोहिया आदि का

विन्तन समतामूलक समाज की संरचना पर केन्द्रित रहा; समाज पर उनके विचारों का प्रभाव पडा और बदलाव आया।

1984 में वसपा का गठन करने के साथ ही मायावती जी ने यह संकल्प लिया था कि वे दलितों और पिछड़ों को एक राजनीतिक महाशक्ति बनाकर उन्हें सामाजिक न्याय दिलाएगी और फिर एक ऐसे समाज की रचना करेंगी जिसमें श्रम मस्कृति का सम्मान होगा, श्रमजीवियों को महत्त्व दिया जाएगा और धर्म व जाति आदि आधारों पर मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। जातीय घृणा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बेगार जैसी धिनौनी परंपरा जड़ से मिटा दी जाएगी। धार्मिक दैनस्य नहीं रहने दिया जाएगा। सर्व धर्म समभाव की स्थिति रहेगी और लोग मिल-जुलकर तरक्की करेंगे।

मायावती जी का मानना है कि राजनीतिक शक्ति से ही समाज में परिवर्तन संभव है। समतामूलक समाज की संरचना वे मतदाताओं की ताकत से ही करना चाहती हैं। देश में संपन्नता है, परन्तु बड़ी संख्या उन लोगों की है जो जातीय घृणा सहते आए हैं। अब इत सवसे ऊपर उठकर, सबको सामाजिक न्याय दिलाते हुए समतामूलक समाज की संरचना लक्ष्य है।

वे कहती हैं “समतामूलक समाज से मेरा मतलब है सामाजिक, आर्थिक और साम्प्रदायिक आधार पर एक भेद भाव रहित समाज। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पदचिह्नो पर चलकर मैं पूरे भारत में एक समरस समाज देखना चाहती हूँ जिसका आधार आपसी प्रेम और भाईचारा हो। जिसमें कोई ऊँच-नीच न हो, कोई छुजाछूत न हो, कोई वैर-भाव न हो। इसके लिए हमें उनसे शुरुआत करनी है जो वास्तव में वंचित और दलित हैं।”

परन्तु एक बात ध्यान रहे, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज जैसे शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, सही अर्थों में हमारे अदर्श लक्ष्य भी हैं, परन्तु राजनीतिक सतुलन विठाने की धुन में और राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाने के जुनून में यदि हमने जनसख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया और तुष्टिकरण व दवायों का विकल्प नहीं तलाशा तो यह सामाजिक संरचना स्थायी नहीं रह पाएगी। फिर सतुलन गडबड़ाएंगे, फिर बवंडर उठेगे, फिर समाज में घृणा जन्मेगी और फिर समाज टूटेगा। भारतीय सविधान में आरक्षण की जो सुविधा है, उसका इस्तेमाल करते समय योग्यता और क्षमता के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए, धर्म निरपेक्षता की जो व्यवस्था है, उसकी आड में जनसख्या बढ़ाओ अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए।

विचार और इरादे

मायावती जी के विचार और इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। सामाजिक न्याय की

स्थापना करना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए विकास की प्रक्रिया को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य है। कानून-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को वे अपने लिए चुनौती मानती हैं। वे समाज से वर्ग-भेद को उखाड़ फेंकने के लिए सकल्पवद्ध हैं। वे मानती हैं कि पीड़ित और दलित हर वर्ग में हैं। आजादी के बाद आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं के कारण जाति आधारित सामाजिक संरचना में भारी परिवर्तन आया है। छोटी जातियों और पिछड़े वर्गों में गिने जाने वाले लोग शिक्षा व रोजगार से जुड़े हैं, उनमें आत्मविश्वास लौटा है। अब समस्या केवल उन्हीं को उठाते रहने की नहीं है, हमें पूरा समाज देखना है। समाज के हर वर्ग में शोषित और उपेक्षित लोग मौजूद हैं। मायावती उन्हीं की लड़ाई लड़ रही हैं। वे कहती हैं—“हर वर्ग के पीड़ित और दलित का संघर्ष मेरा मिशन है।”

मायावती इस सत्य से अपरेक्षित नहीं हैं कि जिस समता-मूलक समाज की वे बात कर रही हैं, वह किसी एक वर्ग पर ध्यान केन्द्रित करके नहीं लाया जा सकता। पूरे भारतीय समाज को समग्र दृष्टि से देखना होगा। दलितों और पीड़ितों की क्रांति जाति नहीं होती। पिछड़ी जातियों में भी सपन्न लोग गरीबों और कमजोरों को सत्ताते हैं, उनसे बेगार लेते हैं और उनका अपमान करते हैं। यह सोचना ठीक नहीं है कि छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति के लोग ही सत्ताते हैं। बड़ी जाति के हों या छोटी जाति के, जिनके पास दौलत और दबदबा है वे अपना सामंती चरित्र दिखाने में नहीं चूकते। उनके सामंती तेवर गरीब और असहायों पर जुल्म ढहाते ही हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं जब सपन्न वर्णों ने कमजोर वर्णों को खूब सत्ताया है। उन्होंने उनका हर प्रकार से शोषण किया है और उन्हें पनपने नहीं दिया है।

सच तो यह है कि हम सामंती मूल्यों से उबर नहीं पाए हैं। जातिवाद, धर्म, वर्ण, वर्ग और आर्थिक विषमताओं की आड़ में सामंतवाद हमारे समाज के मानस में सदा छिपा रहता है और ठीक मौका पाते ही सॉप की तरह उस लेता है। यदि मायावती जी समतामूलक समाज की स्थाई स्थापना चाहती हैं तो उन्हें सबसे पहले इस विष-धर के दाँत तोड़ने होंगे। इसके दाँत तोड़ने के दो हथियार साफ़ नजर आ रहे हैं एक वैचारिक, दूसरा व्यावहारिक।

समता है वैचारिक हथियार मायावती जी के पास है। वह है यह मानकर चलना कि दलित और पीड़ित समाज के लोग हर वर्ग में हैं। हर वर्ग के दलितों और पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए उनके समुचित विकास के लिए वैचारिक क्रांति का अभियान।

व्यावहारिक हथियार है सत्ताधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों के दिमागों में

सामतवादी कीड़ों का न घुसने देना। वर्तमान में देश इससे बुरी तरह पीड़ित है। सत्ताधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो इस महाव्याधि से मुक्त हैं। अधिक संख्या में ही सत्ताधीशों तथा अधिकारियों की है जो अपने पद पर आसीन होते ही सामंती जहर उगलने लगते हैं।

यदि सचमुच मायावती जी अपनी इस सोच के प्रति गर्भीर है तो मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि उनसे अच्छा नेता हिन्दुस्तान को अब तक मिला ही नहीं है। तब तो वे उत्तर प्रदेश की ही नहीं, समूचे भारत की आदर्श नेता हैं।

हर वर्ग के दलित व पीड़ित को बराबर न्याय दिलाने के मिशन को यदि उन्होंने निरपेक्षता के साथ आगे बढ़ाया तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा और जैसा कि भारत के राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका संकल्प भी अवश्य पूरा हो जाएगा।

एक और बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि ऐसे नेता की अब इस देश के बहुसंख्यक समाज को तलाश है जो विकास की प्रक्रिया का लाभ सीधे-सीधे उन तक पहुँचाने की व्यवस्था करे, जिन्हें इसकी तुरन्त आवश्यकता है। जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा, प्रांत और क्षेत्रों के खेल खेलते-खेलते पूरा समाज खोखला हो चुका है। ये खेल राष्ट्रीयता के नाम पर कलाक है घाघ राजनेता देश की जनता को कई टुकड़ों में बाँट कर नागरिकों को एक दूसरे के आमने-सामने खड़ा कर उनकी शक्ति, समय और साधनों की बर्बादी कराते रहे हैं। राष्ट्रीय उन्नति में सबसे बड़ी बाधा यही प्रवृत्ति रही है।

मायावती के ये विचार जानकर आशा की एक किरण फूटी है। समाज को संकीर्ण दायरों से बाहर ले जाने के लिए चिंतित सभी बुद्धिजीवी मायावती जी के बड़े आभारी होंगे यदि उन्होंने इस वैचारिक क्रांति की आगे बढ़ाया और सामंती ताकतों के कदों को छांटने की व्यवस्था की।

सामंती प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। इससे सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग होता है; अन्याय और भ्रष्टाचार पनपता है।

हमें उस दिन का बड़ी बेसब्री से इन्तजार है जब मायावती जी के ये दोनो स्वप्न पूरे होंगे।

बाहर से जुझारू और अंदर से संजीदा

मायावती जी के स्वप्नों और संकल्पों के बाद अब एक नजर उनके व्यक्तित्व पर।

मायावती जी बाहर से संघर्षशील हैं। जब वे अपने मिशन पर होती हैं तो उनके चेहरे पर एक मख्ती साफ देखी जा सकती है। यह मख्ती उनके सहयोगियों

और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। वे यह न भूलें कि मायावती जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और वे जनता के सेवक हैं। जिन पदों पर वे बैठे हैं, उनका वेतन उन्हें जनता की गाढ़ी कमाई से ही मिलता है। जनता के साथ वे विनम्रता और मज्जनता का व्यवहार करें तथा उसकी समस्याओं के सही समाधान तलाशें। यही उनका कार्य है। यही उनका लक्ष्य। इससे विचलित हुए तो सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी।

सिद्धांतों और नीतियों को लागू करने, कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत रखने के मामले में भी मायावती कठोर हैं। वे ऐसे अधिकारियों को कभी माफ नहीं करतीं जो कानून और नीतियों को लागू करने में ढील बरतते हैं और बचने के वहाने तलाशते रहते हैं। उनकी इसी सख्ती ने सरकारी मशीनरी को गति प्रदान की है। मायावती के नाम से ही प्रशासन-तंत्र चौकन्ना हो जाता है। कानून और नीतियों का आदर यद्यपि अभी देश में पूरे मन से नहीं किया जा रहा है, परन्तु फिर भी मायावती जैसे समझौता न करने वाले नेताओं की नौकरशाही पर अच्छी पकड़ है। नौकरशाही जब यह देख लेती है कि बीच का रास्ता बंद कर दिया गया है तो उसे सक्रिय होना पड़ता है।

उनके जुझारू व्यक्तित्व का असर उनके राजनीतिक व सामाजिक संगठनों तथा कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा है। वे समझ गए हैं कि मायावती सिद्धांतों के साथ समझौते नहीं करतीं। नीतियों को लागू करना उनके जीवन का लक्ष्य है। कथनी और करनी में अन्तर रखकर उनके साथ काम नहीं किया जा सकता।

मायावती कोई कामचलाऊ या कमाऊ नेता नहीं हैं। उनके सामाजिक क्षेत्र में उतरने और राजनीति में आने के पीछे एक मिशन है। वे अपने मिशन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकतीं। अपने मिशन के लिए वे इतनी समर्पित हैं कि अपने परिवार वालों और मित्रों को भी विशेष सुविधाएँ प्रदान नहीं करतीं। वे चाहती हैं कि सब मिशन में लगे। धन और सुविधाओं का अम्बार लगाना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है। देश की सम्पन्नता, देश की तरक्की और सामाजिक न्याय की स्थापना उनके जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए उनके तेवर सदा जुझारू रहते हैं।

परन्तु जब मायावती जनता के बीच जाती हैं, उनकी छोटी और बड़ी फरियादों को सुनती हैं तो उनका दिल मोम से भी ज्यादा कोमल हो जाता है। वे अत्यधिक संवेदनशील हैं। दुख-दर्दों की उन्हें गहरी परख है। वे किसी को दुखी नहीं देख सकतीं। उनकी नजर हमेशा दीन-दुखियों पर रहती है। गरीबों और पीड़ितों की मदद करना, उन्हें संकट के दलदल से उबारना वे अपने जीवन का पहला उद्देश्य मानती हैं। जब से उन्होंने सामाजिक कार्यों तथा राजनीतिक दायित्वों की दुनिया



में प्रवेश किया है, वे दीन-हीनों के प्रति सदा सजीदा देखी गई है। जनता की समस्याओं को सुनना, उन्हें समझना और उनके समाधान तलाशना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जनता के बीच और अपने सहयोगियों के बीच उन्हें जो लोकप्रियता मिली है, इसका प्रमुख कारण उनकी तजीदगी है। जन-सेवा के कार्यों में उनका मन इतना रम जाता है कि वे खाना और सोना तक भूल जाती हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय सतुलन का सकल्य उनके मन में सदा मौजूद रहता है। जब वे लोगों से मिलती हैं तो उनके चेहरे पर सम्पूर्ण आत्मविश्वास और आँखों में आशा की किरण साफ दिखाई पड़ती है।

अपने इन्ही गुणों के बल पर उन्होंने प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत की है और जनता के दिलों में प्यार पैदा किया है। उनके शासन में गरीब और सताए हुए लोग अपनी बात कहने में तनिक भी नहीं झिझकते। उन्हें पूरा विश्वास है कि मायावती के रहते उनकी बात अवश्य सुनी जाएगी और उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा।

एक लोकप्रिय नेता के रूप में मायावती की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेता के गुणों में ये दोनों गुण सबसे अधिक उपयोगी हैं। नीकरशाही के दबाव में आ जाने वाले नेताओं के हाथों जनता का हित होने वाला नहीं। नीकरशाही को अपने इशारे पर चलाना और दौड़ाना सफल नेतृत्व की पहली शर्त है। सुविधाभोगी होना मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। इस कमजोरी से प्रशासन-तंत्र को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेतृत्व उस पर कड़ी नजर रखे। जनता के दुख-दर्द कम करने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। मायावती में दोनों गुण उन्नत अवस्था में हैं। यही उनकी सफलता और लोकप्रियता का राज है।

□□□